खण्ड-374, अंक-8
सोमवार, 28 माघ, शक संवत् 1907
(17 फरवरी, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 374 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	2–65
स्याल्दे ब्लाक अल्मोड़ा में अध्यापकों के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65–66
ग्राम जबरपुरवा, रामसनेहीघाट, बाराबंकी में भीषण अग्निकांड से क्षति तथा दो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	66–
थाना चांदा, सुल्तानपुर निवासी, आजीवन कारावास दंडित श्री महन्तू सिंह के फरार होने तथा राजनीतिज्ञों तथा पुलिस का संरक्षण प्राप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66–67
बाई-पास रोड, फिरोजाबाद, आगरा के निकटवर्ती निवासी श्री वीरेन्द्र गुप्त के निवास पर डकैती व तीन व्यक्तियों की हत्या होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
बांदा जनपद में शिक्षित बेरोजगारों को कर्ज देने के चयन में धांधली करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
यांत्रिक गड़बड़ी व बिजली की कमी से सीतापुर में लिफ्ट कैनालों से किसानों को पानी न मिलने के सम्बध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	68
विकास खंड, खेकड़ा व पिलाना, बागपत, मेरठ में भारी ओला वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
अतारांकित प्रश्न संख्या–33, नत्थी (ग) के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	68
औचित्य के प्रश्न	69–70
फैजाबाद जनपद के राजकीय महिला चिकित्सालय, गोसाईंगंज में महिला डाक्टर, नर्स एव अन्य स्टाफ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) ..	70
राजकीय बालिका इन्टर कालेज, गोसाईगंज के भवन की मरम्मत के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई)	70
1985 के द्वितीय सत्र के पांचवे मंगलवार में श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–42 के उत्तर को संशोधित किये जाने हेतु परिवहन मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य	70–71
चीनी मिल इकाइयों के गन्ना मूल्य में असमानता के कारण किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य	71–75
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	75–98

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये राज्यों के पिछड़ेपन और आबादी के आधार पर ही धन आवंटन करने के लिये केन्द्रीय सरकार से मांग के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत) 98--103

पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिय उच्चाधिकार प्राप्त अभिकरण की स्थापना करने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत) 103--116

लोक सभा एवं विधान सभा के निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों के स्थान पर न्यायपालिका के न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सबल संस्तुति किये जाने का संकल्प (जारी) .. 117

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1986 के अनुमोदन का संकल्प तथा भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) 117

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. 117 -130

जनपद देवरिया में भटनी पुलिस द्वारा श्याम सुन्दर नामक युवक को अपनी हिरासत में लेकर पिटाई किये जाने तथा उसे गायब किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 130--132

कानपुर नगर में हड़ताल के सम्बन्ध में चर्चा (समाप्त) 132--144

नत्थियां 145--158

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 17 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

1--अचल सिंह, श्री — फतेहपुर
2—अजीजुर्रहमान, श्री — बिजनौर
3--अतर सिंह यादव, श्री — एटा
4--अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री — मेरठ
5--इकबाल अहमद, श्री — आजमगढ़
6--औसान सिंह, श्री — इटावा
7--काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
8--केशरी सिंह, कर्नल — बस्ती
9--चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
10--चारू शीला, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
11--जय दीप सिंह बरार, श्री — बरेली
12--जय नारायण शर्मा, श्री — मेरठ
13--घनराज यादव, श्री — बस्ती
14--नरेंद्र देव, श्री — मिर्जापुर
15--नरेंद्र पाल सिंह, श्री — बरेली
16--नियाज हसन, श्री — प्रतापगढ़
17—निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
18—पुष्पा देवी, श्रीमती — बदायूं
19—पूरन सिंह माहरा, श्री — अल्मोड़ा
20--प्रवीण कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
21--बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
22—बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
23--बसन्त सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
भोला शंकर मौर्य श्री — बदायूं
24--बुद्धपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री — बुलन्दशहर
25—मंगल देव, श्री — गोन्डा
26--मनहरन नाथ कौल, श्री — बहराइच
27--मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री — बस्ती
28--महावीर सिह, श्री — सहारनपुर
29--योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
30--रजनी कान्त दत्त, डा0 — वाराणसी
31--रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री — रायबरेली
32--राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
33--राजेन्द्र सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
34--राम नरेश शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
35--राम रतन सिंह, श्री — सीतापुर
36--लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
37- विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
38--बीर बहादुर सिंह श्री — गोरखपुर
39--वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री — गोरखपुर
40- शतरुद्र प्रकाश, श्री — वाराणसी
41--शिव बख्श सिंह राठौर, श्री — मैनपुरी
42--शिवेन्द्रसिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — गोरखपुर
43--श्याम लाल, चौधरी — जालौन
44--सखावत हुसैन, श्री — गाजियाबाद
45--सतीश अजमानी, श्री — खीरी
46—सन्तन बड़थ्वाल, श्री — चमोली
46- समरपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
47--सुखदा मिश्रा, श्रीमती — इटावा
48--सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
49--सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
50--सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री — रायबरेली
51--सुरेश चन्द्र, श्री — नैनीताल
52--हर नारायण सिंह, श्री — रायबरेली
53- हर्ष वर्धन, श्री — गोरखपुर
54--हीरा सिंह बिष्ट, श्री — देहरादून

नोट :--श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, श्री निसार अहमद अन्सारी, लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 17 फरवरी, 1986 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास हेतु पूर्वान्चल विकास परिषद् के गठन की मांग और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना

**1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष पर्वतीय विकास परिषद् तथा बुन्देलखण्ड विकास परिषद् की तरह पूर्वान्चल के पिछड़ेपन और गरीबी को ध्यान में रखते हुए पूर्वान्चल विकास परिषद् के गठन की योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

जी नहीं ।

पर्वतीय क्षेत्र तथा बुन्देलखन्ड क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पर्वतीय विकास परिषद् एवं बुन्देलखन्ड विकास परिषद् की स्थापना की गई है। पूर्वी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रदेश सरकार ने सप्तम पंचवर्षीय योजना में सामान्य रूप से पूर्वी क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है। कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण एव भ्रमण (टी एन्ड वी) प्रणाली पहले पूर्वी क्षेत्र में ही लागू की जा रही है जिसका उद्देश्य नवीनतम कृषि उत्पादन विधियों से कृषकों को अवगत कराना है। भारत सरकार की सहायता से धान की उत्पादकता में वृद्धि का विशेष कार्यक्रम पहले ही पूर्वी क्षेत्र में आरम्भ किया गया है। बहुत से बड़े और मध्यम उद्योग जैसे सुल्तानपुर में गैस पर आधारित रासायनिक खाद इकाई, हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स इकाई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, गोण्डा में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज इक्युपमेंट, कतार्नी मिल, बलिया आदि भी इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार व भारत सरकार की सहायता से लगाई जा रही हैं। गण्डक एवं शारदा सहायक की बृहत सिंचाई परियोजनायें, नारायणपुर और जमनिया की गंगा नहरों का कार्य भी सप्तम योजना में पूरा होजायगा इस क्षेत्र के बड़े भाग को सिंचाई सुविधा देने के लि सरयू पम्प नहर पर कार्य की प्रगति बढ़ा जा रही है। फैजाबाद में 440 मेगावाट क टांडा ताप विद्युत् गृह और मिर्जापुर के 63 मेगावाट का ओनपारा-ए ताप विद्युत् गृह म सातवीं योजना में पूर्ण हो जायेगा। प्रदेश में भारत सरकार द्वारा संचालित "इनसैट फा एजूकेशन प्रोजेक्ट" के अन्तर्गत बस्ती, गोरखपु तथा आजमगढ़ के ग्रामीण अंचलों में स्थि 900 प्राथमिक विद्यालयों में टेलीविजन सेट् लगाए जा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी पूर्वी क्षेत्र की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, बुन्देलखण्ड विकास परिषद् औ पर्वतीय विकास परिषद् की स्थापना वहां के आर्थिक असन्तुलन और विकास के असन्तुल को देखते हुए की गई थी, जो इसके सम्बन्ध में सांख्यिकी की डायरी प्रकाशित की गयी थी उससे यह बात स्पष्ट हो गई कि वहां के प्रति व्यक्ति की आय बुन्देलखण्ड क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र के लोगों से पूर्वी उत्तर प्रदेश की आय कम है और आबादी का क्षेत्रफल वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश से अधिक है और वहां का घनत्व भी ज्यादा है तथा विकास की दर कम है। क्या ऐसी स्थिति में यहां की समस्या पर पुनर्विचार करते हुए, अपने ही दिये हुए तथ्यों के आधार पर क्या कारण है या किन कारणों की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन नहीं किया जा रहा है ? इस सम्बन्ध में पटेल आयोग की भी स्थापना की गयी थी, उनके सुझाव भी आये थे, फिर उन सुझावों को देखते हुए उनका क्रियान्वयन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जो माननीय सदस्य ने उदाहरण पेश किया है उसके हिसाब से न केवल पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इसको आधार मानते हुए माननीय

मुख्य मंत्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में प्वाईंट 5 पर क्लियर भारत सरकार से मांग की थी कि उत्तर प्रदेश के तीन क्षेत्र विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, पिछड़ा हुआ है। भारत सरकार से पर्वतीय क्षेत्र की सहायता प्राप्त होती है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र को पिछड़ा हुआ मानकर केन्द्र सरकार से विशेष सहायता उपलब्ध करायी जाती है उसी प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी सहायता उपलब्ध कराई जाय। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को लेकर सरकार चिन्तित नहीं है, बल्कि सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से जागरूक है और उसके लिए वह प्रयत्नशील भी है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1982-83 में डि-सेन्ट्रलाईज़ेशन प्लान बनाया था तो उसकी मन्शा यही थी कि जो जिले अपनी क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण पिछड़े रह जाते हैं, वहां विकास की योजनाओं को विस्तृत आधार पर कराया जाय और इससे वहां का पिछड़ापन दूर हो। जैसे पूर्वी अंचल में शिक्षा का सम्बन्ध है, तो उसके लिए जिला प्लान में दे दिया गया है। जो जिला प्लान था जो उसका बंटवारा 1985-86 में हुआ वह ईस्टर्न यू0पी0 में कुल 42.56 प्रतिशत था, जबकि वेस्टर्न यू0पी0 में 31.29 प्रतिशत और बुन्देलखण्ड में 7.97 प्रतिशत था और 1986-87 में यह प्रतिशत बढ़ा है, तो यह जो राशि दी जा रही है, तो यह पिछड़ेपन को देखकर ही दी जा रही है। श्रीमन्, स्वतन्त्रता से पहले से लेकर आज तक आप देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें की गई हैं, 42 चीनी मिले थीं, हिन्दुस्तान का पहला डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में खोला गया है, यू0पी0 का पहला फर्टीलाइजर कारखाना गोरखपुर में लगाया गया है, यहां पर सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, आबादी वहां पर बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और ओझा जी, पान्डे जी तथा दिवाकर विक्रम सिंह जी, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मान्यवर इसमें सरकार का क्या दोष है।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, पर्वतीय जिलों की आबादी 48.36 लाख है, बुन्देलखण्ड की 30 लाख है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 4 करोड़ है, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस आबादी के असन्तुलन को देखते हुए, सातवीं योजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अधिक धन विनियोजन करने का आप यहां पर आश्वासन देंगे, यदि हां, तो कितना ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने कहा, जो जिला प्लान है उसके मानक हैं, उनको माननीय सदस्य देख लें। मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं कि जो बटवारा किया जाता है उसमें कुल पापुलेशन के आधार पर 50 प्रतिशत का बटवारा किया जाता है, उसमें आबादी को मुख्य आधार माना गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 5 प्रतिशत और जो छोटे किसान हैं, सीमान्त और लघु किसान हैं उनके लिए 10 प्रतिशत दिया जाता है, तो इस प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश की जहां पर पापुलेशन सबसे अधिक है, सबसे अधिक धन दिया जाता है। मान्यवर, बुन्देलखन्ड सलाहकार परिषद् और पर्वतीय परिषद् बनाई गई हैं। पर्वतीय परिषद् बनाने का उद्देश्य मान्यवर यह था कि 1962 में चीन ने हमला किया था, तो सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए शासन ने उधर ध्यान दिया और वहां पर रोड्स बनाई गयीं और मुख्य स्थानों को सड़कों से जोड़ा गया और यह निश्चय किया गया कि वहां का विकास होना चाहिए और इसी कारण चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी और रोड्स आदि के विकास की व्यवस्था की गई। मान्यवर, बन्देलखण्ड की भौगोलिक कन्डीशन बड़ी टिपिकल है। वहां पर लोगों को 2-2, 3-3 किलोमीटर से पीने का पानी लाना पड़ता है। इसलिए यह स्थिति बनायी गयी और वेस्टर्न, सेन्ट्रल और ईस्टर्न इस सब में पिछड़ेपन की स्थिति बिल्कुल एक सी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में उनसे जानना चाहता हूं और मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वान्चल बिलकुल पिछड़ा हुआ है और गरीबी की रेखा से बिलकुल नीचे है । इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि दुनिया के अधिकांश देशों में और हिन्दुस्तान के सभी बड़े नगरों में ठेला खींचने वाले, मजदूरी करने वाले पूर्वान्चल के ही मिलेंगे, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस के । देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक विकास का काम हुआ ही नहीं, यत्र तत्र ही कहीं हुआ है । आजादी की लड़ाई में भी इस इलाके में बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ, लेकिन विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्र के निवासी होने के नाते बहुगुना जी के मंत्रित्वकाल में पर्वतीय विकास निगम का गठन करके उसका विकास किया गया, अब मन्त्री जी पूर्वान्चल के हैं तो निश्चित रूप से पूर्वान्चल के विकास के लिए वे पूर्वान्चल विकास परिषद् का गठन करके उसके विकास के कार्यों को करेंगे ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

सम्भवत: माननीय सदस्य सुन रहे होंगे जो मैंने कहा । माननीय मुख्य मन्त्री जी इस मामले में सजग हैं ।

(व्यवधान)

मुझे उत्तर दे देने दीजिये । श्रीमन् इसमें नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की जो मीटिंग हुई थी जो भारत की नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च पावर भी है तो उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का जो मैंने अभी पढ़कर सुनाया, उन्होंने कहा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं उन्होंने कहा कि मेरा निवेदन है कि पूर्वी एवं बुन्देलखण्ड के पिछड़े इलाकों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाय । अब प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की इच्छा तो है और केन्द्रीय सरकार और प्रदेश सरकार विशेष उसके लिए कुछ कर रही है और वह मैंने आपको बताया ।

(घोर व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्वान्चल जो है वह पिछड़ा हुआ है और उसके लिए सरकार प्रयत्नशील है और एक बात उन्होंने विकेन्द्रीकरण की कही कि हम अपने माध्यम से, जिला स्तर से उन कमियों को, जो कमियां हैं उनको पूरा कर रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जो जिला योजना है उस पर 50 प्रतिशत खर्च किया जाता है तो क्या इस बात को देखते हुए कि पर्वतीय अंचलों में 50 प्रतिशत जिला योजना में खर्च करते हैं तो क्या पूर्वान्चल जिलों में 50 प्रतिशत खर्च करके इस पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, इसका उत्तर मैं शार्ट में देना चाहता हूं कि 'जी नहीं' । इसका जो कारण है वह मैंने पहले ही बता दिया है कि पहाड़ की जो स्थिति है वह दो कारणों की वजह से विशिष्ट है । पहला तो वार्डर क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से, दूसरा वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन होने की वजह से और तीसरी बात यह है कि गर्वनमेंट आफ इंडिया वहां के लिये अलग से ग्रांट देती है.....

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न पर बहुत सवाल हो चुके हैं। 15 मिनट हो गये ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

हमें भी बोलने का मौका दें । मैं तब से खड़ा हो रहा हूं ।.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उनको बुला लिया है । आप बैठे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जान-बूझ कर सदन को गुमराह करने की कोशिश ही नहीं की है बल्कि गलत बयानी भी करने की कोशिश की है । जहां तक सामरिक सुरक्षा का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल में जो गोरखपुर का जिला है उसकी स्थिति ऐसी है कि चीन से नैपाल को जो सड़क बनी हुई है उसका एण्ड गोरखपुर तुर्तीपार के पास होता है । मंत्री जी ने कहा कि पहाड़ों की ओर बुन्देलखण्ड की स्थिति अलग है, उनको पैसा दिया जाय, यह प्रसन्नता की बात है । मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसा मूल प्रश्न में कहा गया है रीजनल इम्बेलेंस को दूर करने के लिये जिस प्रकार से पहाड़ के लिये हो रहा है, बुन्देलखन्ड के लिये होना चाहिए और बुन्देलखन्ड में न किये जाने का क्या कारण है ? मंत्री जी ने अभी मुख्य मंत्री जी का रोना सुनाया कि उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद् में क्या कहा । मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में एक कारखाना लगा हुआ था, वह पंजाब को चला गया, वे पूर्वांचल के हैं इस वजह से इस विषय पर उन्हें यहा पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए .....

(व्यवधान)

पूर्वांचल विकास परिषद् का गठन न किये जाने का क्या कारण है ? यह गठन कब तक हो जायेंगा । उन्होंने बताया कि 42 प्रतिशत शिक्षा में दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---

इन सब बातों का जवाब हो चुका है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मैं कहना चाहता हूं कि सन् 85-86 में गोरखपुर, जिसकी जन संख्या 36 लाख है वहां पर केवल 3 प्राइमरी स्कूल दिये गये हैं । या तो आपके आंकड़े गलत हैं या मैं झूठ बोल रहा हूं ....

श्री उपाध्यक्ष---

आप सवाल करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

सवाल ही पूछ रहा हूं कि क्या माननीय मंत्री जी पूर्वांचल के विकास को देखते हुए जैसे कि अभी चन्द्र शेखर ने पूर्वांचल का भ्रमण किया था और वहां पर इस बारे में जो जन आक्रोश है, क्या पूर्वांचल को भी आसाम बनाना चाहते हैं..... (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के जन आक्रोश को देखते हुए, पूर्वांचल की गरीबी को देखते हुये जैसे डाक्टर लोहिया ने कहा था कि जब तक एक रजाई और एक चारपाई रहेगी .....

श्री उपाध्यक्ष---

आप सवाल नही पूछ रहे हैं.....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

उन्होंने कहा था कि जब तक एक रजाई और एक चारपाई सोने के लिये रहेगी, परिवार नियोजन कैसे हो सकता है । आप रजाई और चारपाई की व्यवस्था कीजिये और पूर्वांचल विकास परिषद् गठन कीजिये.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

कृपया बैठ जांय ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या माननीय मंत्री जी पूर्वांचल विकास परिषद का गठन कराकर उसकी घोषणा सदन में करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका जवाब वे दे चुके हैं ।.....

(व्यवधान)

श्री त्रियुगी नारायन मिश्र---

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक के अध्यक्ष ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पूर्वांचल एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उसकी जन संख्या की वृद्धि को देखते आप कोई योजना प्रस्तुत करेंगे ? माननीय मुख्य मंत्री जी ने पटना में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कहा था कि 45 सौ करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार को भेजी है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये भी कहा गया है ।

तीसरा प्रश्न...

श्री उपाध्यक्ष--

अब तीसरा नहीं, पहले दो का जवाब आने दें आप भाषण न करें ।

(व्यवधान)

श्री त्रियुगी नारायन मिश्र--

पूर्वांचल का विकास समान बजट से और समान योजनाओं से सम्भव नहीं है । तो क्या उसके पिछड़ेपन को देखते हुए विशेष प्रारूप तैयार कर भेजेंगें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

जवाब दे चुके हैं । सबका जवाब दे दिया है ।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

माननीय सदस्य ने एक बात जो औरों ने नहीं पूछी वह पूछी है कि पटना अधिवेशन का प्रारूप भारत सरकार को भेजेंगें । तो उसमें श्रीमन्, उसमें निवेदन किया जायेगा कि इस क्षेत्र का लाभ हो सके इस प्रारूप पर भी विचार कर लें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं जानना चाहता हूं जब माननीय मुख्य मंत्री जी पूर्वांचल के पिछड़ेपन से अचेत नहीं सचेत हैं और दोनों तरफ के माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं तो पूर्वांचल विकास परिषद् के गठन में क्या परेशानियां है । उसका गठन नक्से में कौन सी परेशानियां सामने आ रहीं हैं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, इसमें कोई परेशानी नहीं है । माननीय सदस्य राजेन्द्र सिंह जी को सोचना चाहिये कि विकास परिषद के गठन का औचित्य यह होता है कि उस क्षेत्र के विकास को गति दी जाय । तो उसमें भारत सरकार और प्रदेश सरकार उसे गतिशील बनाये हुए है या नहीं यह देखने की बात है । मैंने बताने का प्रयास किया कि प्रदेश सरकार सर्वाधिक ध्यान उसको दे रही है । उसको गतिशील बनाया जा रहा है इसलिए इसका कोई औचित नहीं ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं माननीय ओझा जी की तरह भाषण नहीं दे रहा हूं । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया पूर्वांचल, बुंदेलखण्ड और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाये जारी हैं । इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि आजादी से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे आगे था लेकिन आज वह उद्योग और कृषि के क्षेत्र में पिछड़ गया है कोई बड़ा उद्योग वहां लगा । तो क्या माननीय मंत्री जी पूर्वांचल, बुंदेलखण्ड और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जिस तरह से योजनायें चलाई गयी हैं उसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी योजना लागू करेगें और आजादी के बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है उसे आगे बढ़ायेगें ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

माननीय कौशल जी ने जो प्रश्न किया है तो उसको भी जरा देख लें (व्यवधान) सिचाई का जरा बताना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

श्रीमन्, यह प्रश्न पूर्वांचल के विषय में था इसमें यह कहां से आ गया ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी को जवाब तो देने दें, इसमें पूरब और पश्चिम की बात नहीं है एक सबाल उन्होंने पूछा है ।

श्री ओंम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, 1960-61 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल जमीन थी उसका सिंचित एरिया 34.3 प्रतिशत था और 1982-83 में 75.2 प्रतिशत हो गया । तो यह कहना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया गया यह गलत है । वहां पर विकास हो चुका है और जिन जिलों में

डिस्पेरिटी रह गयी थी वहां नई योजनायें चलाई जा रही हैं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब इस प्रश्न पर मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं देता हूं चूंकि आधा घंटा इस पर हो चुका है । अब प्रश्न सं0-2 ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मुझे प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी सदन त्याग कर चले गये)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें । मैंने प्रश्न सं0 2 पुकार लिया है ।

श्री विष्णु देव--

प्रश्न करने की अनुमति नही दी गयी है, इसलिये मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री विष्णु देव सदन त्याग कर चलें गये)

राजकीय कर्मचारियों की पेंशन हेतु सेवा सीमा 33 वर्ष से कम किये जाने की मांग

**2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन का ध्यान राजकीय सेवकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन नियमों की इस विसंगति की ओर गया है कि सेवा निवृत्ति की आयु सीमा 58 वर्ष तथा 33 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूरी पेंशन मिलेगी तथा उसी अनुपात में कटौती होगी जबकि सेवा में प्रदेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है तो 28 वर्ष से अधिक सेवा की अवधि कैसे होगी ? क्या सरकार इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए पेंशन निर्धारण के लिए सेवा अवधि 33 वर्ष की बजाय 25 वर्ष करने पर विचार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछोरिया--

राजकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन की अधिकतम सीमा 33 वर्ष की सेवा पर निर्धारित है और उससे कम सेवा होने पर पेंशन की देय धनराशि सेवा के अनुपात में कम हो जाती है । यह व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्था पर आधारित है। सम्प्रति राज्य सरकार द्वारा इसमें कोई परिवर्तन किये जाने का विचार नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने अपने प्रश्न द्वारा शासन का ध्यान एक बिसंगति की ओर आकर्षित किया था कि नियम वह है कि यदि कोई कर्मचारी 33 वर्ष की सेवा करनें पर पूरी पेंशन मिलेगी और 58 वर्ष की आयु पर रिटायर हो जायेगा । इसके माने 25 साल की आयु के पहले सरकारी सेवा में आये तब पूरी पेंशन मिलेगी । जबकि 27-28 वर्ष की आयु पर या पिछड़ी और हरिजन जाति के लोगों को आयु में और छूट के कारण और समय मिलता है, इसलिये मैंने कहा है कि पेंशन की निधारित सीमा को घटाना चाहिए । भारत सरकार द्वारा यह व्यवस्था है । मान्यवर, मेरी सूचना को सही मान-कर भारत सरकार द्वारा जो निर्देश इनको प्राप्त होते हैं, वह केवल शासन के निर्देश होते हैं, उनको उसी तरह से मानना आवश्यक नहीं है जब तक कि पूरा पैसा भारत सरकार न देती हो । इसी को आधार मानकर और राज्यों ने पेंशन सीमा को घटाया है । इसलिये क्या उत्तर प्रदेश में इस आशय की व्यवस्था करेंगे कि 33 वर्ष सेबा का जो बन्धन है उसको कम करके 25 वर्ष किया जाय ताकि सभी व्यक्ति जो नौकरी करते हैं उनको पेंशन की पूरी सुविधा प्राप्त हो सके ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यबर, जो माननीय सदस्य ने कहा है, यह सही है कि हम केन्द्र सरकार के

जो निर्देश हों, उनको पूरी तरह से मानने के लिये बाध्य नहीं हैं, लेकिन आम तौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तरीका एडाप्ट किया है कि केन्द्र सरकार पेंशन के मामले में जो नीति निर्धारित करती है- उसको उसी तरीके से हम फालो करते हैं । आप देखें कि केन्द्र सरकार ने 1-4-79 को, जो पहले था 30/80 पेंशन निर्धारित होती थी वह अब एक हजार रुपये पर 50 प्रतिशत उसके ऊपर 500 रुपये तक 45 प्रतिशत और उसके ऊपर 40 प्रतिशत के हिसाब से पेंशनें निर्धारित की जायेगी । यह 1-4-79 को नीति बनायी गयी थी, जिसको पूरी तरह से हमने स्वीकार कर लिया है । उसको हमने बिल्कुल उसी तरह से स्वीकार कर दिया । अब पहले डेढ़ हजार वाला बन्धन लगा रखा था, वह बाद में उन्होंने खत्म कर दिया, उसको भी हमने बाद में ज्यों का त्यों मान लिया और उसे अपने यहां भी समाप्त कर दिया । तो हम उन्हीं की बात मानते चले जा रहे हैं । अब हमने 83 में आयु सीमा बढ़ाकर 30 बर्ष कर दिया है । उसे अब 30 वर्ष कर दिया गया है । किन्तु एक्चुवल डेट 18 से 23 बर्ष तक ही है, बाद के लिए 25 है और अब बढ़ कर 28-30 बर्ष है । अब अगर यह सीमा घटा दी जाती है तो जो पहले सर्विस में आ जायेंगे, वह यह कहेंगे कि उनकी 36 साल 40 साल हो जाती है, उन्हें उस हिसाब से मिले । तो इस वजह से उसमें वह बहुत बड़ी डिस्पैरिटी हो जायगी । भारत सरकार में चौथा वेतन आयोग बैठा हुआ है, वह इस पर विचार कर रहा है । यदि वह इस तरह की कोई सिफारिश करेगा तो हम उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अभी मंत्री जी ने कहा कि वह भारत सरकार के मानकों को मान लेते हैं, किन्तु यदि वह भारत सरकार के मानकों को मानते होते तो कानपुर को जो केन्द्र सरकार ने सन् 82 से ए श्रेणी का मानकर अपने कर्मचारियों को उसी हिसाब से भत्ता और अन्य सुविधा देना प्रारम्भ किया है' वह भी उसी हिसाब से अपने कर्मचारियों को दे रहे होते । यह तो रही अलग की बात, यह वह जानें, इस मामले में मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे यह ध्वनि निकलती है कि वह इससे सिद्धान्ततः सहमत हैं और सहमत हैं यह मानकर कि चतुर्थ वेतन आयोग में उस पर विचार होगा ऐसी सम्भावना है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कोई इस आशय का नोट अर्थात् ज्ञापन उस चतुर्थ वेतन आयोग को भेजने की कृपा करेगी, जिसमें यह स्पष्ट बात रखी जाए कि 33 साल के बाद यह आयु सीमा कर दी जाए ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

इस पर मान्यवर, विचार कर लिया जायगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के बेसिक शिक्षकों का प्रदर्शन एवं उनकी मांग

श्री राम आसरे वर्मा, (अनुपस्थित) श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री यदुनाथ सिंह-

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

*1--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षकों द्वारा 7 जनवरी, 1986 को राजधानी में एक विशाल प्रदर्शन किया गया था ? यदि हां तो उनकी मांगे क्या हैं तथा शासन द्वारा उनकी मांगों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

शिक्षा राज्य मंत्री--(श्री संकटा प्रसाद शास्त्री)

जी हां ।

मांगो की सूची संलग्न है ।

विचार किया गया है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 145 पर।)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मैं यह उनसे जानना चाहता हूं कि प्राथमिक अध्यापकों ने अपने प्रदर्शन के उपरान्त जो मांग-पत्र दिया था, उनमें से विचार के उपरान्त कौन-कौन मांगें स्वीकार कर ली गई हैं, किन-किन मांगों को किस-किस कारण से मानना सम्भव नहीं है और किन-किन मांगों मानने के बारे में अभी विचार किया जा रहा है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

पहली मांग तो स्वीकार की गई है कि विगत वर्षों के अवशेषों का भुगतान किया जायगा । दूसरी है तीन सीमान्त जनपदों में उत्क्रमण भत्ता दिया जाएगा । तीसरी मांग जिसे स्वीकार किया गया है, वह यह है कि सेवारत अध्यापक की मृत्यु होने पर उसके एक आश्रित पुत्र या पुत्री या पत्नी या पती को इण्टर उत्तीर्ण होने पर अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में नियुक्त कर सेवारत प्रशिक्षण दिया जायगा । चौथी है बैंकों से परामर्श करअवकाश प्राप्त अध्यापकों के पेंशन का भुगतान बैंकों के माध्यक से किया जायेगा । 5वीं है हर माह समय से वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी और अवशेषों को इक्ट्ठा नहीं होने दिया जायेगा । छठी है राजकीय पेंशनरों की राहतों के आदेश के साथ ही शिक्षक पेंशनर के राहत के आदेश भी निर्गत किये जायेगें । 7वीं है कि अक्तूबर, 1964 से पूर्ण सेवा निवृत्त अध्यापकों को दी जा रही अनुग्रह पेंशन के अर्न्तगत अध्यापकों को न्यूनतम 50 रु प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी । 8वां है कि 1–8–1972 से पहले के जो अध्यापक प्राइमरी विद्यालयों में नियुक्त हैं, जो नान-हाईस्कूल हैं और जिन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त हो गया है उन्हें भी 365–55 का वेतन-क्रम दिया जायेगा । 9वां है कि प्राइमरी पाठशालओं के सहायक अध्यापकों को चयन वेतनमान 465–600 दिया जायेगा । 10वीं है कि जूनियर हाईस्कूलों में प्रोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यता प्रशिक्षित इंटर की जायेगी और 1–8–72 के बाद से अब तक प्रोन्नत नान इंटर अध्यापकों को रु0 450–720 का वेतनक्रम दिया जायेगा । 11वीं है कि प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानध्यापकों के मामलों में बाद में प्रोन्नत अध्यापकों से कम वेतन मिलने संबंधी विसंगतियों का निराकरण किया जायेगा ।

संघ की अन्य मांग अभी स्वीकार नहीं की गयी हैं ।

श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हू कि जिन मांगों को आपने स्वीकार कर लिया है उसके संबंध में शासनादेश कब तक जारी होगा ? दूसरी चीज जो दोहरी शिक्षा है उस पर शासन की क्या नीति है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

दोहरी शिक्षा नीति का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है । शासनादेश जल्दी से जल्दी निर्गत कर दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है कि यह मांग-पत्र शिक्षकों का था ही नहीं । इतना बड़ा विशाल प्रदर्शन हुआ है, प्रदर्शन में अभूतपूर्व अनपेसीडेटेड, इतने आदमी कभी पहले नहीं आये थे । शासन ने अपनी हृदयहीनता का परिचय दिया और न तो शिक्षा मंत्री और न मुख्य मंत्री उनके प्रतिनिधियों से मिले । इस अकिंचन सेवक ने एक काम किया अध्यापकों के प्रतिनिधि को लेकर मुख्य मंत्री के पास गये, लेकिन मुख्य मंत्री जी मिले नहीं । यह जो असली मांगें हैं तो उनको शासन छिपा रहा है और सदन को गुमराह करने के लिये और सदन का समय नष्ट करने के लिये इतनी लम्बी फेहरिस्त पढ़ दी है । आपने जो मांगें पढ़कर सुनायी हैं तो उन पर शासन ने बहुत पहले निणय ले लिया था । अगर मैं पूछूं कि इन पर कब निर्णय लिया गया था तो उससे सदन का समय नष्ट होगा । इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ और 3 लाख अध्यापक विधान भवन के सामने आ गये । तो मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसा घिनौना काम क्यों किया और जिन मांगों पर सरकार ने पहले से निर्णय ले लिया था उन

पर राजाज्ञा जारी क्यों नहीं की गयी । इसका क्या कारण है ? कौन-कौन सी राजाज्ञायें किस तिथि को जारी कर दी जायेगी ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

राजाज्ञा जल्दी से जल्दी जारी कर दी जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, 3 लाख अध्यापकों ने प्रदर्शन किया इसकी जरूरत इसलिये पड़ी कि राजाज्ञा जारी नहीं की थी । तो राजाज्ञा अब तक जारी न करने का क्या कारण है ? यह इतना बड़ा वितंडावाद क्यों पैदा किया गया ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

जब मांग ही स्वीकृत नहीं की गयीं थी तो राजाज्ञा जारी करने का सवाल ही कहा पैदा होता है ।

श्री मित्रसेन--

मा0 उपाध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने इस प्रश्न का सुनिश्चित उत्तर नहीं दिया । जबकि बार-बार यही प्रश्न हो रहा है कि मांगे तो पहले से ही शासन द्वारा स्वीकार हो गयी थीं परन्तु राजाज्ञा जारी नहीं की गयी थी परन्तु अब मान्यवर एक सुनिश्चित उत्तर दिलवा दीजिए कि जो मांगे उनकी थीं अब वह मान ली गयी हैं उसकी राजाज्ञा कब जारी होगी ? तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि शीघ्र ही जायेंगी, तो कोई निश्चित समय भी बता दें ।

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, प्रदर्शन के बाद, उनकी जो डिमांड थी, उनकी किन-किन बातों पर निर्णय लिया गया ? यह हुआ पहला सवाल और नं0 दूसरा--यह जिन-2 मुद्दों पर निर्णय लेने में आपको अड़चन हुयी तो क्या इन मुद्दों पर अध्यापकों से सम्पर्क स्थापित किया गया ?

परिवहन मंत्री राजकुमार संजय सिंह--

मान्यवर, इस मसले पर जैसा कि अन्य मा0 सदस्य कह रहें कि यह फैसला शासन ने पहले ले लिया था ऐसा नहीं है, यह निर्णय पहले के नहीं हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, शासन ने इस संबंध में इन निर्णयों को सदन में पहले ही दे दिया था । आज माननीय मंत्री जी उसको इंकार कर रहे हैं यह मा0 सदन की अवहेलना की नोटिस आपको लिखकर दे रहा हूं ।

राजकुमार संजय सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जी से इनके प्रतिनिधियों से वार्ता हुयी और इस वार्ता में उनकी काफी बातें मान ली गयीं और कुछ नहीं मानी गयीं और जो मांगे मान ली गयीं, उन पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही हो रही है ।

[दिनांक 17 फरवरी, 1986 ई0 के निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रतिनियुक्ति और उनको पैत्रिक विभाग में वापस किये जाने की मांग

श्री शारदा प्रताप--

*1--क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन (ग्राम्य विकास) के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों न 25-9-80 को बैठक करके सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके डाइरेक्टर, भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन को दिया था सिंचाई विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये क्लेरिकल स्टाफ को, जिनके कारण संगठन में भ्रष्टाचार तथा अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिल रहा है, तुरन्त उनके मूल विभाग को वापस कर दिया जाय, जिसमें श्री दुष्यन्त वर्मा का नाम सबसे ऊपर था ? यदि हां, उन्हें आज तक वापस न करने का क्या कारण है और कब तक उन्हें वापस कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

जी हां। श्री दुष्यन्त वर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में अपने संविलियन के संबंध में दायर याचिका में दिये गये स्थगन आदेश के कारण उन्हें उनके पैत्रिक विभाग वापस नहीं किया जा सका है।

श्री शारदा प्रताप—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि निदेशालय भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में जो क्लेरिकल स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर आये थे, उन्हें वापस क्यों नहीं किया गया ? मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि श्री दुष्यन्त वर्मा जिन्होंने मा0 उच्च नायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं, उसे वैकेट कराने पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, संगठन ने निर्णय लिया कि सिचाई विभाग के कर्मचारी वापस कर दिये जाएं, तो काफी स्टाफ उनका वापस कर दिया गया, परन्तु श्री दुष्यन्त वर्मा को जब आदेश हुए तो उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे-आर्डर ले लिया। जब मान्यवर, स्टे-आर्डर हो गया तो उसे माना जायेगा ही, परन्तु फिर भी यही प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले में यथाशीघ्र कार्यवाही कर इन्हें भी वापस किया जाय।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा शासनादेश नहीं था जिसके तहत केवल तकनीकी स्टाफ को ही डिपुटेशन पर भेजा जाय और लिपिक पद के लोगों को डेपुटेशन पर न भेजा जाय, यदि ऐसा शासनादेश है तो फिर इनके भेजने का क्या औचित्य था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

पहली बार इस संगठन का गठन हुआ था, उसमें जो कर्मचारी थे, वह नये थे, इसलिए सिचाई विभाग से लिये गये, फिर संगठन के निर्णय के अनुसार इन कर्मचारियों को वापस कर दिया गया, परन्तु श्री वर्मा ने स्टे ले लिया, इसलिये वह नहीं वापस गये।

*2—श्री रजेन्द्र कुमार गुप्त—

[आश्वास समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्र खण्ड बस्ती के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*3—श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ—
(अनुपस्थित)

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जिलाधिकारी, बस्ती ने दिनांक 8-12-84 से 25-3-85 तक कई अर्ध शासकीय पत्रों द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण बस्ती में घोर अनुशासनहीनता तथा भ्रष्टाचार के संदंध में मोजूदा प्रभारी अधिशासी अभियंता के विरुद्ध तत्कालीन ग्राम्य विकास सचिव श्री विश्वनाथ आनन्द का ध्यान आकृष्ट किया है ? यदि हां, तो 5 माह बीत जाने के बद भी इतने महत्वपूर्ण पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पूरा विवरण सदन की पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीम अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड बस्ती के तत्कालीन अधिशासी अभियंता से सम्बन्धित तीन अर्धशासकीय पत्र जिलाधिकारी बस्ती द्वारा उक्त अवधि में तत्कालीन ग्राम्य विकास सचिव श्री विश्वनाथ आनन्द को लिखे गये जो प्रभारी अधिशासी अभियन्ता के स्थान पर नियमित अधिशासी अभियंता तैनात किये जाने के सम्बन्ध में थे। इन पत्रों में अन्य कोई विवरण नहीं था।

तद्नुसार ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बस्ती में अधिशासी अभियन्ता की नियमित तैनाती अप्रैल, 1985 में की जा चुकी है।

*4—श्री सरदार सिंह—

[21वें मंगलवार में ता0प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में पदोन्नति हेतु ली गयी परीक्षा

*5--श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए 18 अप्रैल, 85 को परीक्षा हुई थी और उसी दिन साक्षात्कार भी हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि परीक्षा को गोपनीय ढंग से निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां । भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु दिनांक 18-4-85 को हुई परीक्षा के सम्बन्ध में कतिपय शिकायतें शासन स्तर पर प्राप्त होने पर उक्त परीक्षा स्थगित की गई है और यह प्रकरण शासन के परीक्षणाधीन है ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि आप जरा प्रश्न देख लें, उत्तर बड़ा कन्फ्युजिंग है । प्रश्न हमारा है कि क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेगें कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिये 18 अप्रैल, 1985 को परीक्षा हुई थी और उसी दिन साक्षात्कार भी हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि परीक्षा को गोपनीय ढंग से निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? और उत्तर पहले आया है, "जी हां" । यानि निरस्त कर दिया गया है । बाद को यह कह रहे हैं कि उक्त परीक्षा स्थगित की गयी है ओर यह प्रकरण शासन के परीक्षणाधीन है । मैं माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि परीक्षा स्थगित कर दी गयी यह परीक्षा फल स्थगित कर दिया गया या परीक्षाफल निरस्त कर दिया गया ? इसमें सच्चाई क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, यह परीक्षा जब ली गयी, उसके बाद निदेशक, भू-गर्भ जल-सर्वेक्षण संगठन को शिकायत प्राप्त हुई कि इसमें बहुत सी गड़बड़ियां हुई हैं, तो निदेशक ने इस परीक्षा को निरस्त कर दिया और उसी दर्मियान शासन को भी शिकायत प्राप्त हुई, शासन ने निदेशक से रिपोर्ट और पत्रावली मांगी कि कि इसमें क्या मामला है । वह शासन स्तर पर, निदेशक ने जो कार्यवाही इसमें की थी, उसे भेजा । शासन में इसका परीक्षण चल रहा है । इसमें तो कोई गलत बात नहीं है ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

तो मान्यवर, क्या यह समझा जाय कि निदेशक ने जो परीक्षा निरस्त कर दिया था, वह प्रकरण शासन के विचाराधीन है और शासन उसमें निर्णय लेगा । परीक्षी होने के बाद किसके द्वारा यह शिकायत प्राप्त हुई और कब शासन को प्राप्त हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मन्यवर, शासन स्तर पर यह विचार किया जा रहा है कि जो यह शिकायत की गयी, सही है या गलत है । दुबारा जो निदेशक ने परीक्षा कराने का निर्देश दिया है, उन कामों को किस तरह से पूर्ण किया जाय, चतुर्थ श्रेणी के जो लोग इसमें भाग लेने से बंचित रह गये थे या इसमें धांधली हो गयी है, तो उस शिकायत को हम देखे रहे हैं ।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मान्यवर, क्या जो निदेशक ने परीक्षाफल निरस्त कर दिया, उसको शासन ने मान लिया है और शासन को उस पर निर्णय लेना है ? मान्यवर, हमारा स्पष्ट सवाल है, वह जो परीक्षा निरस्त हो गयी थी, उस निरस्तीकरण को शासन ने मान लिया है या उस पर शासन विचार कर रहा है ? दूसरी परीक्षा हो गयी, साक्षात्कार हो गया । इस सम्बन्ध में शासन को शिकायतें परीक्षा और साक्षात्कार होने के बाद प्राप्त हुई या उसके पहले प्राप्त हुई । दोनों का उत्तर मान्यवर, दिलवा दें, अन्यथा हम लोगों के प्रश्न करने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, शिकायत के सम्बन्ध मे निदेशक से पूछा गया कि इसमें क्या मामला है? इसमें मान्यवर, कुछ यह प्रश्न उठाया गया कि अनुसूचित जाति का क्या आरक्षण हो। अगर दोनों को बराबर नम्बर मिल जायं, तो इसमें किस प्रकार से ज्येष्ठता रखी जाय। दोनों पर विचार किया जा रहा है, ताकि आगे इसमें दिक्कत न पैदा हो।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, परीक्षार्थी का तो इसमें कोई दोष है नहीं, उनसे फार्म भरवाया गया होगा, उनसे फीस ली गयी होगी, इसमें जो अनियमितायें हुई हैं, जिन अधिकारियों ने इसमें अनियमितायें की, उनके खिलाफ शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर इसमें फीस लेने का सवाल ही नहीं है। इस परीक्षा के आधार पर क्लास फोर्थ के कर्मचारियों को क्लास थ्री में पदोन्नत करना था। इसमें फीस लेने का सवाल ही नहीं है। इसमें प्रक्रिया का सवाल है। इसमें जो अनियमितता हुई, इसलिए उसे निरस्त कर दिया गया।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं तीन सवाल करने का अवसर आपको दे चुका हूं।

झांसी, बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक श्री घनश्याम पाण्डेय का उप ब्लाक प्रमुख के पद पर निर्वाचन।

*6--श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक (श्री घनश्याम पाण्डेय) अब क्षेत्र समिति गुरसरांय जिला झांसी में वरिष्ठ उप ब्लाक प्रमुख के पद पर निर्वाचित होकर किस आधार पर कार्यरत हैं? क्या मंत्री जी इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

प्रश्न में विधिक विन्दु निहित है जिस पर न्याय विभाग का मत प्राप्त करने के उपरान्त ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक, जिनका नाम भी इसमें दिया गया है। क्षेत्र समिति के सदस्य चुने गये इसके बाद वरिष्ठ उप ब्लाक प्रमुख के पद पर चुने गये, तो क्या ऐसा हो सकता है आपके शिक्षा के नियमों के अनुसार कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक निर्वाचन लड़ सके?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

यह न्यात विभाग के बिचाराधीन, जब तक इसमें निर्णय न आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई है। माननीय मंत्री जी को स्मरण होगा, यदि नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस विषय पर कई वर्ष पूर्व अपना निर्णय दे चुका है और वह निर्णय आज तक सर्वमान है। यह जो निर्णय दिया गया है वह इसी सदन के माननीय सदस्य श्री बिहारीलाल को पीटीशन की अपील पर दिया गया है। उसमें यह माना गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद् में जितने कार्य करने वाले अध्यापक हैं उनके कम्पलीट कन्ट्रोल सरकार ने ले लिया है। उसके स्थानान्तरण का सारा कार्य राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति हो रहा है, यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो चुका है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैंने बता दिया है इसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निर्देश देकर, उस अध्यापक को अध्यापन कार्य से, पृथक करें, क्योंकि वह अध्यापन का कार्य न करके ब्लाक प्रमुख का कार्य कर रहा है

तथा जिन लोगों ने उसको अनुमति दी है उसके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, मैं कहता चाहूंगा कि ज्येष्ठ ब्लाक प्रमुख के लिए वेतन की व्यवस्था नहीं है इसलिए यह मामला न्यायालय को सौंपा गया है कि जो विधायक के साथ नियम लागू होते हैं, वही नियम क्या इस पर भी लागू होंगे ?

श्री मैनेजर सिह--

मंत्री जी स्वयं समझते हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी राज्य सरकार का कर्मचारी है या नहीं ? अगर नहीं समझते है तो क्यों इन्हें परेशान किया जा रहा है ? माननीय नेता सदन से कहिए कि परिवहन मंत्री जी को जवाब देने के लिए अधिकृत कर दें (हंसी) ....

बेसिक शिक्षा परिषद् स्वतंत्र संस्था है या राज्य सरकार के नियंत्रण में है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापक सरकार के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है । जहां तक वेतन का सवाल है, वेतन आयोग जो वेतन निर्धारित करता है दिया जाता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा --

मान्यवर, बेसिक शिक्षा परिषद् आपके नियंत्रण में है अथवा नहीं इसका जवाब आपने नहीं दिया । बेसिक शिक्षा परिषद् पर आपके द्वारा नियंत्रण है या नहीं ? यदि हां तो आपके नियंत्रण में रहने वाले कर्मचारी राज्य कर्मचारी हैं या नहीं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

पूरे नियंत्रण में नहीं है । उनकी परिषद् है वह इनका संचालन करती है, देख-रेख सरकार भी करती है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, पंचायत के चुनाव में यह नियम है कि कोई प्राइमरी स्कूल का अध्यापक उसका सदस्य या प्रधान नहीं हो सकता है । तो किस परिस्थिति में वह उप ब्लाक प्रमुख के पद पर पदासीन है ? उनको हटाने के लिये कोई नियम लागू करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

न्याय विभाग को सौंपा गया है जो राय होगी वह किया जायगा ।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिह--

श्री घनश्याम दास पाण्डेय ने मैनेजमेंट से या बेसिक शिक्षा परिषद् से नियमानुसार चुनाव लड़ने की अनुमति ली थी ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, जवाब नहीं आया । बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों के कन्डेक्ट रूल्स हैं, उसके मुताबिक इन्होंने चुनाव लड़ने की अनुमति प्राप्त की थी या नहीं की थी तो क्या इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

मामला न्याय विभाग में है मंशी जी ने बता दिया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में । मंत्री जो को यह जानकारी नहीं है, मैं निवेदन करूंगा कि वह जानकारी करें । सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का पद लाभ का पद माना है । जब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का पद लाभ का पद मान लिया फिर इस मामले को न्याय विभाग में भेजने का क्या औचित्य है ? जब आज मंत्री जी को इसकी जानकारी हो गई तो उस अध्यापक को सेवा से निकालने का कष्ट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह टीचर्स के लिये हुआ था ब्लाक प्रमुख के लिये नहीं । न्याय विभाग में तो यह जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्राइमरी स्कूलों के अध्यापको का मामला है ।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं । आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक या बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत रहने वाले अध्यापक का पद लाभ का पद है, अतः वह चुनाव में भाग नहीं ले सकता । मैं जानना चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जानकारी नहीं है, तो क्या मेरी इस सूचना के आधार पर तत्काल यह निर्देश देंगे कि जो भी तदर्थ अध्यापक ब्लाक प्रमुख या प्रधान आदि पदों पर हैं, उन्हें सेवा से पृथक कर दें ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, यह न्यायिक मामला है और न्याय विभाग को सौपा गया है । उसका उत्तर आने से पहले उन्हें हटाये जाने या उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का सवाल ही नहीं उठता ।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है या न्याय विभाग ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह पत्रावली न्याय विभाग को इसी परीक्षण के लिये भेजी गयी है, उसका उत्तर आने के बाद फैसला हो जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, 'कृपया आप मूल प्रश्न देखने की कृपा करें । उसका जो आशय मैं समझ पाया हूं, उसके तहत मैं यह सवाल कर रहा हूं कि मान्यवर, सामान्य प्रक्रिया में जब अध्यापक बेसिक शिक्षा परिषद् में काम करने के किये जाता है तो उसके और परिषद् के बीच में एक अनुबन्ध होता है जिसमें लिखा होता है कि वह अध्यापक यदि कोई निर्वाचन या अन्य कार्य करेगा तो उसे परिषद् से अनूमति लेनी होगी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अध्यापक ने क्या उस अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये थे ? माननीय मंत्री जी स्वयं स्वयं अध्यापक हैं । उन्हें जानकारी होगी कि अध्यापक को कोई दूसरा कार्य करने से पहले मैनेजर से अनुमति लेनी होती है । क्या श्री घनश्याम पाण्डेय ने चुनाव लड़ने के लिये अपने अनुबन्ध के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद् से अनुमति ली थी ? यदि ली थी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि नहीं ली थी तो क्या बिना अनुमति किये चुनाव लड़ना अनुशासन-हीनता नहीं है ? यदि है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि माननीय मंत्री जी को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न की इस मुद्दे पर जांच कराकर 7 दिन में इस सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे या प्रश्नकर्ता को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न तो क्लीयर है । इस पर कई प्रश्न हो चुके हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने खुद कह दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा नहीं करता । मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया । टीचर और परिषद् के बीच में एक कान्ट्रेक्ट होता है । यह ब्रोच आफ कान्ट्रेक्ट है । तो यह अनुशासन हीनता है या नहीं ? मैं यही पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसी का परीक्षण हो रहा है और पत्रावली न्याय विभाग को भेजी गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, परीक्षण श्री दोहरे के केस पर हो रहा है । इस बिन्दु पर परीक्षण नहीं हो रहा है । आप यह कह दें कि इस बिन्दु पर परीक्षण हो रहा तो मैं मान लूंगा । जो ला विभाग को मामला भेजा गया है, उसमें क्या उसी मामले का जिक्र है, जिसको अभी मैंने पूछा है । यदि हां तो मुझे इस वक्त उत्तर नहीं चाहिये । यदि नही तो क्या इस मामले पर भी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मामूली सी बात है, जो बात आप कह रहे हैं, वही बात मंत्री जी कह दें कि इस विन्दु का परीक्षण हो रहा है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, परीक्षण करा लेने के बाद, यदि यह पाया जायेगा कि वे गलत तरीके से चुनाव लड़ गये हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी कह रहे हैं कि न्याय बिभाग में परीक्षण के लिये गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जिस विन्दु को मैंने यहां उठाया है, क्या उसे भी संदर्भित करने की कृपा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, उसको भी उसी में संदर्भित कर देंगे ।

राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल, देवबन्द, सहारनपुर के प्रांगण में हाई स्कूल के लिये भवन का निर्माण ।

*7--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि क्या शासन को पता है कि राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल देवबन्द, सहारनपुर के प्रागण में इण्टर कक्षाओं के लिये भवन बने सालों हो गये पर क्लास नहीं लगते हैं ? यदि हां, तो क्या बालिकाओं में शिक्षा के विकास के लिये इस विद्यालय को प्रोन्नति देकर इसी शैक्षिक सत्र में क्लास खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह--

जी नहो । भवन हाई स्कूल के लिये बनाया गया था ।

धनाभाव के कारण बालक/बालिकाओं के वर्तमान राजकीय हाई स्कूलों को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने सम्बन्धी योजना स्थगित हो गई है । अतएव विद्यालय का उच्चीकरण किया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, यह जो भवन हाई स्कूल के लिये बना है, यह कितनी लागत से बना है ? दूसरे देवबन्द एक महत्वपूर्ण स्थान है 65 हजार की यहां आबादी है, वहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुए वहां पर गर्ल्स स्कूल को इण्टरमीडियेट तक की शिक्षा की आज्ञा देंगे ?

राजकुमार संजय सिंह--

मान्यवर, यह जो भवन हाई स्कूल के लिये बना है, इसमें स्पष्ट जानकारी नहीं है कदाचित यह 20 लाख का बना है। ? कमरों के भवन में 15 कमरों में शिक्षण क.. होता है और 5 रूम स्टोर आदि के लिये है। मान्यवर, जहां तक गर्ल्स स्कूल को इण्टरमीडिएट तक मान्यता की बात है वर्तमान में जो स्थिति है, उसके हिसाब से इसमें कठिनाई है । लेकिन, इसके बारे में बिचार कर लेंगे ।

*8--श्री सूर्य प्रताप शाही--

[4थे सोमवार के लिये स्थगित ।]

श्री रघुनाथ सिंह चौहान, उप निदेशक पंचायत की सेवा का विस्तार ।

*9--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 1/2/1973 कार्मिक-2 दिनांक 25 अक्तूबर, 80 के अन्तर्गत अधिवर्षता आयु के उपरान्त सेवा विस्तार तथा पुनर्नियुक्ति न किये जाने का प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां तो पंचायत राज विभाग में जिला पंचायत राज अधिकारी पद से सेवा निवृत हो जाने के उपरान्त दो मास बाद पिछली तिथि से तदर्थ रूप से उप निदेशक (पंचायत) के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारी श्री रघुनाथ सिंह चौहान का एक वर्ष के लिये सेवा विस्तार किये जाने का क्या आधार है जब कि इस अधिकारी को अनुशासनहीनता के कारण 4 वर्षों में विपरीत प्रविष्टि पदोन्नति के अयोग्य दी गई तथा अब भी अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन है ?

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस अधिकारी की सेवा विस्तार को तत्काल समाप्त करने का निर्णय लेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय —

जी हां ।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान जिला पंचायत राज अधिकारी के पद से सेवा निवृति नहीं हुए थे वरन वे 30-11-84 सेवा निवृति की तिथि को उप निदेशक पंचायत के पद पर तदर्थ रूप से प्रोन्नत होकर तैनात थे।

श्री रघुनाथ सिंह चौहान, उप निदेशक (पंचायत) की एक वर्ष की सेवा विस्तार की अवधि कार्य हित में कार्मिक विभाग की सहमति से बढ़ाई गयी थी । सेवा विस्तार की अवधि 30-11-85 को समाप्त हो गयी है और उसके उपरान्त सेवा विस्तार नहीं किया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि सेवा विस्तार पर प्रतिबन्ध लागू है । मान्यवर, उन्हीं के मामले में सेवा विस्तार अपरिहार्य कारणों से किया जाता है जिनका आचरण अच्छा रहा हो, काम अच्छा रहा हो । क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उक्त अधिकारी की चरित्र पंजिका में कई बार प्रतिकूल प्रविष्टियां दर्ज हैं ? यदि हां, तो उसके बाद सेवा विस्तार दिये जाने का क्या विशेष कारण रहा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने यह स्वीकार कि अपरिहार्य परिस्थिति में सेवा विस्तार दिया जा सकता है । मान्यवर, यह लोक सेवा आयोग की परिधि का पद था । लोक सेवा आयोग को इस आशय की अभियाचना भेजी गयी उपयुक्त अभ्यर्थी चयन करके उपलब्ध करा दें । वहां से कोई उम्मीदवार चयनित होकर शासन को प्राप्त नहीं हो सका । तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने 30-11 84 को इस मामले को देखा और उन्होंने यह पाया कि इस पर कार्य के हित में सेवा विस्तार करना आवश्यक है । इसलिये एक वर्ष के सेवा विस्तार का निर्णय शासन ने लिया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस अधिकारी के विरुद्ध 4 बार प्रतिकूल प्रविष्टियां भी की गई हैं । यदि प्रतिकूल प्रविष्टिय की गई हैं तो फिर किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उनको सेवा विस्तार दिया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, इस पद पर तो वह कार्यरत थे ही । चूंकि लोक सेवा आयोग से कोई अभ्यर्थी इस पद पर चयन होकर नहीं आया था, इसलिये कार्यहित में उनकी सेवा में 1 साल का विस्तार दिया गया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में नहीं बता रहे हैं । यदि सेवा विस्तार में ऐसा करना एक गुण है तो दूसरे अधिकारी इससे क्यों वंचित रहें ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, सामान्यतः जब प्रमोशन दिया जाता है तो उस समय चरित्र पंजिका देखी जाती है । चूंकि यह अधिकारी प्रोन्नति प्राप्त कर चुके थे, इसलिये कार्यहित को देखते हुए एक वर्ष और सेवा में विस्तार दिया गया ।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड इलाहाबाद को चार शाखाओं में बांटने पर विचार ।

*10—श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड इलाहाबाद के कार्य को सुव्यवस्थित करने हेतु चार स्वायत्ता प्राप्त शाखाओं में बांटने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है तथा इस पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ? यह चारों शाखाये कहां-कहां स्थापित की जायेंगी और इन शाखाओं के अधिकार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र तथा क्या-क्या विषय होंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

जी हां ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का विकेन्द्रीकरण करके मेरठ, वाराणसी तथा बरेली में क्रमशः वर्ष 1972, 1978 तथा 1981 में तीन क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना पहले हीं की जा चुकी है। चौथे क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना इलाहाबाद में करने का बिचार कर लिया गया है । माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्यों का वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों के मध्य कर दिया गया है । मेरठ आगरा तथा पौड़ी मण्डल का कार्य मेरट के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, गोरखपुर तथा फैजाबाद मण्डल का कार्य वाराणसी के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली, मुरादाबाद तथा कुमायूं मण्डल का कार्य बरेली के क्षेत्रीय कार्यालय तथा इलाहाबाद, लखनऊ व झांसी मण्डल का कार्य इलाहाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय में होगा । उक्त चारों क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने क्षेत्रों के परीक्षा सम्बन्धी कार्य करेंगे ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के कार्यालय के परिचालकों की गिरफ्तारी और उनकी मांग

*11–श्री विष्णु देव––

क्या परिवहन मंत्री बताने बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम के मुख्यालय लखनऊ में दिनांक 23–8–84 को रोडवेज मजदूर सभा व शासन के बीच हुए समझौतें को लागू करने के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राम सूरत यादव द्वारा 13-2–85 को आत्मदाह के समय कितने भूतपूर्व परिचालक जेल भेजे गये और अब तक कितने परिचालकों को जेल से रिहा किया गया ? क्या उक्त समझौते को लागू किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह––

दिनांक 23–3–84 को रोडवेज मजदूर सभा तथा शासन के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था, बल्कि दिनांक 6–2–84 को रोडवेज मजदूर सभा के प्रतिनिधियों से शासन स्तर पर हुए विचार-विमर्श के आधार पर प्रतीक्षा सूची के परिचालकों को निगम में समायोजित करने के सम्बन्ध में वरीयता क्रम निर्धारित किया गया था । श्री राम सूरत यादव द्वारा इस विषय को लेकर दिनांक 12–2-85 को आत्मदाह की धमकी दी गयी थी । जिला प्रशासन द्वारा शान्ति भंग होने की सम्भावना के आधार पर दि0 12–2–85 से 18-2-85 के बीच परिवहन निगम मुख्यालय से कुल 49 व्यक्तियों को धारा 151/107/116 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया । उक्त सभी व्यक्ति शान्ति भंग की सम्भावना समाप्त हो जाने पर जेल से रिहा कर दिये गये ।

रोडवेज मजदुर सभा के प्रतिनिधियों से फरवरी, 1984 में हुई वार्ता के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में निगम के बस-बेड़े में पर्याप्त वृद्धि होने पर यदि नई भर्ती की आवश्यकता पड़ेगी तो प्रतीक्षा सूची के वे अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर जमानत की धनराशि जमा की है एवं अल्पकालिक रिक्तियों में निगम में कार्य किया है, उनको वरीयता दी जायेगी ।

निगम मुख्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश क्षेत्रों को भेजे जा चुके हैं तथा क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार पीक-सीजन में उक्त प्रतीक्षा सूची से परिचालकों को समय-समय पर नियुक्ति भी दी गई है । इस प्रकार दि0 6–2–84 के निर्णय का पालन किया जा रहा है ।

श्री विष्णु देव––

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं, पहला, किन-किन क्षेत्रों से परिचालकों की सूची की सूचना आई है और वहां पर प्रतीक्षा सूची से परिचालकों को तैनात किये जाने की क्या व्यवस्था है, दूसरा समय-समय पर प्रतीक्षा सूची से कितने परिचालकों को नियुक्त करने की मांग हुई है और उसमें से कितने लिए गये हैं । तीसरा, निगम के बस बेड़े में कितनी वृद्धि हुई है । यदि हुई है तो कितने लोग प्रतीक्षा सूची से लिये गये हैं ?

राजकुमार संजय सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने विस्तृत जानकारी मांगी है । कहीं पर कम की प्रतीक्षा सूची है और कहीं पर ज्यादा । वर्तमान जो हमारा बल-बेड़ा है, उस हिसाब से अभी हमारे पास लगभग 7000 कर्मचारी ज्यादा हैं । जब शादी-ब्याह का समय आता है तो उस समय हमारे कुछ कर्मचारी एक या दो महीने की छुट्टी पर चले जाते हैं तो हम प्रतीक्षा सूची से मांग के अनुसार उन्हें नियुक्त कर लेते हैं। किसी रीजन में घट जाते हैं। जिस रीजन में कर्मचारी अधिक होते हैं तो हम उन्हें बैलेंस में रख लेते हैं। मेरे मंत्री पद संभालने से पहले यह अवश्य होता था कि मनमाने तरीके से भर लिये जाते थे, लेकिन जब से मैंने इसका कार्यभार संभाला है, इस पर टोटल बैन लगा दिया गया है । जैसे किसी रीजन में ज्यादा मांग होती है, तो हम दूसरे रीजन से वहां की मांग पूर्ति कर लेते हैं। अन्त में मैं यह कहूंगा कि जो कर्मचारियों और हमारे बीच में विचार-विमर्श हुआ था उसी हिसाब से काम किया जा रहा है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि "पीक" समय और शादी के समय में भर्ती करते हैं और पुराने को समायोजित करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि गोरखपुर, इलाहाबाद आगरा, मेरठ और इटावा इनमें आपने इन दिनों में कितनी भर्तियां कीं और कितने पुराने लोग लिये ?

राजकुमार संजय सिंह--

मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि इसकी पूरी विस्तृत सूची नहीं है, इसकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आपको करा दूंगा। जहां पर कर्मचारी अधिक हैं उन्हें ट्रांसफर परमानेंट बेसिस पर कर दिया है, जहां रह गया है, वहां देखेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि मजदूर सभा ने जो समझौता किया था उनका परिपालन न होने के कारण ही आदरणीय विधान सभा के सामने मजदूर सभा के लोग क्रमिक अनशन पर चल रहे हैं । एक व्यक्ति आमरण अनशन पर भी बैठा हुआ है। क्या उनका अनशन तुड़वाने के लिए उनसे वार्ता करेंगे ?

राजकुमार संजय सिंह--

मान्यवर, इसमें तीन क्राइटेरिया बनाये थे, उनकी तादाद जिनका अमानत पर पैसा भी लिया गया है 1,000 रु0, उनकी तादाद एक हजार है । वे सन्तुष्ट तभी होंगे जब सबको एबजार्ब कर लिया जाय, लेकिन निगम की फाइनेंशियल और ओवर स्टाफिंग की वजह से उनको एबजार्ब नहीं कर सके हैं । जहां तक हड़ताल तुड़वाने की बात है अगर आप कहते हैं तो मैं उनसे मिल लूंगा, लेकिन उनका सन्तोष तभी होगा, जब एबजार्ब होंगे जिसकी अभी निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं है ।

जिला परिषद् इलाहाबाद के अवर अभियन्ता श्री राम चन्द्र मिश्र, श्री बाबू राम त्रिपाठी एवं श्री श्रीकान्त मालवीय का भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निलम्बन

*12--श्री राज किशोर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के सौरांव फूलपुर, करछना तहसील क्षेत्रों में जिला परिषद् द्वारा खाद्यान्न योजना, राहत योजना व एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत निर्मित मार्गों में अतिरिक्त अभियन्ता श्री श्याम नरायन पांडे द्वारा की गई अनियमिततायें और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश मिश्र के शिकायती पत्र दि0 15-12-82 पर परगनाधिकारियों द्वारा दी गयी जांच-आख्या क्रमशः सौरांव पत्रांक-संख्या-1400(2)/एस0 टी0/पर0 सौरांव दि0 24-1-83 व करछना पत्रांक संख्या-474/प0 म0 करछना/दि0 8-2-83 तथा टेक्निकल आडिट सेल (ग्रा0 अभि0 सेवा उ0 प्र0) की जांच दि0 13/14/15 दिसम्बर 83 द्वारा दिनांक 27-2-84 की जांच रिपोर्ट में गम्भीर गबन व भ्रष्टाचार को प्रमाणित किया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध थाना मऊआइमा, नवावगंज, धूरपुर, फूलपुर, करछना, बहरिया व सोरांव में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने हेतु पत्र भेजा गया है तथा विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है। जांच आख्या के आधार पर दोषी पाये गये अवर अभियन्ता श्री राम चन्द्र मिश्र को जिला परिषद् द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं। दूसरे अवर अभियन्ता श्री बाबूराम त्रिपाठी पूर्व से ही निलम्बित चल रहे हैं तथा तीसरे अवर अभियन्ता श्री श्रीकान्त मालवीय जिला परिषद् की सेवा से पृथक हो चुके हैं।

अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि राम चन्द्र मिश्र, अवर अभियन्ता तथा अन्य अभियन्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की गई? क्या कारण है कि जो अतिरिक्त अभियन्ता श्याम नारायण पांडे हैं, जिनके खिलाफ गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही हुई है? क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

यह सही है कि इसमें भारी यड़बड़ी की गयी है और कार्यवाही होनी चाहिये। इससे आदेश भी दिये गये जिला स्तर पर, लेकिन जब तक आदेश जारी होने थे जिला स्तर पर यह थे अतिरिक्त अभियन्ता, इनको रिवर्ट किया जूनियर इंजीनियर के पद पर, उसी बीच श्याम नारायण पांडे हाई कोर्ट से स्टे ले आये। अब इनको जूनियर इंजीनियर मानें या अतिरिक्त अभियन्ता मानें। यह कानूनी अड़चन पड़ गई। जिला अधिकारी ने शासन को सन्दर्भित किया है कि इनको क्या माना जाय? अगर अतिरिक्त अभियन्ता माने जायेंगे तो शासन से निलम्बित होंगे, अवर अभियन्ता माने जायेंगे तो जिला स्तर पर निलम्बित होंगे। इसका परीक्षण हो रहा है, शीघ्र ही निस्तारित करने का प्रयास करेंगे।

मुरादाबाद, अमरोहा, राजकीय गर्ल्स इन्टर कालेज की विज्ञान प्रयोगशाला

*13—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद में अमरोहा राजकीय गर्ल्स इन्टर कालेज में 11वें एवं 12वें कक्षा हेतु विज्ञान की प्रयोगशाला है? यदि नहीं, तो सरकार कब तक प्रयोगशाला के प्रबन्ध का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, विज्ञान प्रयोगशाला है।

प्रश्न नहीं उठता।

मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों के छात्रों के मासिक शुल्क में की गई वृद्धि

*14—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 मई, 1975 को शासनादेश द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों के छात्र और छात्राओं पर 15 रु0 तक मासिक शुल्क लगाया गया था? यदि हां, तो क्यों? क्या इस शुल्क को माफ किए जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां!

15 रु0 तक मासिक शुल्क 20 मई, 75 के शासनादेश के अनुसार नहीं वरन् राजाज्ञा संख्या-1091/15-6-9(7)/73, दिनांक 25 मार्च, 1975 के अनुसार मान्यता प्राप्त प्राइमरी स्कूलों के छात्र/छात्राओं पर लगाया गया था।

इस उद्देश्य से कि निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राइमरी कक्षाओं/विद्यालयों के कर्मचारियों को निर्धारित दरों पर वेतन, महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलने में कठिनाई न हो। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :—तारांकित प्रश्न सं0—12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*15--श्री भगवती सिंह विशारद--

[दिनांक 10-2 86 को अता0 प्र0 सं0-61 द्वारा उत्तरित]

बस्ती जिले के ग्राम हंसवापार, मुडार खुर्द की यात्रियों की मथुरा यात्रा में ब दुर्घटना से हुई मृत्यु एवं मुआवजे की मांग

*16--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के तहसील-बांसी के ग्राम-हंसवापार, मुडार खुर्द, मुडार बुजुर्ग, खहिरिया के जो लोग मथुरा यात्रा में बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गये थे, उससे सम्बन्धित पत्र दिनांक 2-6-85 उन्हें मिला है? यदि हां, तो मृतकों के वारिसों को क्षतिपूर्ति देने सम्बन्धी कार्यवाही की क्या प्रगति है ?

राजकुमार संजय सिंह--

बस्ती जिले के बांसी तहसील के कुछ तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस की दुर्घटना में मृत यात्रियों के वारिसों को आर्थिक सहायता दिए जाने से सम्बन्धित माननीय विधायक का पत्र दिनांक 2-7-85 को प्राप्त हुआ है ।

प्राप्त सूचनानुसार बस के मालिक द्वारा कोई परमिट नहीं लिया गया था तथा बीमा अधिभार व यात्री-कर भी जमा नहीं किया गया था, अतएव नियमानुसार शासनादेश सं0 2791प/30-3-13 डब्लू/81, दि0 25-7-81 के अन्तर्गत इस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को शासन द्वारा कोई आर्थिक सहायता अनुमन्य नहीं है । इस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रित मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा 92ए व 110 ए के अन्तर्गत मुआवजा प्राप्त करने हेतु वाहन स्वामी तथा वाहन के बीमाकर्ता के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं ।

जूनियर हाई स्कूलों के हाई स्कूल होने पर अध्यापकों की पदोन्नति एवं प्रधानाचार्यों की पदोन्नति की मांग

*17--श्री मित्रसेन, तथा
श्री किशन सिंह तड़ागी--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत अध्यापक विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता मिलते ही वे भी प्रोन्नति पा जाते हैं किंतु उक्त विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक को अर्हता एवं योग्यता की पात्रता रखते हुए भी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नत नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो विद्यालय में कार्यरत अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति में दोहरे मापदण्ड का कारण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां। जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत 40 प्रतिशत अर्ह शिक्षक ही संस्था के हाई स्कूल होने पर पदोन्नति पाते हैं ।

दोहरे मापदण्ड का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि किसी संस्था के प्रधान का एक ही पद होता है और अध्यापकों के पद बहुत से होते हैं । अतः संस्था की उच्चता और संस्था के प्रधान के पद की गुणात्मक गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के प्राविधानों एवं इसके विनियमों के अन्तर्गत किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद केवल सीधी भर्ती से ही भरा जाता है ।

लखनऊ मण्डल निकास निगम के सामान्य प्रबन्धक श्री बी0पी0 सक्सेना की पुनर्नियुक्ति

*18--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय नेता विरोधी दल द्वारा लखनऊ मण्डल विकास निगम में सामान्य प्रबन्धक के पद पर कार्यरत पद धारक को 31 मई, 1985 को सेवा निवृत्त के उपरान्त भी बिना शासन के आदेशों के शासकीय नीति के विपरीत पुनर्नियुक्ति कर सेवा में बनाये रखने पर शासन का ध्यान पत्र लिख कर आकर्षित किया गया था ? यदि हां, तो अब तक वह व्यक्ति बिना आदेशों के सेवारत किस तरह हैं ? क्या अप्रैल, 1985 में कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं, ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है।

शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में लखनऊ मण्डल विकास निगम ने श्री वी0 पी0 सक्सेना को जून, 1985 से अनुबन्धात्मक रूप से सामान्य प्रबन्धक के पद पर पुर्नियुक्त किया गया था, किन्तु शासन से पुर्नियुक्ति की स्वीकृति न मिलने के कारण श्री सक्सेना को निगम की सेवा से दिनांक 31 जुलाई, 1985 से कार्यमुक्त कर दिया गया था। श्री सक्सेना निगम में अब कार्यरत नहीं हैं।

जी हां, कार्मिक विभाग के शासनादेश दि0 25 अप्रैल, 1985 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

नेहरू कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भगवानपुर, बस्ती के छात्रों के परीक्षाफल की घोषणा

*19--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेहरू कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भगवानपुर, पोस्ट-थरुआपुर, जिला-बस्ती के 94 छात्रों का परीक्षा-शुल्क दि0 30-7-83 को चालान नं0 53, 54, 97, 98 के द्वारा तथा दि0 16-8-83 को चालान नं0 85-86 के द्वारा उप कोषाधिकारी, हर्रैया, जिला बस्ती में जमा किया? यदि हां, तो क्या सही है कि 14 छात्रों का रोल नं0 शिक्षा परिषद् इलाहाबाद के यहां से विद्यालय परीक्षा केन्द्र पर नहीं भेजा गया जिसके कारण 14 छात्रों का परीक्षाफल 1984 का अब तक घोषित नहीं किया गया? यदि हां, तो सरकार 14 छात्रों का परीक्षाफल शीघ्र घोषित कराने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां।

सम्बन्धित विद्यालय के 16 छात्रों के विवरण कम्प्यटर त्रुटिवश मुद्रित नहीं हुए। विद्यालय से परिषद को सूचना न मिलने के कारण छात्रों के अनुक्रमांक परीक्षा के समय परिषद् द्वारा अनुदानित नहीं किये जा सके और विद्यालय द्वारा प्रदत्त काल्पनिक अनुक्रमांकों के आधार पर छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित करा दिया गया।

परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है।

आजमगढ़, ग्राम-निजामपुर स्थित पोखरे का खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्माण

*20--श्री भीखा राम--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1979-80 में ग्राम-निजामपुर ब्लाक पवई, जनपद-आजमगढ़ में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत पोखरे का निर्माण कराया गया है, तो क्या उसका पूरा भुगतान करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कराया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां।

इस कार्य का सत्यापन भी कराया गया था। कुछ मस्टर रोल के फर्जी पाये गये जिसको छोड़ कर पूरी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

परिवहन निगम की बसों की बाडी का यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल वर्कशाप द्वारा निर्माण

1--श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन विभाग की कितनी बसों की बाडी यू0पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल वर्कशाप द्वारा वर्ष 84-85 में तैयार की गई है? क्या यह सही है कि इन बसों की बाडी के निर्माण में अत्यन्त घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग में लाई गई है? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस सिलसिले में घटिया माल की शिकायत दो सहायक अभियन्ताओं और तीन फोरमैनों ने संयुक्त रूप से लिखित शिकायतें देकर वर्कशाप के इन्चार्ज कृषि अभियन्ता को

दि0 14-12-84, 9-1-85 तथा 13-1-85 को की और परिवहन के कानपुर स्थित सेंट्रल वर्कशाप के उप महाप्रबन्धक ने एग्रो वर्कशाप के अधिकारी से अपने पत्रों दि0 19-11-84 1-11-84, 16-12-84 एवं 7-1-85 को की ? यदि हां, तो शिकायतों में मुख्य बात क्या थी और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजकुमार संजय सिंह--

वर्ष 1984-85 में यू0 पी0 स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा परिवहन निगम की कुल 139 चेसिस (124 नई तथा 15 रिनोवेटिड) पर केवल बस बाडी के सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। यह सही नहीं है कि इन समस्त बस बाडी के स्ट्रक्चर में अत्यन्त घटिया किस्म की सामग्री प्रयोग में लाई गई। केवल 7 सुपर स्ट्रक्चर में प्रयोग किये गये एंगिल आयरन कुछ हार्ड पाये गये, जिससे स्ट्रक्चर की मजबूती पर कुप्रभाव नहीं पड़ा।

परिवहन निगम के दो सहायक अभियन्ताओं और तीन फोरमैनों द्वारा संयुक्त रूप से कोई शिकायत यू0 पी0 एग्रो कार्यशाला के इन्चार्ज कृषि अभियन्ता को नहीं की गई। परिवहन निगम के उप प्रधान प्रबन्धक (क्वालिटी कन्ट्रोल) ने माह नवम्बर, 1984 दिसम्बर, 1984 एवं जनवरी, 1985 में एग्रो द्वारा बनाये गये सुपर स्ट्रक्चर में पाई गई कमियों के विषय में एग्रो के प्रधान प्रबन्धक को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें मुख्यत: निम्नलिखित कमियों का उल्लेख किया गया था:--

1- सुपर स्ट्रक्चर का एलाइनमेंट सही नहीं था।

2--वेल्डिंग पूरी नहीं थी।

3---गसेट्स कम लगे थे।

4 -कहीं-कहीं पर प्लेट तथा एंगिल कम लगे थे।

इन कमियों को परिवहन निगम की कार्यशाला में बस बाडी बनाने से पूर्व ठीक किया गया। ठीक कराने में जो सामग्री एवं श्रम का उपयोग किया गया, उसका मूल्य एग्रो को किये गये भुगतान में से काट लिया गया।

सुल्तानपुर--लखनऊ मार्ग पर बसों के संचालन की व्यवस्था

2---श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कि जनपद सुल्तानपुर से लखनऊ तक चलने वाली बस विषयक ग्रामीण क्षेत्र की जनता के प्रति हुई यातनाओं एवं असुविधाओं को दूर कर उचित व्यवस्था हेतु समुचित आदेश उनके द्वारा अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 18-7-85 के संदर्भ में निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या आवागमन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो गयी है ? यदि नहीं तो कब तक वास्तविक रूप से व्यवहार में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो जायेगी ?

श्री राजकुमार संजय सिंह--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

गोण्डा, श्री सुदामा ग्राम्य विकास अधिकारी भौरीगंज के स्थानान्तरण की मांग

3 -श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुदामा ग्राम्य विकास अधिकारी, भौरीगंज क्षेत्र परसपुर, जिला गोण्डा विगत 10-12 वर्षों से एक ही क्षेत्र में कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री सुदामा का स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

जी हां।

वार्षिक स्थानान्तरण के समय इनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायगा।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अवर अभियन्ताओं के नियमितीकरण की मांग

4---श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में तदर्थ रूप से नियुक्त सभी अवर अभियन्ताओं का शासनादेश संख्या

19-8-75(1)-क-1 दिनांक 14-5-79 के अनुसार नियमितीकरण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इनके नियमितीकरण के आदेश कब तक जारी हो जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में तदर्थ रूप से नियुक्त अवर अभियन्ताओं के विनियमितीकरण हेतु शासनादेश संख्या-19-8-75 (1)-का-1 दिनांक 14-5-1979 लागू नहीं होता है। उक्त शासनादेश दिनांक 1-1-77 से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये अवर अभियन्ताओं के नियमितीकरण के संबन्ध में है।

शासनादेश संख्या-19-5-1981-कार्मिक-1 दिनांक 22-3-1984 के अन्तर्गत दिनांक 1-5-1983 तक तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण किये जाने का प्राविधान है। इस नियमावली के अनुसार कर्मचारियों को 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरान्त ही उनके नियमितीकरण पर विचार किया जा सकेगा।

ज्ञानपीठ इण्टर कालेज, अरौल, कानपुर की अध्यापिका, श्रीमती तारा कटियार का बाकाया वेतन

5—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि ज्ञान पीठ इण्टर कालेज, अरौल, जिला कानपुर देहात में सचल संचालन पद्धति द्वारा श्रीमती कृष्णा तारा कटियार को वेतन भुगतान किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि श्रीमती कटियार की सेवायें उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति और राज्य शासन के निर्देशों के प्रतिकूल मंडलीय बालिका निरीक्षिका चतुर्थ मंडल इलाहाबाद द्वारा 3-8-82 को विनियमित कर दी गयी ? यदि हां, तो उक्त अवैध विनियमितीकरण के विरुद्ध शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, किन्तु दिनांक 10 अक्टूबर, 1985 से वेतन भुगतान स्थगित है। श्रीमती कटियार की सेवाओं के विनियमितीकरण एवं वेतन भुगतान का निर्णय तत्कालीन मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 3-6-82 को लिया गया। मामले में शिक्षा निदेशक द्वारा जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बसन्त लाल इण्टर कालेज, शाहाबाद, हरदोई के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों (विज्ञान वर्ग) की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक और परीक्षा फल की घोषणा।

6—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 1983-84 में बसन्त लाल इण्टर कालेज, शाहाबाद, जिला हरदोई केन्द्र से सम्मिलित कितने व्यक्तिगत परीक्षार्थियों (विज्ञान वर्ग) का परीक्षाफल प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक न उपलब्ध होने से विचाराधीन कर दिया गया था ? क्या यह भी सही है कि उनका परीक्षाफल पूर्ण घोषित न होने से छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है और उनका जीवन अन्धकारमय हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें तुरन्त अंक पत्र उपलब्ध करा कर परीक्षाफल को घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

हां। 26 व्यक्तिगत परिक्षार्थियों के परीक्षाफल जीव विज्ञान के प्रयोगात्मक परीक्षा के अंकों के अभाव में विचाराधीन किये गये थे।

जी नहीं। चूंकि लगभग सभी परीक्षार्थी (दो को छोड़कर) अन्य विषयों में भी अनुतीर्ण थे और प्रयोगात्मक परीक्षा के अंकों का लाभ पाने के फलस्वरुप भी उत्तीर्ण नहीं हो सकते थे, अतः परीक्षार्थियों के परीक्षाफल, उनको प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित दिखा कर घोषित कर दिये गये थे। इस प्रकार अगली कक्षा में प्रवेश का प्रश्न ही नहीं था।

उक्त परीक्षार्थियों के परीक्षाफल की संशोधित सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई के माध्यम से पुनः भेज दी गई है।

बुन्देल खण्ड विश्वविद्यालय हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं प्रतिकर का भुगतान

7—श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय हेतु जो भूमि अधिग्रहीत की गयी थी उस भूमि के मालिकों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक उनको यह मुआवजा दे दिया जायगा ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रतिकर का भुगतान भू-स्वामियों को 22 जनवरी, 1986 को किया जा चुका है ।

गोरखपुर–सोनौली मार्ग के कुलहई स्थान पर अनाधिकृत बस सचालन हेतु चेक पोस्ट की स्थापना

8—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरख पुर खनौली मार्ग पर कुलहई स्थान पर रोडवेज की आय बढ़ाने एवं तस्करी रोकने हेतु चेक पोस्ट लगाया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों वश उसे हटाया गया ? उक्त चेक पोस्ट को हटने के बाद रोडवेज को इस मार्ग पर आय तथा तस्करी पर क्या प्रभाव पड़ा ?

राजकुमार संजय सिंह—

जी हां । गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीयकृत मार्ग पर वाहनों के अनधिकृत संचालन को रोकने हेतु दिनांक 17–4–84 से कुलहई में अस्थाई चेक पोस्ट की की स्थापना की गयी थी ।

अनधिकृत संचालन समाप्त होने पर इस चेक पोस्ट को दिनांक 5–8–84 से दिनांक 28–9–84 तक तथा दिनांक 18–3–85 से दिनांक 10–8–85 तक बन्द रखा गया । पुन: अनाधिकृत संचालन की शिकायतें मिलने पर दिनांक 11–6–85 से यह चेक पोस्ट फिर स्थापित कर दी गयी है । यह चेक पोस्ट तस्करी रोकने के लिए नहीं, अपितु अनधिकृत रुप से चलने वाली बसों के संचालन को रोकने हेतु लगायी गयी है । चेक पोस्ट बन्द रहने की अवधि में रोडवेज की बसों की आय में कमी हुयी ।

पीलीभीत, श्री अनुरुद्धर दुबे, लैब सहायक, गांधी स्मारक सुन्दरलाल इण्टर कालेज की सेवा में बहाली

9—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनुरुद्धर दुबे (लैब सहायक) गांधी स्मारक सुन्दर लाल इण्टर कालेज, बिलसंडा, पीलीभीत को विद्यालय से कब और किसने अलग किया ? श्री अनुरुद्धर दुबे को जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत ने कब बहाल किया ? क्या श्री दूबे सेवा में कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री दूबे को ज्वाइन न कराने से 6 वर्षों से यह बेकार है और इस सम्बन्ध में क्या डी0सी0जी0 सिविल पीलीभीत से कानूनी सलाह ली गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री अनुरुद्धर दुबे (लैब सहायक) को प्रधानाचार्य, गांधी स्मारक सुन्दर लाल इण्टर कालेज, बिसण्डा, पीलीभीत द्वारा सेवा से अलग किया गया ।

दिनांक 3–2–81 को, जी हां, श्री दूबे दिनांक 9–8–85 से कार्यरत हैं ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत ने यद्यपि श्री दुबे को अपने निर्णय दिनांक 3-2-81 द्वारा बहाल कर दिया दिया किन्तु इस निर्णय के कार्यान्वयन को लेकर श्री दुबे एवं प्रधानाचार्य/प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा न्यायिक कार्यवाही की गयी । अतंतोगत्वा श्री दुबे को 9–8–85 अपरान्ह से कार्यभार ग्रहण करा दिया गया और वे तब से कार्यरत हैं ।

10—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री सी0 के0 पाण्डे, अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल संगठन, हमीरपुर का संविलीनीकरण का मामला

11-कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सी0 के0 पाण्डे अधिशासी

अभियंता भूगर्भ जल संगठन खण्ड हमीरपुर का संविलीनीकरण का मामला शासन या निदेशालय में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

जी नहीं ।

अधिशासी अभियन्ता, लघु सिचाई विभाग कानपुर द्वारा स्टेशनरी की खरीद

12---कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता को स्टेशनरी खरीदने के वित्तीय अधिकार क्या हैं ? अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई कानपुर में वर्ष 84-85 तथा वर्ष 85-86 में कितनी बार कितने धन की किस दूकान से स्टेशनरी खरीदी ? क्या यह सही है कि यह मैसर्स तायल ट्रेडर्स खाली कुंआ, मेरठ से ही स्टेशनरी नगद भुगतान कर खरीदते हैं ? यदि हां तो कानपुर में रहकर मेरठ से स्टेशनरी खरीदने का क्या औचित्य है और क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

लघु सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता को किसी एक समय में रु0 200.00 तथा एक वर्ष में रु0 2000.00 तक की स्टेशनरी क्रय करने का अधिकार है । अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, कानपुर द्वारा वर्ष 1984-85 में 56 बार में कुल रु0 1469.18 की तथा वर्ष 1985-86 में 67 बार में कुल रु0 1741.10 की स्टेशरी विभिन्न दुकानों से जिनकी सूची संलग्न है, क्रय की गई । स्टेशनरी के अतिरिक्त मेसर्स तायल ट्रेडर्स खारी कुंआ, मेरठ से वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में क्रमशः 1669.85 रु0 तथा 1542.00 के कुछ आवश्यक प्रिंटेड फार्म ही जो कानपुर में उपलब्ध नहीं थे, नियमानुसार कोटेशन प्राप्त कर तथा न्यूनतम मूल्य पर ही नकद क्रय किये गये हैं ।

भूगर्भ जल सवेक्षण संगठन, हमीरपुर के अधिशासी अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति एवं उनके पैत्रिक विभाग में वापसी की मांग

13---कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

दिनांक 10-9-84 के अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री) के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत विषय में न्यायालय के विचाराधीन याचिका पर प्राप्त स्थगनादेश को निरस्त कराने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो शासन यह कार्यवाही कब तक पूर्ण करा लेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

प्रश्न याचिका में प्राप्त स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना-पत्र माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 13-9-84 को दाखिल किया जा चुका है जिस पर माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त नहीं हुये हैं ।

झांसी के विकास खण्ड मोठ गुहसहाय व बामौर के अन्तर्गत हैण्ड पम्पो का निर्माण

14---कुंवर मानवेन्द्र सिंह---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के मोठ विकास खण्ड में किन-किन ग्रामों में कितने-कितने हैण्डपम्प लगे है ? कितने चालू हैं, कितने कहां-कहां खराब हैं और किन-किन ग्रामों में अभी तक एक भी हैण्डपम्प नहीं लगाये गये हैं ? क्या शीघ्र लगा दिये जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

जनपद झांसी के विकास खण्ड मोठ में संलग्न सूची के अनुसार 41 हैण्डपम्प चालू हैं, 5 हैण्डपम्प खराब हैं और 70 ग्रामों में हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं । समस्त ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये जाने की कोई योजना नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ..147 पर ।)

†छापी नहीं गई ।

15--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के गुरुसराय विकास खण्ड के किन-किन ग्रामों में कितने-कितने हैण्ड पम्प लगे हैं ? कितने चालू हैं तथा कितने कहां-कहां खराब हैं ? किन-किन ग्रामों में अभी तक एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं और कब तक लगा दिये जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद झांसी के विकास खण्ड गुरसराय में संलग्न सूची के अनुसार 118 हैण्ड पम्प चालू हैं, 13 हैण्ड पम्प खराब हैं और 69 ग्रामों में हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं । समस्त ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये जाने की कोई योजना नहीं हैं ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ. 149 पर)

16--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के बामौर विकास खण्ड में किन-किन ग्रामों में कितने-कितने हैण्ड पम्प लगे हैं ? कितने चालू हैं तथा कितने कहां-कहां खराब हैं और किन ग्रामों में अभी तक एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं ? उन-उन ग्रामों में कब तक लगा दिये जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद झांसी के विकास खण्ड बामौर में संलग्न सूची के अनुसार 85 हैण्ड पम्प चालू हैं, 3 बैण्ड पम्प खराब हैं और 15 ग्रामों में हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं । समस्त ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये जाने कोई योजना नहीं हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ट 151 पर ।)

17--श्री महेन्द्र सिंह भाटी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

18--श्री दुर्गा प्रसाद यादव--

[दिनांक 10-2-86 को ता0 प्र0सं0 7 द्वारा उत्तरित ।]

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के वरिष्ठ फोरमैन श्री असलम का स्थानान्तरण

19--श्री अतर सिंह यादव --

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम की क्षेत्रीय कार्यशाला टेढ़ी कोठी लखनऊ के सीनियर फ़ोरमैन श्री मो0 असलम का स्थानान्तरण अक्टूबर, 1985 में पांचवीं बार हुआ ? यदि हां, तो उन्हें अभी तक कार्यमुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी का जब-जब स्थानान्तरण हुआ है, उसे कार्य-मुक्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

राजकुमार संजय सिंह--

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की क्षेत्रीय कार्यशाला, टेढ़ी कोठी लखनऊ के कथित वरिष्ठ फोरमैन का स्थानान्तरण माह अक्टूबर, 1985 में किया गया था लेकिन स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए प्रशासनिक हित में इसे रोका गया है।

श्री असलम ने क्षेत्रीय कार्यशाला लखनऊ में अक्टूबर, 1984 को कार्यभार ग्रहण किया था, उसके उपरान्त उनका यह पहला स्थानान्तरण था ?

राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर प्रति किलोमीटर खर्च

20--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम द्वारा चलायी जाने वाली बसों पर प्रति कि0 मी0 कितना खर्च होता है तथा विगत वित्तीय वर्ष में बसों के रख-रखाव पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

राजकुमार संजय सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा चलायी जाने वाली बसों पर प्रति किलोमीटर कुल खर्च वित्तीय वर्ष 1985-86 में (नवम्बर 1985 तक) रु0 4-25 आया है, तथा विगत वित्तीय वर्ष 1984-85 में बसों के रख-रखाव पर रु0 2642-50 लाख की धनराशि व्यय हुई है ।

श्री विश्वम्भर, ग्राम खगुवाबास, बुलन्दशहर द्वारा भैंसा बुग्गी हेतु लिया गया ऋण

21--श्री किरन पाल सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री विश्वम्भर पुत्र दौलत, निवासी ग्राम खगु-

बाबास, डा0 सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर (परिगणित जाति) ने क्षेत्र विकास अधिकारी सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर सन् 1983 में कराये गये 4500 रुपये बतौर कर्ज से एक भैंसा बुगी खरीदी थी, क्या यह सही है कि उपरोक्त कर्जे पर उक्त हरिजन को आधी छूट मिलनी थी ? क्या यह सही है कि छूट न देकर उससे मय ब्याज के सारा रुपया जबरिया बसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त हरिजन को आधी छूट देकर तथा छूट न देने के कारण कर्जा अदायगी में देरी होने से लगे फालतू ब्याज को समाप्त करके तब कर्जा वसूली की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री विश्वम्भर पुत्र दौलत ने स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 4500/– रु0 ऋण लेकर भैंसा बुग्गी क्रय की थी। श्री विश्वम्भर को यद्यपि छूट देय थी परन्तु ऋण से प्राप्त भैंसा बुग्गी को क्रय के कुछ समय बाद अन्य व्यक्ति को बेच देने के कारण वह छूट के पात्र नहीं रहे।

ऋण का दुरुपयोग करने के फलस्वरूप श्री विश्वम्भर को नियमानुसार छूट नहीं दी जा सकेगी।

बैंक द्वारा अपने ऋण की वसूली उनके नियमानुसार की जा रही है।

आगरा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, श्री कैलाश चन्द्र एवं लिपिक, श्री चन्द्रभान के विरुद्ध शिकायती-पत्र

22—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र एवं श्री चन्द्रभान, लिपिक के भ्रष्टाचार के विरुद्ध श्री शिव प्रसाद अग्रवाल, पिनाहट (आगरा) का शिकायती पत्र दिनांक 8–6–85 उनको प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आगरा से जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली जिला परिषद् शिक्षकों की महंगाई भत्ते के बकाये का भुगतान

23—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 7 वें सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 71 के उत्तर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बकाया भुगतान अब तक न करने के लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार कब तक भुगतान करा देगी ?

श्री सिब्ते रजी—

जनपद बरेली के परिषदीय शिक्षकों के वर्ष 1984 व 1985 के अवशेषों का भुगतान धन उपलब्ध न होने के कारण अब तक नहीं किया जा सका है, इसके लिये कोई दोषी नहीं है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

अवशेषों का भुगतान धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

24—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचारधीन होने के कारण निरस्त]

मैनपुरी, बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के बकाया वेतन का भुगतान

25—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों का अवशेष धन, वेतन वृद्धि 1979 से 8 विकास क्षेत्रों का भुगतान फरवरी, 85 में कर दिया है ? क्या यह सच है कि 7 विकास क्षेत्रों का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा शेष विकास क्षेत्रों का भुगतान

ब्याज सहित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिन्हे रजी--

प्रश्नगत जनपद के 7 विकास क्षेत्रों के परिषदीय अध्यापकों के अवशेष धन का भुगतान दिसम्बर, 1984 में कर दिया था।

जी नहीं। आठ विकास क्षेत्रों के परिषदीय अध्यापकों के अवशेषों का भुगतान शेष है ।

ब्याज सहित भुगतान किये जाने का कोई नियम नहीं है ।

अवशेषों का भुगतान धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

26--श्री राम आसरे वर्मा--

[दिनांक 22-7-85 अता0 प्र0 सं0 53 द्वारा उत्तरित]

राज्य सड़क परिवहन निगम, के परिचालकों की पुनर्नियुक्ति

27--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1983 में 9 परिचालक तथा 1984 में लगभग 24 परिचालक की पुनः नियुक्ति के संबन्ध में प्रबन्ध निदेशक राज्य सड़क परिवहन निगम को शासन द्वारा आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उन परिचालकों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह नियुक्ति कब तक करा दी जायेगी ?

राजकुमार संजय सिंह--

वर्ष 1983 में 9 परिचालक तथा वर्ष 1984 में 14 परिचालक की पुनः नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन द्वारा आदेश जारी किये गये थे । इन परिचालकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है । इसका कारण यह है कि रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन ऐक्ट 1950 की धारा 34 के अन्तर्गत शासन को इस प्रकार के विशिष्ट मामलों में निगम को आदेश देने का अधिकार उपरोक्त अधिनियम द्वारा नहीं दिया गया है । इन सभी को सेवा का एक नवीन अवसर देने के मामलों पर निगम बोर्ड द्वारा गठित उप समिति द्वारा विचार किया गया था । उपसमिति ने विचारोपरान्त इनमें से किसी भी मामलों में सेवा का नया अवसर देने का कोई औचित्य न पाते हुये सभी मामलों को अस्वीकृत कर दिया है ।

जिला विकास अधिकारी, उन्नाव द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति

28--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विकास अधिकारी, जो 6 माह के सेवा विस्तार पर उन्नाव में कार्यरत हैं, के द्वारा जून/जुलाई, 1985 के दौरान सीधी भर्ती द्वारा 4 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए वे सक्षम अधिकारी थे ? यदि नहीं, तो क्या शासन इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

जी हां ।

जिला विकास अधिकारी, उन्नाव उक्त नियुक्ति करने के लिए सक्षम थे क्योंकि जनपद उन्नाव में जिला चयन समिति का गठन नवम्बर, 1985 में किया गया । अतएव उसके पूर्व उनके द्वारा की गयी नियुक्ति के संबन्ध में उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

हरदोई, पैनी पुरवा निवासी श्री विपिन बिहारी लाल का विद्यालय के लिये भूमि के पट्टे सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

29--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विपिन बिहारी लाल पुत्र श्री परमाई लाल, निवासी पैनी पुरवा हरदोई का प्रार्थना-पत्र विद्यालय को पट्टे पर भूमि दिये जाने के संबन्ध में जिला अधिकारी हरदोई द्वारा अग्रसारित उनके अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 57/सा0/नि0/वि0-1, दिनांक 22 जून, 1985 को निजी सचिव, पंचायती राज मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

विद्यालय को पट्टे पर भूमि दिये जाने सम्बन्धी श्री विपिन बिहारी लाल का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ, वरन श्री विपिन बिहारी का प्रार्थना-पत्र विद्यालय से सम्बद्ध भूमि को तीस वर्ष के पट्टे पर दिये जाने के संबन्ध में है । श्री विपिन बिहारी के पत्र तथा जिलाधिकारी हरदोई के पत्र दिनांक 22-6-1985 की प्रतिलिपियों पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के मेट का वेतनमान

30—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण सगठन में मेट पद हेतु रु0 305-390 का वेतनमान दिया जा रहा है जबकि शासनादेश के अनुसार अन्य विभागों में पुनरीक्षित वेतनमान रु0 315-440 स्वीकृत है ? यदि हां तो उक्त विभाग में मेट पद हेतु पुनरीक्षित वेतनमान (315-440) देने में शासन क्या और कब तक कार्यवाही कर रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में मेट के पद का वेतननान रु0 305-390 से पुनरीक्षित करके रु0 315-440 किये जाने पर विचार किया गया तथा औचित्य नहीं पाया गया ।

श्री राजिव कुमार सिंह, छात्र, पुवांया इण्टर कालेज, शाहजहांपुर का अंग्रेजी प्रवक्ता, श्री नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

31—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजीव कुमार सिंह, कक्षा 11 पुवांयां इण्टर कालेज पुवांयां, शाहजहांपुर के पत्र, जो कि कालेज के अंग्रेजी प्रवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा विद्यालय में की जा रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, छात्रों व अध्यापकों के उत्पीड़न के विरुद्ध है जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रबन्धक पुवायां इण्टर कालेज, शिक्षा उप निदेशक लखनऊ, मा0 शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा सचिव को प्राप्त हुए हैं; यदि हां, तो उक्त पत्रों के अधार पर अब तक उक्त प्रवक्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पत्र की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री राजीव कुमार सिंह, छात्र कक्षा 11 (क), पुवायां इण्टर कालेज, पुवायां, शाहजहांपुर का शिकयती पत्र दिनांक 16-7-85 जो जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर को सम्बोधित तथा अन्य को पृष्ठांकित था, प्राप्त हुआ था । उक्त शिकायता पत्र पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच की गयी । जांच में श्री नरेन्द्र सिंह, प्रवक्ता (अंग्रेजी) के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार एवं असत्य पाये गये । जांच से यह भी स्पष्ट हुआ कि शिकायत की पृष्ठभूमि में सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापकों द्वारा छात्र को परीक्षा में रोका जाना है । अतः प्रवक्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर से प्राप्त श्री राजीव कुमार सिंह छात्र के शिकायती पत्र की प्रतिलिपि संलग्न हैं ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 153 पर)

बरेली में ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति हेतु ली गयी परीक्षा

32—श्री जयदीप सिंह बरार—

विधान सभा के द्वितीत सत्र 85 के 3 रे सोम0 के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये ता0 प्र0 सं0 14 के उत्तर के सदर्भ में क्या ग्राम विकास मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 19-5-81 (कार्मिक) दिनांक 30-8-84 द्वारा 1-5-83 के बाद तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को कदापि नियमित न करने के निर्देश के अनुपालन में प्रश्नगत मामले की तदर्थ नियुक्तियों को नियमित नहीं किया जायेगा

तथा रिक्तियों को अविलम्ब साधारण चयन प्रक्रिया से ही भरा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ऐसे आदेश जारी कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

कार्मिक विभाग का आदेश दिनांक 22–3–84 है न कि 30–8–84 ।

प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का मामला शासन के विचाराधीन है ।

33—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

[आश्वसन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

आजमगढ़ में बेरोजगार प्रशिक्षित बी0 टी0 सी0 अध्यापक

34—श्री विष्णु देव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कुल कितने बी0टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक मौजूद हैं और उन्हें कब तक नौकरी उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

शिक्षा सत्र 1984–85 में नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर प्रश्नगत व्यक्तियों की संख्या 613 थी ।

यह रिक्त पदों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

35—श्री विष्णु देव—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री प्रेम शंकर गुप्त, कच्ची सड़क, दारागंज इलाहाबाद का परीक्षाफल एवं डिग्री

36—श्री विष्णु देव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रेम शंकर गुप्त, 87 ई, कच्ची सड़क दारागंज, जनपद इलाहाबाद जिन्होंने 1979 में बी0 ए0 अन्तिम वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में कुल भास्कर आश्रम डिग्री कालेज इलाहाबाद से दिया था जो कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुये थे ? यदि हां, तो अंक तालिका व उपाधि प्रमाण-पत्र न मिलने संबन्धी प्रार्थना पत्र के संबन्ध में प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र दिनांक 25–6–85 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस संबन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी—

कानपुर विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि प्रेम शंकर गुप्त, अनुक्रमांक 9402 का बी0 ए0 द्वितीय वर्ष का 1979 का परीक्षाफल द्वितीय श्रेणी में घोषित किया जा चुका है। छात्र को अंक तालिका पंजीकृत डाक से भेजी जा चुकी है । उपाधि प्रमाण–पत्र बन गया है । शीघ्र ही पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा रहा है ।

माननीय सदस्य के पत्र पर शिक्षा निदेशक से आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया था ।

मैनपुरी ग्राम खोरिया शिकमी गोहना निवासी श्री अमीर सिंह व श्री सुनहरी लाल द्वारा एल0 डी0 बी0 ब्रांच जसराना से लिया गया ऋण

37—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी विकास क्षेत्र खेरगढ़ के ग्राम खोरिया शिकमी गोहाना के श्री अमीर सिंह व सुनहरी लाल सीमान्त कृषक हैं । क्या यह सच है कि इन्होंने क्रमशः 80 व 81 में लोन एल0 डी0 बी0 ब्रान्च जसराना से लिया ? यदि हां, तो इन्हें नियमानुसार छूट प्रदान की गई ? यदि हां, तो कितनी और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सन्दर्भ में सुनहरी लाल ने जिलाधिकारी, मैनपुरी एवं अध्यक्ष बीस-सूत्रीय कार्यक्रम मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश को दिनांक 26–6–85 को प्रार्थना-पत्र दिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

38 —श्री विष्णु देव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

भूमिगत जल प्रदूषण की रोकथाम के लिये भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया कथित कार्य एवं भूमिगत जल के खारेपन को गंगा प्रदूषण योजना में सम्मिलित किये जाने की मांग

39—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमिगत जल-प्रदूषण को रोकने हेतु राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग के भूवैज्ञानिकों और अभियन्ताओं की सेवा का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो किस प्रकार? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के भू-वैज्ञानिकों एवं अभियन्ताओं की सेवाओं का उपयोग प्रदेश के भू-गर्भ जल भंडारों का पता लगाने हेतु किया जाता है। भूमिगत जल प्रदूषण को रोकने का कार्य उक्त विभाग के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।

40—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार भूमिगत जल के खारेपन को गंगा प्रदूषण योजना के साथ सम्मिलित करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजनें पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूमिगत जल के खारेपन को गंगा प्रदूषण योजना के साथ सम्मिलित करने के सम्बन्ध में भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश से कोई प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव उक्त संगठन में विचाराधीन है।

देवरिया जिले के खण्ड विकास अधिकारी श्री केशव प्रसाद सिंह एवं श्री ठाकुर प्रसाद मिश्र के स्थानान्तरण की मांग

41—श्री विष्णु देव—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में कितने खन्ड विकास अधिकारी ऐसे हैं जो 5 वर्ष से एक विकास खण्ड में तथा जनपद में 10 वर्ष से ज्यादा समय से रह रहे हैं और उनका स्थानान्तरण भी हुआ है, परन्तु स्थानान्तरण सम्बन्धित अधिकारियों की साठ-गांठ से बार-बार रोक दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या माननीय मन्त्री जी ऐसे खण्ड विकास अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद देवरिया में कोई भी खण्ड विकास अधिकारी 5 वर्ष से एक विकास खण्ड में कार्यरत नहीं है। जनपद में 10 वर्ष से अधिक समय से श्री केशव प्रसाद सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, हाटा एवं श्री ठाकुर प्रसाद मिश्र, खण्ड विकास अधिकारी, कप्तानगंज क्रमशः 3-7-73 एवं 3-12-72 से कार्यरत हैं। यह सही है कि इनका स्थानान्तरण हुआ है परन्तु स्थानान्तरण स्थगित किये जाने में अधिकारियों की सांठ-गांठ की बात निराधार है।

स्थानान्तरण विशेष परिस्थितियों में स्थगित किया गया था एवं इस सत्र में इनके स्थानान्तरण का आदेश निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

ऐसे उपरोक्त दो ही खण्ड विकास अधिकारी हैं।

देवरिया, गण्डक समादेश की भूमिसंरक्षण इकाई से सम्बद्ध ग्राम विकास अधिकारी

42- श्री विष्णु देव—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, क्षेत्रीय विकास अनुभाग-1 के आदेश संख्या 5584/54-1-10(23)/83, दिनांक 16 फरवरी 1984 के अनुसार शारदा सहायक/रामगंगा परियोजना हेतु सृजित ग्राम विकास अधिकारियों को भूमि-संरक्षण इकाई से सम्बद्ध किया गया परन्तु गण्डक परियोजना अन्तर्गत जनपद देवरिया के अपर जिलाधिकारी (विकास) ने इस आदेश के विरुद्ध ग्राम विकास बजट से वेतन पाने वाले ग्राम विकास अधिकारियों को भूमि संरक्षण इकाई से सम्बद्ध किया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं। अपर जिलाधिकारी (विकास) देवरिया द्वारा शासनादेश संख्या-5584/54-1-10(23)/83, दि0 16 फरवरी, 1984 में दिये गये निर्देशानुसार गण्डक समादेश के बजट से वेतन पाने वाले ग्राम विकास अधिकारियों की गंण्डक समादेश की भूमि संरक्षण इकाइयों से सम्बद्ध किया गया है।

श्री ब्रह्म देव सिंह लिपिक किसान विद्यापीठ प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, दोहरी घाट, आजमगढ़ के स्थानान्तरण की मांग

43—श्री विष्णु देव—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ब्रह्म देव सिंह, प्रधान लिपिक किसान विधायी प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, दोहरी घाट, जिला-आजमगढ़ में पिछले 16 वर्षों से कार्यरत हैं? यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक एक ही स्थान पर कार्यरत रहने का कारण क्या है? क्या उनका स्थानान्तरण तुरन्त किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं।

श्री ब्रह्मदेव सिंह, किसान विद्यापीठ प्रसार प्रशिक्षण केंद्र, दोहरीघाट (आजमगढ़) में दिनांक 31-7-1973 से तैनात हैं। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों की कोई कार्यावधि निर्धारित नहीं है। केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारी प्रशिक्षण संबन्धी विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें शिकायतों के होने पर ही स्थानान्तरित किया जाता है। श्री सिंह का कार्य तथा आचरण अच्छा है। अतः इन्हें स्थानान्तरित करने का प्रश्न विचारणीय नहीं है।

मेरठ मण्डल विकास निगम को चूना मिल बेगराजपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा मशीन की खरीद

44—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विकास मण्डल के अन्तर्गत निर्माणाधीन चूना मिल बेगराजपुर, मुजफ्फनगर में प्रस्तावित क्षमता की (हाईड्रेटर) मशीन न खरीद कर उससे तीन गुनी क्षमता की मशीन ऊंची दरों में खरीदी गई तथा उसके भवन में जबरदस्ती समायोजित करने के लिए पहले से बने भवन को तोड़ा गया? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबन्ध में कोई जांच कराई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मेरठ मण्डल विकास निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 30-1-81 की बैठक में प्रस्ताव सं0-7 द्वारा 5000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक हाईड्रेटेड लाइम फैक्ट्री लगाने का निर्णय हुआ था, जिसकी फिजीबिलिटी तैयार हुई, परन्तु दि0 9-5-84 की बैठक में मशीनरी क्रय समिति ने उक्त फिजीबिलिटी रिपोर्ट को पुनरीक्षित कराने का निर्णय लिया तथा 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाली मशीन के स्थान पर 12000 मीट्रिक टन उत्पादन वाली मशीन क्रय करायी गयी।

संशोधित फिजीबिलिटी रिपोर्ट निदेशक मंडल की 34 वीं बैठक दिनांक 16-8-85 में अनुमोदित करायी गयी।

5000 मीट्रिक टन के स्थान पर 12000 मीट्रिक टन की मशीन को लगवाने हेतु वर्क शेड की दीवार को तोड़ना पड़ा। इन परिस्थितियों में इस संबन्ध में कोई जांच नहीं करायी गयी।

बरेली, कुंवर दया शंकर ई0 एम0 इंटर कालेज में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

45—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुंवर दया शंकर ई0 एम0 इन्टर कालेज, बरेली जो कि साधिकार नियन्त्रक के नियन्त्रण में है, को चुनी हुई प्रबन्ध समिति को सौंपने जा रहे हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

विद्यालय में वैध प्रबन्ध समिति उपलब्ध न होने तथा समिति के चुनाव का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण सम्प्रति विद्यालय में नियुक्त प्राधिकृत नियन्त्रक का बना रहना आवश्यक है।

बरेली नगर की प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों की पेंशन

46--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के अवकाश प्राप्त शिक्षकों की पेंशन में जो राहत के अवशेष जुलाई, 1980 से मई, 1985 तक सरकार ने दिलाने की घोषणा की थी उसका समय पर भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार भुगतान कराने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

भुगतान की कार्यवाही की जा रही है ?

चावल मिल रोहालकी, हरिद्वार के स्टाक एवं उत्पादन में कथित घोटाला

47- डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मंडल विकास निगम के अन्तगत चावल मिल रोहालकी, हरिद्वार के स्टाक व उत्पादन में कोई "घोटाला" सरकार की जानकारी में आया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं ।

इसलिए कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली, तिलक महापालिका इन्टर कालेज में जीव विज्ञान के सहायक अध्यापक के पद पर श्री अनिल कुमार खरे की नियुक्ति

48--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री अनिल कुमार खरे ने तिलक महापालिका इन्टर कालेज, बरेली में 20-2-84 से 15-3-85 तक अवकाश रिक्त जीव-विज्ञान के सहायक अध्यापक पद पर कार्य किया था, और जुलाई 1985 में जब यह पद पुनः रिक्त हुआ तब महापालिका प्रशासक ने इनकी नियुक्ति पुनः कर दी जिसका अनुमोदन जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ने अभी तक नहीं किया है और उनके स्थान पर एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गयी है, जो यह विषय पढ़ाने से पूर्णतया अक्षम है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री अनिल कुमार खरे को इस पद पर तुरन्त नियुक्ति दिला देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

श्री अनिल कुमार खरे ने 20 फरवरी, 1984 से 15 मार्च, 1985 तक निरन्तर अवकाश रिक्त पद पर कार्य न करके केवल निम्न अवधि में कार्य किया :--

1---4---12-1984 से 7-12-1984 तक
(4 दिन)

2---19---1-85 से 31-1-85 तक
(13 दिन)

3---20-2-85 से 28-2-85 तक
(9 दिन)

4---1-3-1985 से 15-3-85 तक
(15 दिन)

जुलाई, 1985 में जब यह पद रिक्त हुआ तो इनकी नियुक्ति नहीं की गयी । इसलिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से अनुमोदन का प्रश्न नहीं उठता । हां इस कार्यालय द्वारा इस पद पर आरक्षित समूह के अध्यापक श्री हाकिम सिंह की नियुक्ति की गयी है किन्तु उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया । तदर्थ नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा योग्यता के आधार पर की जाती है ।

प्रदेश की डिग्री कालेज के शिक्षकों को जी0पी0एफ0 से धनराशि निकालने की सुविधा

49---डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश शासन के कर्मचारियों को जो नान रिफन्डेबिल लोन की सुविधा है, क्या वही सुविधा (उच्च शिक्षक वर्ग) डिग्री कालेज, के शिक्षकों को भी है ? यदि हां, तो क्या

मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सुविधा कब तक दिलाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से यह सुविधा प्रदेश के महाविद्यालयों के शिक्षकों को जी0 पी0 एफ0 नियमावली के नियम (12) के अन्तर्गत देय है तथा इसका लाभ शिक्षकों को नियमानुसार दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति का सचिव शिक्षा विभाग को सम्बोधित पत्र

50--श्री राज किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रेषित पत्रांक सं0-सा0 3044/3610/71-84 दिनांक 22-9-84 का कोई पत्र सचिव, शिक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वर्णित तथ्य क्या थे ?

श्री सिब्ते रजी--

प्रश्न में उल्लिखित संख्यक कुलपति का पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 1984 तो नहीं बल्कि दिनांक 23 सितम्बर, 1984 को शासन को प्राप्त हुआ ।

कुलपति के पत्र में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित काउन्टर सहायक की शैक्षिक योग्यताओं का विवरण देते हुए शासनादेश सं0 2579/15-(15)-82-46(44)/81, दिनांक 31 जुलाई, 1982 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान रु0 315-6-351-द0 रो0-6-363-7-384-8-400-द0 रो0-8-440 को पुनः पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

श्री राम बरन, ग्राम-कोलवा, बाराबंकी का शिकायती-पत्र

51--श्री पूरन सिंह माहरा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र के 1985 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतिरिक्त प्रश्न संख्या-188 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्यालय के लगभग 20 वर्ष से अधिक पुरानी प्रवेश-पंजी रजिस्टर को नया कर दिया गया है? यदि हां, तो किसी अधिकारी के आदेश पर विवादास्पद मामले से सम्बन्धित अभिलेख को बदलने का औचित्य क्या है ? क्या पुरानी प्रवेश-पंजी रजिस्टर को सुरक्षित रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है।

मुरादाबाद, परिवहन निगम में कण्डक्टरों एवं कर्मचारियों के रिक्त पद

52--हाजी मोहम्मद हयात--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि मुरादाबाद रोडवेज के कन्डक्टरों तथा अन्य कार्यालयों में कर्मचारियों के कितने स्थान कब से रिक्त पड़े हैं और सरकार इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक कर देगी ? यदि नहीं तो क्यो ?

राजकुमार संजय सिंह--

मुरादाबाद क्षेत्र में कन्डक्टरों के 536 स्वीकृत पदों के विपरीत 699 परिचालक कार्यरत हैं । अतएव परिचालक सवर्ग में रिक्त पद होने का प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों म पदों की स्वीकृत कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं रिक्तियों की स्थिति निम्नवत् है :--

पद	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
का0 स0 प्रथम	24	24
का0 स0 द्वितीय	38	43
सीनियर क्लर्क	102	99
जे0सी0/बी0सी0	168	136

वर्तमान में सीनियर क्लर्क के 3 व जूनियर क्लर्क के 32 पद रिक्त हैं। सीनियर क्लर्क के इन 3 रिक्त पदों को जूनियर क्लर्क से प्रोन्नति से भरकर पूर्ति की जायेगी। जूनियर क्लर्क के 32 रिक्त पदों को अन्य क्षेत्रों में जहां उक्त सवर्ग में स्वीकृत से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं स्थानान्तरित कर भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

मुरादाबाद राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज का भवन

53—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुरादाबाद में रा0 गर्ल्स इंटर कालेज, अमरोहा सन् 1956 व 1957 में हाई स्कूल के रूप में प्रारम्भ किया गया था परन्तु अब स्कूल अपग्रेड होकर इंटर कालेज हो गया है? यदि हां, तो इंटर कालेज होने के बाद कालेज में कितने कमरे बनाये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत कालेज वर्ष 1944-45 में हाई स्कूल के रूप में प्रारम्भ किया गया और वर्ष 1962-63 में इण्टर स्तर पर उच्चीकृत हुआ।

इण्टर होने के बाद कालेज में एक हाल, दो कमरे तथा विज्ञान प्रयोगशाला के 5 कमरे (प्रत्येक से संलग्न स्टोर रूम) बनवाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी एवं आरक्षण कोटा

54—श्री अशोक बाजपेई—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग का सृजन वर्ष 1972 में किया गया था तब से मुख्यालय से लेकर क्षेत्र तक कार्यालय अधीक्षक ग्रेड - 1, ग्रेड - 2 आशुलिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक, ड्राफ्टमैन, ट्रेसर, चपरासी ड्राइवर के कुल कितने पद स्वीकृत किये गये हैं और इन पदों के विपरीत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा क्या आरक्षण पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों और इसे कब तक पूर्ण किया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1972 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के सृजन से अब तक मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु अधीक्षक ग्रेड-1 के 5, ग्रेड-2 के 11, आशुलिपिक के 74 वरिष्ठ लिपिक के 409, कनिष्ठ लिपिक के 404, वरिष्ठ सहायक के 82, ड्राफ्टमैन के 70, ट्रेसर के 59, चपरासी के 779, तथा ड्राइवर के 131 पद स्वीकृत हैं। उपरोक्त स्वीकृत पदों के विपरीत आशुलिपिक के 2, वरिष्ठ लिपिक के 48, कनिष्ठ लिपिक के 56, वरिष्ठ सहायक के 10, ड्राफ्तमैन के 5, ट्रेसर के 3, चपरासी के 135 तथा ड्राइवर के 9 पद अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये हैं। आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं है। वर्ष 1980 के पूर्व की गई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित कोटे की पूर्ति निर्धारित सीमा तक नही की जा सकी थी जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु वर्तमान में आवश्यक पद रिक्त रखे गये हैं। भविष्य में नियुक्ति के समय आरक्षण कोटे को पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

हरदोई, जूनियर हाई स्कूल, सकतपुर की भूमि पर कथित अवैध कब्जा

55—श्री अशोक बाजपेई—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जू0 हाई स्कूल सकतपुर ब्लाक बावन के फार्म पर ग्राम प्रधान सकतपुर, जनपद हरदोई में वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री सिब्ते रजी—

जो नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

56--श्री भगवती सिंह विशारद--

[दिनांक 10-2-86 को अता0 प्रश्न संख्या 62 द्वारा उत्तरित]

डा0 प्रभा जौहरी, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र

57--श्री विष्णु देव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 प्रभा जौहरी, मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका द्वादस मंडल, मुरादाबाद के विरुद्ध सन् 83-84 व सन् 84-85 में अनियमितता, भ्रष्टाचार संबंधी आरोप पत्र प्राप्त हुये थे और आरोप पत्रों की जांच के पश्चात् उक्त निरीक्षका दोषी पायी गयी ? यदि हां, तो दोषी निरीक्षिका को पदमुक्त न करके केवल स्थानान्तरण कर दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे । जांच आख्या प्रतीक्षित है। इनका स्थानान्तरण वार्षिक प्रबन्ध में किया गया था, किन्तु बाद में निरस्त कर दिया गया ।

नागपुर विश्वविद्यालय की डी0 पी0 एड0 की शैक्षिक योग्यता को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी मान्यता

58--विष्णु देव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नागपुर विश्वविद्यालय की डी0 पी0 एड0 की शैक्षिक योग्यता, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न होने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी--

नागपुर विश्वविद्यालय की बी0पी0एड0 की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत सेवायोजन हेतु मान्यता प्राप्त है । उक्त शैक्षिक योग्यता लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बी0पी0एड उपाधि के समतुल्य मान्यता प्राप्त है ।

बेसिक शिक्षा परिषद के उप निरीक्षिका का वेतनमान

59--श्री विष्णु देव--

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के नियन्त्रणाधीन विद्यालय उप निरीक्षिका कार्यालय के प्रथम श्रेणी के लिपिकों के वेतन विसंगति 354-550 के स्थान पर 430-685 शासन द्वारा दिसम्बर, 1984 से दूर करके लागू किया गया है जबकि वेतन आयोग की संस्तुति जुलाई, 1979 से लागू की गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसकी जुलाई, 1979 से लागू करन का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक आदेश निर्गत हो जायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

यह वित्त विभाग द्वारा लिये गये नीति विषयक निर्णय के आधार पर किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद, जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदोइया के प्रबन्धक श्री उदयराज सिंह के पुत्र श्री अयोध्या सिंह एवं भतीजे श्री भारत प्रताप सिंह की नियुक्ति

60--श्री मित्रसेन--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदोईया विकास क्षेत्र हरिग्टन गंज जनपद फैजाबाद के प्रबन्धक श्री उदयराज सिंह हैं तथा उसी विद्यालय में श्री अयोध्या सिंह पुत्र उदयराज सिंह, भारत प्रताप सिंह पुत्र श्री बलभद्र सिंह, मथुरा बक्श सिंह पुत्र श्री गिरजा बक्श सिंह, वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री विन्ध्या सिंह तथा हरिबक्श सिंह पुत्र श्री गनेश सिंह उक्त प्रबन्धक के क्रमशः पुत्र, भतीजे एवं सगे सम्बन्धी हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय प्रबन्धक श्री उदयराज सिंह का निजी है या सरकार द्वारा सहायता प्रदत्त है ? एक ही परिवार से प्रबन्धक एवं पुत्र, भतीजे तथा सगे सम्बन्धी का अध्यापक रहने का क्या औचित्य है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

श्री अयोध्या सिंह प्रबन्धक के पुत्र एवं श्री भारत प्रताप सिंह भतीजे हैं। अन्य प्रबन्धक के सम्बन्धी नहीं हैं।

विद्यालय सरकार द्वारा सहायता प्रदत्त है।

विद्यालय में अध्यापक पद पर प्रबन्धक का कोई भी सम्बन्धी कार्यरत नहीं हैं।

गोरखपुर, ग्राम ज0 अयोध्या प्रसाद की प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण

61--सैय्यद जावेद अली सब्जपोश---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विकास खण्ड चरगावां के ग्राम ज0 अयोध्या प्रसाद के प्राइमरी पाठशाला का निर्माण 4-5 सालों से किया जा रहा है और अब तक केवल बुनियाद और थोड़ी सी दीवार बन सकी है। यदि हां, तो अभी तक निर्माण का कार्य पूरा न हो सकने का कारण क्या है? सरकार कब तक निर्माण कार्य पूरा करायेगी?

श्री सिब्ते रजी--

भवन के निर्माण हेतु आवश्यक धन की स्वीकृत प्रदान कर दी गई है। किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग अतिरिक्त धन की मांग कर रहे हैं जिसका प्रत्यक्षत: औचित्य प्रतीत नही होता। मामला सार्वजनिक निर्माण विभाग के संज्ञान से लाया जा रहा है।

प्रदेश में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों द्वारा पशुओं की खरीद

62--श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत अवेशियों की खरीदारी विकास खण्ड अधिकारी द्वारा न करा कर कृषकों द्वारा की जायेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

शासन द्वारा आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत पशुओं की खरीद के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। लाभार्थी पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हैं कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी अनुमोदित पशुपालन या रजिस्टर्ड पशु मेले से पशु की खरीद कर सकते हैं। पशु खरीद कराने का उत्तरदायित्व अब खण्ड विकास अधिकारी पर नहीं है।

63--श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश--

[4थे सोमवार के लिए स्थगित।]

झांसी, गरौठा, अखण्डानन्द जनता इण्टर कालेज की प्रबन्ध समिति सम्बन्धी विवाद

64--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के छठे सोमवार के तारा0 प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि विद्यालय की प्रबंध समितियों के विवाद के प्रकरण में उप शिक्षा निदेशक झांसी द्वारा क्या निर्णय दिया गया? क्या इस निर्णय को पूर्ण रूप में सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे और यह भी बतायेंगे कि इस निर्णय पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री सिब्ते रजी--

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक झांसी ने दिनांक 29-8-85 को यह निर्णय दिया कि किसी भी प्रबन्ध समिति का विधि सम्मत गठन नहीं है।

निर्णय की प्रति संलग्न है। मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक झांसी के निर्णय के विरुद्ध विद्यालय प्रबन्धक श्री सूरज राम रईस ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका योजित करके उक्त निर्णय के क्रियान्वयन पर दिनांक 10-9-85 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, जिससे इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ के अन्तर्गत कार्यवाही स्थगित है।

†छापी नहीं गई।

९5--श्री सूर्य प्रताप शाही--

(4थे शुक्रवार में अता0 प्रश्न सं0 103 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

देवरिया उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कार्यशाला के क्लीनरों के नियमितीकरण की मांग

66--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि देवरिया डिपो उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 कार्यशाला में वर्ष 79-80 से अब तक कितने कर्मचारी अवकाश रिक्त में कार्य कर रहे हैं ? क्या शासन उन्हें नियमित करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह--

देवरिया डिपो, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम कार्यशाला में वर्ष 1979-80 से 5 कर्मचारी अवकाश रिक्त में क्लीनर पद पर कार्यरत हैं ।

क्लीनर सम्वर्ग में कोई नियमित रिक्त पद उपलब्ध नहीं है, अत: इनको नियमित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर बेसिक शिक्षक संघ को मान्यता दिये जाने की मांग

67--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेशीय नगर बेसिक शिक्षक संघ, जो 1954 से विभिन्न नगरों के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, को अभी तक मान्यता नहीं मिली है ? यदि हां तो कब तक मान्यता दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

निश्चित तिथि बताना अभी सम्भव नहीं है ?

जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों का वेतनमान

68--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि बेसिक शिक्षा परिषद् के सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों के वेतनमान में अनेक विसंगतियां हैं ? यदि हां, तो उनके निराकरण हेतु सरकार कोई कदम शीघ्र उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के वेतनमान में कोई विसंगति दृष्टिगत नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

69--डा0 दिनेश जौहरी--

[4थे मंगलवार में अता0 प्रश्न सं0 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बरेली, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की संगोष्ठी के लिये अंग्रेजी में छापा गया निमंत्रण-पत्र ।

70--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली में दिनांक 14 अक्तूबर को शिक्षा पर एक गोष्ठी आयोजित की थी जिसके निमंत्रण पत्र अंग्रेजी में छापे गये थे ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगें कि जब सारे प्रदेश में हिन्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है तो वहीं रुहेलखण्ड, विश्वविद्यालय द्वारा निमंत्रण अंग्रेजी में छपवाने के क्या कारण थे ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

विश्वविद्यालय का निमंत्रण पत्र प्रदेश से बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों एवं अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी भेजना था, अत: अंग्रेजी में छपवाया गया । संगोष्ठी में कुछ विदेशी शिक्षाविदों ने भी भाग लिया था ।

बरेली, श्रीमती जय देवी संस्कृत महाविद्यालय एवं श्री बृजमोहन लाल आयु0 संस्कृत महाविद्यालय का अनुदान ।

71--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में संस्कृत की कितनी पाठशालाएं एवं विद्यालय हैं तथा सरकार की ओर से उन्हें कितना वित्तीय अनुदान मिलता है ? क्या संस्कृत के विकास के लिए मंत्री जी वित्तीय अनुदान में बढ़ोत्तरी कराने की कृपा करेंगे, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

बरेली नगर में संस्कृत की दो पाठशालाएं (1) श्रीमती जय देवी संस्कृत महाविद्यालय, राम गंगा ब्रिज, बरेली तथा (2) श्री बृज मोहन लाल आयु0 संस्कृत महाविद्यालय, बिहारीपुर, बरेली हैं, जिन्हें वर्ष 1984-85 में क्रमश: रु0 22,644/एवं रु0 14,832 का स्वीकृत अनुदान प्राप्त हुआ ।

अनुदान में बढ़ोत्तरी इस बात पर निर्भर करेगी कि दिया गया अनुदान अपर्याप्त हो ।

सतीश चन्द्र माध्यमिक विद्यालय, कादरगंज, बरेली का संस्कृत विषय की मान्यता हेतु आवेदन पत्र ।

72--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सतीश चन्द्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कादरगंज, जनपद बरेली द्वारा 26-8-82 को संस्कृत विषय की मान्यता हेतू आवेदन किया गया था और अगस्त, 85 के अन्त में उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, बरेली ने आवश्यक कार्यवाही हेतु आवेदन शिक्षा-7 सचिवालय में भेज दिया था ? यदि हां, तो अभी तक मान्यता न मिलने का क्या कारण हैं ? क्या मान्यता शीघ्र दिला दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

हां । वित्तीय संसाधनों के अभाव में सहायता प्राप्त उच्चर माध्यमिक विद्यालयों को किसी वर्ग/विषय की मान्यता प्रदान करना संभव नहीं है । वैसे प्रश्नगत विद्यालय संस्कृत विषय की मान्यता हेतु निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं करता है । अत: प्रश्नगत विद्यालय को उक्त मान्यता प्रदान करना संम्भव नहीं है ।

बरेली में उर्दू की पाठशालाओं को दिया गया अनुदान ।

73--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में उर्दू की कितनी पाठशालायें हैं जिन्हें सरकार से अनुदान मिलता है ? क्या उर्दू के विकास के लिए सरकार इस अनुदान में बढ़ौत्तरी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जनपद बरेली में 9 मकतब एवं 3 उर्द मदरसे हैं जिन्हें सरकार से अनुदान मिलता है । इनके अनुदान में बढ़ोत्तरी का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

बरेली, सुभाष इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य के पद पर श्री देव शरण लाल अस्थाना की नियुक्ति ।

74--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद बरेली के सुभाष इन्टर कालेज, आंवला में किन परिस्थितियों में प्रधानाचार्य का पद खाली होने पर भी वरिष्ठता में प्रथम श्री देवी शरण लाल अस्थाना के लिखित रूप में मना कर देने पर वरिष्ठता में द्वितीय अध्यापक श्री सोने शंकर बाजपेयी को प्रधानाचार्य का कार्यभार न देकर बहुत ही कनिष्ठतम अध्यापक श्री वी0 के0 शर्मा को दे दिया गया ? क्या मंत्री जी श्री सोने शंकर बाजपेयी को प्रधानाचार्य का कार्यभार दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सुभाष इण्टर कालेज, आंवला (बरेली) के वरिष्ठतम प्रवक्ता श्री देवशरण लाल अस्थाना द्वारा कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद से त्याग पत्र दिए जाने के कारण द्वितीय वरिष्ठ अध्यापक सीसोने शंकर बाजपेई को प्रधानाचार्य (कार्यवाहक) नियुक्त किया गया परन्तु उन्होंने भी पद ग्रहण करने के पश्चात् 3 जुलाई, 1984 को त्याग पत्र दे दिया । साधिकार नियन्त्रक ने तृतीय वरिष्ठ अध्यापक श्री जगदीश शरण अग्रवाल को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया । उन्होंने

भी 19 मार्च, 1985 की कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद से त्याग पत्र दे दिया। इस पर साधिकार नियन्त्रक ने व्यवस्था एवं प्रशासनिक कारणों मे एवं विद्यालय के हित में ज्येष्ठता का अतिक्रमण करके कनिष्ठ प्रवक्ता श्री बी0 के0 शर्मा को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया। इस पर श्री बाजपेई द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ने साधिकार नियन्त्रक को ज्येष्ठता के आधार पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्यभार सौंपने के आदेश दिये। साधिकार नियन्त्रक ने पुनः विद्यालय की ज्येष्ठता सूची मंगाकर ज्येष्ठतम अध्यापक श्री देव शरण लाल अस्थाना को कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त किया, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। अतः ऐसी स्थिति में श्रीसोने शंकर बाजपेयी को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्यभार दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

झांसी, परिवहन निगम को दी गई धनराशि

75--श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जनपद के परिवहन विभाग को वित्तीय वर्ष 1982-83, 83-84, 84-85 व 85-86 में कितना धन किस-किस मद में दिया गया ?

राजकुमार संजय सिंह--

संभागीय परिवहन कार्यालय, झांसी की वर्ष 1982-83 से 1985-86 तक आयोजनागत/आयोजनेत्तर मद में दिये गये निधि प्रदेशन का वर्ष वार विवरण निम्नवत् है :--

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1982-83	5.649	10.573	16.222
1983-84	2.860	12.539	15.399
1984-85	5.575	12.560	18.135
1985-86	1.266	10.600	11.866
	15.350	46.272	61.622

झांसी, ग्राम्य विकास विभाग को दी गयी धनराशि।

76--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जनपद के ग्राम्य विकास विभाग को वित्तीय वर्ष 1982-83, 83-84, 84-85 व 85-86 में कितना धन किस-किस मद में दिया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

झांसी जनपद के ग्राम्य विकास विभाग को वित्तीय वर्ष 1982-83, 83-84, 84-85 व 85-86 में मदवार आवंटित धनराशि का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 155 पर।)

77--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

सुल्तानपुर, विकास खण्ड चांदा, भदैया, लम्बुआ के कर्मचारियों के आवासों के निर्माण की मांग

78--श्री शिव नारायण मिश्रा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चांदा-सुल्तानपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भदैया, लम्बुआ, चांदा के कर्मचारियों के रहने के लिये भवनों का निर्माण हो गया है ? यदि नहीं हुआ, तो क्या शासन के अन्तर्गत भवन बनवाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण सम्भव होगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं।

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत विकास खण्ड कर्मचारियों के रहने हेतु भवनों का निर्माण जिला योजनान्तर्गत कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 1985-86 में जनपद-सुल्तानपुर ने इस योजना के लिए 5 लाख रु0 का परिव्यय उपलब्ध कराया था। तद्नुसार 5 लाख रु0 स्वीकृत किये गये जिसमें विकास खण्ड चांदा व भदैया में एक-एक टाइप-2 क्वार्टर का निर्माण कराया जा रहा है। चांदा, भदैया व लम्बुआ के

सभी कर्मचारियों के रहने हेतु भवनों के निर्माण की कोई निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र, चांदा, सुल्तानपुर के विद्यालयों के बच्चों के लिये बालाहार योजना

79--श्री शिव नारायण मिश्र---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा चांदा–सुल्तानपुर के अन्तर्गत किन-किन विद्यालयों में बाल्याहार योजना है तथा कितनी मात्रा में बच्चों को बाल्याहार प्रत्येक दिन दिया जाता है ? क्या सच है कि बाल्याहार बच्चों को न देकर बाजार में बेच दिया जाता है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी--

विधान सभा क्षेत्र चांदा–सुल्तानपुर के अन्तर्गत इस वर्ष बालाहार योजना नहीं चल रही है । अतः बालाहार बच्चों को न देकर बाजार में बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

80--श्री भीखा राम--

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

प्रदेश में किसानों को नलकूप निर्माण हेतु दिया जाने वाला अनुदान

81--श्री भीखा राम –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छोटे-छोटे किसानों को नलकूप की बोरिंग के लिए जो तीन हजार रु0 तक का अनुदान दिया जा रहा है क्या उसके बोरिंग के सामान की खरीदारी जिला विकास अधिकारी को करनी है या किसान को स्वयं करनी है ? क्या यह सही है कि जिला विकास अधिकारी द्वारा खरीदारी घटिया किस्म के सामान लेकर किसानों को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराने की कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

बोरिंग के सामान की खरीदारी न किसान को करनी है और न जिला विकास अधिकारी को ।

जी नहीं ।

जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं है ।

फैजाबाद, माधुरी बालिका विद्यालय, कटेहरी की अध्यापिकाओं की नियुक्ति एवं त्याग पत्र सम्बन्धी अभिलेख

82--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में माधुरी बालिका विद्यालय कटेहरी की अध्यापिकाओं के पद सृजन, नियुक्ति, त्याग-पत्र, मृत्यु, वेतन बिल स्वीकृति सम्बन्धी वर्ष 1979 लगायत 1984 के बीच की अवधि के सभी अभिलेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद के कार्यालय से गायब हैं ? यदि हां, तो उक्त अभिलेखों के रख-रखाव का उत्तरदायित्व किस पर था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिब्ते रजी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद, मदारभारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय क्षतिपूर्ति अनुदान

83—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद मदारभारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय मदारभारी को वर्ष 1981 से आज तक क्षतिपूर्ति की धनराशि किन परिस्थितियों में नहीं मिली है और वह कब तक दिला दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

वर्ष 1981–82 के क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु विद्यालय से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका । वर्ष 1982–83 एवं 1983–84 का क्षति-पूर्ति अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है ।

वर्ष 1981–82 एवं अवशेष वर्षों के क्षतिपूर्ति अनुदान के भुगतात हेतु मांग पत्र एवं अभिलेख विद्यालय से मांगे गए हैं, प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

फैजाबाद, जूनियर हाई स्कूल आठवीं कक्षा की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन

84--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1985 में जनपद फैजाबाद में जूनियर हाई स्कूल की आठवीं कक्षा की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु स्थापित फार्म्स इण्टर कालेज फैजाबाद के केन्द्र पर एक स्कूल के प्रबन्धक ने अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक के स्थान पर मूल्यांकन का कार्य किन परिस्थियों में और किस अधिकारी की साजिश से किया गया था ? यदि हां, तो दोषी लोगों को दंडित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने तथा परीक्षाफल की विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां । प्रबन्धक ने मूल्यांकन कार्य करने का प्रयास किया था, किन्तु किसी अधिकारी की साजिश नहीं थी ।

इस प्रकरण में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध स्थानीय पुलिस को सूचना दी गयी तथा पुलिस उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने आदि के लिए पुलिस की सहायता लेने एवं कानूनी कार्यवाही की व्यवस्था बनी हुई है ।

जालौन, उरई महात्मा गांधी विद्यालय में प्रशासक की नियुक्ति

85--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी विद्यालय उरई में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय के उपकुलपति व जनपद के शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी आदि ने उत्तर प्रदेश शासन को संस्तुति की थी ? क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय में अध्यापकों का वेतन भी किसी सक्षम प्रबन्धाधिकरण या वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

कुलपति बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से इस महाविद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की संस्तुति प्राप्त हुई थी । जिला अधिकारी जालौन ने भी इस प्रकरण पर शीघ्र निर्णय लेने की संस्तुति की थी किन्तु इस बीच बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय ने स्वयं ही जिला अधिकारी जालौन को प्रशासक नियुक्त कर दिया था । अतः शासन द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति आवश्यक नहीं रही ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव विकास खंड, असोहा के अन्तर्गत भैंसों की खरीद हेतु ऋण दिये जाने की मांग

86--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत उन्नाव जिले के असोहा विकास खण्ड में भैंसों की खरीद हेतु ऋण नहीं दिया जा रहा है ? ऐसा आदेश किन नियमों के अधीन किया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उन्नाव विकास खंड, असोहा के अन्तर्गत नलकूपों की नि.शुल्क बोरिंग

87--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उन्नाव जिले के असोहा विकास खंड में लघु सीमान्त कृषकों के लिए वर्ष 84-85 में कितनी निःशुल्क बोरिंग स्वीकृत हुई थी और उनमें से अब तक कितनी पूरी हो चुकी हैं ? काम पूरा न करने के लिए दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

विकास खन्ड असोहा में वर्ष 1984-85 में नि.शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत कुल 8 बोरिंग स्वीकृत हुई थीं । अब तक उपर्युक्त समस्त बोरिंग पूर्ण हो चुकी हैं । अतः किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

88--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]।

फर्रुखाबाद, म्युनिसिपिल इन्टर कालेज के अध्यापकों का चयन वेतनमान और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का अंशदान

89--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका फर्रुखाबाद द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय म्युनिसिपिल इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद में कार्यरत जे0 टी0 सी0 अध्यापकों को प्रदेश के अन्य मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जे0 टी0 सी0 अध्यापकों के प्राप्त चयन वेतनमान न दिये जाने का कारण क्या है? क्या इस विषमता को दूर करने की कार्यवाही करेंगे?

श्री सिब्ते रजी--

प्रश्नगत विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों को प्रदेश के अन्य मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जे0 टी0 सी0 अध्यापकों की भांति चयन वेतनमान दिये जाने का प्राविधान है राजाज्ञा सं0 5689/15-8-83-3062/82, दिनांक 22-12-82 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के उन्हीं अध्यापकों को चयन वेतनमान देय है जो जे0टी0सी0, बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित हैं और साथ में उनकी शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट है। उक्त राजाज्ञा के आधार पर प्रश्नगत विद्यालय में ऐसे दो अध्यापक हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल है अतः उन्हें चयन वेतनमान नहीं दिया गया है।

90--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि म्युनिसिपिल इन्टर कालेज, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रदेश के अन्य राजकीय एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के इसी स्तर के कर्मचारियों की भांति भविष्य निधि के प्रबन्धकीय अंशदान प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं।

माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन से सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के निमित्त धन की कटौती का प्राविधान राजाज्ञा सं0 7716/15-8-3003(1)/1977 दि0 3-11-78 के अन्तर्गत है, जिसमें प्रबन्धकीय अंशदान दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

फर्रुखाबाद, पंचायतीराज विभाग, अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, श्री रघुराज सिंह की गृह जनपद में नियुक्ति

91--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री बतायेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रघुराज सिंह इसी जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम कुबेरपुर कुतुलूपुर, विकास खंड राजेपुर के स्थायी निवासी हैं? यदि हां, तो वे अपने गृह जनपद मे कब से अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी हैं? क्या मंत्री जी उनके द्वारा उक्त परिषद् में किये गये कराधान लाइसेन्स वितरण ठेकों की नीलामी आदि में किये गये पक्षपात व भेदभाव की जांच कराकर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां।

श्री रघुराज सिंह अपने गृह जनपदमें जनवरी, 1985 से कार्यरत हैं। श्री सिंह के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कानपुर के लिपिक स्व0 श्री विन्देश बिहारी द्विवेदी का स्थानान्तरण एवं उनकी प्रोन्नति तथा स्थायीकरण

92--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिन्देश्वरी बिहारी द्विवेदी कनिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर का स्थानान्तरण स्थगित करने का आदेश राज्य मंत्री शिक्षा द्वारा दि0 4-7 85 को उप शिक्षा निदेशक इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक (अगस्त, 85 तक), क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी--

श्री बिन्देश्वरी बिहारी द्विवेदी नहीं, अपितु श्री बिन्देश बिहारी द्विवेदी नाम के लिपिक के स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने के विषय में प्रसंगगत सन्दर्भ दिनांक 13-7-85 को मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक इलाहाबाद को प्राप्त हुआ।

माननीय राज्य शिक्षा मंत्री जी को मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के पत्र दि0 27-7-1985 द्वारा वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया था। 14 अगस्त, 1985 को श्री द्विवेदी की मृत्यु हो जाने के कारण इस सन्दर्भ में अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह गई है।

93--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बिन्देश बिहारी कनिष्ठ लिपिक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर की प्रोन्नति- चयन वेतनमान स्थाईकरण का प्रकरण क्यों लम्बित है जबकि श्री द्विवेदी से कनिष्ठ लिपिकों को स्थायीकरण, चयन वेतनमान तथा प्रोन्नति दी जा चुकी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी--

श्री बिन्देश बिहारी द्विवेदी की प्रोन्नति चयन वेतनमान एवं स्थाईकरण से सम्बन्धित कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

फर्रुखाबाद, कतिपय ग्राम सभाओं के पंचायत भवन का निर्माण

94--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84-85 में जनपद फर्रुखाबाद की किन-किन ग्राम सभाओं के पंचायत भवन निर्माण कराने के लिए धनराशि आबंटित की गयी है? उक्त धनराशि द्वारा कितने पंचायत घरों का निर्माण हुआ और कितनी ग्राम सभाओं द्वारा इस धनराशि के दुरुपयोग करने की शिकायतें गत वर्ष जिला अधिकारी महोदय को मिली और उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद फर्रुखाबाद की बैसाखारी समा-उद्दीनपुर, हुसैनपुर नौखण्डा, भोजपुर, शेखपुर-रूस्तमपुर, भरका, जैतपुर, लखरौआ, बिहारीपुर, तितवनपुर-पिंसू, उमरन, बन्धानगरिया और महरूपपुर सहज कुल तेरह ग्राम सभाओं को धनराशि आबंटित की गई।

कुल आठ पंचायत घरों का निर्माण-कार्य पूर्ण हो चुका है और तीन का कार्य प्रगति पर है, शेष दो ग्राम सभाओं का कार्य प्रारम्भ करने हेतु पत्र लिखे जा चुके हैं।

किसी भी ग्राम सभा द्वारा धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सुल्तानपुर, चांदा मार्ग, सुल्तानपुर--कोथरा तातो-मुरैनी मार्गों पर बसों का संचालन

95--श्री शिव नारायण मिश्र--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चांदा-सुल्तानपुर के अन्तर्गत सुल्तानपुर से चांदा तक कितनी राजकीय बसें चलाई जा रही हैं? क्या जनता की सुविधा को देखते हुए निकठ भविष्य में सुल्तानपुर से कोथरा, तातो मुरैनी, सुल्तानपुर से लम्भुआ तक तथा शम्भूगंज से कन्हईपुर व ज्ञानीपुर बस चलाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक चलेगी? यदि नहीं, तो कारण क्या है?

राजकुमार संजय सिंह--

सुल्तानपुर से चांदा तक 14 सेवायें प्रति दिन चलाई जा रही है। सुल्तानपुर से कोथरा तातो मुरैनी तक विगत छः मास से सेवा संचालित हो रही है। उपरोक्त सेवायें लम्भुआ होते हुए ही चलती हैं। लम्भुआ से शंभूगंज-कन्हईपुरा-ज्ञानीपुर मार्ग अराष्ट्रीयकृत है। इस मार्ग पर निजी बाहनों का संचालन है। वर्तमान में इस मार्ग पर निगम बस चलाने की कोई योजना नहीं है।

रायबरेली के ग्राम हलोर का स्वर्गीया प्रधान मंत्री द्वारा पद यात्रा एवं उक्त ग्राम में हरिजन कालोनी, बाजार एवं गोबर गैस प्लान्ट का निर्माण

96---कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सन् 1976 में स्वर्गीया प्रधान मन्त्री ने ग्राम हलोर

(परगना सेमरौता, ब्लाक एवं तहसील महराजगंज) जिला रायबरेली की पदयात्रा की और सन् 1980 में उनके शासनारूढ़ होने के बाद उस गांव को आदश गांव घोषित करके विकास की अनेक योजनायें चालू की गई थीं जिनमें से हरिजन कालोनी उसी वर्ष गिर गयी ? हरिजन बाजार में घटिया ईट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया और स्वीकृत 30 गोबर गैस प्लान्ट की सीमेंट (40 बोरी प्रति प्लान्ट) ग्राम विकास अधिकारी ने एक मुश्त उठाकर बड़ा भाग काले बाजार में बेच दिया जिसके परिणामस्वरूप प्लान्ट या तो बने नहीं या अधबने पड़े हैं? यदि हां, तो सरकार ने इसके सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां, स्वर्गीया प्रधान मंत्री जी ने अप्रैल, 1976 में ग्राम हलोर की पदयात्रा की थी। हलोर ग्राम को वर्ष 1980 में नहीं बल्कि वर्ष 1972-73 में आदर्श ग्राम चयनित किया गया था। उक्त ग्राम में 8 आवास वर्ष 1972-73 में, 10 आवास 1980-81 में एवं 10 आवास 1981-82 में बनवाये गये थे, वर्ष 1981-82 में निर्मित आवासों में से दो के बरामदे की छत एवं दो के कमरे एवं बरामदे की छत एक वर्ष बाद भीषण वर्षा के कारण गिर गई। वर्ष 1982-83 में निर्मित हरिजन बाजार में अच्छे किस्म के ईंटों एवं प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। दुकानें अभी तक यथावत स्थित हैं। उक्त ग्राम में 34 गोबर गैस संयंत्र ग्राम्य विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा स्थापित कराये गये हैं और संयंत्रों के निर्माण हेतु सीमेन्ट एक मुश्त नहीं दी गई है बल्कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार दी गई है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर, तिहसहरी स्थित कन्या प्राइमरी पाठशाला के भवन का किराया

97--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के सरसोल क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कन्या प्राइमरी पाठशाला, तिहसहरी किराये के भवन में चलता है ? यदि हां, तो कब से और उसका मासिक किराया कितना निर्धारित है ? क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त निर्धारित किराया उक्त पाठशाला द्वारा अदा किया जा रहा है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां, प्रश्नगत विद्यालय अक्टूबर, 1980 से किराये के भवन में संचालित है। किराये के निर्धारण का प्रश्न विचाराधीन है।

फर्रुखाबाद, नगरमहापालिका क्षेत्र, बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में अध्यापिकाओं के रिक्त पद

98--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र फर्रुखाबाद के जनवरी, 85 से सहायक अध्यापिकाओं ? रिक्त पदों पर कोई नियुक्तियां की गई हैं क यदि हां, तो इन नियुक्तियों का स्वीकृत माना क्या था और क्या उसका अनपालन किय गया है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां।

स्वीकृत मानक 40:1 (छात्र अध्यापक) का अनुपात है। नियुक्तियां स्वीकृत मानक के अनुसार नहीं की गई हैं।

फर्रुखाबाद दयानन्द इन्टर कालेज के अध्यापक स्व0 श्री राजबहादुर सिंह के पुत्र श्री राम कुमार सिंह की नियुक्ति

99--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद स्थित दयानन्द इन्टर कालेज अमृतपुर में कार्यरत अध्यापक राजबहादुर सिंह की सेवा काल में ही मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री रामकुमार सिंह को उनके स्व0 पिता के स्थान पर नियुक्त किये जाने हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्धक दयानन्द इन्टर कालेज को आदेश दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो प्रबन्धक महोदय द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार श्री राम कुमार सिंह को उनके पिता के स्थान पर सेवा में लिये जाने हेतु काई कार्यवाही करेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

श्री राम कुमार सिंह की चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है और वे 9-8-85 को कार्यभार भी ग्रहण कर चुके हैं ।

100--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

101--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

कानपुर प्रधानाचार्यों एवं प्रबन्धकों की गोष्ठी में दिये गये सुझाव

102--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 4-9-12 सन् 1985 के माध्यमिक स्तर की शैक्षिक समस्याओं के समाधान खोजने हेतु कानपुर में जनपद के प्रधानाचार्यों एवं प्रबन्धकों की एक गोष्ठी आयोजित हुई थी? यदि हां, तो इस गोष्ठी में शैक्षिक वातावरण को उत्कृष्ट बनाने, प्रशासनिक कठिनाइयों के निराकरण, विद्यालयों के संचालन में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने एवं शिक्षा के स्तर का उन्नयन करने के लिए मुख्य-मुख्य कौन से सुझाव दिये हैं? क्या सरकार उन्हें लागू करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

दिनांक 4, 9 एवं 12 जुलाई, 1985 को कानपुर जनपद में आयोजित प्रधानाचार्यों/प्रबन्धकों की गोष्ठी में शैक्षिक वातावरण को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रशासनिक कठिनाइयों के निराकरण, विद्यालयों के संचालन में उत्पन्न गतिरोध दूर करने और शिक्षा के उन्नयन करने के लिए जो प्रमुख सुझाव दिये गये हैं, उनकी **सूची संलग्न है** ।

संलग्न सुझावों में से जिन सुझावों का वर्तमान नियमों के आलोक में, विद्यालय स्तर पर कार्यान्वयन सम्भव है उनके कार्यान्वयन हेतु विद्यालय स्तर पर गोष्ठियां की जा रही हैं । नीति विषयक और दीर्घकालीन सुझावों के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके गुण-अवगुण पर दृष्टिपात करके परीक्षण किया जायेगा ।

[देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ सं0 157 पर ।]

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतनमान

103--श्री अनुग्रह नारायन सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतनमान श्रम कानूनों से अलग समान कार्य के लिये समान वेतनमान के आधार पर निर्धारित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

सरकारी तथा गैर सरकारी सभी मान्यता एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षिकाओं के लिये सामान वेतनमान निर्धारित है । सम्भव है कि कुछ मान्यता प्राप्त परन्तु गैर सहायता प्राप्त विद्यालय सरकारी तथा परिषदीय विद्यालयों से अधिक वेतनमान दे रहे हों ।

गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर शासन का कोई नियंत्रण न होने के कारण उनमें उक्त वेतनमान लागू किया जाना सम्भव नहीं है ।

बांदा ब्लाक मानिक पुर में सड़क के निर्माण की जांच रिपोर्ट

104--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक मानिकपुर कम्पाउण्ड में सन् 1983 में निर्मित सड़क के निर्माण के घपले में तत्कालीन जिलाधिकारी बांदा ने दिनांक 19-10-83 को पत्रांक संख्या 2072 के तहत तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, पी0 डब्लू0 डी0 (अस्थाई खण्ड) बांदा को जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो इस जांच के परिणाम क्या थे और

जांच में पाये गये दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (अस्थाई खण्ड) बांदा द्वारा जांच रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने के कारण जिलाधिकारी बांदा द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व परियोजना अधिकारी कृषि बांदा को संयुक्त रूप से जांच अधिकारी नियुक्ति किया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन अवर अभियन्ता, श्री इन्द्रदेव सिंह दोषी पाये गये जिन्हें निलम्बित किया जा चुका है ।

बांदा ब्लाक महुआ एवं नरैनी के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाओं की स्थापना की मांग

105--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी एवं महुआ ब्लाक में कितने ऐसे गांव हैं जिसकी आबादी 250 से ऊपर है परन्तु अभी तक प्रा0पा0 नहीं खोले गये हैं ? क्या निकट भविष्य में इन समस्त गांवों में प्र0पा0 खोले जायेंगे ? यदि हां तो, कब तक ?

श्री सिब्ते रजी--

नरेनी के 19 तथा महुआ के 9 गांवों में प्राइमरी पाठशाला अभी तक नहीं खोली गयी हैं ।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

बांदा के कस्बा करतल में राजकीय हाई स्कूल की स्थापना की मांग

106--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी तहसील के कस्बा करतल के बीस कि0 मी0 की दूरी तक कोई राजकीय हाई स्कूल है ? यदि नहीं, तो इस क्षेत्र के बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए कोई राजकीय हाईस्कूल खोला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी--

नहीं ।

बालकों के राजकीय हाई स्कूल खोलने की योजना स्थगित हो जाने के कारण सम्प्रति विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा, अतर्रा में राजकीय कन्या विद्यालय के लिये भवन निर्माण की मांग

107--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की नगरपालिका अतर्रा में राजकीय कन्या विद्यालय शासन द्वारा खोला गया है ? यदि हां, त , क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के लिए कोई सरकारी भवन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार भवन की अविलम्ब व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

हां ।

हां ।

भूमि एवं धन उपलब्ध न होने के कारण सम्प्रति भवन का निर्माण सम्भव नहीं है ?

बांदा, विधान सभा क्षेत्र, नरैनी में भवन विहीन प्राइमरी पाठशालायें और अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

108--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद बांदा के नरैनी विधान सभा क्षेत्र में कितने ऐसे प्रा0 पा0 हैं जो भवन विहीन हैं और इनके भवनों का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

37 ।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

109—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में नरैनी विधान सभा के प्रा0 पा0 के छात्रों की संख्या क्या है ? क्या छात्रों की संख्या के औसत से अध्यापकों की नियुक्ति पूरी है? यदि नहीं, तो क्या छात्रों की संख्या को ध्यान में रखकर अध्यापकों की नियुक्ति पूरी की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिन्ते रजी—

22,500 ।

जी नहीं ।

नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, लखावटी, बुलन्द-शहर के ग्राम सेवक, श्री भूपाल सिंह चौहान के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

110—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-3-85 को प्रधानाचार्य/जांच अधिकारी प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र लखावटी जनपद बुलन्दशहर ने एक जांच रिपोर्ट भोपाल सिंह ग्राम सेवक (प्रदर्शक) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र लखावटी के निलम्बन के सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारी बुलन्दशहर को दी थी जिसमें उन्होंने ग्राम ग्राम सेवक को पुनः पदासीन होने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो दिनांक 12-1-77 को जिला विकास अधिकारी बुलन्दशहर ने उक्त ग्राम सेवक को किन कारणों से पदच्यूत कर दिया ? क्या सरकार उक्त ग्राम सेवक को पुनः सेवा से लेने की कृपा करेंगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जांच अधिकारी की आज्ञा के परीक्षण पर श्री भूपाल सिंह चौहान के विरुद्ध लगाये गये 5 आरोपों में से आरोप संख्या 5 उन पर सिद्ध नहीं हुआ तथा आरोप संख्या 1,2 तथा 4 में 483 रुपये की धनराशि के अस्थाई अपहरण तथा आरोप संख्या 3 में रुपये 465-85 पैसे की धनराशि के अस्थाई अपहरण के वे दोषी पाये गये जिसके फल-स्वरूप ही नियुक्ति अधिकारी द्वारा उन्हें दिनांक 20-1-11970 के आदेशों द्वारा पदच्युत किया गया । अतः उन्हें पुनः सेवा में लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

नेशनल इण्टर कालेज, पिण्डरा, वाराणसी के प्रवक्ता, श्री राम आधार शास्त्री की जन्मतिथि सम्बन्धी विवाद

111—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा जिला वाराणसी में राम आधार शास्त्री प्रवक्ता (संस्कृत) की जन्म तिथि सर्विस बुक में काट कर एक वर्ष कम करके एक वर्ष उनका कार्यकाल प्रबन्ध समिति ने बढ़ाने की सिफारिफ किया और निदेशक शिक्षा, उ0प्र0 (इलाहाबाद) ने पूरी छानबीन किये बिना एक वर्ष बढ़ा कर सन् 82 तक बीसों हजार का भुगतान सरकारी कोष से करवा दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री राम आधार शास्त्री जहां प्राइमरी स्कूल के पढ़े हैं उसकी वहां जांच की गयी कि नहीं ? तत्कालीन प्रधानाचार्य एवं तत्कालीन प्रबन्ध समिति की सर्विस बुक को कैसे काटा गया और क्या यह सही है कि शास्त्रीय परीक्षा की सर्टीफिकेट जो दाखिल की गयी थी उसमें जन्म तिथि तारीख व माह नहीं लिखा है फिर भी जन्म तिथि लिखी गयी थी वह भी कम ही थी? क्या इसकी भी जांच की जायेगी ?

श्री सिन्ते रजी—

जी नहीं । सेवा पुस्तिका में अंकित जन्मतिथि 1 जनवरी, 1921 के स्थान पर 15 नवम्बर, 1921 करके प्रबन्ध समिति ने ही श्री राम आधार शास्त्री, प्रवक्ता (संस्कृत) को 30 जून, 1982 तक कार्य-रत रखा और वेतन का भुगतान किया ।

जी नहीं । प्रथमापरीक्षा के प्रमाण-पत्र के आधार पर सर्विस बुक में काटपीट की गयी ।

जी हां, यह सही है कि वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रथमा परीक्षा के आधार पर जो जन्मतिथि का प्रमाण-पत्र अंकित किया गया है वह स्पष्ट नहीं है वरन उसमें उल्लेख है कि वर्ष 1934 की प्रथमा परीक्षा हेतु भरे गये आवेदन पत्र में दिनांक 15–10–83 को आयु 11 वर्ष 11 माह अंकित है और इसी आधार पर विद्यालय प्रबन्धक द्वारा श्री शास्त्री की जन्मतिथि 15–11–21 मान ली गयी । श्री शास्त्री ने अपने आयु के प्रमाण में शपथ पत्र भी दिया था, जिसके आधार पर उन्हें 3 जून, 1982 तक कार्यरत रखा गया ।

चिरंजी देवी बालिका इण्टर कालेज की कानपुर की प्रवक्ता श्रीमती प्रतिभा अग्निहोत्री का वेतनमान

112––श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती प्रतिभा रस्तोगी, प्रवक्ता चिरंजी देवी बालिका इण्टर कालेज, (कानपुर) की एक अपील में जिला जज कानपुर द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका कानपुर ने अपने पत्र संख्या 11585 – 87, दिनांक 19–3–83 द्वारा प्रवक्ता पद पर पदोन्नति एवं तभी से एल0 टी0 ग्रेड व प्रवक्ता पद के वेतन के अन्तर के एरियर के भुगतान का आदेश अपने अधीनस्थ, अधिकारियों को किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अब तक अनुपादन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी––

जी हां, किन्तु सम्बन्धित अध्यापिका का नाम श्रीमती प्रतिभा अग्निहोत्री है न कि प्रतिभा रस्तोगी ।

सम्प्रति प्रकरण कानपुर न्यायालय में विचारधीन है और न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती अग्निहोत्री वर्तमान समय में प्रवक्ता वेतनक्रम का भुगतान प्राप्त कर रही हैं ।

प्रदेश में इण्टरमीडिएट कालेज की मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन

113––कुंवर मानवेन्द्र सिंह––

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 83–84 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इण्टरमीडिएट की मान्यता हेतु कितने प्रकरण शासन को भेजे गये ? उनमें से कितनों को मान्यता दे दी गयी तथा कितने अभी शासन के विचाराधीन है ? जो विचाराधीन है उन्हें कब तक मान्यता दे दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी––

वर्ष 1983–84 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इण्टरमीडिएट की मान्यता हेतु 194 प्रकरण शासन को भेजे गये । 10 विद्यालयों को शासन द्वारा मान्यता स्वीकृत की गयी । 174 प्रकरण अभी शासन के विचाराधीन हैं । बजट व्यवस्था के उपलब्ध होने पर इन प्रकरणों पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा ।

प्रदेश में हाई स्कूल की मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन

114––कुंवर मानवेन्द्र सिंह––

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे की वर्ष 81–82 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल की मान्यता हेतु कितने प्रकरण शासन को भेजे गये, उनमें से कितनों को मान्यता दी गयी तथा कितने अभी शासन के विचाराधीन हैं ? उन्हें कब तक मान्यता दे दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी––

वर्ष 1981–82 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल की मान्यता हेतु 27 प्रकरण शासन को भेजे गये । उनमें से 17 विद्यालयों को शासन द्वारा मान्यता स्वीकृत की गयी तथा शेष 10 प्रकरण अस्वीकृत कर दिये गये । शासन स्तर पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ?

115––कुंवर मानवेन्द्र सिंह––

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 84–85 में माध्यमिक शिक्षा परिषद्

द्वारा हाई स्कूल की मान्यता हेतु कितने प्रकरण शासन को भेजे गये ? उनमें से कितनों को मान्यता दी गयी तथा कितने अभी शासन के विचाराधीन है जो विचाराधीन हैं उन्हें कब तक मान्यता दे दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रज़ी--

वर्ष 1984-85 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल की मान्यता हेतु 259 प्रकरण शासन को भेजे गये। 60 विद्यालयों को शासन द्वारा मान्यता स्वीकृत की ग़यी। 149 प्रकरण शासन के विचाधीन हैं। बजट व्यवस्था के उपलब्ध होने पर इन प्रकरणों पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

116--कुंवर मानवेन्द्र सिह--

क्या क्षिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 83-84 में माध्यमिक शिक्षापरिषद् द्वारा हाई स्कूल को मान्यता हेतु कितने प्रकरण शासन को भेजे गये ? उसमें से कितनों को मान्यता दी गयी तथा कितने अभी शासन के विचारधीन हैं ? उन्हें कब तक मान्यता दे दी जायगी ?

श्री सिब्ते रज़ी--

वर्ष 1983-84 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल की मान्यता हेतु 229 प्रकरण शासन को भेजे गये। 71 विद्यालयों को शासन द्वारा मान्यता स्वीकृत की गयी। 126 प्रकरण शासन के विचाराधीन हैं। बजट व्यवस्था के उपलब्ध होने पर इन प्रकरणों पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रदेश में इण्टरमीडिएट कालेज की मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन

117--कुंवर मानवेन्द्र सिह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 84-85 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इण्टरमीडिएट की मान्यता हेतु कितने प्रकरण शासन को भेजे गये ? उनमें से कितनों को मान्यता दी गयी तथा कितने अभी शासन के विचाराधीन हैं ? जो विचाधीन हैं उन्हें कब तक मान्यता दे दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रज़ी--

वर्ष 1984-85 में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इण्टरमीडिएट की मान्यता हेतु 235 प्रकरण शासन को भेजे गये। 9 विद्यालयों को शासन द्वारा मान्यता स्वीकृत की गयी। 211 प्रकरण शासन के विचाराधीन हैं। बजट व्यवस्था के उपलब्ध हो जाने पर इन प्रकरणों पर विचार किया जा सकेगा।

झांसी जिले के हाई स्कूलों एवं इन्टरमीडिएट विद्यालयों को प्रदान की गई मान्यता

118--कुंवर मानवेन्द्र सिह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80-81, 81-82, 82-83, 83-84 तथा 84-85 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा झांसी जनपद के किन-किन हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट विद्यालयों की मान्यता हेतु प्रस्ताव शासन को भेजे गये हैं ? उनमे से किन-किन विद्यालयों को मान्यता दी जा चुकी है तथा किन-किन विद्यालयों को मान्यता दिया जाना शासन के विचाराधीन है ? झांसी पिछड़ा जिला होने के नाते क्या शासन इन्हें शीघ्र मान्यता दिये जाने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रज़ी--

सूचना संलग्न है।† विचाराधीन प्रकरणों पर वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर ही विचार किया जाना सम्भव होगा।

प्रदेश में इन्टरमीडिएट विद्यालय को प्रदान की गई मान्यता

119--कुंवर मानवेन्द्र सिह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 81-82 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इन्टरमीडियेट की मान्यता हेतु कितने प्रकरण शासन को भेजे गये ? उनमें से कितनों को मान्यता दी गयी तथा कितने अभी शासन के विचाराधीन है ? जो विचाराधीन हैं उन्हें कब तक मान्यता दे दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी--

वर्ष 1981-82 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इन्टरमीडिएट की मान्यता हेतु 23

†छापी नहीं गई।

प्रकरण शासन को भेजे गये । 11 विद्यालयों को मान्यता स्वीकृत की गई तथा शेष 12 विद्यालयों के मान्यता के प्रकरण अस्वीकृत कर दिये गये। शासन स्तर पर कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

120—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 82–83 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इन्टरमीडिएट की मान्यता हेतु कितने प्रकरण शासन को भेजे गये ? उनमें से कितनों को मान्यता दे दी गई तथा कितने अभी शासन के विचाराधीन हैं? जो विचाराधीन हैं उन्हें कब तक मान्यता दे दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

वर्ष 1982–83 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इन्टरमीडिएट की मान्यता हेतु 432 प्रकरण शासन को भेजे गये । 125 विद्यालयों को शासन द्वारा मान्यता स्वीकृत की गई। 160 प्रकरण शासन के विचाराधीन हैं । बजट व्यवस्था के उपलब्ध होने पर इन प्रकरणों पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रदेश में हाई स्कूलों को प्रदान की गयी मान्यता

121—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 82–83 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाईस्कूल की मान्यता हेतु कितने प्रकरण शासन को भेजे गये ? उनमें से कितनों को मान्यता दी गई तथा कितने अभी शासन के विचाराधीन हैं ? जो विचाराधीन हैं उन्हें कब तक मान्यता दे दी जायेगी ?

श्री सिब्ते रज़ी—

वर्ष 1982–83 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाईस्कूल की मान्यता हेतु 544 प्रकरण शासन को भेजे गये । 268 विद्यालयों को शासन द्वारा मान्यता स्वीकृत की गई । 131 प्रकरण शासन के विचाराधीन हैं। बजट व्यवस्था के उपलब्ध होने पर इन प्रकरणों पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ?

झांसी जिले में विकास खंड बामौर एवं गुरसराय तथा मोठ के अन्तर्गत आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य

122—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जनपद के विकास खण्ड बामौर, गुरसरांय एवं मोठ में वर्ष 84–85 में आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में क्या-क्या कार्य कराये गये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा झांसी जनपद के विकास खण्ड बामौर, गुरसरांय एवं मौठ में वर्ष 84–85 में आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य कराये गये :—

विकास खंड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	संख्या
1–बामौर	बछेह	चेक डैम	2
,,	धनौरा	,,	1
,,	समसेरपुरा	,,	2
,,	सरसेड़ा	जलभराव बंधी	2
,,	बछेह	,,	2
,,	डिकौली	,,	1
,,	गरौठा	,,	2
,,	सैपुरा	,,	1
,,	गोहना	,,	1
2–गुरसरांय	चन्दपुरा	तालाब मरम्मत	1
,,	बंका पहाड़ी	,,	1
,,	लोडी भडोखर	,,	1
,,	मारकुआ	सम्पर्क मार्ग	
	मोंती कटरा	19 किमी0	1
,,	मजराताई	जलभराव बंधी	1
,,	जागोरताई	,,	1
,,	छिरौरा	,,	1
,,	पसराई	,,	1
,,	झला	,,	2
,,	रनयारा	,,	3
,,	सुजवाहा	,,	1
,,	सिलौरी	,,	2
,,	रजवारा	बंधी निर्माण	1

,,	यौवनी	जलभराव बंधी	1
,,	टोडी फतेहपुर	,,	1
,,	सुधानपुर	,,	1
,,	डाबर	,,	1
,,	दुरवई	,,	1

3–मोठ––किसी भी गांव में कोई भी कार्य इस योजना के अन्तर्गत नहीं कराया गया।

123––कुंवर मानवेन्द्र सिह––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जनपद के विकास खण्ड बामौर, गुरसराय एवं मोठ में वर्ष 83–84 में आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत कहां-कहां क्या-क्या कार्य कराये गये ?

श्री श्याम सुरत उपाध्याय––

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा झांसी जनपद के विकास खण्ड, बामौर, गुरसराय एवं मोठ में वर्ष 83–84 में आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं कराये गये ।

124––कुंवर मानवेन्द्र सिह––

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]।

झांसी विकास खंड में बामौर, गुरुसराय एवं मोठ डी0 ए0 पी0 योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य

125––कुंवर मानवेन्द्र सिह––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जनपद के विकास खण्ड, बामौर, गुरसराय एवं मोंठ में वर्ष 83–84 में डी0 पी0 ए0 पी0 योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में क्या-क्या कार्य कराये गये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

झांसी जनपद के विकास खण्ड, बामौर एवं गुरसराय में वर्ष 1983–84 में डी0 पी0 ए0 पी0 योजना के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये गये :—

क्र0सं0	विकास खंड/ ग्राम का नाम	कराये गये कार्य का विवरण
	(क) विकास खंड बामौर—	
1	सरसेंडा	जलभराव बंधी एवं गली प्लागिंग 1-109 हेक्टेयर में ।
2	बछेह	तदैव--- 64.50 हेक्टेयर में ।
3	पुरैनियां	गली प्लागिंग 17.50 हेक्टेयर में ।
4	गुरसरायं–खिरियाघाट मार्ग पर	भूमि सृजन कार्य— (वृक्षारोपण) । 76 पंक्ति कि0मी0 ।
5	गुरसरायं–एरच मार्ग	तदैव--- 34 पंक्ति कि0मी0 ।
	(ख) विकास खंड गुरसरायं—	
6	सिकरौधा	जलभराव बंधी एवं गली प्लागिंग---19 हेक्टेयर में ।
7	ढ़िवकई	तदैव- 5 हेक्टेयर में ।
8	विक्रमपुरा	गली प्लागिंग---7 हेक्टेयर में ।
9	गुरसरायं–गरौठा मार्ग	भूमि सृजन कार्य (वृक्षारोपण) 54 पंक्ति कि0 मी0 ।
10	वंगरा	तदैव–40 हेक्टेयर में ।
11	गुरसरायं–(विकास खंड परिसर में)	पौधशाला स्थापना--- 1 हेक्टेयर में 60 हजार पौध ।

(ग) विकास खंड मोंठ में डी0 पी0 ए0 पी0 योजना लागू नहीं है। अतः यहां कोई कार्य नहीं कराया गया।

झांसी जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किये कार्य

126––कुंवर मानवेन्द्र सिह––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जनपद में वर्ष 84–85 में एन0 आर0 ई0

पी0 योजना के अन्तर्गत किस-किस विकास खण्ड में क्या और कहां-कहां कार्य कराये गये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वर्ष 1984-85 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत झांसी जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में निम्नलिखित कार्य कराये गये :--

क्र0सं0	विकास खंड का नाम	कार्य का नाम	कार्यों की संख्या
(1)	विकास खंड बामौर :-	1-सड़कें	5
		2-खड़ंजा	1
		3-पुलिया	2
		4-वनीकरण	14
		5-पंचायत घर	1
(2)	विकास खंड गुरसरायं :-	1-सड़कें	1
		2-खड़ंजा	1
		3-वनीकरण	13
(3)	विकास खंड बंगरा :-	1-सड़कें	2
		2-खड़ंजा	1
		3-वनीकरण	11
		4-नालियां	1
(4)	विकास खंड मऊरानीपुर :-	1-सड़कें	3
		2-खड़ंजा	1
		3-वनीकरण	5
		4-पंचायत घर	1
(5)	विकास खंड मोंठ :-	1-सड़कें	5
		2-खड़ंजा	1
		3-पुलिया	1
		4-वनीकरण	14
		5-रिपटा	1
		6-मैंटिंग	1
(6)	विकास खंड चिरगांव :-	1-सड़कें	5
		2-खड़ंजा	1
		3-पुलिया	1
		4-वनीकरण	2
		5-रिपटा	1
(7)	विकास खंड बबीनी :	1-सड़कें	2
		2-खड़ंजा	1
		3-वनीकरण	8
		4-बंधी	1
		5-स्कूल मरम्मत	1
(8)	विकास खंड बड़ा गांव :-	1-सड़कें	2
		2-खड़ंजा	1
		3-पुलिया	9
		4-वनीकरण	6

†गांव में कराये गये कार्यों का अतिरिक्त विवरण संलग्न है ।

झांसी जिले में डी0 पी0 ए0 पी0 योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य

127--कुंवर मानवेन्द्र सिंह --

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जनपद में वर्ष 84-85 में डी0पी0ए0पी0 योजना के अन्तर्गत किस-किस विकास खन्ड में क्या और कहां-कहां कार्य कराये गये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

झांसी जनपद में वर्ष 1984-85 में डी0 पी0ए0पी0 योजना के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये गये :--

क्र0सं0	विकास खंड/ ग्राम का नाम	कराये गये कार्य का विवरण
(क)	**विकास खंड बामौर--**	
1	सरसेंडा	जलभराव बंधी एवं गली प्लगिंग--89 हेक्टेयर में ।
2	बछेह	तदैव-91 हेक्टेयर में
3	बंका पहाड़ी	तदैव-159 हेक्टेयर में
4	पुरैनियां	गली प्लगिंग- 40 हेक्टेयर में ।
5	बरौरा	तदैव--43 हेक्टेयर में
6	रैपुरा	तदैव--32 हेक्टेयर में
7	टुरखुरं	जलभराव बंधी--5 हेक्टेयर में ।
8	गुरसरायं-एरच राजमार्ग	वृक्षारोपण हेतु भूमि सृजन--36 पंक्ति कि0मी0 ।

†छापी नहीं गई ।

9	गरौठा–ककरवई मार्ग	तदैव–– 28 पंक्ति कि0 मी0 ।
10	गुर0-एरच मार्ग	वृक्षारोपण–70 पंक्ति कि0 मी0।
11	गुर0-खिरियाघाट	तदैव––35 पंक्ति कि0 मी0 ।

(ख) विकास खंड–गुरसराय ––

12	सिकरोंधा–बम्हौंरी	जलभराव बंधी एवं गली प्लगिंग––19 हेक्टेयर में ।
13	ढ़िवकाई	तदैव–18 हेक्टेयर में ।
14	भदरवारा खुर्द	तदैव–68 हेक्टेयर से ।
15	चक पहाड़पुरा	तदैव–60 हेक्टेयर में ।
16	नुनार	तदैव–13 हेक्टेयर में ।
17	डोंडिया	तदैव–72.70 हेक्टेयर में ।
18	रधौली	तदैव–108 हेक्टेयर में ।
19	सिवों	तदैव–16 हेक्टेयर में ।
20	आमली	तदैव–33 हेक्टेयर में ।
21	गुरसरायं-गरौठा मार्ग	वृक्षारोपण–72 पंक्ति कि0 मी0 ।
22	वंगरा	भूमि सृजन एवं वृक्षारोपण–50 हेक्टेयर में
23	भसनैह	पौधालय (1.50 लाख पौध)
24	गुरसरायं-गरौठा मार्ग	भूमि सृजन–18 पंक्ति कि0 मी0 ।

(ग) विकास खंड–मऊरानीपुर ––

25	तिलैरा	जलभराव बंधी एवं गली प्लगिंग–8 हेक्टयर में
26	चुरारी	तदैव–13 हेक्टेयर में ।
27	लारौनी	तदैव–15 हेक्टेयर में ।
28	वचेरा	तदैव–70 हेक्टेयर में ।
29	मऊरानीपुर गरौठा राजमार्ग	वृक्षारोपण–68 हेक्टेयर में ।

वेतन आयोग स्थानीय निकाय की संस्तुतियों पर आधारित जिला परिषद् के कर्मचारियों का वेतनमान

128––श्री हृदय नरायन दीक्षित––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन आयोग स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश (1979–80) की संस्तुतियों पर शासन के संकल्प दि0 29 सितम्बर, 1981 द्वारा जिला परिषद् के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान एवं विभिन्न स्तरों पर सलेक्शन ग्रेड दिये जाने का निश्चय किया गया था? उसे क्या शासन द्वारा लागू किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

जी हां। वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित वेतनमान जिला परिषदों के समस्त कर्मचारियों पर लागू किये जाने विषयक शासनादेश जारी किये जा चुके हैं। वेतन आयोग द्वारा अकेन्द्रयित पदों के संबंध में संस्तुत सेलेक्शन ग्रेड लागू किये जाने के संबंध में भी शासनादेश जारी किया जा चुका है। केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के पदों पर चयन वेतनमान दिये जाने का मामला अभी विचाराधीन है।

प्रदेश की जिला परिषदों में कार्य अधिकारियों की नियुक्ति

129––श्री हृदय नरायन दीक्षित––

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चुनाव घोषणा हो जाने के पश्चात् माह नवम्बर 84 से जिला परिषदों में 21 कार्य अधिकारियों के पदों पर किस नियम के अन्तर्गत तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं? मंन्त्री जी क्या यह भी बतायेंगे कि नियुक्त किये गये 21 व्यक्तियों में किन-किन जनपदों के लोग थे और अधिकांश किस वर्ग के थे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय––

जिला परिषदों में नवम्बर 1984 में 21 कार्य अधिकारियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश जिला परिषद् केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग नियमावली 1966 (यथा संशोधित) के नियम 33–क के

अन्तर्गत की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार नियुक्त कार्य अधिकारियों में से मथुरा, आगरा, बलिया, फैजाबाद तथा चमोली जनपदों के एक-एक, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, इटावा के दो-दो, लखनऊ तथा उत्तरकाशी के तीन-तीन तथा मैनपुरी के चार हैं। इनमें से 6 पिछड़ी जाति के तथा शेष सामान्य वर्ग के हैं।

रायबरेली जिले के प्राइमरी स्कूल के अध्यापक, श्री जागेश्वर यादव का फर्जी प्रमाण-पत्र

130--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपा यह जानकारी है कि वरीयता का फर्जी प्रमाण-पत्र लगाकर बी0 टी0 सी0 ट्रेनिंग हासिल करने व लगातार अनियमित रहने के अभ्यस्त एक प्राइमरी अध्यापक श्री जागेश्वर यादव, रायबरेली से अपना स्थानान्तरण करवा कर उन्नाव जनपद के अपने मूल निवास के पास स्थानान्तरण करवा रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि ट्रेनिंग लेने व नौकरी पाने के लिए उन्होंने अपना गृह जनपद रायबरेली लिखवाया था ? क्या मंत्री जी को यह भी पता है कि श्री जागेश्वर यादव उन्नाव जिले के हिलौली ब्लाक के अकोहरी, बखतखेड़ा ग्राम के निवासी हैं ? क्या ऐसे आरोपित व्यक्ति को अपने निर्वाचन क्षेत्र से ट्रांसफर कराकर आने से रोकने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 12-8-85 पत्रांक 101 जिलाधिकारी उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मौरावां-कानपुर मार्ग एवं उन्नाव-कानपुर मार्ग पर बसों का संचालन।

131--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 5 जुलाई 85 जिसकी प्राप्ति आपने प्रश्नकर्ता को अपने पत्र दिनांक 11 जुलाई, 85 द्वारा स्वीकार की है, पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

राजकुमार संजय सिंह--

प्रातः 5 बजे से 18-30 बजे के मध्य मौरावां से कानपुर के लिए प्रतिदिन 11 अप तथा 11 डाउन तथा उन्नाव से मौरावां पुरवा के लिए 20 अप तथा 20 डाउन सेवायें उपलब्ध हैं।

मौरावां-भगवन्त नगर मार्ग ऊंचगांव-रायपुर मार्ग पर बसों का संचालन।

132--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30-5-85 जिसकी प्राप्ति मंत्री जी ने अपने पत्र 30-5-85 के पत्र द्वारा स्वीकार की है, पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

राजकुमार संजय सिंह--

लखनऊ से मौरावां-भगवन्त नगर, ऊंचगांव-रायपुर चलने वाली नगर बस को दिनांक 30-9-84 से बन्द कर दिया गया था, जिसके स्थान पर कैसरबाग डिपो द्वारा संचालित लखनऊ-भगवन्त नगर बस सेवा को रायपुर तक बढ़ा दिया गया है।

उन्नाव-मौरावां मार्ग, असरेन्दा-अकोहरी मार्ग एवं मौरावां-कालूखेड़ा मार्ग पर बस संचालन।

133- श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-8-85 उन्नाव, पुरवा, मौरावां बस सेवा की अनियमितता की शिकायत जिसकी प्राप्ति मंत्री जी ने 23-8-85 के पत्र द्वारा स्वीकार की है, पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

राजकुमार संजय सिंह--

उन्नाव-मौरावां, असरेन्दा, अकोहरी, असोहा मार्ग गत वर्ष वर्षाकाल में मौरावां तथा कालूखेड़ा के मध्य कट जाने के कारण असरेन्दा तक चलने वाली बस सेवा दिनांक 10-10-85 से बन्द कर दी गयी। इस सेवा की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि मौरावां से असरेन्दा 25 किमी0 मार्ग पर इस बस सेवा की आय प्रति किमी0 1 रुपया तथा लोडफैक्टर 20 प्रतिशत प्राप्त हुआ। मौरावां

से असरेन्दा तथा असरेन्दा से मौरावां भाग पर पर्याप्त लोड फैक्टर न मिलने के कारण इसे पुनः असरेन्दा तक संचालित करना सम्भव नहीं है। वर्तमान में उन्नाव से अकोहरी के लिए 2 सेवायें, असोहा के लिए 6 सेवायें उपलब्ध हैं जो नियमित रूप से संचालित हो रही हैं ।

उन्नाव–असरेन्दा मार्ग पर बस सेवा की बन्दी

134––श्री हृदय नरायन दीक्षित––

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव–असरेन्दा बस सेवा अक्सर किस दबाव में अनियमित कर दी जाती है ? क्या इसकी नियमितता हेतु कोई कारगर उपाय किए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह––

उन्नाव – असरेन्दा बस सेवा की आय असन्तोषजनक होने के कारण उसे बन्द कर दिया गया है ।

135––श्री हृदय नरायन दीक्षित––

[4थे सोमवार के लिए स्थगित ।]

136––श्री हाजी मोहम्मद हयात––

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

महाराजा हरिश्चन्द्र डिग्री कालेज, मुरादाबाद में एम0 ए0 उर्दू भाषा खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

137––श्री हाजी मोहम्मद हयात––

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि महाराजा हरिश्चन्द्र डिग्री कालेज, मुरादाबाद में एम0 ए0 उर्दू भाषा में खोले जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के माध्यम से माह मई, जून, 1985 में माननीय शिक्षा मंत्री जी को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी––

जी हां । इस प्रकरण पर सोशल सर्विसेज इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की बैठक दिनांक 24–9–85 में विचार किया गया था किन्तु कालेज उच्चीकरण हेतु संस्तुत नहीं किया जा सका । अतः प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था । इस बीच रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय से कतिपय सूचनायें एवं आंकड़ा पुनः मांगी गई है। संस्तुति आने पर सोशल सर्विसेज इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की बैठक में पुनः विचार किया जायेगा ।

मुरादाबाद, अरोहा स्थित राजकीय इण्टर कालेज के गणित प्रवक्ता का स्थानान्तरण

138––श्री हाजी मोहम्मद हयात––

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद के अमरोहा राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज में 11 वें तथा 12 वें कक्षा की छात्रायें 5 वर्षों से गणित का विषय नहीं ले रही हैं ? यदि हां, तो फिर उक्त कालेज में गणित की प्रवक्ता की उपयोगिता न होते हुये भी क्यों रखा गया है ?

श्री सिब्ते रजी––

जी हां ।

उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति का आरक्षण कोटा

139––श्री अशोक बाजपेयी––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग हेतु 21 नये प्रखंड 3 परिमंडल एवं मुख्यालय हेतु एक अनुभाग की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं उन पदों पर क्या नियुक्तियां/पदोन्नियां की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो उन्हें किन नियमों के अन्तर्गत भरा गया है और उन पर अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने कर्मचारियों की नियुक्तियां/पदोन्नतियां की गई हैं ? कृपया यह भी बतायेंगे कि यदि विभाग में आरक्षण पूर्व से पूर्ण नहीं था तो वर्ग 3 (लिपिक वर्ग) वर्ग–4 (चपरासी) ड्राफ्टमैन सर्वेक्षक, ड्राइवर एवं ट्रेसर के पदों को आरक्षण नीति के अनुसार भरा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

जी हां ।

उक्तानुसार नव सृजित 3 परिमंडल, 21 प्रखण्ड एवं मुख्यालय पर एक अनुभाग हेतु क्रमशः 3 अधीक्षण अभियंता, 10 अधिशासी अभियंताओं की नियुक्तियां, प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से की गयी । इसके अतिरिक्त चयन समिति की संस्तुति के आधार पर 115 सहायक अभियंताओं एवं 520 अवर अभियंताओं के रिक्त क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के 25 सहायक अभियंता एवं 104 अवर अभियंताओं की नियुक्तियां करते हुये निर्धारित आरक्षण कोटा पूर्ण किया गया ।

उपरोक्त के अतिरिक्त तृतीय (लिपिक वर्ग) एवं चतुर्थ श्रेणी (चपरासी वर्ग) के पदों पर नियुक्तयां नियमानुसार विभागीय चयन समिति की संस्तुति/पदोन्नति तथा स्थानांतरण के आधार पर की गई है । इनमें से आरक्षित कोटे के विरुद्ध 102 विभिन्न पदों की प्रतिपूर्ति उपलब्ध अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों द्वारा की गई । इन 102 अनुसूचित जाति/जनजाति में सीधी भर्ती द्वारा कनिष्ठ लिपिक के 23 पद, संगणक के 1 पद, मानचित्रकार के 2 पद, अनुरेखक के 2 पद, ड्राइवर के 2 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 46 पद भरे गये । इसी प्रकार प्रोन्नति के द्वारा वरिष्ठ सहायक के 2 पद, वरिष्ठ लिपिक के 22 पद तथा संगणक के 1 पद एवं स्थानान्तरण द्वारा ड्राइवर के 1 पद एवं इस प्रकार कुल 102 पद भरे गये ।

आरक्षित श्रेणी के उपपुक्त अभ्यर्थी समुचित मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण विभाग के अन्तर्गत आरक्षण पूर्व से पूर्ण नहीं था । जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु वर्तमान में आवश्यक पद रिक्त रखे गये हैं जिन्हें आरक्षण नीति के अनुसार भरने का प्रयास किया जायेगा ।

हरदोई, ग्राम नानकगंज ग्रन्ट के पंचायत घर का पुनर्निर्माण

140---श्री अशोक बाजपेयी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम नानकगंज ग्रन्ट जनपद हरदोई के प्रधान के लगभग 27 वर्ष पूर्व बनाये विशाल भव्य पंचायतघर को बिना किसी प्रस्ताव एवं सरकारी अनुमति के खुदवाकर उसकी ईटें एक भट्टे पर बेच दिया जिसकी जांच जिलाधिद्वारा पंचायत राज अधिकारी हरदोई द्वारा करायी गयी और पंचायत राज अधिकारी की रिपोर्ट में उक्त ग्राम प्रधान सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करने एवं शासकीय धन का दुरुपयोग में दोषी पाया गया, लेकिन उपरोक्त रिपोर्ट प्रेषित करने के बावजूद भी सम्बन्धित भ्रष्ट ग्राम प्रधान को 6 महीने तक निलम्बित नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही न किये जाने के कारण क्या है ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपध्याय---

जी नहीं बल्कि, ग्राम नानकगंज ग्रन्ट जनपद हरदोई के जीर्ण-शीर्ण पंचायत घर को ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर ही तोड़ा गया तथा उसकी ईटें नये पंचायत भवन के निर्माण में अंशदान के रुप में उपयोग की गयी ।

उक्त पंचायत भवन के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान के विरुद्ध की गई शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी हरदोई को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच में वह दोषी नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा विभाग में शिक्षा निदेशक के रिक्त पद

141---श्री विक्रमादित्य पाण्डेय---

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिक्षा विभाग में शिक्षा निदेशकों के कितने पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उन रिक्त पदों के चयन हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी---

शिक्षा विभाग में शिक्षा निदेशक के दो पद एक शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं एक निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा का रिक्त है । कतिपय अधिकारियों की ज्येष्ठता का मामला विचाराधीन होने के कारण चयन की कार्यवाही लंबित है ।

फैजाबाद ग्राम भदोखर के सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जे लगाने हेतु ग्राम प्रधान को दी गयी धनराशि

142--श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भदोखर तहसील व जिला फैजाबाद के ग्राम प्रधान ने सन् 1978 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मु0 5000 रुपये गांव में खड़न्जा लगवाने को प्राप्त किया था ? यदि हां, तो क्या खड़न्जा लगवाये गये ? यदि नहीं, तो अब तक खड़न्जा न लगवाने के दोषी अधिकारी व ग्राम प्रधान की जांच कर प्रशासनिक अनुशासनिक कार्यवाही पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

यह खड़न्जा ग्राम प्रधान द्वारा नहीं लगबाया गया बल्कि उक्त सम्पर्क मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग फैजाबाद ने अपने बिभागीय बजट से खड़न्जा लगबा दिया है ।

रु0 5000 की धनराशि ग्राम सभा भदोखर के खाते में सुरक्षित है । अतः प्रशासनिक/अनुशासनिक कार्यबाही नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा, सामुदायिक विकास विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारी एवं अधिकारी

143--श्री चन्द्र भान मौर्य--

क्या ग्राम्य बिकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में जनपद आगरा में अनुसूचित जातियों के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ? क्या जनपद आगरा में उनके विभाग में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने की कृपा करेंगे ? नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद आगरा में सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के तृतीय श्रेणी के 55 जिसमें 18 ग्राम बिकास अधिकारी सम्मिलित हैं तथा चतुर्थ श्रेणी के 32 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जनपद आगरा में तृतीय श्रेणी के लिपिक वर्ग के 133 एवं चतुर्थ श्रेणी के 79 पद स्वीकृत है जिनके विपरीत अनुसूचित जाति के क्रमशः 19 तथा 32 कर्मचारी कार्यरत है । इस प्रकार तृतीय श्रेणी के 4 पद कम तथा चतुर्थ श्रेणी के 16 पद कम कोटा से अधिक है । तृतीय श्रेणी में ग्राम विकास अधिकारियों के 180 पदों के विरुद्ध 18 अनुसूचित जाति के अधिकारी कार्यरत है । इनका कोटा जनपद स्तर पर न रखकर प्रदेश स्तर पर रखा जाता है, अतएव जनपद स्तर पर इनका कोटा पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

तृतीय श्रेणी में अनुसूचित जाति के 4 पदों को भविष्य की रिक्तियों के विरुद्ध भरे जाने की कार्यबाही की जायेगी ।

144--श्री चन्द्रभान मौर्य--

[स्पष्टी करण हेतु हटाया गया ।]

आगरा, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की प्रगति रिपोर्ट

145--श्री चन्द्रभान मौर्य--

क्या मंत्री जी जनपद आगरा की ग्रामीण सेवा अभियंत्रण की मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रथम तथा द्वितीय त्रैमासिक चरणों की प्रगति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखते हुये उस रिपोर्ट की मौके पर हुए वास्तविक कार्य की जाच विधायकों की एक समिति बनाकर कराने के आदेश करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड आगरा के अन्तर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रथम तथा द्वितीय त्रैमासिक चरणों के अन्त तक की प्रगति रिपोर्ट मेरे कक्ष में देखी जा सकती है ।

20 सूत्रीय कार्यक्रमों के सफल संचालन कार्यक्रम के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण हेतु विधायकों की एक समिति जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आगरा के पत्रांक-1320/जा0 समि0/85-86 दिनांक 1-10-85 द्वारा गठित की जा चुकी है । अन्य किसी समिति के गठन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

आगरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिये धनराशि का आवंटन और विधान सभा क्षेत्र, एतमादपुर के अन्तर्गत किये गये कार्य

146--श्री चन्द्रभान मौर्य--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद आगरा में वर्ष 1985 के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने रुपयों की धनराशि आवंटित की गयी थी ? जनपद आगरा के एतमादपुर विधान सभा क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत प्रथम तथा द्वितीय त्रैमासिक चरणों में कितने मानव दिवसों का सृजन किया गया तथा वह काम किस रूप में तथा कहां किया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद आगरा हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 85-86 में 117.23 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है । जनपद आगरा के एतमादपुर विधान सभा क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत प्रथम त्रैमास में 516 मानव दिवस तथा द्वितीय त्रैमास में 2753 मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया । इस प्रकार प्रथम व द्वितीय त्रैमास में कुल 3269 मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया है जिसका कार्य-बार विवरण निम्न प्रकार है :

क्रम-सं0	कार्य का विवरण एवं स्थाद	सृजित मानव दिवस
1- सम्पर्क मार्ग	आगरा अलीगढ़ मार्ग सैमरा	1290
2-वृक्षारोपण	बरहन खेड़ी मार्ग	71
3- ,,	हाजीपुर खेड़ा गिजौली मार्ग	157
4- ,,	छितरई जारखी मार्ग	213
5-भूमि संरक्षण कार्य	सुरेरा भूमि सम-तलीकरण	834
6- ,,	कुबेरपुर तालाब निर्माण	168
7-हरिजन पेयजल कूप	नजरपुर	24
8- ,,	घौरा	162
9- ,,	पोइया	35
10-खड़न्जा एवं नाली निर्माण	खेड़िया	118
11- ,,	नादऊ	57
12- ,,	सैमरा	69
13- ,,	रहनकलां	71
		3269

147--श्री चन्द्रभान मौर्य--

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि वर्ष 1985 में अब तक इस क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत कोई काम नहीं किया गया है और फर्जी आंकड़े प्रगति के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं ? क्या मंत्री जी प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में मौके की जांच कराने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत एतमादपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985-86 में द्वितीय त्रैमास तक विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों का निर्माण, वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण, खड़ंजा एवं नाली निर्माण तथा हरिजन पेयजल कूपों का निर्माण कराया गया है । इन कार्यों पर द्वितीय त्रैमास तक 1.10 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई है तथा 3269 मानव दिवस रोजगार सृजित किया गया है । इन कार्यों के फर्जी होने की कोई सूचना प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती । बहरहाल कराये गये कार्यों की मौके पर जांच के लिये जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आगरा के पत्र-सं0-1320/जांच दि0 1-10-85 द्वारा समिति गठित की जा चुकी है, जिसमें प्रश्नकर्ता माननीय विधायक भी सदस्य हैं ।

148--डा0 दिनेश जौहरी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

नैनीताल, शक्ति फार्म स्थित राजकीय इन्टर कालेज में कतिपय व्यवस्था की मांग

149—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल के शक्ति फार्म स्थित राजकीय इन्टर कालेज में शिक्षा व्यवस्था, कक्षाओं में छात्रों के बैठने, विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं है तथा प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरण भी नहीं है? यदि हां, तो इन समस्याओं के सुधार हेतु सरकार ने कोई आदेश दिये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है? विद्यालय की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्नांकित कार्यवाही की गई है:—

1—कार्यालय व्यय हेतु रु0 12.000 स्वीकृत।

2—साज-सज्जा हेतु रु0 13,000 स्वीकृत।

3—विद्युत बिल भुगतान हेतु रु0 1314.85 पैसे स्वीकृत।

4—नया विद्युत कनेक्शन हेतु संबंधित विभाग को लिखा गया है।

5—प्रोन्नति तथा तदर्थ नियुक्ति पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है।

रुहेलखड विश्वविद्यालय में मार्ग एवं पम्प हाउस का निर्माण

150—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय में अधिकारियों की मनमानी से जनता और छात्रों के धन का दुरुपयोग हो रहा है जिससे सम्पर्क मार्ग जो कि सिर्फ 250 गज लम्बाई का है, पर छः लाख से अधिक धन व्यय किया गया है तथा पेयजल की पाइप लाइन डालने के लिए 3 लाख से अधिक धनराशि का ठेका निर्माण निगम को दिया गया है, जबकि यह काम एक लाख में आसानी से हो सकता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

विश्वविद्यालय द्वारा 1670 फीट लम्बा एवं 20 फीट चौड़ा सम्पर्क मार्ग तथा एक पुलिया के निर्माण के लिए 2 लाख रु0 का व्यय किया गया है। पम्प हाउस के निर्माण पम्प हाउस से प्रशासनिक भवन तक एवं पम्प हाउस से आवासीय भवनों तक पेयजल लाइन बिछाने, पम्पहाउस में मोटर संस्थापित करने तथा प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवनों के लिए विद्युत ओवरहेड लाइन लगाने का कार्य, जिस पर 5.58 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है, का ठेका राजकीय निर्माण निगम को दिया गया है और उसके लिए विश्वविद्यालय ने अभी तक 3 लाख रुपये अग्रिम भुगतान किया है।

बरेली, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

151—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1984 से जून, 1985 तक जनपद बरेली में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा कुल कितने रुपयों का काम कराया गया? इसमें सड़कों के निर्माण में तथा भवनों के निर्माण में अलग-अलग कितना धन व्यय किया गया? कितने कार्य के लिए कन्ट्रैक्ट बांड ठेकेदारों से भराये गये? किस ठेकेदार को कितने रुपये का कुल भुगतान हुआ?

श्री श्याम सुरत उपाध्याय—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा जनपद बरेली में जून, 1984 से जून, 1985 तक कुल 1,54,41,865.65 रुपये का कार्य किया गया। इसमें सड़कों के निर्माण पर 1,36,89,506.62 रुपये तथा भवनों के निर्माण पर 17,52,359.03 रुपये व्यय किया गया। ठेकेदारों से 72 कार्यों के लिए कांट्रैक्ट बांड भराये गये। विभिन्न ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि का विवरण संलग्न है जिसके अनुसार रुपया 47,97,913.00 का कुल भुगतान हुआ है।

[देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 158 पर]।

बरेली के बेसिक शिक्षा के स्कूल एवं अध्यापक

152--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कितने स्कूल हैं, प्रत्येक में कितने अध्यापक हैं एवं कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना संलग्न है ।†

बरेली, रणजीत सिंह इंटर कालेज, इज्जत-नगर के परीक्षार्थियों का अघोषित परीक्षाफल

153--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कुंवर रणजीत सिंह इन्टर कालेज, नगरिया परीक्षित इज्जतनगर, बरेली के 104 परीक्षार्थियों का इन्टरमीडिएट परीक्षा सत्र 1983-84 एवं 1984-85 के परीक्षाफल घोषित नही हुए हैं ? यदि हां, तो यह परीक्षाफल कब तक घोषित कर दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां । वर्ष 1984 की इन्टरमीडिएट संस्थागत परीक्षा हेतु अमान्य इस विद्यालय से प्राप्त 101 आवेदन-पत्रों के प्रकरण बरेली के न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने पर परीक्षाफल घोषित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

वर्ष 1985 की परीक्षा में इस विद्यालय से इन्टरमीडिएट संस्थागत परीक्षा में सम्मिलित किसी भी अर्ह परीक्षार्थी का परीक्षाफल अघोषित नहीं है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत बरेली जिले में किये गये कार्य

154--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1984-85 में जनपद बरेली में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा कुल कितने रुपयों का काम कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वर्ष 1984-85 में जनपद बरेली में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा कुल 1,40,74,503.45 (एक करोड़ चालीस लाख चौहत्तर हजार पांच सौ तीन रुपये पैंतालीस पैसे) का कार्य कराया गया ।

बरेली-रामपुर मार्ग पर बस की दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को दी गई सहायता

155--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि दि0 29-6-85 को बरेली-रामपुर मार्ग पर बस सं0-यू0 पी0 ओ0 5680 एवं यू0 आर0 डब्लू0 590 में टक्कर हुई थी, जिसमें नौ व्यक्ति मारे गये थे एवं चालीस व्यक्ति घायल हुए थे ? यदि हां, तो क्या सभी मृतकों के परिवारों एवं घायलो को घोषित मुआवजा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह--

दि0 29-6-85 को बरेली-रामपुर माग पर बस संख्या यू0 पी0 ओ0 5680 एवं यू0 आर0 डब्लू0 590 में टक्कर हुई थी जिसमें 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 30 घायल हुए ।

बस यात्री बीमा योजना के अन्तर्गत मृतकों के आश्रितों को वितरण हेतु 1,60,000 रुपये की धनराशि दिनांक 10-7-85 को जिलाधिकारी, बरेली को स्वीकृत की गयी। बस संख्सा यू0 पी0 ओ0 5680 के चालक तथा यू0 आर0 डब्लू0 590 के परिचालक को सहायता अनुमन्य नहीं है । 6 मृतकों के आश्रितों को वितरण हेतु रु0 1,20,000/--की धनराशि उनके मूल निवास स्थान से सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भेजी गई है ।

परिवहन निगम द्वारा धारा 92 (ग) मोटर वेहिकिल एक्ट, 1939 के अन्तर्गत दो मृत व्यक्तियों के आश्रितों को रु0 0),000/- का भुगतान किया जा चुका है। निजी बस से यात्रा करने वाले 4 मृतकों के आश्रितों को रु0 4,000/- का भुगतान भी निगम द्वारा किया गया है । 13 घायल व्यक्तियों को

†छापी नहीं गई ।

रु0 250/– प्रति व्यक्ति की दर से तथा 2 घायल व्यक्तियों को रु0 500/– प्रति व्यक्ति की दर से भुगतान भी परिवहन द्वारा किया जा चुका है। अनुबन्धित बस में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को बस के मालिक से धनराशि वसूल करके वितरण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं वित्त अधिकारी का स्थानान्तरण

156––डा0 दिनेश जौहरी––

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि रुहेलखण्ड बिश्वविद्यालय में कुल सचिव व वित्त अधिकारी के आपसी विवाद के कारण विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है एवं गरिमा को ठेस पहुंच रही है ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी––

जी हां ।

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के कुल सचिव तथा वित्त अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

बाराबंकी, जिला चयन समिति द्वारा श्री कौशल किशोर लिपिक शिक्षा परिषद् की सेवा समाप्ति

157––श्री सरदार सिंह––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चयन समिति, बाराबंकी द्वारा चयनित श्री कौशल किशोर, लिपिक, शिक्षा परिषद् बाराबंकी को दि0 12 नवम्बर, 1973 को बिना नोटिस अथवा नोटिस के बदले एक माह के वेतन का भुगतान किये सेवा से निकाल दिया गया है? क्या इस संबंध में विधायक श्री कनक सिंह का श्री कौशल किशोर को पुनः सेवा में लिए जाने के सम्बन्ध में दिनाक 17–7–85 का उन्हें पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? तथा कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी––

श्री कौशल किशोर की अस्थाई सेवायें एक माह के नोटिस के बदले वेतन देने के आदेश के साथ समाप्त की गई है ।

जी हां ।

श्री कनक सिंह विधायक के पत्र दिनांक 17–7–85 के साथ संलग्न श्री कौशल किशोर का प्रार्थना पत्र दि0 6–8–1985 को मूल रूप में शिक्षा निदेशक के पास 28–10–85 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।

शिक्षा निदेशक से कृत कार्यवाही की सूचना अप्राप्त है ।

बरहद–दीदारगंज मार्ग, सरायमीर–दीदारगंज मार्ग तथा मार्टीनगंज–सरायमीर मार्ग पर बस का संचालन

श्री भीखा राम––

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरदह–दीदारगज मार्ग तथा सरायमीर–दीदारगंज मार्ग एवं मार्टीनगंज, सिकरौर वाया सराय मीर मार्ग जनपद आजमगढ़ पर जो प्राइवेट बसें चलती हैं ? क्या उनकी रोड परमिट है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह––

बरहद–दीदारगंज मार्ग तथा सरायमीर–दीदारगंज मार्ग एवं मार्टीनगंज–सिकरौर वाया सरायमीर मार्ग राष्ट्रीयकृत हैं, जिन पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें संचालित हैं। अतः प्रश्नगत मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों को परमिट देने का प्रश्न नहीं उठता।

159––श्री सुखपाल पण्डे––

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त] ।

160––श्री सुखपाल पाण्डे––

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त] ।

उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को दिया गया आदेश

161––श्री काजी कलीमुर्ररहमान––

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उप शिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल गोरखपुर

के पत्रांक 1383 2/84-85 दिनाक 20-3-85 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को कोई आदेश किया है? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

162--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

[5वें सोमवार के लिए स्थगित]।

इन्टर कालेज, कप्तानगंज, आजमगढ़ को सम्प्रेक्षण रिपोर्ट एवं आडिट हेतु उपलब्ध कराये गये अभिलेख

163--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के विशेष आडिट अनुभाग द्वारा दि0 19-7-84 से 21-7-84 तक इन्टर कालेज, कप्तानगंज आजमगढ़ का सम्प्रेक्षण किया गया था जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य भारी आर्थिक अनियमितता के दोषी पाये गये हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कृत कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां।

छात्र निधियों में वित्तीय अनियमितताओं के लिए प्रधानाचार्य दोषी पाये गये।

सम्प्रेक्षण आख्या की अनुपालन आख्या विद्यालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर जांचोपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

164--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पृष्ठ सं0 आडिट III/1377-82/49-12-1 III/84-85 दि0 9-7-84 के आदेशानुसार इन्टर कालेज, कप्तानगंज, आजमगढ़ का सम्प्रेक्षण 1974 से 1984 तक होना निश्चित था? यदि हां, तो उक्त विद्यालय का सम्प्रेक्षण (आडिट) 1980 से 1984 तक ही करने का क्या कारण?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां।

आडिट द्वारा वर्ष 1974-75 से 1983-84 तक के अभिलेखों की मांग लिखित रूप में संस्थाधिकारियों से की गई थी किन्तु आडिट को मात्र 1981-82 से 1983-84 तक के अभिलेख ही उपलब्ध कराये गये। अस्तु 1981-82 से 1983-84 तक के अभिलेखों की जांच की गई।

उत्तर प्रदेश बुन्देलखंड विकास निगम, झांसी द्वारा उद्योगों की स्थापना

165--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड विकास निगम तथा बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण की अब तक की कुल उपलब्धियां क्या हैं तथा उसने बुन्देलखण्ड के विकास के लिए जिलावार क्या किया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रदेश के पिछड़े हुए क्षेत्रों की असमानता दूर कर एवं सर्वोन्मुखी विकास के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम, झांसी की स्थापना मार्च, 1971 में की गई थी। निगम द्वारा अभी तक किये गये कार्य तथा उनकी उपलब्धियों से संबंधित इकाईवार संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है :--

ईंट भट्ठे--

निगम द्वारा स्थानीय जनता को उचित मूल्य पर ईंट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नरायच (हमीरपुर) तथा सहाव (जालौन) में वर्ष 1973-74 में दो-दो ईंटों के भट्ठे संचालित किए गए थे जो अन्त तक लाभ की स्थिति में रहे। वर्ष 76-77 में दो और भट्ठे पाली (झांसी) सूढ़र (ललितपुर) में स्थापित किये गये थे तथा 1977-78 में एक भट्ठा जुगरेहली (बांदा) में चलाया गया था किन्तु वे लाभ की स्थिति में नहीं रहे। भट्ठों के लिए पर्याप्य मिट्टी के अभाव में समस्त भट्ठे बन्द कर दिये गये हैं।

शूगर मिले—

निगम ने वर्ष 1975–76 में क्षेत्र में गन्ना विकास और उचित दर पर चीनी बिक्री के उद्देश्य से राठ जनपद हमीरपुर तथा माधौगढ़ जनपद–जालौन में 2 मिनी शुगर मिलें स्थापित की गयी थी । उक्त मिलें 1978–79 तक चलायी गयीं । उक्त अवधि में गन्ने के क्षेत्र में लगभग तीन गुनी बढ़ोत्तरी हुई थी । चीनी के भाव अचानक गिर जाने के कारण निगम को भारी हनि उठानी पड़ी थी जिसके फलस्वरूप उक्त दोनों मिलें बन्द कर देनी पड़ी थीं । दोनों क्षेत्रों के किसानों को उन्नत किस्म का बीज दिया गया था तथा निगम के प्रयत्नों से गन्ना अनुसन्धान केन्द्र शाहजहांपुर ने जालौन हमीरपुर और झांसी जिलों के 10–10 एकड़ के एक-एक किसान को गन्ना अनुसंधान के लिये छांटा गया था ।

कृषि यन्त्र इकाई—

उक्त मिलों के प्रांगण में ही उत्तम प्रकार के कृषि यन्त्रों की इकाइयां स्थापित की गई थीं; जिसमें पावर थ्रेसर, कल्टीवेटर, ष्याऊ तथा बिनोइंगफेन और नारी सेट तैयार करके उचित मूल्य पर किसानों को भण्डारण समस्या के हल करने के दृष्टिकोण से ग्रेनबिन्स बनाकर वितरित किये गये तथा लकड़ी एवं ईधन की बचत हेतु गोबर गैस प्लन्ट बनाकर आपूर्ति किये गये ।

स्टोन क्रशर—

बुन्देलखण्ड मण्डल में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध ग्रेनाइट के भरपूर उपयोग के लिये निगम ने प्रारम्भ से ही कई हाथ से गिट्टी तोड़ने की इकाइयां चलायी थी । वर्तमान समय में बिजौली (झांसी) तथा खिल्ली (झांसी) में क्रमशः सिंगल तथा डबल ब्लान्ट चलाया जा रहा है इसके अतिरिक्त कबरई में हाथ से गिट्टी तोड़ने का कार्य किया गया है और कबरई (हमीरपुर) तथा भरतकूप (बांदा) में दो निर्माणाधीन इकाइयां हैं जहां पर क्रेशर स्थापित किये जाने हैं । उपरोक्त के अतिरिक्त बिजौली (झांसी) बांदा तथा खिल्ली (झांसी) में भी एक-एक और क्रशर प्लान्ट लगाया जाना प्रस्तावित है । जिसमें धनाभाव के कारण विलम्ब हुआ है ।

उपर्युक्त से जो गिट्टी का उत्पादन हुआ है उसका प्रयोग क्षेत्रीय एवं शासकीय विकास कार्यों में करके निगम का योगदान रहा है । इससे अतिरिक्त रोजगार के साधन भी प्राप्त हुए हैं ।

उर्वरक व्यवसाय तथा कृषि रक्षा उपकरणों की आपूर्ति

निगम द्वारा गत वर्ष से उर्वरक का व्यवसाय आरम्भ किया गया है जिससे कृषकों को उचित मूल्य पर खाद और उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है । निगम ने इस वर्ष 5.05 लाख रु0 के मूल्य के कृषि रक्षा उपकरण किसानों को 50 प्रतिशत अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध करा रहा है।

कुटीर उद्योग—

माननीय प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम को गति प्रदान करने के दृष्टिकोण से कालपी (जालौन) में एक हस्त निर्मित कागज विपणन केन्द्र की स्थापना की गई है जिससे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला है । इसी सन्दर्भ में कालपी (जालौन) में ही एक कालीन डिजाइनिंग, वाशिंग तथा क्लीपिंग केन्द्र संचालित हैं उक्त केन्द्र पर उ0 प्र0 निर्यात निगम के सौजन्य से 24 प्रशिक्षार्थियों को छः माह का प्रशिक्षण दिया जा चुका है । इस समय कालीन धुलाई सेन्टर कार्यरत हैं ।

स्थाल्दे, ब्लाक, अल्मोड़ा में अध्यापकों के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत सात सूचानायें स्वीकार की गयी हैं जिसमें माननीय सदस्यों के नाम इस प्रकार से हैं :—

(1) श्री काशी सिंह ऐरी, (2) श्री राम सागर, (3) श्री शिव नारायण मिश्र, (4) श्री रघुवर दयाल वर्मा, (5) श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, (6) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा (7) श्री रिछपाल सिंह बंसल ।

*श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना नियम 301 के अन्तर्गत निम्न विषय पर रखना चाहता हूं—

जनपद अल्मोड़ा में स्याल्दे विकास खण्ड के अन्तर्गत 1979 में खुले महाविद्यालय भवन निर्माण व प्रवक्ताओं की नियुक्ति तथा इण्टर कालेज व कन्या हाई स्कूल में अध्यापक/अध्यापिकों की तुरन्त नियुक्ति के विषय में 14 फरवरी, 1986 को पूर्णतः चक्का जाम व समस्त गैर सरकारी, सरकारी कार्यालयों व बाजार बन्द रहे। यहां पर इण्टर कालेज में नौ अध्यापक नहीं हैं तथा कन्या हाई-स्कूल में 300 छात्राओं में मात्र एक अध्यापक है ।

कई बार शासन का ध्यान आकर्शित करने तथा निःवर्तमान विधायक श्री जसवन्त सिंह विष्ट ने इसी सन्दर्भ में 9 अगस्त, 1984 से नौ दिवसीय अनशन करने पर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति नहीं की गयी है। 5 सितम्बर, 1984 को तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री नारायन दत्त तिवारी सल्ट (अल्मोड़ा) में महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु 25 लाख रुपया देने की घोषणा भी की थी ।

क्षेत्र में स्थिति अत्यन्त विस्फोटक है, 28 फरवरी, 1986 से क्रमिक अनशन तथा 4 मार्च, 1986 से क्षेत्र प्रमुख ने आमरण अनशन करने की नोटिस सरकार को दे दी है । मैं माननीय सदन के सम्मुख इस लोक महत्व के विषय को रखते हुए तुरन्त प्रभावी कार्यवाही कराने का निवेदन करता हूं ।

ग्राम जबरपुरवा, राम सनेही घाट, बाराबंकी में भीषण अग्निकाण्ड से क्षति तथा दो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सागर—

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान एक अति अविलम्बनीय भीषण अग्नि काण्ड की ओर दिलाना चाहता हूं। कल दिनांक 16-6-86 को दोपहर दिन के 12 बजे जनपद बाराबंकी, तहसील राम सनेही घाट, थाना असन्दरा के ग्राम जबर पुरवा में अचानक आग लग जाने से श्री राम खेलावन व श्री राम दुलारे नाम के हरिजनों के घर बुरी तरह से जल कर नष्ट हो गय । इस भीषण अग्निकाण्ड में ग्रामीणों के द्वारा भरसक आग बुझाने के प्रयास के बावजूद भीषण अग्निकाण्ड पर काफ़ी देर बाद काबू पाया गया । जिससे कि राम खेलावन हरिजन का एक दो वर्षीय राम जनम नाम का लड़का व एक 16 वर्षीय लड़की अमरदेयी की मकान के अन्दर बुरी तरह जल कर दर्दनाक मृत्यु हो गयी। अग्निकण्ड के समय दोनों हरिजन अपने घर पर नहीं थे । अग्नि लगने का कारण अब तक नहीं मालूम हो पाया है ।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय अग्निकाण्ड की सूचना माननीय सदन में देकर सरकार से अग्निकाण्ड की जांच तथा दोनों प्रभावित हरिजन परिवारों की ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता करने की मांग करता हूं ।

थाना चांदा, सुल्तानपुर निवासी आजीवन कारावास दंडित श्री महन्तू सिंह फरार होने तथा राजनितिज्ञों तथा पुलिस का संरक्षण प्राप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शिव नारायण मिश्र—

महोदय, महन्तू सिंह शाहपुर थाना चान्दा सुल्तानपुर को 1978 में उच्च न्यायालय से डकैती के अभियोग में आजीवन कारावास हुआ सजा सुनने के पश्चात् वह फरार हो गया । राजनैतिक पनाह से शाहपुर जंगल का चौकीदार वर्ष 80 में नियुक्त हो गया । माह अगस्त, 1985 तक नौकरी करता रहा। जंगल की आड़ डकैतों का गिरोह बनाता रहा । क्षेत्र में तथा अपने पड़ोसी गिरजा शंकर मिश्रा, सोभनाथ सिंह राम आसरे सिंह के परिवार को जानमाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से क्षति पहुंचाने लगा। पुलिस को जानकारी होते हुए कि महन्तु को आजीवन कारावास हुआ है और फरार है, उसे राजनैतिक भय से नहीं पकड़ा गया। इसका आतंक नौकरी की आड़ में पड़ोस के जनपदों में होने लगा। इस पर एक हजार रु0 इनाम घोषित है। पकड़ने के लिये पुलिस का अलग एक दस्ता बना है। खुले आम घूम रहा है। कहता है कि क्षेत्रीय विधायक के समर्थकों को जान से मारे बिना हाजिर नहीं होऊंगा। स्थानीय पुलिस राजनैतिक पनाह देने वाले को भली-भांत जानती है, भय से पकड़ नहीं सकते क्षेत्र में आतंक से भयंकर असन्तोष है। जनता अपने को सुरक्षित नहीं पा रही है। उक्त व्यक्तियों की जान माल की रक्षा के साथ सुरक्षा हेतु लाइसेन्स दिलाने तथा राजनैतिक दबाव को रोकने का कष्ट करें।

बाई पास रोड फिरोजाबाद, आगरा के निकटवर्ती निवासी श्री वीरेन्द्र गुप्त के निवास पर डकैती व तीन व्यक्तियों की हत्या होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा.—

महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। दिनांक 14-2-86 को लगभग 6-80 सरे शाम नगर फिरोजाबाद की घनी बस्ती बाईपास रोड पर क्षेत्राधिकारी पुलिश कार्यालय व निवास से लगभग सौ गज की दूरी पर प्रतिस्ठित उद्योगपति, श्री वीरेन्द्र गुप्ता के निवास पर शसस्त्र डाकुओं ने हमला बोल दिया और घर में प्रवेश करते ही उनके एक नाव युवा पुत्र को गोली मार दी तथा श्री वीरेन्द्र गुप्ता और उनकी पत्नी से कहा कि अपनी अलमारी और स्टाक की चाबी दो।

तुम्हारा लड़का देखो मरा पड़ा है। युवा लड़के को देखकर उन्होंने चाभी दे दी। लगभग 5 लाख का माल लेकर बदमाश चलते बने और डाकू 50 मिनट तक लूट-पाट करते रहे। मान्यवर, इतना ही नहीं दिनांक 14-2-86 को सरगवां में डाकुओं ने 10 घरों को लूटा और लाखों की सम्पति लूट ली गयी। हाल ही में हानी के गांव में डाकुओं ने तीन व्यक्तियों को गोली से भून डाला और त्रिलोकपुर तथा नगला राम कुंवरि में सरेआम दिन में एक व्यक्ति को गोली मार दी गयी। जिससे फिरोजाबाद का जनमानस हिल उठा है और नागरिकों में भय व्याप्त है। क्षेत्राधिकारी फिरोजाबाद का कोई अंकुश नहीं है। अस्तु, सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि फिरोजाबाद को डाकुओं के भय से मुक्त कराने के लिये एक अतिरिक्त पुलिस कप्तान की नियुक्ति और ऐसे अकर्मण्य क्षेत्राधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करें।

बांदा जनपद में शिक्षित बेरोजगारों को कर्ज देने के चयन में धांधली करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, बांदा, जनपद में माह जनवरी, 86 में शिक्षित बेरोजगारों के चयन में भीषण घपला, धांधली एवं रिश्वतखोरी हथकन्डा अपनाया गया है। जिन शिक्षित बेरौजगारों के नाम पर लाटरी कर्ज देने को खोली गयी उमके नाम न देकर मनमानी ढंग से रिश्वत के बल पर सूची तैयार की गयी है और रिश्वत के रूप में हजारों रुपया वसूला गया। पात्र व्यक्ति को चयनित नहीं किया गया है। उद्देश्य से परे हटकर कर्ज दिया गया है, तमाम शिक्षित बेरोजगारों के फार्म गायब किये गये हैं और उन्हें सूचना तक नहीं दी गयी। कुछ को जानबूझ कर देर से साक्षात्कार के लिये सूचना दी गयी जिससे वह साक्षात्कार में न पहुंच सकें। अतः कृपया तुरन्त अष्टाचार से बनी चयनित सूची रोक कर लाटरी पद्धति से पुनः शिक्षित बेरोजगारों का चयन करके कर्ज दिया जाये और इस भ्रष्टाचार से बनी सूची की सी0 आई0 डी0 से जांच करायी जाये। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

*वक्ता ने भाषण का पुनःरीक्षण नहीं किया।

यांत्रिक गड़बड़ी व बिजली की कमी से सीता-से लिफ्ट कैनालों से किसानों को पानी न मिलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

महोदय, सीतापुर जिले में लिफ्ट कैनालों की कमाण्ड के किसानों को सिचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वह कभी यांत्रिक गड़वड़ी और कभी बिजली न मिलने से चल नहीं रही है । नीचे दिये आंकड़ों से स्थिति साफ हो जायेगी । वर्तमान फसल में सिंचाई की दशा यह है--

लिफ्ट का नाम	कमाण्ड एरिया (एकड़ों में)	कुल एकड़ जो सींचा गया (एकड़ में)
1	2	3
उमरापुर	5183	100
कुचलाई	4136	110
रहीमाबाद	2488	060
तेरवा	3220	052

फसल पूर्णतया चौपट हो गयी है और आगे भी पानी मिलने की कोई सम्भावना नहीं है, परिणाम स्वरूप किसानों में भी असंतोष है ।

उनकी मांग से अपने को सम्बद्ध करता हूं और मांग करता हूं कि लिफ्ट समाप्त कर सिचाई शारदा नहर प्रणाली से की जाये अथवा विश्व बैंक से राजकीय नलकूपों का एक कलस्टर लगा दिया जाय ।

विकास खण्ड खेकड़ा व पिलाना, बागपत मेरठ में भारी ओला वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

*श्री रिछपाल सिंह बन्सल---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद मेरठ की तहसील बागपत के विकास खण्ड खेकड़ा व पिलाना में दिसम्बर 1985 के मध्य में भारी ओला वृस्टि हुई जिसके कारण रबी की फसल में गन्ना, सरसों, चना, मटर व गेहूं की फसल लगभग 70 प्रतिशत समाप्त हो गयी है । किसान बहुत ही बेचैन हैं । किन्तु सरकार की तरफ से अभी तक कोई क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं की गयी है, उल्टे कड़ाई से बकाया राजस्व की वसूली की जा रही है जिससे जनता में भारी रोष व्याप्त है । अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि किसानों की हुई इस ओलावृष्टि से क्षति पूर्ति दिलाई जाये और बकाया राजस्व की वसूली अविलम्ब रोक दी जाय ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 33 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरा प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न सं0 33 को आप देखें, मैंने प्रश्न किया था कि क्या माननीय पंचायती राज मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद मिर्जापुर से नवम्बर, 1976 में सेवा विवृत ओवरसियर श्री बाल कृष्ण अग्रवाल को क्रमशः ग्रेच्युटी एवं पेंशन की कितनी धन-राशि देय है तथा इस देय धनराशि के भुगतान हेतु शासन को अब तक कितने माध्यमों से कितनी सूचनायें प्राप्त हुई है तथा इस धनराशि के भुगतान में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? तो आपने आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त कर दिया है । जबकि आश्वासन केवल इतना ही है कि पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जायेगा, मेरा प्रश्न आश्वासन से हट कर है और उसमें तीन बातें उठायी गयी हैं कि कुल कितनी धन-राशि देय है ? इसके लिये शासन की कितनी सूचनायें प्राप्त हुई ? तथा दोषी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? आज इसको स्थगित मान कर बाद में प्राथमिकता के आधार पर इसका उत्तर दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिखकर भेज दें । मैं इसको देख लूंगा ।

औचित्य के प्रश्न

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

औचित्य का जो प्रश्न दिया है, 4 प्रश्न मुझको प्राप्त हुए हैं उनको मैं नहीं सुन रहा हूं । इनमें किसी में भी औचित्य का प्रश्न बनता ही नहीं ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

एक टेलींग्राम मुझको मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरी बात सुन ले, वह नियम 56 में बात आ चुकी है । जो अभी नियम 300 में दिया है, वह नियम 56 में भी है । जब 56 आयेगा तो देखा जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । अभी ओचित्य के प्रश्न के बारे में आपने व्यवस्था दी है । कुछ माननीय सदस्यों ने औचित्य के प्रश्न में एक मसले को रखा है । और कुछ माननीय सदस्यों ने उसी को नियम 56 के अन्तर्गत रखा है.... (व्यवधान) तो ओचित्य के प्रश्न जिनके हैं उनको भी नियम 56 में शामिल करवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब वक्त आयेगा तब देखा जायेगा । आपकी भावनाओं को मैं समझता हूं ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, हमारा एक प्रश्न है, जो औचित्य का प्रश्न है, वह यह है कि 15 तारीख को हमारे बाराबंकी जनपद में हमारे मंत्रीमण्डल के 5 सदस्य पहुंच गये । कुछ लोग मुशायरा सुनने गये, कुछ लोग बाबा जी के दर्शन के लिए गये । वहां सर्किट हाउस में कोई जगह नहीं बची । जिले का सारा का सारा प्रशासन ठप्प हो गया । उस जिले में कोई प्रशासनिक मीटिंग नहीं थी, कोई कार्यक्रम नहीं था । सारे अधिकारी काम छोड़कर आवभगत में लग गये । कोने-कोने से आई जनता का काम विभागों में नहीं हो पाया ।

श्री उपाध्यक्ष--

औचित्य का प्रश्न नहीं बनता ।

श्री मित्रसेन--

इस तरह से 5-5 मंत्रियों को एक जगह पहुंच जाने से पूरा प्रशासन का कार्य ठप्प हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता कि कौन कहां जाता है, क्यों जाता है ?

श्री मित्रसेन--

यह कौन सा तरीका है ? इस तरह से शासन नहीं चलना चाहिए और इन मन्त्रियों को आपके स्तर से निर्देश होने चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

मित्रसेन जी आप बैठें । कौन कहां जाता है, क्यों जाता है इसका रिकार्ड रखना हाउस का काम नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

आपने मान्यवर, अभी यह बताया कि कहां कौन जाता है, कहां नहीं जाता है, पता नहीं ? तो क्या माननीय मन्त्री छिपे-छिपे दौरा शुरू कर दिये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी किस काम से गये थे यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता ।

(मद संख्या 4 पुकारे जाने पर)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

मान्यवर, मेरा एक 301 में प्रश्न था जो इलाहाबाद शहर के एक हरिजन के सम्बन्ध में है ।

श्री उपाध्यक्ष--

301 तो समाप्त हो गया है । आज नहीं आया तो कल आयेगा, परसों आयेगा । आयेगा कभी न कभी ।

(12 बजकर 35 मिनट)

फैजाबाद जनपद के राजकीय महिला चिकित्सालय, गोसाईगंज में महिला डाक्टर नर्स एवं अन्य स्टाफ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से फैजाबाद जनपद के राजकीय महिला चिकित्सालय गोसाईगंज में महिला डाक्टर, नर्स एवं अन्य स्टाफ उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री सुन्दर लाल जायसवाल तथा श्री कन्हैया लाल त्रिपाठी निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षारित याचिका उपस्थित करता हूं ।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, गोसाईगंज के भवन की मरम्मत के सम्बन्ध में याचिका

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद फैजाबाद में राजकीय बालिका इण्टर कालेज, गोसाईगंज के भवन की मरम्मत तथा उसके चारों तरफ चहारदीवारी के निर्माण विषयक श्री सुन्दर लाल जायसवाल तथा श्री कन्हैया लाल त्रिपाठी निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

1985 के द्वितीय सत्र के पांचवें मंगलवार में श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ द्वारा पूछे गये आतारांकित प्रश्न संख्या 42 का उत्तर संशोधित किये जाने हेतु परिवहन मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य

परिवहन नंत्री (राजकुमार संजय सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 5वें सोमवार को श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, मा0 सदस्य, विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के द्वारा यह जानकारी चाही थी की क्या यह सत्य है कि निगम की बस संख्या 4514 एक सप्ताह बाद अटेण्ड की गई एवं जांच में कुछेक खराबियों की पुष्टि भी हुई, यदि हां, तो क्या मा0 मन्त्री जी इस जांच को किसी निष्पक्ष एजेन्सी से करा-कर दोषी व्यक्तियों खे विरुद्ध कार्यवाही करेंगे एवं श्री श्री वर्मा को पुन: सेवा में बहाल करने के आदेश देंगे तथा माननीय मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जांच के सम्बन्ध में मा0 नेता विरोधी दल का दिनांक 1 अप्रैल, 1985 का पत्र प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई, और यदि नहीं तो क्यों ? उक्त प्रश्न के उत्तर में मा0 सदस्य को यह जानकारी दी गई थी कि "यह सत्य नहीं है कि उक्त बस एक सप्ताह के बाद अटेण्ड की गई ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ माना लया जाय, क्योंकि यह बहुत लम्बा है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[निरीक्षण के फलस्वरूप बस में केवल टाप-गियर स्लिप होने की खराबी पाई गई, तथा अन्य कोई खराबी नहीं पाई गई, जब कि श्री वर्मा ने 3 और खराबियों की भी गलत रिपोर्ट की थी। चूंकि पाई गई खराबी सामान्य प्रकृति की थी, जिसके लिए किसी अन्य कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया, अतएव किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्य-वाही करने का प्रश्न नहीं उठता है । उक्त प्रकरण में पूर्ण जांचोंपरान्त श्री वर्मा को ही दोषी पाया गया था, अतएव उनको सेवा से बहाल किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । मा0 नेता विरोधी दल का पत्र दिनांक 1-4-85 प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनका पत्र दिनांक 23-4-85 अवश्य प्राप्त हुआ था, जिसका उत्तर निगम के कार्यालय पत्र संख्या 84 रोडी/एम/85/527/ अपील 84, दिनांक 21-6-85 द्वारा उनको दिया जा चुका है ।

'छापी नहीं गयी ।

नोट--[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

माननीय सदस्य ने प्रक्रिया सम्बन्धीकरण संख्या 218/219 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना देते हुए सूचित किया कि उनको उक्त उत्तर द्वारा दी गई जानकारी सही नहीं है ।

3—इस प्रकरण में पुनः परीक्षण कराये जाने पर ज्ञात हुआ कि उक्त प्रश्न के उत्तर में दी गई सूचना "मा0 नेता विरोधी दल का पत्र दिनांक 1-4-85 प्राप्त नहीं हुआ" सही नहीं है तथा उत्तर का शेष भाग सही है । अतएव प्रश्नगत उत्तर के उक्त अंक को संशोधित करते हुए मैं निम्न शोधन वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं ।]

मा0 नेता विरोधी दल के पत्र दिनांक 1-4-85 एवं 23-4-85 प्राप्त हुए थे। दोनों ही पत्रों के साथ श्री बी0 एन0 पी0 वर्मा, भूतपूर्व चालक, का प्रत्यावेदन संलग्न किया गया था, तथा एक ही प्रत्यावेदन की प्रतिलिपियां उक्त पत्रों के साथ प्राप्त हुई थीं । मा0 नेता विरोधी दल को उनके पत्र दिनांक 23-4-85 के संदर्भ में निगम कार्यालय के पत्र संख्या 84 रोडी/एम/85/527 अपील-84, दिनांक 21-6-85 द्वारा उत्तर भेजा गया था । उल्लेखनीय है कि श्री वर्मा के मामले में कई मा0 विधायकों द्वारा एवं मा0 नेता विरोधी दल द्वारा पत्र लिखे गये थे। यह सभी पत्र एक ही प्रकरण अर्थात् श्री बी0 एन0 पी0 वर्मा, भूतपूर्व चालक, के सेवा से पृथक किये जाने के मामले से सम्बन्धित थे, तथा मा0 नेता विरोधी दल के पत्र दिनांक 23-4-85 को उत्तर उनको भेजा जा चुका था, जिसके कारण उसी विषय का पत्र दिनांक 1-4-85 निगम के सम्बन्धित अधिकारी की दृष्टि से ओझल हो गया, तथा उनके द्वारा शासन को भेजी गई आख्या में उक्त पत्र दिनांक 1-4-85 की प्राप्ति का उल्लेख भूलवश नहीं किया गया । मा0 नेता विरोधी दल को उनके पत्र दिनांक 23-4-85 के संदर्भ में भेजे गये उत्तर से स्पस्ट है कि इस मामले से सम्बन्धित किसी भी तथ्य को छिपाने का अथवा सदन को गुमराह करने का उद्देश्य नहीं था ।

4—उपरोक्त के संदर्भ में निगम के सम्बन्धित अधिकारी को अपने दायित्व में सतर्क न रहने के कारण प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है ।

5— मा0 सदस्य को भेजे गये उत्तर में जो त्रुटि रह गई, उसके लिए अत्यन्त खेद व्यक्त करता हूं ।

चीनी मिल इकाइयों के गन्ना मूल्य में असमानता के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

चीनी मिलों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने का न्यूनतम मूल्य शुगरकेन (कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 के प्राविधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । गन्ने की उत्पादन लागत, किसानों को दूसरी फसलों से मिलने वाला मूल्य, कृषि उत्पादों के मूल्य की सामान्य प्रवृत्ति, उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराने, गन्ने से उत्पादित चीनी का विक्रय मूल्य एवं गन्ने का चीनी परता, को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार प्रत्येक वर्ष गन्ने के मूल्य की न्यूनतम दर निर्धारित करती है । तद्नुसार भारत सरकार ने वर्तमान चीनी वर्ष 1985-86 के लिए 8.5 प्रतिशत चीनी परता से सम्बद्ध रु0 16.50 प्रति कुण्टल न्युनतम गन्ना मूल्य निर्धारित किया है। इस आधार पर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों के लिए चीनी परता के अनुसार भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा निधारित गन्ने का मूल्य रु0 16.50 तथा रु0 20.58 प्रति कुण्टल के बीच आता है ।

शुगरकेन (कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 के क्लाज 5 (ए) में विधिक न्यूनतम गन्ना मूल्य के अलावा अतिरिक्त गन्ना मूल्य दिये जाने का प्रविधान है । इसे सामान्यतः "भार्गव फार्मूला" की संज्ञा दी जाती है । इस फार्मूले के अनुसार चीनी परता से सम्बद्ध न्यूनतम गन्ना मूल्य के भुगतान के पश्चात् वर्ष के अन्त में चीनी मिलों को खुली बिक्री की चीनी पर प्राप्त अतिरिक्त चीनी मूल्य का 50 प्रतिशत किसानों को अतिरिक्त गन्ना मूल्य के रूप में देय होता है । परन्तु उक्त व्यवस्था के वितरीत प्रदेश शासन कृषकों

के हित व अन्य पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुये अपने कृषको को सीजन प्रारम्भ से ही न्यूनतम निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य देने को पहल करता आया है । विगत वर्षों से यह परम्परा चली आ रही है कि प्रदेश शासन निर्धारित न्यूनतम से अधिक गन्ना मूल्य सरकारी व सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों हेतु निर्धारित करता है । निजी क्षेत्र की चीनी मिलों से भी यही मूल्य अपनाने का सुझाव देता है जिसे इस सेक्टर की भी मिलें मानती आयी हैं । तद्नुसार पिछले पेराई सत्र 1984–85 में पश्चिमी/मध्य क्षेत्रों के लिये रु0 22/– प्रति कुण्टल व पूर्वी क्षेत्र के लिये रु0 21/- प्रति कुण्टल गन्ना मूल्य दिये जाने का शासन द्वारा मिलों को परामर्श दिया गया । वर्तमान पेराई सत्र 1985–86 के लिये इसे बढ़ाकर उक्त क्षेत्रों में क्रमशः रु0 24/– प्रति कुण्टल एवं रु0 23/- प्रति कुण्टल का परामर्श दिया गया है ।

उक्तानुसार वर्तमान पेराई सत्र 1985–86 में सरकारी एवं सहकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की सभी चीनी मिलों द्वारा शासन द्वारा परामर्शित गन्ना मूल्य गन्ना कृषकों को दिया जाने लिया । परन्तु शासन की जानकारो में यह तथ्य प्रकाश में आया है । कि पश्चिमी क्षेत्र की कतिपय निजी चीनी मिलों द्वारा, जहां गन्ने का व्यवर्तन गुड़ एवं खांडसारी इकाईयों में अधिक हो रहा या, अल्प अवधि के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से परामर्शित गन्ना मूल्य से अधिक मूल्य कृषकों को दिया गया । परन्तु अब निजी क्षेत्र की भी अधिकांश मिलें परामर्शित गन्ना मूल्य के अनुसार ही गन्ना क्रय कर रही हैं । सहकारी एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा प्रारम्भ से ही कृषकों को परामर्शित गन्ना मूल्य दिया जा रहा है । इन मिलों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह शासन द्वारा परामर्शित गन्ना मूल्य से अधिक गन्ना मूल्य कृपकों को दे सकें ।

पश्चिमी क्षेत्र में अधिक गन्ना मूल्य देने की मांग को लेकर कुछ मिलों के किसानों द्वारा हड़ताल की गयी थी । परन्तु अब अधिकांश मिलों में स्थिति सामान्य है । केवल कतिपय मिलों में गुड़/खांडसारी इकाईयों के अधिक मूल्य देने के कारण गन्ने का काफी व्यवतन हो रहा है जिसकी वजह से इन मिलों को पर्याप्त गन्ने की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान पेराई सत्र 1985–86 की दिनांक 22 जनवरी, 1986 तक के प्राप्त विवरण के अनुसार 79.24 लाख टन गन्ने की पेराई हो चुकी है जब कि पिछले वर्ष इसी तिथि तक 75.80 लाख टन गन्ने की पेराई हो पायी थी । इसी प्रकार उक्त तिथि तक चीनी उत्पादन इस पेराई सत्र में 7.15 लाख टन हो चुका है, जबकि पिछले सत्र 1984–85 में इस तिथि तक उत्पादन 6.89 लाख टन था ।

श्री राम सरन––

माननीय, यह जो सरकार की तरफ से वक्तव्य आया है यह केवल एक जाल बट्टा और अफसरों का लिखा हुआ है क्योंकि हमारे रिछारिया साहब जो हैं इनको तो कुछ पता नहीं है, जिनको पता है वे मुंह छिपाये पीछे बैठे हैं । यह तथ्यों से परे गलत और आफिसरों द्वारा बनाया हुआ कहूंगा और इसे मैं आपके सामने फाड़कर फेंकता हूं ।

(वक्तव्य की प्रति फाड़कर फेंकने पर)

श्री उपाध्यक्ष––

सबाल तो आप पूछिये ।

श्री राम सरन––

यह इन्होंने जो कहा है उसमें मैं पूछना चाहता हूं कि गन्ना पैदा करने में किसानों की जो लागत आती है एक क्विंटल में कितनी आती है ? और चीनी मिलों द्वारा उसे खरीदने पर कितना पैसा मिलता है ?

श्री मुईद अहमद––

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय रामसरन दास जी एक वक्तव्य जो माननीय मंत्री जी ने पढ़ कर सुनाया उसको फाड़ कर फेंक दिया तो क्या यह संसदीय है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

इस पर कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो एक क्विंटल गन्ने की उत्पादकता मूल्य पूछा है तो स्वयं और सारा सदन जानता है कि भारत सरकार जो न्यूनतम गन्ना मूल्य देती है उसमें प्रति एकड़ कास्ट आफ प्रोडक्शन जोड़कर मूल्य निर्धारित करती है ।

श्री हरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जब खांडसारी उद्योग और निजी क्षेत्र की चीनी मिलें किसानों को गन्ने का अधिक दाम दे रही हैं तो सरकार किस कारण चीनी मिलों को कम दाम देने के लिये बाध्य कर रही है ? क्या सरकार की किसान बिरोधी नीति के कारण किसान आज लुट नहीं रहा रहा है ? क्या मिलों को मुकसान नहीं हो रहा है ? इस तरह से आंखें सरकार क्यों बंद किये है ? अधिक मूल्य देने में क्यों हिचक रहा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

पहला प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया है कि गन्ना मिलें अधिक मूल्य दे रही हैं, तो मैं उनको सूचना देना चाहता हूं कि गन्ना के ऊपर अधिक मूल्य उन्होंने नहीं दिया है बल्कि मैंने जानकारी कराया है तो मालूम हुआ कि उन्होंने कहा है कि हम गन्ने के मूल्य में ज्यादा धन नहीं दे रहे हैं बल्कि जिन क्षेत्रों में पायरिला से गन्ने की फसल प्रभावित थी उसके कारण 4 रुपये प्रति क्विंटल अप्रत्यक्ष रुप से कुछ मिलें दे रही हैं ।

अब उन्होंने प्रश्न किया है कि शासन इसमें क्यों हिचक रहा है ? मान्यवर, शासन अपना मूल्य और नीतियां रोज निर्धारित नहीं कर सकता है जबकि प्राइवेट फैक्टरियां ऐसा कर सकती हैं, वह मूल्य कम कर सकती है और बढ़ा भी सकती हैं लेकिन शासन ऐसा नहीं कर सकता है । हमने जांच कराया है तो गन्ना मिलों ने मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं किया है ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने बक्तव्य में कहा है कि 8.5 प्रतिशत चीनी परता से सम्बद्ध रु0 16.50 प्रति कुंटल न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित किया है । मान्यवर, मंत्री जी को मालूम होगा कि केन्द्रीय कृषि मंत्री ने अभी कहा है कि पिछले 30 बर्षों में यहां की सरकार किसानों को गन्ने की नवीनतम किस्म नहीं दे पायी है जिसके कारण चीनी परता पड़ना अवश्यम्भावी है ।

तो चूंकि यह सरकार का गुनाह है, इसको ध्यान में रखते हुये सरकार अपनी गल्तियों के लिए किसानों को न दंडित करे । क्या सरकार किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने का प्रयास करेगी ? और जो सरकार के पार्ट में गल्ती रही है, उसके लिए किसानों को न सजा देने का क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जो नई वैराइटी न वितरित करने का मामला उठाया है, तो श्रीमन् गन्ने के बजट के दिन पिछले साल गोरखपुर के एक सदस्य ने जब इस बारे में एक बात उठाई थी तो उसके उत्तर में हमने यहां एक पूरी लिस्ट पढ़कर सुनाई थी कि इम्प्रूव वैराइटी को किन-किन क्षेत्रों में किस-किस कृषकों को दिया गया है । तो वह सूचना दी जा चुकी है । दूसरे, 8.5 की जो परले की बात है, उण हमने स्टैन्डर्ड माना है, 10.5 की रीकवरी आ रही है, जो हिन्दुतान में काफी अच्छी है । तो यह कहा जाना उचित नहीं है कि अपने यहां अच्छी वैरायटी से परता नहीं आ रहा है, वह आ रहा है । लेकिन उन्होंने मिनीमम निर्धारित कर रखा है, उसके ऊपर जो परता आता है उसके ऊपर वह बढ़ाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सन्दर्भित मैं यह जानना चाहता हूं, एक तो सरकार जो नीति तय करती है वह मिनिमम दरों की नीति तय करती है, इससे निम्नतर न जाए, आगे चाहे बढ़े । मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है--चाहे पायरिला के कारण कर रहे हों, लेकिन मेरी जानकारी है कि वह उनकी अच्छी कीमत देने को तैयार है--सब लोग दे रहे हैं और क्रैशर वाले तो दे ही रहे है । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब सब लोग देने को तैयार हैं, तो शासन की कोई ऐसी नीति है, चाहे

पाइरेला के कारण ही दे रहे हों, अगर प्राइवेट फैक्ट्री वाले दे रहे हैं तो सहकारी मिलें और सरकारी नियन्त्रण वाली मिलें क्यों नहीं दे रही हैं ? क्या मुख्य शंत्री ने ऐसा कोई गुप्त पत्र मिल-मालिकों को लिखा है कि अधिक कीमत गन्ने की न दी जाय ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

श्रीमन्, इस तरह का कोई गुप्त मुख्य मंत्री जी ने नहीं लिखा है । जो आपने पायरिला वाली बात कही है, यह मेरे पास एक निजी कम्पनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग कम्पनी का पत्र है, जिससे इस सम्बन्ध में कुछ लाइने पढ़ना चाहता हूं, जिससे मामला स्पष्ट हो जायगा । इसमें है कि--'सभी किसान भाई इस बात से परिचित हैं कि गन्ने की फसल पर पायरिला का भयंकर प्रकोप और समय से वर्षा की कमी की वजह से इस वर्ष गन्ने की उपज में कमी हुई है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष गन्ने की बुवाई के समय खाद व उर्वरक डालने तथा कीटनाशक व जमाववर्द्धक दवाओं के प्रयोग के लिए चीनी मिल खतौली किसान भाइयों द्वारा किये जाने वाले गन्ना विकास कार्यक्रमों को तेजी से लागू कराने में मदद के लिए दिनांक 29-1-86 से मिल गेट व बाहरी क्रयकेन्द्रों पर गन्ना पूर्ति पर सब्सिडी का भुगतान नकद कर रही है ।

श्री कनक सिंह--

मान्यवर, मेरी निजी जानकारी है कि सरकार ने केन कमिश्नर के माध्यम से एक लेटर जारी किया कि जो मिलें अतिरिक्त यूरिया के रूप में या मूल्य के रूप में दे रहीं हैं उनके सेन्टर सहकारी मिलों से हटा दिये जायं । जब उनपर दबाव पड़ा तो अपने हिसाब से फिर वह पैसा दे रही हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो खांडसारी इकाईयां हैं और खांडसारी क्रेशर हैं वह 34-35 रुपये का रेट दे रही हैं लेकिन मिलें 24 रुपये का रेट दे रही हैं । तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप सवाल पूछिये ।

श्री कनक सिंह--

मान्यवर, जब 34 रुपये रेट पर गन्ना खरीद कर खांडसारी इकाइयां प्राफिट में हैं तो सरकारी और सहकारी मिलें लास पर क्यों हैं ? दूसरी बात यह है कि पिछले 2 सालों में चीनी का रेट 3 30 से बढ़कर 4.50 कर दिया गया है और गन्ने के रेट में 2 रुपया बढ़ाया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सवाल पूछें ।

श्री कनक सिंह--

मान्यवर, 10 क्विंटल गन्ने से एक क्विंटल चीनी निकलती है । तो 1500/- चीनी में बढ़ोतरी होती है तो 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाना चाहिये । यह असामनता क्यों है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि खांडसारी यूनिट अत्याधिक पैसा दे रही हैं, 30-32 रुपये देने की सूचना है । तो जो निजी मिलें हैं और काफी बड़ी कैपेसिटी की थीं उन्होंने इन्डायरेक्ट किसानों को जिससे मिल में गन्ना ज्यादा से ज्यादा आये इसके लिये उन्होंने किसी न किसी बहाने मूल्य देना प्रारम्भ किया । इससे जो हमारी मिलें हैं उन पर इफैक्ट होना शुरु हुआ । तो मिलों में आमदनी कम हो रही थी और उनमें भी आमदनी रहे इसके लिये व्यवस्था की गयी और बाद में यह पाया गया कि हमारी आमदनी बढ़ी नहीं और वह खांडसारी में जा रही थी तो हमने उन क्षेत्रों को काटा । तो पश्चिमी क्षेत्रों में फर्क आया है । 31 जनवरी से.....(शोर)

पूरा प्रश्न हो जाने दें । (शोर)

श्री सुखपाल पाण्डे--

प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग कृपा कर बैठें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, जितने भी सवाल पूछे गये हैं माननीय मंत्री जी अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की हालत खराब होती जा रही है एक छोटा सा सवाल पूछा गया है कि पंत नगर में और कानपुर में कृषि विश्वविद्यालय जो है उसके मुताबिक कितना खर्च आ रहा और माननीय मंत्री जी बता नहीं पा रहे हैं अभी हरेन्द्र मलिक ने पूछा कि व्यक्तिगत मिलें अधिक दे रही हैं और आप नहीं दे रहे हैं तो इसका उत्तर नहीं आया। तो सारे तथ्यों को आना चाहिये। गन्ना किसान हड़ताल कर रहे हैं। किसान गन्ना नहीं दे रहे हैं यह वक्तव्य सत्य से परे है। सारे तथ्य आ जायं इसलिये मेरा आग्रह है कि इस पर दो घंटे की चर्चा करा दीजिये।

श्री राम सरन—

मान्यवर, चर्चा अवश्य करा दें, हम लोग माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। (कई सदस्यों द्वारा चर्चा की मांग करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

सदन की भावना को देखते हुए मैं एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं, और समय बाद में आवश्यकता होने पर बढ़ सकता है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत कार्य स्थगन की 15 सूचनाएं आयी हैं, सभी के नाम मैं पढ़े देता हूं। पहली सूचना सर्वश्री शारदा प्रताप, सुखपाल पाण्डे, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, कामेश्वर उपाध्याय तथा डा0 अच्युतानन्द तिवारी की श्री हरी शंकर तिवारी, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी/रिहाई के बारे में। दूसरी और तीसरी सूचना भी इसी सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और जो जनार्दन प्रसाद ओझा की है। चौथी सूचना श्री कौशिक रमाशंकर की काशी विद्यापीठ में प्रवक्ता की हत्या के बारे में है और यही सूचना पांचवें नम्बर पर श्री राजकिशोर सिंह ने भी दी है। छठी सूचना सर्वश्री बनी प्रसाद वर्मा, राम सागर और श्री फरीद महफूज किदवई की बाराबंकी में बुनकरों के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के बारे में है। 7वीं सूचना श्री रामचन्द्र बख्श सिंह की प्रदेश में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में की जा रही वसूली से किसानों में असंतोष के सम्बन्ध में में। 8वीं सूचना श्री सरदार सिंह की मथुरा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में की जा रही वसूली में किसानों में असंतोष के बारे में। 9वीं तथा 10वीं सूचना सर्वश्री देव कुमार यादव व फजलुल बारी की प्रदेश में व्यापक साम्प्रदायिक तनाव से सम्बन्धित है। ग्यारहवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की बेसिक शिक्षकों के भविष्य में घोटाला से सम्बन्धित है। बारहवीं सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की श्री फूलचन्द्र, सदस्य, विधान परिषद् के घर पर हमला से संबंधित है। 13वीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की स्वास्थ्य विभाग द्वारा घटिया दवाओं का क्रय किये जाने के बारे में, 14वीं सूचना सर्वश्री मोहम्मद रिजवानुलहक, सखावत हुसैन, अमीर आलम खां, शफीकुर्रहमान बर्क, मुहम्मद आजम खां, मोहम्म आकिल, श्री जागन सिंह की मुरादाबाद में 28 वर्षीय महिला की लाश पाई जाने के सम्बन्ध में तथा 15वीं सूचना श्री गौरी शंकर भइया की बलिया में चौकी इंचार्ज एवं पुलिस कर्मियों द्वारा विधवा महिला के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री राम आसरे बर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक अनुरोध है कि कई माननीय सदस्यों ने श्री हरिशंकर तिवारी की गिरफ्तारी के सिलसिले में औचित्य के प्रश्न उठाये हैं, उनके नाम यदि इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव में जोड़ दें, मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, इसमें सर्वश्री राम आसरे बर्मा, सुखपाल पाण्डे और श्री मित्रसेन जी के नाम भी जोड़ दिये जायेंगे।

श्री सुखपाल पाण्डे—

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बड़ी विषम परिस्थियों घटित घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 15 फरवरी,

[श्री सुखपाल पाण्डे--]

86 को कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष, श्री कमलापति त्रिपाठी, नेशनल इन्टर कालेज में मुख्य अतिथि के रुप में बड़हलगंज-गोरखपुर गये थे । उस स्कूल के प्रबन्धक ने तमाम लोगों को आमंत्रित किया था और बहुत से लोग उस समारोह में भाग लिये । श्री हरिशंकर तिवारी ने भी भाग लिया । श्री दया शंकर दुबे का एक टेलीग्राम मुझे मिला है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पुलिस के लोग उनको गिरफ्तार कर लिये और गिरफ्तार करके उनको एक जगह ले गये औ हरिशंकर तिवारी, जो इस माननीय सदन के सदस्य हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनको पहले रास्ते में ले गये और एकान्त जगह, सूनी जगह पर उनको खड़ा किया और जब लोगों को मालूम हुआ कि उनको इनकाउन्टर कर देंगे, तो तमाम लोगों को यह सूचनाएं मिलीं, तो काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी, जिसके कारण उनके साथ यह घटना नहीं घट सकी । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्री दया शंकर जो लोकदल के उम्मीदवार थे और श्री बीर बहादुर सिंह, मुख्य मंत्री के विरुद्ध लड़े थे । श्री दया शंकर और श्री हरि शंकर तिवारी को पुलिस द्वारा एकान्त में ले जाया गया और उनको 6 घंटे से अधिक समय तक एकांत में रखा गया, उसके बाद उन्हें सहजनवा थाने में रखा गया और इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और जनता के ऊपर लाठी चार्ज किया गया । मान्यवर, यह सरकार, माननीय मुख्य मंत्री ने बार-बार यह घोषणा किया था कि यह राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के ऊपर, राजनैतिक द्वषभावनाओं से प्रेरित होकर यह जो आपका गिरोहबन्दी कानून है, लागू नहीं किया जायगा, लेकिन यह ठीक गोरखपुर में इस्तेमाल किया जा रहा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर यह गिरोह में माननीय हरि शंकर तिवारी को मानते हैं, तो उनसे सम्बन्धित माननीय कमलापति त्रिपाठी भी उस धारा के अन्तर्गत आते हैं, उनको भी गिरफ्तार करना चहिए था । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों के अधिकारों की रक्षा आप करें, नहीं तो इस सरकार की यह मंशा है कि वह चूंकि बहुमत के मद में है, वह चाहती है कि पुलिस विभाग को निरंकुश बना कर राज्य करे । मान्नवर, हम लोगों की रक्षा अगर आप नहीं करेंगे, तो पता नहीं कितने लोगों की हत्या कर दी जायेगी । मान्यवर, माननीय हरि शंकर तिवारी जी आपके बीच में हैं, वह सदन में आये हुए हैं, वह स्वयं भी आपको बतायेंगे । लेकिन मुझे जो टेलीग्राम मिला है, मैं उसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उस टेलीग्राम को पढ़ देना चाहता हूं ।

"मुख्य मंत्री यह घोषणा करते हैं कि असामाजिक तत्व विरोधी अध्यादेश का राजनैतिक विरोधियों के खिलाफ प्रयोग नहीं किया जायगा, फिर भी मुझे केवल इसलिए पुलिस ने पकड़ा कि मैं मुख्य मत्री के खिलाफ उनके निर्वाचन क्षेत्र से लोकदल टिकट से चुनाव लड़ा था । मुझे कल दिनांक 15 फरवरी को सायं करी साढ़े 4 बजे नेशनल डिग्री कालेज, बड़हल गंज से पकडा गया, जहां विद्यालय की रजतजयंती समारोह में मैं आमंत्रित था और साढ़े 12 बजे रात को सहजनवा थाने पर श्री हरि शंकर तिवारी विधायक के छोड़ा गया । उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह क्या पढ़ रहे हैं आप ?

श्री सुखपाल पाण्डे--

यह टेलीग्राम है जो मुझको मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मिला है तो उसकी कापी आपको भेजनी चाहिए थी ।

श्री राम आसरे बर्मा--

मान्यवर, माननीय सुखपाल पाण्डे जी ने बहुत अहम मसले की तरफ संकेत किया है । जिन माननीय सदस्य की तरफ संकेत किया वह माननीय सदस्य सदन में मौजूद हैं । मान्यवर, यह मामला माननीय सदस्य से सम्बन्धित है । मान्यवर, जो मामला माननीय सदस्य से सम्बन्धित होता है, और वह माननीय सदस्य यदि सदन में उपस्थित होते हैं, तो उनको पहले सुन लिया जाता है । उसके बाद अन्य माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करते हैं । ऐसी सदन की परम्परा रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, इस सदन की परम्परा रही है कि यदि कोई सदस्य अपने बारे में या अपनी जानकारी के आधार पर या दूसरे के बारे में अपनी निजी जानकारी के आधार पर इस सदन को कोई सूचना देता है, तो यह सदन उसको सत्य मानका कार्यवाही कराता है । माननीय सदस्य, बस्ती ने जो सूचना हरि शंकर तिवारी जी के बारे में दी, तो वह यहां मौजूद है मान्यवर, कार्यसूची के नम्बर--3 को देखें इसमें इस बात को दिया गया है कि किसी सदस्य को किसी तरह से निरोध किया जाए, तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको आनी चाहिए और अगर यह बात सत्य है कि हरि शंकर तिवारी जी को पुलिस ने कस्टडी में लिया तो उसकी सूचना आपके पास न आए यह सदन की अवमानना है, सदन की पीठ की अवमानना है ।

(मेजों की थपथपाहट)

इस बात को दलीय प्रश्न नहीं बनाना चाहिए । में आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से, इस सदन से और सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर यह बात सही है और पुलिस अधिकारियों ने जो आपको समय से सूचना नहीं दी तो इसके लिए वह दोषी है, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए । दूसरी बात हरि शंकर तिवारी जी यहां मौजूद हैं, सदन की यह परम्परा है कि अगर कोई सदस्य सूचना देता है तो उसको आधार मानकर कार्यवाही करते हैं । मान्यवर, मेरा आप से निवेदन है कि कोई व्यवस्था कार्य-स्थगन या किसी बात पर देने से पहले हरिशंकर तिवारी को इस पर सून लें । माननीय सुखपाल पाण्डे जी ने जो सूचना दी है उसके बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन की एक कमेटी जिसमें संसदीय कार्यमंत्री और नेता बिरोधी दल तथा दूसरे अन्य सदस्य हों, की बनवा दें, जो इस मामले की जांच करें । और उसकी जांच के आधार पर जो दोषी पाये जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए । मान्यवर, निरपराध होने पर भी पुलिस अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके हमको अपने घेरे में लेकर फिर उसको छिपाने का प्रयास करे यह जघन्य कार्य होगा । यदि इस पक्ष और उस पक्ष के लोगों ने मिलकर सदन की गरिमा बनाये रखने के सामूहिक उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयास नहीं किया तो जनतंत्र पर अंकुश लग जायेगा । मान्यवर, सदन की प्रतिष्ठा को बरकरार रखा जाए इसके लिए आवश्यक है कि दलीय मतभेद से ऊपर उठकर सदन के गौरव के लिए इस पर विचार करें। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं व्यवस्था देना चाहता हूं कि मुझे कोई सूचना गिरफ्तारी की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए यह जानकारी के हिसाब से नियम-56 में आया है । वह गिरफ्तार हुए या नहीं हुए इसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं । तिवारी जी अब अपना स्पष्टीकरण दे दें ।

श्री हरी शंकर तिवारी--

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, नेशनल डिग्री कालेज, बड़हलगंज में हे। वहां रजत जयंती समारोह था जिसका उद्घाटन करने के लिये कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पंडित कमलापति त्रिपाठी वहां गये थे, मैं भी वहां का प्रबन्धक हूं । मान्यवर समारोह की समाप्ति पर दोहरीघाट तक मैं श्री त्रिपाठी जी को छोड़ने गया, वहां उनको छोड़कर प्रणाम करके मैं वापस होने वाला था कि जो पुलिस अधिकारी वहां थे, जिनको मैं समझता था कि सुरक्षा के लिए उनके साथ लगे हुए हैं, उन्होंने कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैंने कहा मेरे खिलाफ कोई वारंट है, लेकिन डी0 एस0 पी0 सत्यदेव कुंवर ने कहा कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, मैंने उनसे फिर कहा कि क्या मेरे खिलाफ कोई वारंट है, तो उन्होंने कहा कि ज्यादा बक-बक मत करिये मेरे साथ चलिए।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)--

सदन में झूठ नहीं बोला जाता यहां सच बोलिए ।

(घोर व्यवधान)

श्री हरि शंकर तिवारी--

मान्यवर मैं सच बोल रहा हूं । इसी सदन के माननीय सदस्य डा0 अच्युतानन्द तिवारी उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र--

एक सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, तो दूसरे सदस्य को उत्तेजित नहीं होना चाहिये । इससे सदन का वातावरण दूषित हो रहा है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई उतेजना नहीं है ।

श्री शारदा प्रताप--

मंत्री जी ने कहा कि झूठ कह रहे हैं ।

श्री हरिशंकर तिवारी--

मान्यवर, मुझे गिरफ्तार करके साढ़े पांच बजे 30 किलो मीटर सुनसान जगह पर, जो कछार का एरिया है आमी नदी के किनारे वहां ले गये । वहां पर गोरखपुर से एडीशनल एस0 पी0 आये, हमने उनसे कहा हमको क्यों गिरफ्तार किया गया ? तो डी0 एस0 पी0 ने कहा आप मुख्यमंत्री जी का विरोध सदन और सदन के बाहर करना छोड़ दें नहीं तो आपका जीना दूभर कर दूंगा । मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ने कोई आदेश मुझे गिरफ्तार करने का दिया है, आप मुख्यमंत्री जी से कह दीजिये कि वह भ्रष्टाचार बन्द कर दें । चाहे आप मेरा इन्काउन्टर कर दें, किन्तु मैं प्रत्येक गलत काम का विरोध अवश्य करूंगा । मैं जेल में बन्द था, शासन के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण मुझे 10 महीने तक निरुद्ध रखा गया । मुझे जेल के अन्दर रहते हुये जनता ने इसलिये जिताया था कि मैं भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा । भ्रष्टाचार की उद्घोषणा सदन में और सदन के बाहर करूंगा । मैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पंडित कमलापति त्रिपाठी को छोड़ने गया था । मैं घर रहता हू विधान सभा में आता हूं, अगर कोई वारन्ट है या कोई इस प्रकार का कार्य मैंने किया है तो मुझे गिरफ्तार किया जा सकता था । लेकिन जिस समय मैं पंडित जी को छोड़ने गया था, उस समय कौन सी ऐसी दुर्व्यवस्था पैदा हो गई ? जिसके कारण मुझे गिरफ्तार किया गया । यह शर्म की बात है । मान्यवर मुझे गिरफ्तार किया गया इसके विरोध में जो वहां की जनता एकत्रित हुई उस भीड़ पर लाठी चार्ज किया । इसी सदन के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, यह बतायें कि मैं गलत कह रहा हूं । माननीय हरीश जी वहां गये थे; यहां हर जनता में कितनी उत्तेजना है, जनता ने थाने को घेर लिया तब जाकर मुझे छोड़ा गया । डेढ़ बजे रात में मुझे छोड़ा गया । सहजनवा थाने में ले जाया गया और वहां पर ट्रंक काल बुक करके बात की गई । मैंने सी0 ओ0 सीटी, मेहरात्रा से कहा मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है ? तो उन्होंने बताया कि आपको तथा अमर मणि को गैंगेस्टर के तहत गिरफ्तार किया गया है । सीटी मैजिस्ट्रेट अभी नहीं आये हैं, उनका दस्तखत बाकी है । मान्यवर उसके बाद एस0 पी0 सीटी आये और साढ़े पांच बजे मुझे गिरफ्तार किया गया था, मुझे डेढ़ बजे रात में छोड़ा गया । मैंने उनसे पूछा कि पहले आपके डी0 एस0 पी0 सर्व देव कुंवर ने कहा था कि आपके खिलाफ वारन्ट है और आपको बन्द किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप जाइये । कहीं इस तरह की कोई बात तो नहीं है कि आप यहां कह रहे हैं कि आप जाइये, लेकिन जाने पर मुझे रास्ते में आपके लोग मार दें और बाद में कह दिया जाय कि मेरे विरोधियों ने मुझे मार दिया । मेरे गिरफ्तार होने पर वहां 8-10 हजार लोगों की भीड़ जमा हो गयी थी, उसने जब दबाव डाला तो मुझे छोड़ा गया । मेरा इस सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध है कि आप सदन की एक कमेटी बनावें अन्यथा न्याय नहीं मिलेगा । जब मुख्य मंत्री के इशारे पर लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, इसी सदन में चन्द दिनों पहले मुख्य मंत्री ने बताया था कि इस गिरोहबन्दी अध्यादेश का इस्तेमाल किसी राजनीतिक कारणों से नहीं किया जायगा तो मुझे बताया जाय कि उस समय मेरा ऐसा कौन सा कार्य था ? जिसके कारण मुझे इस प्रकार जलील किया गया । इस घटना से मेरे ऊपर ही कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पं0 कमलापति त्रिपाठी जी के माथे पर कलंक

का टीका लगा है। यह कितने शर्म की बात है कि हमारे साथ इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी के श्री सुरेश पाण्डे थे उनको भी इस काले कानून के तहत बन्द किया गया है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे भय है कि मुख्य मंत्री के इशारे पर कभी भी मेरी हत्या हो सकती है, अतः मेरी सुरक्षा की व्यवथा की जाय और उस दिन की घटना के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तिवारी जी ने अपनी बात कही अब उस पर शासन का दृष्टिकोण पता लग जाय कि क्या है ? क्या नहीं है ? क्योंकि यहां पर तो कोई सूचना है नहीं, तो इस पर शासन कुछ कहे तो आपको कुछ कहने का मौका मिले।

(गृह राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि आपको स्मरण होगा कि शनिवार के दिन मैंने ऐसे ही एक संदर्भ में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। आज आपने अपने श्रीमुख से एक व्यवस्था दी कि मंत्री जी बोले। शनिवार को आपने मेरे व्यवस्था के इस प्रश्न के संदर्भ में कि इस आदरणीय सदन में जिस विषय पर चर्चा हो, उस पर सम्बन्धित मंत्री ही उत्तर दें, आपने व्यवस्था दी थी कि चूंकि इस समय चर्चा नहीं हो रही है और केवल ग्राह्यता पर ही विचार हो रहा है, अत ग्राह्यता पर संसदीय कार्य मंत्री उत्तर देंगे, लेकिन आज आपने अपनी बात उलट दी। आज जब ग्राह्यता पर विचार हो रहा है तो आपने सम्बन्धित मंत्री जी को उत्तर देने के लिये कह दिया है। तो आज अभी जब ग्राह्यता पर ही विचार हो रहा है तो आपकी व्यवस्था के अनुसार इस समय संसदीय कार्य मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये। इसके बाद चर्चा के समय मंत्रीजी को बोलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी व्यवस्था उसदिन भी ठीक थी और आज भी ठीक है। संसदीय कार्य मंत्री किसी भी विषय का उत्तर देने में सक्षम हैं। लेकिन आज जब मंत्री जी मौजूद हैं तो वह जवाब देंगे।

अभी गिरफ्तारी पर ही कंट्रोवर्सी है। सरकार का जवाब आ जाने दीजिए कि उनका क्या दृष्टिकोण है ?

(गृह राज्य मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान के पुनः खड़े होने पर)।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप गृह राज्य मंत्री को बुला रहे हैं। यहां पर नियम 56 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसकी ग्राह्यता पर आप विचार सुन रहे हैं। उसके बीच अगर आप गृह राज्य मन्त्री को बुलवा लेंगे, जिनसे सम्बन्धित यह मामला है, तो क्या मान्यवर हम मानकर चलें कि आपने हमारे नियम 56 के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। कामरोको प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है, न सवाल ग्राह्यता का है, एक फैक्ट सामने है वह यह था कि तिवारी जी को गिरफ्तार किया गया है, यहां कोई सूचना है नहीं। इस बात की पुष्टि हो जाये कि घटनाक्रम क्या है ?

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(गृह राज्य मंत्री के खड़े होने पर)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

गृह राज्य मंत्री खड़े हुए हैं, उनका जवाब आ जाये । आप लोग बैठें ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

मान्यवर, तथ्य इस प्रकार हैं.....

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने अपनी बात यहां पर रखीं। दो बातें उन्होंने यहां पर कहीं। मुख्य मंत्री जी ने तिवारी जी को गिरफ्तार कराया नियमों के विरुद्ध जाकर। तिवारी जी ने माननीय कमलापति त्रिपाठी जी का नाम लिया अपनी बात में। मैं चाहूंगा कि माननीय लोकपति त्रिपाठी बैठे हैं, वे कुछ स्पष्टीकरण रखें ताकि वस्तुस्थिति सामने आ सके।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विजय सिंह राणा—

मन्यवर, आप उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए कहें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें। माननीय मंत्री जी को तथ्य रखने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र जी चौहान—

मान्यवर, प्रधानाचार्य, नेशनल इन्टर कालेज ....।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आप लोकपति जी से कहें, ताकि वस्तुस्थिति सामने आ सके।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप लोग इस तरह से खड़े होते रहेंगे तो कोई बात सामने नहीं आयेगी। किसी बात को सामने आने दीजिए।

*श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, पंडित कमला पति त्रिपाठी जी का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, उनका नाम बेकार लिया जा रहा है।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर कमला पति त्रिपाठी का नाम लिया गया है। उनके सुपुत्र, स्वास्थ्य मंत्री जी, श्री लोकपति त्रिपाठी जी यहां पर मौजूद हैं। पहले उनका आप बयान ले लें कि वह क्या कहना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, नेशनल इन्टर कालेज, बड़हलगंज के प्रधानाचार्य 3 तारीख को एक प्रार्थना-पत्र लेकर एस0 एस0 पी0, गोरखपुर से मिले। उन्होंने बताया कि वहां पर नेशनल इन्टर कालेज की जो भूमि है, उस पर माननीय श्री तिवारी जी ने अवैध कब्जा कर रखा है, बावजूद इसके कि मुन्सिफ कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है कि इस भूमि पर कोई अवैध निर्माण न किया जाय। इसके बावजूद भी माननीय तिवारी जी ने उस विवादित भूमि पर निर्माण कराते रहे। इसके बावजूद एस0 एस0 पी0 ने यह कहा कि जब माननीय तिवारी जी गोरखपुर आयेंगे तो उनसे इस सम्बन्ध में वार्ता करेंगे। उसके बाद 15 तारीख को जब इस फ़ंसन के बारे में बताया और यह फ़ंसन था भी, और इस फ़ंसन से निबटने के बाद जब माननीय तिवारी जी जब पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को छोड़ने गये और जब छोड़कर आने लगे तब एस0 एस0 पी0 ने उनसे कहा कि वह उनसे इस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहते हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि नेशनल इन्टर कालेज की इस भूमि के बारे में वहां के प्रधानाचार्य ने एक प्रार्थना-पत्र दिया है, जो इस समय स्थगन आदेश के रूप में भी है, कि उस पर अवैध निर्माण न किया जाय। इस पूरे प्रकरण में माननीय तिवारी जी का पूर्णत: आदर किया गया, सम्मान सहित उनसे पुलिस अधिकारियों ने वार्ता की और सम्मानपूर्वक उन्हें वहां से विदा किया गया। उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही उनसे कोई अपशब्द पुलिस ने कहे और न कोई उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया।

श्री हरिशंकर तिवारी—

मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है और मैं सदन में उपस्थित हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूरे चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, अगर उनमें जरा भी नैतिकता है, तो वह इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना लें, जो इस प्रकरण पर पूरी जांच करे। अगर यह बात सत्य निकले तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा अन्यथा माननीय मुख्य मंत्री जी इस्तीफा दे दें। माननीय मुख्य मंत्री जी के इशारे पर वहां का जो प्रधानाचार्य है उसे टिकट दिलवाया गया चुनाव लड़ने के लिए, वह उसमें हार गया। दूसरा यह कि यदि कोई किसी प्राफिट वाली पोस्ट पर कार्यरत हो, यह तो उस कालेज का प्रिंसिपल है और इस कालेज के प्रबन्धक स्व0 ध्रुवनाथ चतुर्वेदी थे, इनके फर्जी दस्तखत करवा कर प्रबन्धक का इस्तीफा लिया गया है। इसे आप सदन में मंगवाकर देख लें। यदि ये दस्तखत जाली हैं, तो माननीय मुख्य मंत्री जी इस्तीफा दें और यदि नहीं है तो मैं इस सदन से इस्तीफा दूंगा। मुझे गिरफ्तार किया गया। यदि मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया तो साढ़े पांच बजे से रात के डेढ़ बजे तक मुझे वहां क्यों रखा गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो घटना घटी, जिसको विस्तार के साथ माननीय तिवारी जी ने कहा, मैं उसकी ग्राह्यता के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। एक ओर जहां यह बात है कि विधायक का पद स्वयं में किसी अपराधशील प्रवृत्ति का नहीं बनता, वहीं यह बात भी सही है कि प्रदेश की जनता यह कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी कि काले कानूनों के आवरण में अपने राजनीतिक विरोधियों को अपमानित, प्रताड़ित और खतम करने के लिए इस तरह के घिनौने काण्ड किए जायं। तीन बातें इस सिलसिले में कहना चाहूंगा, मान्यवर, राज्य मंत्री जी ने जो कहा कि प्रधानाचार्य जी ने दरख्वास्त दी थी कि तिवारी जी ने कब्जा कर रखा है.....

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मैंने कहा था कि कोर्ट का स्थगन आदेश है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरे पास गिरोहबन्दी अध्यादेश की प्रतिलिपि है। मैं नहीं समझ पाता कि सिविल मैटर में गिरोहबन्दी अध्यादेश लागू हो सकता है?

(घोर व्यवधान)

दूसरी बात यह कि माननीय तिवारी जी को गिरफ्तार किया गया। अगर एस0 पी0 मात्र तिवारी जी से बात करना चाहते थे तो इतने घंटे तक डिटेन्शन में क्यों रखा गया? विधायक एक सम्मानित व्यक्ति है, एस0 पी0 उससे बात कर सकते थे, लेकिन इतने घंटे तक रोकना और उस पुलिस कर्मी का यह कहना कि आप गिरोहबन्दी अध्यादेश के तहत गिरफ्तार किये जा रहे हैं और इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है कि मैजिस्ट्रेट के दस्तखत नहीं हुए हैं, मैजिस्ट्रेट के दस्तखत के बिना वारन्ट जारी नहीं हो सकता था, तब भी उनको प्रताड़ित किया गया। राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करने की दृष्टि से इनकी गिरफ्तारी की गई। यदि मान भी लिया जाय कि वे इस अध्यादेश की परिधि में आते हैं तो भी विभेद नहीं होना चाहिए था। इस सम्बन्ध में इस अध्यादेश की धारा 2(ग) को देखें.....

(घोर व्यवधान)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

यह जो मौजूदा बातचीत चल रही है; माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त गिरोहबन्दी कानून की चर्चा कर रहे हैं कि उसके तहत तिवारी जी गिरफ्तार हुए। राज्य मंत्री, गृह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि माननीय तिवारी जी को एक भूमि के विवाद के सिलसिले में, जिस पर अवैध निर्माण हो रहा है और जिस पर अदालत का "स्टे आर्डर" था, उस सम्बन्ध में पूछताछ के लिए पुलिस इनको ले गयी थी.....।

(घोर व्यवधान के मध्य)

....चाहे माननीय विधायक हों चाहे उच्च पदों पर आसीन कोई भी व्यक्ति हो, अगर कानून को तोड़ता है तो पुलिस का दायित्व है कि पूछताछ करे । यहां तक कि अगर मंत्रियों के बारे में भी शिकायत आती है तो पुलिस का सी0 ओ0 या अन्य अधिकारी मंत्रियों से भी पूछताछ करते हैं । अगर माननीय तिवारी जी को थाने पर ले जाकर बात की तो इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ और गिरोहबन्दी अध्यादेश के तहत गिरफ्तारी का सवाल ही नहीं है, माननीय गुप्त जी जो गिरोहबन्दी की किताब पढ़कर सुना रहे हैं, इसका प्रश्न ही नहीं है। इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। जब गिरोहबन्दी के तहत गिरफ्तारी हुई ही नहीं है, तो इसके प्राविधानों के लागू करने का प्रश्न ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

गुप्ता जी, गिरफ्तारी तो हुई ही नहीं, जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर सवाल काहे का ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप पहले मेरी तो सुन लें। मैं इसी पर आ रहा हूं कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। सरकार कहती है कि गिरफ्तारी नहीं हुई । माननीय सदस्य का कहना है कि वह आये और कहा कि आपके नाम से वारन्ट है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान) ।

मान्यवर, मैं केवल एक मिनट ही लूंगा ।

डा0 अच्युतानन्द तिवारी--

क्योंकि वहां पर घटना के समय मैं उपस्थित था, इसलिए मैं कुछ इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले गुप्ता जी अपनी बात को खत्म कर लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अगर सरकार की यह बात मान भी लें कि उनको गिरोहबन्दी कानून के अन्तर्गत नहीं बन्द किया गया। लेकिन क्या यह सही है कि उनको 5-5 और 6-6 घंटे कोतवाली में बैठा कर उनके खिलाफ दस्तावेज की केवल तफतीश ही की जाती रही ? विधायकों को कोतवाली में बैठाकर तफतीश करने का क्या यही तरीका है ? यहां पर जो माननीय सदस्यों के द्वारा सुझाव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि आप सदन की एक कमेटी इस संबंध में जांच करने के लिए बना दें। वस्तुस्थिति यह है कि सरकार इनको गिरफ्तार करना चाहती थी और इनका एकान्त में ले जाकर इनकाउन्टर करना चाहती थी लेकिन जनता के आगे और सहकर्मियों के आगे झुकना पड़ा और इनको छोड़ना पड़ा नहीं तो फिर इनको एकान्त में क्यों रखा गया ?

डा0 अच्युतानन्द तिवारी--

मान्यवर, चूंकि डिग्री कालेज में जो समारोह हो रहा था, उस समारोह में उस अवसर पर मैं भी उपस्थित था, इसलिए कुछ और तथ्य मैं आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं कि माननीय कमला त्रिपाठी उस समारोह के मुख्य अतिथि थे और मेरी ही अध्यक्षता में वहां पर मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद दोहरी घाट तक हम लोग उनको पहुंचाने गये थे। उनके जाने के बाद डी0 वाई0 एस0 पी0 ने हम लोगों को रोक लिया।

(व्यवधान)

कृपया आप लोग शान्त रहें और मेरी बातें सुन लें। श्री सर्वदेव कुवर, डी0 वाई0 एस0 पी0 ने वहां हम लोगों को रोक लिया। उसके बाद श्री हरिशंकर तिवारी, अमर मणि तिवारी और दया शंकर दुबे को गिरफ्तार किया गया और पता नहीं क्यों मुझको छोड़ दिया गया। जब मैं छोड़ दिया गया तो मैंने फौरन गाड़ी से भागा और भाग कर पंडित कमलापति त्रिपाठी की गाड़ी का पीछा कर घोसी में त्रिपाठी जी को सारी घटना की सूचना दिया। पं0 कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं बनारस पहुंचते ही इसको देखता हूं कि यह कैसी घटना है और ऐसा क्यों कि जा रहा है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि पं0 कमलापति त्रिपाठी जी के इन्टरफियरेन्स की वजह से ही यह छोड़े गये हैं। अगर माननीय तिवारी जी से उनको कुछ पूछताछ करनी थी तो महराजगंज के सी0 ओ0 को वहां जाकर पूछने की क्या जरूरत पड़ गयी ?

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--!

मैनेजर सिंह जी, इस नोटिस में आपका नाम नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मेरे दल के एक साथी जोकि गोरखपुर के ही हैं उनको भी बोलने के लिए अवसर दिया जाय ताकि पूरी बात सामने आ सके।

श्री आध्यक्ष--

आप बात सुन लीजिये, कोई चर्चा नहीं हो रही है।

*श्री गौरी शंकर भइया--

आपने हमको समय दिया है, मान्यवर मेरा व्यवस्था का सवाल है, हमको भाषण नहीं करना है। आपने सरकार की सुन लिया और माननीय तिवारी जी की सुन लिया, दो पक्ष आपके सामने आ गये हैं, एक पक्ष कहता है कि गिरफ्तारी हुई है और सरकार कहती है कि नहीं हुई। मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी बना दी जाये आपकी अध्यक्षता में बना दी जाये। नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं को उसमें सम्मिलित कर लिया जाये और इसकी जांच हो जाये। सदन यह मान कर चलता है कि विधायक की बात जो वह यहां पर कहता है, सही होगी। आप मान्यवर, इसकी जांच करा लें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, जहां तक गृह मंत्री का वक्तव्य है, उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि, माननीय तिवारी जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की कि आप अवैधानिक रूप से निर्माण कार्य करा रहे हैं तो यह बात साफ है कि माननीय गृह मंत्री का बयान जो है 'वह पेशबन्दी का बयान है। कल के अखबारों में यह बात छपी है कि हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार किया गया और रात में छोड़ा गया, उसकी खबर नहीं छपी, लेकिन इस बात की पूरे प्रदेश में चर्चा थी। एक विधायक को गिरफ्तार किया गया डी0 एम0 और एस0 पी0 से लेकर किसी ने खंडन इस बात का नहीं किया। दूसरी बात माननीय हरिशंकर तिवारी ने कही कि अगर वे मुख्य मंत्री का विरोध करेंगे तो उनका जीना मुश्किल हो जायेगा, दूभर हो जायेगा। तिवारी जी ने एक पत्र माननीय अध्यक्ष जी को और एक पत्र मुझको लिखा है और उन्होंने उन पत्रों में यह कहा है कि उनको मुख्य मंत्री जी से खतरा है और उनकी हत्या कराई जा सकती है। वह मुख्य मंत्री जी से खतरा बताते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कोई इसकी सफाई नहीं दी, उनको सफाई देनी चाहिये थी कि उनसे उनको कोई खतरा नहीं है और बार-बार कहने के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। सरकार कहती है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो मान्यवर, आपके पास क्या रास्ता है, जांच के अलावा ? आप सदन की एक कमेटी बना दें, आप एक कमेटी का गठन कर दें। सभी दल के लोग होंगे, जांच हो जायेगी कि गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। मान्यवर, आप इस सवाल को गम्भीरता के साथ लें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

..। हरि शंकर तिवारी क्या है? वह तो एक अलग बात है, लेकिन आज वह इस माननीय सदन के एक सदस्य हैं। क्या विधायक को एक डी0एस0पी0 पकड़ कर ले जा सकता है? मैं पूछना चाहता हूं। यह आज सदन में तय हो जाना चाहिए। अगर पूछताछ जरूरी थी तो उनके घर जा सकते थे, उसे घर पर पूछा जा सकता है लेकिन साढ़े पांच बजे से एक बजे तक बैठाले रखा गया और हजारों लोगों ने थाने को घेरा है जो इस बात का सबूत है कि वहां की पुलिस ने श्री हरि शंकर तिवारी और दया शंकर जो हमारे यहां के नेता हैं, उनको भी गिरफ्तार किया है। यह भी बता देना चाहिए कि हमारी पार्टी के नेता पर क्या आरोप था? मुझको बता दीजिए। मान्यवर, आप सदन की एक कमेटी की व्यवस्था दीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मुख्य मंत्री की तरफ से यह बात कही गई है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष --

आप लोग इस पर बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? जहां तक निर्णय का सवाल है नेता विरोधी दल ने कह दिया सरकार का वर्जन हुआ और आपका वर्जन हुआ, दोनों में डिफरेंस है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा ग्राह्यता का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष--

ग्राह्यता का जो है वही सुन रहा हूं। कोई भाषण नहीं हो रहा है न कोई चर्चा हो रही है। ग्राह्यता पर इधर के लोगों को सुना जब तिवारी जी खुद बोल चुके तो अब इसमें कहना क्या है?

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था क्या है?

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, कमेटी की घोषणा कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री मित्रसेन --

मान्यवर, आप मुझे भी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

किस-किस को सुनूं? एक इश्यू आया; फिर सब जवाब आ गया। अब इस पर क्या सुनना रह गया है? इसमें अब कब तक बहस होगी? अगर बहस से निपट रहा हो तो बहस से निपटा लीजिए। दो बज गये हैं कब तक बोलेंगे, क्या बोलेंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूं। नियम 56 में हरेक आदमी को, प्रत्येक सदस्य को सुनना जरूरी नहीं है। नेता विरोधी दल बोल चुके, गुप्ता जी बोल चुके। अगर सबको इस पर बोलना है और सब बाकी काम छोड़ दीजिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

ग्राह्यता तो हो गई, अब क्या सुन लें?

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने क एक साथ प्रयास करने पर)।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। इस पर अब क्या चर्चा होगी और विषय भी तो है औरों पर भी आना है। आप लोग बैठ जायें।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की एक परम्परा रही है कि जब इस सदन के माननीय सदस्य अपनी स्वयं बीती सुनाते हैं या व्यक्तिगत जानकारी देते है तो उसको मान्यता दी जाती रही है। माननीय हरि शंकर तिवारी और तीन अन्य माननीय सदस्यों

ने इस बात की पुष्टि की है कि हरि शंकर तिवारी गिरफ्तार किये गये। गृह राज्य मंत्री का कहना है कि जो उन्होंने स्वयं नहीं देखा है, अधिकारियों द्वारा प्रेषित रिपोर्ट जो यहां पर प्रस्तुत की है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और पूछताछ के लिए बुलाये गये। श्रीमन्, यह मामला बहुत गम्भीर है। इस सदन की परम्परा से और माननीय सदस्यों की गरिमा से मंत्री जी का कोई वास्ता नहीं है। आप स्वयं सोचें यदि एस0 पी0 पूछताछ के लिए माननीय सदस्यों को बलात् बुला लेने लगे तो माननीय सदस्यों की गरिमा क्या रह जाती है। (व्यवधान) इसलिए मेरा सुझाव है कि इस सदन की एक कमेटी बनाई जाय....।

श्री उपाध्यक्ष--

घटना तो जानकारी में आ गई।

श्री मैनेजर सिंह--

श्रीमन्, कांग्रेस दल के डाक्टर कौशल की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक कमेटी बना दें। दो सदस्य सत्ता पक्ष की तरफ से और दो सदस्य विरोध पक्ष की तरफ से उसमें रख लेवें। उस कमेटी का बहुमत रिपोर्ट स्वीकार कर लेवें। यदि कमेटी कहती है कि गिरफ्तारी नहीं हुई है तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा..... (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया शांत रहें। मेरी बात सुन लीजिए।

(कई सदस्यों के द्वारा एक साथ खड़े होकर कुछ कहने पर)।

सभी को मौका नहीं दिया जा सकता। क्या शाम तक इसी को चलाते रहेंगे? चौधरी साहब कृपया बैठें। आपके और भी ईश्यू एजेण्डे में हैं। पांडे जी आप भी बैठें।

श्री कल्याण सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में इस समय एक गम्भीर मामला पेश है...(व्यवधान)। सरकार का कहना ठीक है जो सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं और ग्राम्य विकास मंत्री कह रहे हैं कि मामला गम्भीर नहीं है उसे गम्भीर बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि वे ठीक बोल रहे हैं। क्योंकि यदि हरिशंकर तिवारी का इन्काउन्टर नहीं हुआ है इसलिए उनके अनुसार मामला गम्भीर नहीं है। जब इन्काउन्टर हो जाता, तब वे उसे गम्भीर मानते।...(व्यवधान) मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इस सदन के अन्दर एक गम्भीर मामला पेश है। इसमें पक्ष या विपक्ष का प्रश्न नहीं है। इसमें माननीय सदस्य की गरिमा और सम्मान का प्रश्न है। इस विषय पर सदन में दो वर्जन आये हैं। माननीय सदस्य कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी हुई है। जिनके सामने गिरफ्तारी हुई है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वे भी कहते हैं कि गिरफ्तारी हुई है, उनको 5-6 घन्टे तक हिरासत में रखा गया है और गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन्होंने तो दरोगा का बयान पढ़ दिया होगा। उनका स्टेट्स एक दरोगा से ज्यादा नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति मंत्री बनाये गये हैं जिनका स्टेट्स दरोगा से ज्यादा नहीं है तो उनसे ज्यादा और क्या उम्मीद की जा सकती है?

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, माननीय हरि शंकर तिवारी जिनके साथ घटना घटी है वे कहते हैं कि गिरफ्तारी हुई। मौके पर जो लोग थे उनका कहना है कि गिरफ्तारी हुई है, जो चश्मदीद गवाह हैं वे भी कहते हैं कि गिरफ्तारी हुई है। और मान्यवर, जो माननीय सदस्य अपनी निजी जानकारी की बात बता रहे हैं, उस पर भी यकीन किया जाना है तो गृह राज्य मंत्री किस आधार पर कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी व्यक्तिगत जानकारी तो है नहीं। डी0 एम0 ने और एस0 पी0 ने जो उन्हें बता दिया वही वे बता रहे हैं.... (व्यवधान)। मान्यवर, इस तरह से दो वर्जन डिफरेंट आ गये। तो इसके अलावा कोई चारा बचता नहीं है कि इस सदन की एक समिति बना ली जाय और जैसा कि माननीय मैनेजर सिंह ने कहा कि डाक्टर कौशल की अध्यक्षता में एक समिति बना दी जाय जो इस सारे प्रकरण की जांच करे। उससे दूध

का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है पता लग जायगा। सरकार को इसमें आना-कानी करने की क्या आवश्यकता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है मान्यवर, आपके श्रीमुख से इतिहास में एक रचना होगी कि आप जब उपाध्यक्ष थे तब आपने ऐसा साहस किया था।

मान्यवर, आने वाली पीढ़ी आपको कोट करेगी कि एक ऐसे उपाध्यक्ष थे जिन्होंने इतना साहसिक निर्णय लिया था।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लें (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

यह क्या चर्चा करायेंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह चर्चा नहीं (व्यवधान)। दो दो मिनट केवल ग्राह्यता पर बोल लें। (व्यवधान) बाकी छोड़िये।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मुझे इस बात का खेद है कि सही बात को भी सही रूप में स्वीकार करने में यह नालायक सरकार नाकामयाब रही है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, गोरखपुर के सारे लीडिंग न्यूजपेपर्स गृह मंत्री जी पढ़ लें। प्रश्न यह है कि यह घटना हुई या नहीं हुई माननीय हरि शंकर तिवारी गिरफ्तार किये गये, यह मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। कहां बड़हलगंज और कहां सहजनवां। गोरखपुर से एक 20 किमी 0, एक 17 किमी 0। मैं जानना चाहता हूं कि उनको सहजनवां क्यों लाया गया ? जबकि बीच में 5–5 थाने पड़ते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि चूंकि मैजिस्ट्रेट ने वारन्ट पर हस्ताक्षर नहीं किये, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। मान्यवर, जो वहां का पुलिस कप्तान है वह यह सब काम कर रहा है। मैं सबूत पेश करना चाहता हूं यह मामला मेरी पार्टी का नहीं कांग्रेस पार्टी का है। इनकी पार्टी के एक वरिष्ठ व्यक्ति श्री राम अवध सिंह जिनके चेले हमारे मुख्य मंत्री जी हैं। इनके सहयोगी रहे हैं उनके खिलाफ 504 और 506 की रिपोर्ट दर्ज है। आपकी कांग्रेस पार्टी के वह जिलाध्यक्ष हैं (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष—

उससे इसका क्या मतलब है ? (व्यवधान) मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, आप करण और रूलिंग देखें (व्यवधान)। हमारे ऊपर जो बीती है वह बयान कर रहा है। जो माननीय सदस्य चाहें वह इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों जब वह आपबीती दास्तान सुनाते हैं तो उसको सही माना जाता है। जो गृह मंत्री की रिपोर्ट है वह पुलिस की रिपोर्ट है। आप इसके लिए सदन की एक समिति बना दें। आने वाला इतिहास आपको याद करेगा। मान्यवर, इस आदरणीय सदन में माननीय विधायक की बात सही चलेगी या पुलिस कप्तान की बात। जिसकी रिपोर्ट पर गृह मंत्री यहां पर कहते हैं। इस पर आपको निर्णय लेना होगा, आपको इतिहास याद करेगा। निर्णय देने से पहले मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, आपकी गरिमा की दुहाई देता हूं, आप इस पचड़े में मत पड़िये। इस आदरणीय सदन की एक समिति बना दें उसकी रिपोर्ट सर्वोपरि होगी उससे सही बात जाहिर हो जायेगी . . .।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय ओझा जी इस बात को बार-बार कहते रहेंगे (व्यवधान) इस प्रकार कब तक चलेगा ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा —

वहां की पुलिस निरंकुश हो गई है (व्यवधान)। यह गलत बयानी कैसे हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

औरों को भी मौका देंगे या नहीं ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं निवेदन करूंगा कि इसे आप स्वीकार कीजिए । अगर हमारे सम्मान और हमारे जानमाल की रक्षा नहीं होगी तो यह सदन कैसे चलेगा । मैं गुस्से में नहीं, आवेश में नहीं नम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

ओझाजी, आप आसन ग्रहण करें (व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, जरा सुन लें, बार-बा खड़ा हो रहा हूं आप मौका नहीं दे रहे हैं । र

श्री उपाध्यक्ष--

त्रिवेदी जी आप बैठें। (व्यवधान)

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप लोग बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, बड़हल गंज से गोरखपुर तक हजारों प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने देखा है कि माननीय हरि शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया गया ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आपका नोटिस में नाम नहीं था और जिन लोगों के नाम हैं वह अभी नहीं बोल पाये हैं इसलिए आप बैठ जांय, इस पर मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी और श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी के एक साथ बोलने से व्यवधान)

आप लोग बैठ जांय, एक साथ अनेक सदस्य बोलेंगे तो कोई बात किसी की समझ में नहीं आयेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपसे कहना चाहता हूं कि आपने इतने सदस्यों की बात सुनी, नेता विरोधी दल ने भी कहा, तो आप अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जांय । संसदीय कार्य राज्य मन्त्री आप बोलें ।

(व्यवधान)

मैंने इजाजत नहीं दी, अब आप बैठें । मैं आपको इजाजत दे ही नहीं रहा हूं ।

(व्यवधान)

तो आप खड़े रहिये । (व्यवधान) आप व्यवस्था नहीं चाहते हैं, व्यवस्था पर आपको इंगित किया था। यह कोई तरीका नहीं है । अब आप बैठिये । (व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा, खाली एक बात आ रही है, जो कहना चाहता हूं कि माननीय हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार किया गया या नहीं, यहां बात केवल इतनी है कि डा0 अच्युतानन्द तिवारी जो उस समय वहां मौजूद थे और इस सदन के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि वह मेरे साथ थे और उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया और जब पुलिस ने उन्हे अरेस्ट किया तो मैं भागा और भाग कर मैंने इसकी सूचना कमलापति त्रिपाठी जी को दी, जिस पर उन्होंने यह कहा कि मैं बनारस जा कर इसमें इन्टरवीन करूंगा । जो इस केस में विटनेस बनते हैं, वह हैं श्री कमलापति त्रिपाठी जो कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। यह अच्युतानन्द जी ने कहा कि जब उन्होंने गिरफ्तारी की सूचना कमलापति त्रिपाठी जी को दी तो उन्होंने कहा कि मैं बनारस जाकर इसमें इन्टरवीन करूंगा। तो इससे मामला साफ है कि वह अरेस्ट हुए हैं । अब इसमें उनसे जानकारी कर ली जाय, यदि कमलापति त्रिपाठी कहते हैं कि मैंने कोई इंटरवीन नहीं किया, मुझसे डा0 अच्युतानन्द ने इस पर कुछ नहीं कहा था, तो सत्तापक्ष के राज्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मन्त्री ने जो कहा, उनका पक्ष साफ हो जायगा, सच हो जायगा। तो मेरा निवेदन है कि यह संसदीय कार्य राज्य मन्त्री के लिए बहुत अच्छा है, यदि वह अपने कार्यवाहक अध्यक्ष के बयान पर विश्वास करना चाहते हैं, इस सदन के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री भी रहे हैं, उनकी गरिमा को स्थान देते हैं तो आप इस विषय में पूर्ण छानबीन के लिए इस सदन को एक कमेटी बना दें और उसमें किसी भी सदस्य को रख दें, जो जाकर उनसे पूछ लें और उस आधार पर आप अपना निर्णय ले लें।

*(ससंदीय कार्य राज्य मन्त्री) श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, में सदन की परम्पराओं के अनुरूप किसी भी सम्मानित सदस्य की निजी जानकारी के आधार पर बयान को चुनौती नहीं देना चाहता हूं, केवल जो मुद्दे उठायें गये हैं, जो मांग की गई है कि दो वर्जन यहां पर आ गये हैं, एक तिवारी जी ने कहा वह है और दूसरा वह है जो हमारे राज्यमन्त्री ने कहा है इसकी जानकारी और पुष्टि के लिए कौन सही है ? कौन सही नहीं है? उसके बारे में समिति के गठन की मांग की है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं दो एक बात कहना चाहता हूं, इसमें कोई दो वर्जन नहीं कि पुलिस स्टेशन तक उन्हें ले जाया गया। केवल देखने की बात यह है कि उस ले जाने को आप गिरफ्तारी की संज्ञा देंगे या जो पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया, उसे आप मानेगें। यदि गिरफ्तार करके आपको (हरिशंकर तिवारी) ले गये, जिस कानून में भी तो आपको छोड़ा क्यों गया ? हमें अपनी सत्ता के कानून का दुरुपयोग करना है तो क्या इस तरह होगा कि पकड़ कर छोड़ दिया जाय कि खाली पुलिस थाने पर बिठाएं और छोड़ दें। तो थाने ले जाने पर चुनोती नहीं देता हूं, केवल इस बात पर चुनौती

(व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप इनकी बात तो सुन लीजिए।

(निरन्तर व्यवधान होने पर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष--

उनको बोलने दीजिए, बाद में आपकी व्यवस्था भी सुनूंगा।

(घोर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इसमें कुछ गवाहों की बात कही है। हमारे सम्मानित भूतपूर्व नेता विरोधी दल, श्री राजेन्द्र सिंह ने कुछ सवाल उठायें हैं। उनका सवाल खासकर यह है कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उनसे जानकारी कर लें। यह अपनी-अपनी राय की बात है। जब पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उनके साथ जो दूसरे साथी थे, उनके दिमाग में यह बात आना स्वभाविक था कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसी आधार पर वह यह कहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया और इसी चीज को उन्होंने गलत समझ कर पं० कमलापति त्रिपाठी जी से कह दिया होगा कि उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया है। असलियत यह है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और बाद में छोड दिया गया था। उनके खिलाफ कुछ केसेज भी पेंडिग थे और स्थगन आदेश भी था। उसके बारे में जानकारी करने के बाद उन्हें सम्मानित तरीके से छोड़ा गया।

और आज हमें प्रसन्नता है कि आप इस कानून को मानने वाली सरकार के राज्य में दोबारा यहां पर बैठे हैं। तो अधिकारों के दुरुपयोग में हम विश्वास नहीं करते। मेरा मान्यवर, आपसे आग्रह है कि इस प्रकरण को समाप्त करें। यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है। इसमें किसी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिशंकर तिवारी--

मान्यवर, मैं सदन में उपस्थित हूं। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य राज्य मन्त्री जी को और इस सदन को बताना चाहूंगा

*वक्ता ने भाषण का का पुनवीक्षण रहीं किया।

कि क्या जो डी0 वाई0 एस0 पी0 मुझे गिरफ्तार करके लाये उनके वह कार्य क्षेत्र में नहीं था यदि कार्य क्षेत्र में नहीं था तो वह किसके निर्देश पर गिरफ्तार करके ले गये ? एक बात और कहना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी बात हो गयी । अब आप बैठें । आपने अपनी बात कह दी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कुछ बिन्दु उठाये हैं, उनका उत्तर दे दूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

गृह मन्त्री जी आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें । तिवारी जी के मामले में पुलिस को पकड़ कर ले जाने और पुछतांछ करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें । मुझे अपना निर्णय देने दीजिये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । माननीय तिवारी जी ने पूरे सदन के सामने माननीय मुख्य मन्त्री के ऊपर स्पष्ट आरोप लगाया है कि वह इन्काउन्टर करा देना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आरोप लगाने में तो सब सक्षम हैं । इसमें व्यवस्था की बात नहीं है । आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अगर गिरफ्तारी नहीं हुयी तो उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज क्यों किया ? तमाम लोग घायल हुये है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें, मुझे अपनी बात कहने दीजिए ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इधर से और उधर से, दोनों तरफ की बात सुनी । मैं यह महसूस करता हूं तिवारी जी ने अपनी गिरफ्तारी के बारे में बात कही और गृह मन्त्री ने अपना स्टेटमेन्ट दिया कि हमने गिरफ्तारी नहीं की, तो मैं समझता हूं कि गृह मन्त्री जी आप इस पर और जानकारी करके सदन के सामने स्टेटमेन्ट दे दें । पूरे तथ्यों की जानकारी कर लें और फिर स्टेटमेन्ट दे दें। जो तथ्य सामने आये हैं उनके संदर्भ में जानकारी कर लें ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

स्टेटमेंट आयेगा । आप बैठे ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, सुन तो लें

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरा प्रश्न माननीय रमाशंकर कौशिक का है, काशी विद्यापीठ के बारे में ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इसको हल्के तौर पर न लिया करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

स्टेटमेन्ट आयेगा तब देख लेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, चूंकि इतने अहम मसले पर सदन के सदस्यों की भावनाओं के मुताबिक आपने समिति नहीं गठित की है, इसके विरोध में मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपको अधिकार है लेकिन स्टेटमेंट आने दीजिये क्योंकि यह इश्यू अभी खत्म थोड़े हुआ है ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

नियम 56 के अन्तर्गत जो मैंने प्रश्न रक्खा है, वह है विद्यापीठ वाराणसी में ।

श्री हुकुम सिह--

आपकी व्यवस्था के बाद सदन का त्याग करना मान्यवर, यह आपत्तिजनक है और सदन की अवमानाना भी है।

[2 बजकर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, इस पीठ से दी गयी व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग उन्हें नहीं करना चाहिए ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, 15-2-86 को वाराणसी काशी विद्यापीठ में काशी विद्यापीठ जो एक विश्वविद्यालय है, उसमें एक लेक्चरार की हत्या कर दी गयी। मान्यवर, मारने वाले तीन कातिल थे, वह जब इस कुकर्म को करके भाग रहे थे, तो लोगों ने एक कातिल को पकड़ लिया और उसकी भी वहां पर हत्या हो गयी। मान्यवर, यह जो मामला है वह सिर्फ शासन व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और केवल इस बात का भी प्रश्न नहीं है कि लोगों की हत्यायें हो रही है। लेकिन इस घटना से एक तो उस संस्था का ताल्लुक है जिसकी हम सब इज्जत करते हैं, जिसका सम्बन्ध हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन से था और जिसका नाम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, यह और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस विषय पर पिछले सत्र में भी चर्चा हुई थी और करीब 2 घन्टे की चर्चा हुयी थी, उस वक्त सदन मैंने शासन की ओर से अश्वासन भी दिया था कि हम शीघ्र ही कुलपति महोदय के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यह बात मान्यवर, मैं इसलिए भी कह रहा हूं और यह मामला इसी लिए चर्चा का विषय भी बनता है क्योंकि उन सारी घटनाओं की वजह से ही यह सब घटित हुआ है और जिससे शासन व्यवस्था वहां कि बिल्कुल भंग हो गयी है और हजारों-छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, यद्यपि विद्यापीठ बंद कर दिया गया है फिर भी बड़ी ही विस्फोटक स्थिति वहाँ पर बनी हुयी है और छात्रों में इस घटना को लेकर बड़ा रोष उत्पन्न है और मान्यवर, किसी भी समय कोई दुर्घटना घट सकती है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो कमिश्नर कमेटी बनायी गयी थी, उसकी रिपोर्ट भी आ गयी है, शासन को भी प्राप्त हो गयी है और कमिश्नर ने यह संस्तुति की है कि कुलपति महोदय को हटाया जाय। मान्यवर, ऐसी हालत में जब शासन अपने निर्णयों पर अमल नहीं कर पाती है ढुल-मुल नीति अपनाई जाती है, जिसकी बजह से हजारों छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और अविलम्बनीय इसलिए है कि बराबर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और अभी भी किसी समय हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराएं ताकि विश्वविद्यालय के छात्रों में जो विस्फोट स्थिति बनी हुयी है, वह खत्म हो और वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो, यही मुझे कहना है ।

श्री राज किशोर सिह--

मान्यवर, दिनांक 15-2-86 को साढ़े-सात बजे सुबह की घटना है। डाक्टर बैकुण्ठ राय जो काशी विद्यापीठ के प्राध्यापक थे और जो अध्यापक परिषद है, उसके खजांची थे, उसके पहले जब वह पढ़ रहे थे काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष और मन्त्री भी रह चुके हैं। उसी के बगल थाना भी है और वहीं चतुर्वेदी साहब का बंगला भी है। वहां पर बदमाश आते हैं, धड़ाधड़ गोलियां चलती हैं और तत्तकाल मृत्यु हो जाती है। 11 अक्टूबर को उस परिसर के अन्दर ऐसी घटना हुई, वहां पर गोली चली, यही निशान थे, ओम प्रकाश उर्फ पप्पू को गोली लगी, वह वाराणसी अस्पताल में अपनी मौत से जूझ रहा है। इसके पहले भी काशी विद्यापीठ की वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता के बारे में लगातार सवाल उठे। पिछले सत्र में भी सवाल उठ चुका है। वहां का जो वाइस चाँसलर है, उसकी वजह से वहां पर यह हो रहा है, स्थिति वहाँ पर ऐसी भयावह हो रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो रिपोर्ट लिखाई गई है, वह मैं लाया हूं। उसको मैं आपको

दे रहा हूं । इस पर आप विचार करें । मान्यवर, वहाँ की बहुत ही विस्फोटक स्थिति है । मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार इस पर वक्तव्य दे दे ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, पिछले वर्ष भी यह सवाल आया था और डाक्टर बैकुण्ठ राय और उनके तमाम साथी एक साल से चिंतित थे । वहां के जो वाइस चंसलर हैं, उनके व्यवहार उनकी अनियमितताएं और उनके खिलाफ आरोप भी था तमाम धन सम्बन्धी और पिछले वर्ष इस पर चर्चा भी स्वीकार की गयी थी, यदि सरकार ने उस चर्चा पर ध्यान दिया होता तो डाक्टर राय जैसे व्यक्ति की वहां पर हत्या न हुई होती । वहां पर वाइस चांसलर के खिलाफ अनेकों आरोप हैं । वहां पर उनके रहते हुये और भी हत्याएं हो सकती है । इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार कर इस पर चर्चा कराई जाय । आम तौर पर वहां पर विश्वास किया जाता है कि वाइस चांसलर की इसमें साजिश हो सकती है । इसलिए इसमें चर्चा करावें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने स्टेटमेन्ट के लिए कहा है कि गवर्नमेन्ट इसमें स्टेटमेन्ट दे दे । ठीक है इसमें एक घन्टे की चर्चा हो जायेगी ।

(श्री श्रीनाथ सिंह के खड़े होने पर)

मैंने एक घन्टे की चर्चा के लिए तो स्वीकार कर लिया है ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, इस वक्त प्रदेश में बड़ी गम्भीर स्थिति है । सितम्बर, 85 की बाढ़ में सरकार स्वयं तसलीम करती है कि 54 जिले बाढ़ से प्रभावित हुये, तीन महीने की लगान व सभी देयों की वसूली को स्थगित कर दिया गया था । मान्यवर, स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये सरकार ने तीन महीने की लगान आदि वसूली स्थगित कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई फसल किसानों के हाथ नहीं लगी है ।

जो बाढ़ से तबाही गई वह हो गई खरीफ की फसल तबाह हो गई, और रबी की फसल अभी आई नहीं है, लेकिन यह किसान विरोधी सरकार आज तक यह महसूस नहीं कर सकी कि लगान आदि की वसूली को यह स्थगित कर दे । मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें । प्रदेश के किसानों के हाथ में इस समय कुछ नहीं है और उनको जेलों में बन्द किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, इससे किसानों में बहुत असंतोष व्याप्त है । प्रदेश की स्थिति भयावह हो गई है । मैं आपसे मांग करता हूं कि आप सदन की कार्यवाही को स्थगित कर, इस पर चर्चा करायें ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है । कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्यों को भी इस पर चिन्ता है । जिला स्तर पर आतंक छाया हुआ है । शरीफ किसानों को जेलों में बन्द किया जा रहा है सरकार का यह आदेश है कि सरकारी और असरकारी देयों को सख्ती से वसूला जाए वरना उन्हें प्रताड़ित किया जाए और उनका उत्पीड़न किया जाय । मेरा निवेदन है इसको बन्द कराएं तथा आसान किश्तों में इसकी वसूली कराए ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें । सरदार सिंह जी आप एक मिनट में अपनी बात कहें ।

*श्री सरदार सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी खरीफ की पूरी फसल तबाह हो गई । माननीय मुख्य मंत्री जी ने राहत कार्यक्रम के सम्बन्ध में टेलेक्स भेजा । खेतों का पानी निकाला गया, सौ सवा सौ रुपये की सहायता दी गई । मान्यवर, उसके पन्द्रह दिन बाद जबरिया वसूली शुरू कर दी. ट्रैक्टर नीलाम किये जा रहे हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

किसानों को थानों में बन्द किया जा रहा है। किसानों की जबरिया नसबन्दी की जा रही है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो जबरिया वसूली की बात चल रही है...

श्री माता प्रसाद पाण्डे—

मान्यवर, बाढ़ से पूरा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित रहा।

श्री उपाध्यक्ष—

माता प्रसाद की बात कुछ चल रही है और आप कुछ और विषय पर कहने... अब बाढ़ थोड़े ही आ रही है। एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं, मुझे सुन लीजिए। उनकी बात खत्म तो हो जाए।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है, कि सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें और सरकार से आदेश दिलावायें कि जो जबरिया वसूली हो रही है उसको वह रुकवायें।

श्री माता प्रसाद पाण्डे—

मान्यवर, नियम यह है कि एक समय में एक कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डे—

मान्यवर, जो वसूली हो रही है, उसमें नियमों का पालन नहीं हो रहा है।

श्री देवकुमार यादव—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में वसूली की जा रही है और उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब बात सही है, सब की बात इसमें शामिल है।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस विषय को कार्य स्थगन के रूप में माननीय सदस्य ने उठाया है और कहा है कि उत्पीड़न की कार्यवाही चल रही है, ट्रैक्टर खोचे जा रहे हैं, यह बात सही है। अरबों रुपया सरकारी देयों का पड़ा है, राष्ट्रीकृत बैंकों का पड़ा है। किश्तें फेल हो जाती हैं, तब एक मुश्त जमा करने का प्राविधान है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा जमा नहीं होगा, तो आगे कोई पूंजी मिलने वाली है। इस पृष्ठ भूमि में मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता करता हूं कि वह वसूली में सहयोग दें। लोगों को समझायें की समय के भीतर पैसा जमा कर दें ताकि उत्पीड़न की कार्यवाही न हो। जो संसाधन प्रदेश के हैं, हमारा सब का कर्त्तव्य है कि वसूली में सहयोग दें।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन में कहा था कि बस्ती की दो चीनी मिलों पर एक पर एक करोड़ और एक पर सवा करोड़ बकाया है। उनसे आप वसूली की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। जो किसान है जिनका 500 और 1000 रुपया है, उसकी किश्त भी नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सरकार का काम है, आप का काम कहना था, आपने कह दिया।

श्री किरनपाल सिंह—

आप निर्देशित करें।

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी ने साफ उत्तर दे दिया। मैं निर्देशित कर रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय संसदीय कार्य राज्य मन्त्री गिरफ्तारी और उत्पीड़न के लिये सहयोग मांग रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं तो यह कह रहा हूं कि समय से किश्त जमा करने की लोगों को सलाह दें, ताकि उत्पीड़न की कार्यवाही की नौबत न आये।

श्री राम सरन--

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री हमें यहां और बाहर दोनो जगह उत्पीड़ित करते हैं। आप निर्देशित करें कि वसूली में सख्ती न करें, किश्तों में वसूली करें, वहुत से तरीके हैं वसुली के ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

राम चन्द्र बख्श सिंह ने जो विषय उठाया है यह पूरे प्रदेश से सम्बन्ति है । 54 जिलों में बाढ़ आयी थी । सरकार ने स्वयं कहा था कि वसूली रोक दी गई है। अप्रैल तक वसूली रोक दें, मई में वसूली करें । जो किसान किश्तों में देना चाहता है उससे किश्तों में जमा करा लें । आप निर्देशित कर दें कि किसानों को उत्पीड़ित न करें। मन्त्री जीं ने जो कहा उससे स्पष्ट नहीं होता कि क्या करेंगे ? वसूली रोक देंगे, या उत्पीड़न की कार्यवाही करेंगे ? या किश्तों में वसूल करेंगे ? कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री मुलायम सिंह यादव---

किसानों के उत्पीड़न की कार्यवाही के खिलाफ. हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आपका अधिकार है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये तथा केवल श्री रघुवर दयाल वर्मा को छोड़कर सम्पूर्ण विपक्ष ने भी सदन का त्याग किया)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं एक गम्भीर मामले की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा विभाग आजकल घटिया दवायें खरीदने और झूठे बाउचरों पर ज्यादा रकम दिखा कर उसे हड़पने और उत्तर प्रदेश के जन-जीवन से खिलवाड़ करने का अड्डा बन गया है। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग 25 करोड़ से अधिक की दवायें खरीदता है, लेकिन ऐसी फर्मों से दवाएं खरीदी जाती हैं जिनके पास लाइसेंस तक नहीं होता । इस प्रकार की घटिया दवाओं का एक सर्वेक्षण हुआ, जिसमें 5 दवायें घटिया किस्म की सर्वेक्षण के बाद सिद्ध हुई लेकिन अस्पतालों में उन दवाओं के वितरण पर रोक नहीं लगाई गई है और इसके कारण रोगियों के जीवन पर जो दुष्प्रभाव पड़ा और रोग की रोकथाम पर जो असर पड़ा उससे उत्तर प्रदेश के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुछ समय पहले यही संसदीय कार्य राज्य मंत्री जब लोक लेखा समिति के चेयरमैन थे, उनके हस्ताक्षर से इसी सदन में एक रिपोर्ट पेश हुई थी और इसमें श्री हुकुम सिंह, तत्कालीन चेयरमैन, लोक लेखा समिति ने लिखा था कि प्रदेश का यह विभाग दवा खरीदने के मामले में बहुत घटिया किस्म का है और इसमें वाउचरों पर अधिक कीमत दिखाकर घटिया फर्मों से दवाई क्रय की गई है, जिनके पास लाइसेन्स तक नहीं है। इसी प्रकार ग्लूकोज का सर्वेक्षण हुआ तो मालूम हुआ कि यह हानिकारक है। लेकिन मान्यवर, उसको अस्पतालों में वितरण से रोका नहीं गया । इससे बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया । इसी प्रकार मान्यवर, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्लीसरीन खरीदने के मामले में 59 लाख रुपयों का घपला हुआ है। इसी कारण 59 लाख रुपये के घपले को ले करके स्वास्थ्य निदेशक और स्वास्थ्य सचिव में खींचतान चल रही है। इसी ग्लीसरीन कांड को ले करके मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में शीत युद्ध हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस ग्लीसरीन का उपयोग जिले के किसी अस्पताल में दवा बनाने का नहीं होता है लेकिन फिर भी 79 लाख की यह दवा खरीद ली गई और ऐसी फर्मों से ली गई जिससे खरीदने के लिए उसके पास लाइसेन्स तक नहीं है। किसी सरकारी अस्पताल में इस दवा का काम दवा बनाने का ही नहीं है, लेकिन उसकी खरीद की गई। इसी प्रकार एक अन्य दवा पेडियाट्रिक सस्पेंशन खरीद ली गई । इस दवा की खरीद में भी 29 लाख का घपला हुआ है। यह मामला स्वास्थ्य निदेशक और स्वास्थ्य सचिव के बीच हो रही रस्साकशी से सामने आया है। इतने

बड़े घपले के बावजूद उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश के 11 करोड़ जन-जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि वह इतने बड़े सूबे के जन-जीवन की सुरक्षा के लिए अच्छी दवायें उपलब्ध कराये। दवाओं की खरीद में अन्य अनेक जिलों में घपला है। आप मेरठ, अलीगढ़, आगरा कहीं भी देख लें, सब जगह बहुत बड़ा घपला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बड़ा गंभीर मसला है और प्रदेश के जन-जीवन से जुड़ा सवाल है। इतने बड़े घपले को देखने के लिए, खराब दवाओं के असर को रोकने के लिए और खरीद में जो गड़बड़ी है, उसको रोकने के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर सदन में दो घंटे की चर्चा करावें और इसमें सचिव या निदेशक जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री मोहम्मद रिजवानुलहक--

मान्यवर, दिनांक 12-2-86 को सुबह 6 बजे के लगभग गनीमतनगर ग्राम में एक सुन्दर महिला लीलावती की दर्दनाक हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले को दबाने के लिए एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं की। जिस दरोगा को घटना स्थल पर भेजा गया उसने कहा कि डूब गई है, लिहाजा मुकदमा दर्ज करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दिनांक 13-2-86 को जब इसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उससे यह साबित हुआ कि उक्त महिला के साथ बलात्कार के बाद गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी गई।

मान्यवर, उक्त महिला लीलावती गनीमतनगर की रहने वाली थी। उसका पुत्र मलेरिया से अन्धा हो गया था। एक साधु ने उसको मशविरा दिया था कि अगर तुम रोजाना एक महीने तक जल चढ़ाओ तो तुम्हारे पुत्र की आंख ठीक हो जायेगी। उसका पति उक्त ग्राम के खेड़े के समीप नदी ढेला पर जल चढ़ाने जाया करता था। उस दिन उसके यहां कथा हो रही थी, पति की जगह वह खुद चली गई। तीन दिन से वह लगातार जा रही थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह जाती थी। किसी ने उसकी हत्या करके उसकी लाश को नदी में डाल दिया। मान्यवर, यह अत्यन्त ही अविलम्बनीय है व लोक महत्व का भी और ताजी घटना है। लिहाजा मैं मांग करता हूं कि सदन के सम्पूर्ण अन्य कार्य रोककर इस पर चर्चा कराई जाये। मान्यवर, इस घटना को लेकर जनपद की जनता में पुलिस के विरुद्ध रोष व्याप्त है।

*श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर घटना इसलिए है कि अभी दो रोज पहले सदन में इस तरह की दो घटनाएं आई हैं--एक में तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था दूसरे में, थाने में पुलिस द्वारा एक बलात्कार हुआ था। मान्यवर, हम जिस तरह के मुल्क में रहते हैं जहां औरत के लिए खास मुकाम की बात कही जाती है कि समाज में उसे खास इज्जत मिलनी चाहिए। अगर उस मुल्क में औरत के साथ इस तरह का बर्ताव हो जाये तो स्त्री वर्ग की मर्यादा हमारे समाजी ढांचे से हट जायेगी। मान्यवर, जिस स्तर की यह स्त्री थी, अगर इन गरीब लोगों की आवाज सदन तक नहीं आयेगी और सदन के माध्यम से सरकार के कानों में नहीं जायेगी और उस पर सरकार प्रभावी कदम नहीं उठायेगी तो यह तरीका आम हो जायेगा। मान्यवर, वह 28 साल की जवान औरत थी। सात साल की उसकी लड़की थी और चार साल का लड़का नाबिना था। मान्यवर, जो समाज की व्यवस्था है, उसके बारे में सरकार से जानना चाहता हूं कि हमारे समाज का स्तर कहां पहुंच गया है। जो औरत सिर्फ जल चढ़ाने जाया करती थी, बदमाशों ने उसके साथ बलात्कार करके, उसका गला घोंटकर, उसकी लाश को पानी में डाल दिया। मान्यवर, इससे बड़ी बात यह है कि जब इसके ससुर थाने पर गये और घटना की रिपोर्ट लिखानी चाही तो रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया गया। 24 घंटे तक उसकी लाश थाने में रखी रही लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। मान्यवर, इस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है जिनह करने वालों का और जिनह करने के बाद कत्ल करने वालों का 24 घंटे तक लाश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थाने में रखी रही। पुलिस ने यही कहा कि इसके साथ बलात्कार नहीं किया गया है। यह कहा गया कि इसी मिरगी के दौरे पड़ा करते थे, यह पानी के पास से गुजरी, इसे मिरगी का दौरा पड़ा, यह उसमें गिर कर डूब गई। मान्यवर, थाने का दरोगा उसके रिश्तेदारों को लाश जलाने पर मजबूर करता रहा, जबकि उस औरत के रिश्तेदार बजिद रहे कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाये। मजबूर होकर जब इसका पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम के बाद यह नतीजा निकला कि उसके साथ पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद उसका गला घोंटा गया और फिर पानी में डाल दिया गया। एक ओर तो समाज के गन्दे कीड़े ऐसा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी सरकार और पुलिस, जिसका काम ऐसे गन्दे कीड़ों की तलाश करना है, उनको संरक्षण दे रही है। 24 घंटे तक उसकी लाश को रखा गया और वह इसलिए रखा गया कि उसका पोस्टमार्टम न होने पाये और सही हालात सामने न आने पाये। चुनांचे मेरी मांग है कि यह लीलावती इस सदन में आसानी से नहीं आ सकती है, न मालूम ऐसी ही कितनी लीलावतियों के साथ बलात्कार होता है और न मालूम कितनों का गला घोंटकर पानी में डाल दिया जाता है, इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर आप सरकार का वक्तव्य दिलवाये और जिस थानेदार ने 24 घंटे तक उसकी लाश को रख रहा, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, यह लीलावती एक बैकवर्ड क्लास की औरत है। इसके साथ कतई नाइंसाफी हुई है। इस पर सरकार का स्पष्ट बयान आना चाहिए।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आज तक यह व्यवस्था व परिपाटी रही है कि नियम 56 के अन्तर्गत सूचना को सुनने के बाद आप अपनी व्यवस्था उस पर देते हैं। आपने हमें नियम 56 के अन्तर्गत सुना, इसलिए इस पर आप सरकार को वक्तव्य के लिए निर्देश देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले मैं सबकी सुन लूं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, या तो आप कह दें कि लीलावती के साथ जो रेप हुआ है, वह सही हुआ है। 24 घंटे तक उसकी लाश को थाने में रखा गया, वह भी सही है। यदि यह सही नहीं हुआ है, तो आप सरकार को कम से कम वक्तव्य देने के लिए तो निदेशित कर ही दें।

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार को निर्देशित करता हूं कि वह इस पर जानकारी कर लें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, लीलावती के मामले को आप इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि वह एक बैकवर्ड क्लास की औरत है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें कोई बैकवर्ड का सवाल नहीं है। महिला तो महिला है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यदि किसी नेता के साथ यह हुआ होता या किसी बड़े आदमी के साथ यह हुआ होता, तो यह सदन उस पर अवश्य कार्यवाही करता। चूंकि यह गरीब महिला है, इसलिए आप भी उसे नहीं सुन रहे हैं कम से कम आप इस पर सरकार का तो वक्तव्य दिलवा दें ताकि भविष्य में इस तरह के जघन्य अपराध न हो सकें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, उस महिला के साथ बलात्कार भी हुआ है और फिर उसको मार भी दिया गया है। इसलिए इस सर वक्तव्य तो आना ही चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार इस पर वक्तव्य दे दे।

(श्री रघुबर दयाल वर्मा के खड़े होने पर

नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना आपने दी है, वह कल परसों की तो कोई घटना है नहीं। चूंकि आपने अपनी बात कह दी है, इसलिए वह सरकार के ध्यान में चली गयी है।

*श्री माता प्रसाद पाण्डे--

मान्यवर, माननीय लोकपति त्रिपाठी जी जो इस सदन के सदस्य भी हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है । वह यहां पर इस समय उपस्थित नहीं हैं, न ही जो आरोप लगाये गये हैं, उनका खंडन हो रहा है, इसका मतलब उन्होंने प्रकारान्तर में इस घपले को स्वीकार कर लिया है । जब शासन इसको स्वीकार कर रहा है तो इस पर चर्चा कराने की अनुमति देने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार ने कहां स्वीकार कर लिया है ?

श्री हुकुम सिंह--

शासन इसका पुरजोर शब्दों के साथ इन्कार कर रहा है ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, इस सरकार की जन-विरोधी नीतियों के कारण, पूरे प्रदेश के जो प्राथमिक कुटीर उद्योग थे हथकरघा के, बाराबंकी में, वहां पर 10 फरवरी से बुनकरों की हड़ताल चल रही है । उनकी जो मांगें हैं नई मांगें नहीं हैं, उन पर वहां के अधिकारियों की कमेटी ने विचार किया था और पहले यह कहा था कि मान लेंगे, लेकिन फिर माना नहीं जा रहा है । वहां पर एक सूती मिल है, वहां के मजदूर मांग कर रहे हैं कि एक डिपो खोला जाय, लेकिन नहीं खोला जा रहा है । बुनकरों के रहने के लिए कालोनी की बात थी, उसका भी निर्माण नहीं किया जा रहा है । इससे बुनकरों में रोष फैल रहा है और प्रमुख कुटीर उद्योग संकट में पड़ गया है । मेरी मांग है कि इस पर सरकार को वक्तव्य के लिए निर्देशित करें या इस पर दो घंटे की चर्चा करा दें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डे--

मेरा भी नाम था । बस्ती में भी बुनकरों का मामला है । मेरे जिले के बुनकरों का एक करोड़ रुपया हथकरघा निगम पर बकाया है । बुनकर भुखमरी के कगार पर है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई ऐसा मामला नहीं है जो आज ही पैदा हुआ हो, अविलम्बनीय भी नहीं है । आप बैठें ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा माता प्रसाद पाण्डे के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

मैं सरकार को निर्देशित करता हूं कि वह इस पर आवश्यक कार्यवाही करे ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

मान्यवर, "जिसका तकिया था, वही पत्ते हवा देने लगे", अब आप भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । बुनकरों का इतना बड़ा मसला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी बजट पर पूरे पांच दिन की चर्चा पड़ी हुई है, उसमें आप कह सकते हैं । उसमें कह लीजियेगा, आप बैठें ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

मैं मौके की तलाश में नहीं रहता ।

श्री गौरी शंकर भइया--

माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत भरे मन से एक खेदजनक घटना की ओर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बलिया जनपद में पिछले दिनों बेदुआ मुहल्ले से 15-16 वर्षीय तुरहा जाति की लड़की कुमारी उर्मिला को शंकर और खेदन नामक दो व्यक्ति बहाना करके शिवपुर दीयर लेकर चले गये और वहां पर उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करके उस लड़की को वे लोग वहां छोड़ कर चले गये । श्रीमन्, जब वह विधवा महिला काम पर से वापस आई तो उसने लड़की को वहां देखा तो वह लड़की को ले करके, अपने साथ में उसे लाकर, उसके घर छोड़ दिया । घर वालों को जब इस बात का पता चला तो उन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और उस लड़की की शारीरिक जांच कराई गई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तथा गुण्डों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया । जिस घर में बलात्कार किया गया था; पुलिस वहां जांच करने के बहाने गयी और उस घर में जाकर बेचारी विधवा महिला शिव कुमारी जिसका कि वह घर था, थाने से एक पुलिस का दरोगा और दो सिपाही वहां जांच के बहाने गये और उन लोगों ने भी विधवा महिला के साथ बलात्कार किया ।

इस तरह से एक ही कड़ी में दो बलात्कार हो गये । एक तो उर्मिला के साथ जिसे कि दो गुण्डों ने मिलकर किया और दूसरा उस घर की विधवा महिला के साथ जो कि उर्मिला को घर पहुंचाने गई थी । उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस का एक दरोगा और दो सिपाहियों ने मिलकर एक विधवा के साथ बलात्कार किया । उस महिला ने पुलिस की रिपोर्ट की है कि मेरे साथ इस तरह की कार्यवाही की गई है । उस पर जांच के नाम पर बलिया का पुलिस प्रशासन लीपा-पोती करना चाहता है । विधवा महिला की शारीरिक जांच भी नहीं कराई गई है । चूंकि मामला पुलिस से सम्बन्धित है इसलिए शासन उसको दबाना चाहता है । सरकारी कारिन्दों ने यह घटना की है । इसलिए मैं मामले की गंभीरता को जोड़ते हुए आपके माध्यम से आग्रह करता हूं आप सरकार को निर्देश दें कि वह इसकी कड़ाई के साथ जांच कराये और जांच की रिपोर्ट पर सदन में आप वक्तव्य दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार इस घटना की जांच करायेगी । वक्तव्य के लिए मैं निर्देश नहीं देता हूं । माननीय शाही जी, आपने तो बेसिक शिक्षकों के फण्ड के घोटाले के सम्बन्ध में दिया है, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है । यह नियम 56 में नहीं आता है । यह कौन-सी घटना आज घटी है ? दूसरे भी नियम हैं, उन नियमों का सही इस्तेमाल कीजिए, उनमें इसे लाइये, लेकिन नियम 56 के द्वारा इसे आप उठाना चाहते हैं तो कैसे काम चलेगा ? इसकी मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मैं समझता हूं कि इसे आप सुन तो सकते हैं । मान्यवर, कहीं भी प्रक्रिया नियमावली में यह नहीं लिखा है कि इस पर विचार नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

देव कुमार जी ने और रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो सूचना दी है, देव कुमार जी, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । तिवारी जी ने जो नियम 56 की सूचना दी है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । जो भी साम्प्रदायिक तनाव के बारे में है उसकी मैं इजाजत नहीं देता और न कुछ सुन सकता हूं । कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में सभी सूचनायें अस्वीकृत की गई हैं ।

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, आप एक मिनट मुझे भी सुन लें...

श्री उपाध्यक्ष--

साम्प्रदायिक तनाव पर मैं कुछ नहीं सुनूंगा ।

(श्री देव कुमार यादव के बोलते रहने पर)

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा, माननीय देव कुमार जी आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव--

[×××]

श्री उपाध्यक्ष--

यह कुछ नहीं लिखा जायगा ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है...

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, आप एक मिनट सुन लें...

नोट : [×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशा- नुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

बर्क जी, आप किस नियम के अन्तर्गत बोलना चाहते हैं ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, आज गैर सरकारी दिवस है और संकल्पों पर चर्चा होनी है। तिवारी जी का पिछले सदन का गैर सरकारी प्रस्ताव आ रहा है, उनके संकल्प के बाद और संकल्प आये हैं। हमारे जो संकल्प हैं उनका भी प्रस्ताव करा दें और उसके बाद चर्चा करा दें। यह मेरी प्रार्थना है। इस पर आप गम्भीरता से विचार करें।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। आपने सदन में व्यवस्था दी है, जो नियम 56 में सूचनायें आई हैं, आंख मूंद लेने से उनकी हकीकत दूर नहीं हो जायेगी। जो वातावरण है उस पर चर्चा कराने से वह बिगड़ता नहीं है। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि सी0 आई0 ए0 के लोग इसके पीछे लगे हैं और इस प्रदेश में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष --

कोई चीज नहीं ली जायेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डे--

मान्यवर, आज असरकारी दिवस है। आप हम लोगों के कार्य-स्थगन प्रस्तावों को ले लें और संकल्प ले लें। अभी रघुबर दयाल वर्मा जी ने प्रस्ताव किया है कि हमारे संकल्पों को ले लिया जाये। उनको प्रस्तुत कर लिया जाये और बहस चल जाये। अगर उन पर बहस कराना संभव न हो तो थोड़ा-थोड़ा समय निर्धारित कर दिया जाये, जिससे कि संकल्प आ जायें।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। एक मिनट सुन लें: 16 फरवरी की रात....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें। उत्तर भाषण देना जरूरी है। मन्त्री जी का भाषण हो चुका है और तिवारी जी को कहना है। इतना काम जरूरी है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरे संकल्पों को प्रस्तुत तो करा लें।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम यह है कि पहले जो काम सामने है, वह हो जाये, नहीं तो नियमों को निलम्बित करना होगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों के पिछड़ेपन और आबादी के आधार पर ही धन आबंटन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से मांग के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, जहां तक इस संकल्प का सवाल है। मान्यवर, पिछले सत्र में इस पक्ष के या उस पक्ष के जितने भी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, सभी ने एक स्वर से हमारे संकल्प का समर्थन पूरी तरह से किया था। अन्त में उस समय के नियोजन मंत्री श्री जयराम वर्मा ने जवाब देते हुए जो कुछ मुद्दे उठाये थे उनके बारे में आपकी अनुमति से मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। श्री वर्मा ने कहा था कि लोग बकाया रकम दें, अल्प बचत योजना में अधिक पैसा दें और जनसंख्या में वृद्धि जो हो रही है उसको रोकने में मदद करें तो यह सारे मामले साफ हो सकते हैं। मेरा निवेदन है मान्यवर, कि तत्कालीन जो नियोजन मंत्री थे उनके कथन में कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा इसलिए कहता हूं मान्यवर कि अगर पिछली योजनाओं में अल्प बचत के अनुपात में जिन जिलों ने जितना जमा किया था उसी हिसाब से अगर उनको उनके धन का आबंटन किया गया होता तब तो उनके कहने का कोई मतलब होता लेकिन मुझे संकल्प लाना ही इसलिए पड़ा कि जो आबंटन का सुनिश्चित सिद्धान्त है उसका लगागार उल्लंघन यह सरकार करती रही है। सिद्धान्तों में तो वही सिद्धान्त है, योजना

†दिनांक 4 सितम्बर, 1985 की कार्यवाही से।

आयोग से उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर धन का आबंटन होता है प्रान्त की सरकारों को। लेकिन यहां पर आकर वह जो आवंटन होता है प्रान्त का जिलों में उसमें इन सिद्धान्तों का परिपालन नहीं किया जाता। इसलिए बाध्य होकर प्रान्त सरकार के बारे में अपने संकल्प में मुझे कहना पड़ा था। जय राम वर्मा जी ने कहा था कि फैजाबाद तो पिछड़ा नहीं है (इस समय 3 बज कर 12 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्णवीर कौशल पीठासीन हुए) मैंने फैजाबाद व सुल्तानपुर का एक कम्परेटिव चार्ट प्रस्तुत किया था कि पिछले साल की योजनाओं पर उन्हीं मदों में सुल्तानपुर में कितना खर्चा किया गया था और फैजाबाद में कितना खर्च किया गया था तो आदरणीय वर्मा जी ने दुहाई दी थी कि फैजाबाद में टांडा थर्मल पावर स्टेशन बना दिया गया। टांडा थर्मल पावर स्टेशन कांग्रेस सरकार की देन नहीं है बल्कि जनता सरकार की है। मन्त्री उस रिकार्ड को देखें और यह भी देखें कि उसके बाद आपके समय में ऊंचाहार को कितना पैसा दिया गया है? दूसरी जगह कितना दिया जाता है और टांडा को कितना दिया गया है? इसको आप देखते तो शायद तस्वीर ज्यादा साफ होती। अगर माननीय मन्त्री जी और उस तरफ के लोग साफ तस्वीर रखना चाहते हैं सदन के सामने, तो बता दें कि जिलों में परकैपिटा इनकम में कितनी विषमता है तो एक तस्वीर सामने आ जाती। प्रति व्यक्ति योजनाओं पर कितना परिव्यय किया जा रहा है किस जिले पर? यह खाका हमारे सामने आता तो हमारे सामने बिलकुल बात स्पष्ट हो जाती कि किस तरह से भेद-भाव किया जा रहा है पैसा देने में योजनाओं के आबंटन में अगर यह भी आश्वासन दे देते मुख्य मंत्री जी या दूसरे मन्त्रि-परिषद् के सदस्यगण कि जो इस बार 1986-87 के लिए जिलों से जिला योजना का प्रारूप बनकर आया है उसमें भेदभाव करके किसी तरह की कटौती नहीं की जायगी और उनको ज्यों का त्यों स्वीकार किया जायेगा तब भी हम स्वीकार करते और हम समझते कि मुख्य मंत्री जी का इरादा पाक साफ है। यह सरकार ईमानदारी से उन सिद्धान्तों को लागू करेगी जिनके बारे में इस संकल्प में अपेक्षा की गई थी। लेकिन मान्यवर, यह कुछ नहीं किया गया है। फैजाबाद के बारे में उस समय नियोजन मंत्री के कहने पर मैंने कहा था--

"शोहरत की बुलन्दी भी पलभर का तमाशा है।
जिस डाल पर बैठे हो, वह टूट भी सकती है॥"

आज वे मंत्री नहीं रह गये हैं, वे चले गये हैं। आज उनकी दृष्टि भी साफ हो गई होगी। उनको दिखाई देता होगा कि प्रदेश के पिछड़े जिलों के साथ न्याय नहीं किया गया है और न किया जा रहा है। तब उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। आज मैं अपेक्षा कर रहा था कि बहुत सारे लोगों के बदलने के बाद आज जो यह नई सरकार बनी है, उसमें मुख्य मंत्री सदन को आश्वासन देंगे कि यह सरकार जो मौजूदा सरकार है, वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में यह सरकार उन नियमों का कड़ाई से पालन करेगी जिन पर केन्द्र से उनको पैसा मिलता है और उसी आधार पर वह पैसा जिलों को दिया जायेगा। इस प्रश्न पर सदन में बहस होनी चाहिए। फैजाबाद को जो दो तोहफा मिले हैं उनसे कम से कम हमारी दृष्टि साफ हो गई है कि इस सरकार के चरित्र, आचरण और व्यवहार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया है और आज भी इस सरकार में बैठे हुए मंत्री लोग किसी को खुश करने के लिए सारे प्रदेश की कीमत पर किसी क्षेत्र विशेष को दुल्हन की तरह संवारना चाहते हैं और सारा पैसा अपने क्षेत्र के विकास के लिए ले जाना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास प्रदेश की कीमत पर करना चाहते हैं।

मान्यवर, मैं फैजाबाद का उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले दो महीनों के अन्दर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने अपने विभागीय अधिकारियों को एक आदेश निर्गत किया कि फैजाबाद डिपो में जितनी भी लीलैंड की नई बसें हैं और अकबरपुर में जितनी भी टाटा की मरसरीज की नई बसें थीं वे सब उनके आदेश से अमेठी में मंगा ली गई हैं और सारी जर्जर बसें फैजाबाद और अकबरपुर में भेज दी गयीं।

एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। आज डालर के मुकाबले में रुपये की कीमत घट गई है। उसका परिणाम यह है कि विश्व बैंक के जरिये जितने नलकूप इस प्रदेश में

लगेंगे, डालर की कीमत बढ़ जाने से 600 नलकूप अधिक लगेंगे। तब मैंने मांग की थी कि सिंचाई मन्त्री जी बन्दर बांट मत करिये और देखिये कि कौन-सा क्षेत्र सिंचाई के मामले में पिछड़ा है? कुछ क्षेत्रों के लिए आप एक-एक क्लस्टर नलकूप दे दें। लेकिन तब वे सिंचाई मन्त्री थे और आज मुख्य मन्त्री हैं। चूंकि वे इसे व्यवहार में नहीं लाना चाहते थे उन्होंने मेरे उस पत्र का एक्नालिजमेंट भेजना भी गंवारा नहीं किया और उसमें बन्दर बांट कर दी। जहां उनके अपने लोग थे उन क्षेत्रों में टयूबवेल का एलाटमेंट किया गया और दूसरे क्षेत्रों की जो सिंचाई के मामलों में पिछड़े हैं उनकी उपेक्षा की गई है। सकल्प में दी गई बातों को सिद्धान्त रूप में आप मान चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि यह सारे सदन के लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिन क्षेत्रों के साथ अन्याय हो रहा है, वे सब नये सिरे से विचार करेंगे और इन सारे मामलों को एक मन बनाकर प्रदेश के पिछड़ेपन को ईमानदारी से दूर करने में जुटेंगे। वर्ल्ड बैंक से पिछड़ेपन के आधार पर यू0पी0 के लिए पैसा लाते हो और जब उसे एलाटमेंट का समय होता है योजनाओं को धन देने की बात आती है तो उस समय अपने लोगों को खुश करने के लिए उनके क्षेत्रों को सजाने और संवारने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्से में कमी करके, दूसरे पिछड़े हिस्सों में कमी करके, उनके साथ विश्वासघात करके दूसरी जगह पैसे को इस्तेमाल कर देते हो। इसीलिए मैं यह संकल्प लाया था। तो कम से कम अब तो ईमानदारी बरतिये और पिछड़ें हुए क्षेत्रों को इन्साफ दीजिए ताकि उनकी प्रगति में सहायक बन सकें।

[3 बजकर 20 मिनट]

श्री अधिष्ठाता—

माननीय तिवारी जी इस संकल्प पर पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। अब आप कितना और समय लेंगे, उत्तर भाषण भी देना है।

श्री रवींद्रनाथ तिवारी—

थोड़ी बात कह कर ससाप्त करता हूं। मेरा एक निवेदन है जितने लोगों ने संकल्प पर चर्चा में भाग लिया चाहे वह इधर के हों या उधर के हों सबने इसकी मंशा को सराहा था और इसका समर्थन किया था। उससे मैं समझता था कि आज इस प्रस्ताव पर मंत्री जी घोषणा करेंगे कि हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आज का जो रवैया उनका दिखाई पड़ रहा है खासकर मंत्रिपरिषद् के लोगों का उससे मुझे तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आ रही है—"फूलहिं फलहिं न बेत, जदपि सुधा बरषहिं जलद।" दूसरी लाइन मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं समझता हूं कि वह खुद समझ जायेंगे। मैं समझता हूं कि हम चाहे कितना ही क्यों न कहें, यह सरकार न्याय करने को तैयार नहीं है और ऐसा लगता है यह इन्साफ तब तक नहीं करेंगे जब तक जनता टकराव की स्थिति पैदा न कर दे और वह संघर्ष के लिए खड़ी न हो जाय। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि टकराव की स्थिति को आमंत्रण मत दीजिए कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े लोग संगठन बनाकर टकराव के लिए मजबूर न हो जायं। मैं निवेदन करूंगा कि टकराव की स्थिति पैदा हो इससे पहले आप इस संकल्प को स्वीकार कर लें। अगर आप संख्या बल के आधार पर इसे ठुकरायेंगे तो हम जनतन्त्र में जो सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है उसमें जायेंगे। हमारी जनता पार्टी ने निश्चय कर लिया है कि 18 मार्च को जो आपकी टकराव की मनोवृत्ति है उसको स्वीकार करेंगे और पटना के गांधी मैदान से यही चुनौती देने जा रहे हैं कि अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग या दूसरे पिछड़े इलाकों के लोग आगे बरदाश्त नहीं करेंगे। अब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए टकराव शुरू होने से पहले इस संकल्प को मान लें और गृह युद्ध की स्थिति को न्योता मत दीजिये। यह संकल्प जिसकी भावना को आप मानते हो, जिसे आप स्वीकार करते हो, जिसके आधार पर केन्द्र से और योजना आयोग से धन लेते हो ईमानदारी से उसे जिलों के पिछड़ेपन के आधार पर योजनाओं को लागू करने के लिए आवंटित करो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को स्वीकार करता हूं और अपने इस संकल्प पर बल देता हूं। मुझे विश्वास है कि मंत्रि परिषद् के लोग इस भावना को स्वीकार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

उत्तर भाषण तो हो चुका है, माननीय मन्त्री जी अब आप कुछ कहेंगे ?

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

माननीय तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया था उस पर वक्तव्य देते हुए उन्होंने शासन को चेतावनी दी है और कहा है कि पटना से एक आन्दोलन आरम्भ करने जा रहे हैं..

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी माइक से आवाज नहीं आ रही है जरा नजदीक से बोलें।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

उन्होंने अपने वक्तव्य में एक आध चौपाई और कविता कह दी और ऐसी परिस्थितियां बतायीं जिसके कारण उन्होंने गृहयुद्ध की धमकी दी है कि तो उसमें मैं एक शेर का लाइन कहना चाहता हूं--

"मेरे कलाम से बेहतर है मेरी खामोशी।"

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि अल्प बचत में, मेरे से पूर्व मंत्री जी ने कहा था, तो उनको बताना चाहता हूं कि 2 प्रतिशत धन उस 5 प्रतिशत में से जो रिजर्व रखा गया था उसमें से उन जिलों को दिया जायेगा जो अल्पबचत में अच्छी उपलब्धि करेंगे, तो निश्चित रूप से वह धन वहां ज्यादा पहुंचेगा जो अच्छी उपलब्धि अल्प बचत में करेंगे।

आपने जो संकल्प लिया उससे लगता था कि आप बड़े विशाल हृदय हैं और पूरे प्रदेश के पिछड़ेपन को लेकर यह संकल्प बनाया है। लेकिन आप सिमटते-सिमटते पहले फैजाबाद मंडल में आये, फिर सिकुड़े तो फैजाबाद जिले में आये, फिर अपने निर्वाचन क्षेत्र में आये और फिर थोड़ा सिमटते तो टाउन एरिया, नगरपालिका, फिर सिमटते तो अपने मोहल्ले और फिर अपने घर में पहुंच जाते। तो इस तरह से शासन अपनी कोई नीति नहीं बना सकता है।

माननीय, आप आवंटन को देखें। मण्डल को देखें तो 1985-86 में आवंटन फैजाबाद मण्डल को 5,707.64 लाख रुपये जिला योजनाओं के अन्तर्गत दिया गया। बरेली मंडल को 2,543.45 लाख रुपये, इलाहाबाद मंडल को 4,626.38 लाख रुपये, झांसी मंडल को 3,413.80 लाख रुपये, लखनऊ मंडल में 4,529.20 लाख रुपये, मुरादाबाद मंडल को 2,028 लाख रुपये है। यह एक चित्र दिया है। तो फैजाबाद मंडल को कितना अच्छा धन आवंटन किया गया, तो यह पिछड़ेपन के कारण है जिसको दूर करने के लिए यह धन दिया जा रहा है। अब जिले में आयें तो देखें कि फैजाबाद जिले को 832.33 लाख रुपये दिया गया, बाराबकी को 777.40 लाख रुपये दिया गया और वहीं प्रतापगढ़ को देखें तो 802.75 लाख रुपये दिया। माननीय, अब केवल फैजाबाद जिले से दो जिलों को ज्यादा मिल रहा है वह हैं सुल्तानपुर को 1,275.61 लाख रुपये और गोण्डा को 1081.60 लाख रुपये। तो यह जो वितरण है उसका आधार है। आबादी के लिहाज से 50 प्रतिशत धन का आबंटन किया जाता है। इसके बाद प्रदेश के मानक बताना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत कुल जन-संख्या के आधार पर, 5 प्रतिशत शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के आधार पर और 10 प्रतिशत छोटे और लघु सीमान्त कृषकों के आधार पर और उसके बाद कृषि, उद्योग और सड़क के आधार पर अस्पतालों में शैय्याओं की उपलब्धि के आधार पर 5-5 प्रतिशत का धन आवंटन किया जाता है, यह मानक हैं। इसके आधार पर उस डिवीजन के जो जिले पिछड़े हैं, माननीय सदस्य और माननीय सदन से मैं कहना चाहूंगा कि सुल्तानपुर फैजाबाद से डेवलप है। गोंडा इससे ज्यादा विकसित है। तो न तो किसी क्षेत्र का इसलिए विरोध किया जाये कि वह विकास से जुड़ा हुआ जिला है और न दूसरे तरीके से उसका विरोध किया जाए ऐसा करना ठीक नहीं है। इसका विरोध यदि राजनैतिक रंग से किया जाये तो यह सम्भवतया न आप अपने साथ न्याय करेंगे, न अपने राजनैतिक दल और न इस सदन के साथ न्याय करेंगे। इसी तरह से जो आपने प्रथम बिन्दु उठाया केन्द्र सरकार के बंटवारे का

तो केन्द्र सरकार उसके पिछड़ेपन को देखकर बंटवारा करती है। आबादी के हिसाब से 60 फीसदी, पिछड़ेपन के हिसाब से 20 प्रतिशत। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है। पिछड़ापन और उसके हिसाब से 60+20 प्रतिशत। इसके अलावा जो हमारे संसाधन हैं, उस पर 10 प्रतिशत और विशेष समस्याओं पर 10 प्रतिशत बंटवारा होता है। तो इन सारे कारणों को देखकर केन्द्र आबंटन करता है। यही कारण है कि जो हमें वार्षिक प्लान दिया गया है, उसमें हिन्दुस्तान में सबसे अधिक धन हमारे प्रदेश को दिया गया है। उसी हिसाब से हम जिलों में बंटवारा करते हैं। यही इस संकल्प की मूल भावना है। तो जो नीति और उद्देश्य तथा हमारे मानक बने हुए हैं, उन्हीं पर हम चलते हैं। अब उन पर पुनः विचार करना उचित नहीं है। उस नियम को फिर से बनाया जाए, यह उचित नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसकी सदन कैसे आज्ञा दे देगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस संकल्प को तिवारी जी वापस ले लें, वह बड़े विद्वान, बुजुर्ग और संसदीय प्रक्रियाओं के अच्छे जानकार हैं, क्योंकि उनकी मूल भावना को प्रतिपादित किया जा रहा है और प्रदेश तथा केन्द्र उसी मूल भावना के अन्तर्गत धन का आवंटन करते हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं मन्त्री जी से केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, मेरे इस संकल्प में कौन-सा ऐसा वाक्य या शब्द है जिससे उनकी सरकार या मन्त्री जी सहमत नहीं हैं और जिसकी वजह से संकल्प को वापस लेने के लिए वह हमसे कह रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जो उन्होंने कहा, उस पर मैं भी उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारे मानक की कौन-सी बात उन्हें अपने इस संकल्प के विपरीत लग रही है ?

श्री अधिष्ठाता--

तिवारी जी आपको मंत्री जी के उत्तर से आश्वस्त हो जाना चाहिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैंने एक बात कही है, उस पर मन्त्री जी ने भी एक प्रश्न पूछा है, अब मेरी एक बात का मन्त्री जी आश्वासन दे दें कि जो भी सुविधा या आवंटन है, जिसमें मानक मानकर अमेठी को दिया जा रहा है, उसे ही मानक मानकर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को भी आवंटन दिया जायगा तो मैं अपने संकल्प को वापस ले लूंगा।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, क्या इनके राजनैतिक द्वेष और ईर्ष्या को मानक बनाया जा सकता है ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैंने तो केवल सिद्धान्त की बात कही है। सदन में वह जो अपने भाषण में कहते हैं, उसको कार्यान्वियन में कतई अमली जामा नहीं दिया जा रहा है, उसकी वजह से यह संकल्प लाने की मुझे आवश्यकता पड़ी ताकि यह संकल्प सरकार के लिए विनिश्चय हो जाये और सरकार उसे मानने के लिए बाध्य हो और इनका पक्षपात पूर्ण रवैया बन्द हो।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय तिवारी जी, मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी के भाषण के बाद आप अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं आज भी अपने संकल्प पर बल देता हूं और संख्या बल के आधार पर वह वोट-डाउन करने के लिए कहें तो यह उनको अधिकार है। मैं कम से कम उनके चरित्र को उजागर करना चाहता हूं कि बाद में यह कुछ कहते हैं और उस मानक को समान रूप से लागू नहीं करते हैं, यह स्थिति प्रदेश की जनता के सामने आ जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि "यह सदन उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देता है कि वह सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों के पिछड़ेपन और आबादी के आधार पर ही विभिन्न प्रदेशों को धन आवंटन करने की केन्द्रीय सरकार से मांग करे और स्वयं भी प्रदेश के विभिन्न जिलों की विकास योजनाओं के लिए इसी आधार पर धन का आवंटन करे, ताकि जो जनपद जिस क्षेत्र में अधिक पिछड़े हैं, उस

क्षेत्र में विकास के लिए उन्हें अधिक धन मिल सके और विभिन्न जनपदों में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी की विषमता को भी दूर किया जा सके ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, चूंकि यह सरकार बिलकुल जन विरोधी है और झूठे वादे जनता से करती है । इस सरकार के इस एटीट्यूड आचरण के खिलाफ मैं और मेरे दल के लोग बहिर्गमन करते हैं ।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए उच्चाधिकार प्राप्त अभिकरण की स्थापना करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं अपने इस संकल्प को, इस सदन का निश्चित मत है कि पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए उच्चाधिकार प्राप्त अभिकरण की स्थापना की जाय, प्रस्तुत कर रहा हूं ।

मान्यवर, यह संकल्प अपने आप में स्पष्ट है । इसमें जो मांग की गई है कि उच्चाधिकार अभिकरण की स्थापना की जाय वह इसलिए की गयी है कि पुलिस के खिलाफ जो भी शिकायत होती है वह जांच पुलिस विभाग को ही जाँच के लिए दे दी जाती है । नतीजा यह होता है कि उसमें कोई न्याय नहीं हो पाता है और शिकायतकर्ता दुखी रहता है । यह आम बात है और पूरे प्रदेश में देखी जा रही है । पुलिस इस बात के लिए गये करती है कि तुम लोग जो भी शिकायत करोगे वह जांच के लिए मेरे ही पास आयेगी और होता भी यही है । लोग प्रधान मंत्री के यहां अपनी शिकायत देते हैं, लोग कलेक्टर के यहां शिकायत करते हैं और वह शिकायतें घूमफिर कर दरोगा के पास आ जाती है या एस0 पी0 या एस0 एस0 पी0 के पास आ जाती है । नतीजा यह होता है कि वह जांच या तो दब जाती है या समाप्त हो जाती है और यदि जांच होती भी है तो पुलिस अपने मन की रिपोर्ट लगा लेती है और उसका परिणाम जनता के हित में नहीं होता । जनता न्याय के लिए चारों तरफ गुहार लगाती रहती है और परेशान होती है और कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती । इसी का नतीजा है कि पुलिस का मनोबल आज बहुत बढ़ गया है और पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा सत्तापक्ष भी हमेशा विह्वल रहता है । इसके परिणाम स्वरूप हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि पुलिस इतनी ज्यादा आगे बढ़ गयी है कि वह गांवों में जाकर लूटपाट करती है और निर्दोष लोगों को जब चाहे मुठभेड़ दिखाकर मार डालती है या किसी फर्जी मुकदमे में फांस देती है और 25 आर्म्स एक्ट में चालान कर देती है । उसके जीवन को तबाह करने के लिए हर तरह से कोशिश करती है । यह इसलिए होता है कि पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती । अभी हाल ही में जो घटनायें हुई हैं उनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

फतेहपुर में जो घटना हुयी, वह पुलिस वालों ने ही की । जौनपुर सुरेरी में जो घटना घटी उसमें भी पुलिस वालों ने भूतपूर्व प्रधान को बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी प्रकार के गलत काम किये हुए पकड़ के ले गयी मार-पीटती हुई, अन्त में गोली चलवा दी और फिर वहां पर जो घटना घटी, सभी जानते हैं । सारा मामला दर्ज किया गया लेकिन अब पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने वाली है और सुख नन्दन किसकी गोली से मरा । मुकदमा इसमें चला लेकिन आज तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही होनी ही नहीं है क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथों में है और अगर यही होता रहा और शासन इन पर कोई अंकुश नहीं लगा सका तो हो सकता है एक दिन जनता का इनसे सीधा टकराव हो जाये और इससे जो परिणाम निकलेंगे वह हम और आप समझ सकते हैं । मान्यवर, इसी प्रकार एक घटना दोस्तपुर थाने के एक दरोगा ने एक केवट के घर पर डकैती डाली और उसके खिलाफ दरख्वास्तें दी गयीं लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुयी क्योंकि सारी दरख्वास्तें पुलिस के पास ही गयीं और वही उसके

जांच अधिकारी। इसलिये वहां पर कोई भी कार्यवाही नहीं होने पाती है। नतीजे में अपराधों की बाढ़ आयी हुयी है और अपराध करने वालों को पुलिस स्वयं संरक्षण दे रही है और कहने सुनने वाला कहीं कोई है नहीं। इसलिए आज प्रदेश एक ऐसी स्थिति में आ गयी है कि समझ में कुछ नहीं आता। परन्तु सरकार यह डींग हांक रही है कि पुलिस द्वारा अपराधों पर कन्ट्रोल किया गया है, अपराध बढ़ने से रुक गये हैं, इस सिलसिले में हमने काफी कामयाबी की है, इसलिए मान्यवर, मैं वह कहना चाहता हूं कि जब इतनी कामयाबी आपको मिल गयी है तो फिर आप यह अध्यादेश क्यों लाये हैं, जिसमें उन्हें और ज्यादा आपने अधिकार दे दिये हैं और वह इसके तहत कभी भी किसी व्यक्ति को जेल में बन्द कर सकते हैं और तीन साल से लेकर संभवतः दस साल तक सजा दे सकते हैं तो इस प्रकार उनके हौसले दिन पर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं और जनता की सुरक्षा के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं जिसका नतीजा हम आप देख रहे हैं कि पुलिस से हर आदमी पनाह मांग रहा है। पुलिस के खिलाफ कोई दरख्वास्त देना, किसी प्रकार की कोई शिकायत करना अपने आपको जोखिम में डालना महसूस करने लगा है। दूसरे नतीजा जनता को मालूम है कि उनके खिलाफ तो किसी प्रकार की कार्यवाही दर किनार बल्कि अपनी खैरियत नहीं। असमाजिक तत्वों से पुलिस हत्या करवाती है। एक दो नहीं न जाने कितनी घटनाएं आज हो रही हैं। अच्छे खासे लोग और शरीफ लोग चाहे क्यों न हों फिर भी पुलिस से आतंकित हैं। मुझे मालूम है अंग्रेजों के जमाने की पुलिस का रवैया और आज की पुलिस के रवैये को भी हम देख रहे हैं, जिससे सारी जनता परेशान है, दुखी है। अपनी सही बात को भी पुलिस के पास ले जाने में डर है। मान्यवर, सम्बन्धित मंत्री ने भी आज की पुलिस के रवैये को स्वयं स्वीकार किया है और इसीलिए कहा कि पुलिस को प्रशिक्षण दिलवाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं फिर कहन चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह पुलिस वाले हैं, किसी की मानने वाले नहीं हैं। वह जानते हैं कि उन्हें जो प्रशिक्षण दिया गया है वही ठीक है, अन्य किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गयी बात कि इनके रवैये का जो आज ढांचा बन चुका है, उसमें किसी भी प्रशिक्षण से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस तो हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों में आगे बढ़ी हुयी है और जितनी डकैतियां और बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अन्दर हो रही हैं शायद ही किसी और सूबे में हो रही होंगी। आज इस बात के लिये बहुत ही आवश्यक हो गया है कि पुलिस के खिलाफ जो भी शिकायतें हों, उसकी निष्पक्ष जांच हो, मैं नहीं जानता कि हमारे सत्ता के लोग भुक्तभोगी हैं कि नहीं, लेकिन वह सभी लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज पुलिस के रवैये से वह लोग भी नहीं बचे हुये हैं। उनके ऊपर भी हमले होते हैं। हमने तो कई अखबारों में पड़ा है, कांग्रेस (आई) के लोगों ने बयान भी दिया है। पुलिस के लोगों ने उनको भी नहीं बख्शा है। पुलिस के खिलाफ जो भी दरख्वास्तें दो, पुलिस ही जांच करती है, कोई दूसरा हाकिम है ही नहीं। एक समय था, इसी पुलिस के अन्दर और कांग्रेस हूकूमत के अन्दर, हो एक कम्पलेन्ट अफसर होता था, वह निष्पक्ष रूप से जांच करता था, लेकिन उनके ऊपर भी पुलिस अफसर के दबाव पड़ जाते थे, लेकिन यत्र-तत्र पुलिस के खिलाफ कुछ कार्यवाही कर देते थे, परन्तु उनको अधिकार इतना नहीं प्राप्त था कि वह कड़ी कार्यवाही कर सकते। आज वह भी खत्म कर दिया गया है। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि एक ऐसा संगठन बनाया जाय, जो दोषी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हों, चाहे आला से आला अफसर क्यों न हों, जो घूस ले रहा हो या उसके नीचे का अफसर घूस ले रहा हो या उसके खिलाफ अन्य कोई शिकायत हो, उसकी शिकायत जब की जाय, तो उसकी जांच कौन करेगा ? अगर डायरेक्टर जनरल के खिलाफ शिकायत हो, और जांच करने वाला डायरेक्टर जनरल हो, तो उसको कहां पर न्याय मिल सकता है।

कांस्टेबिल घूस कम लेगा, दीवान घूस कम लेगा, दरोगा बहुत अधिक घूस लेता है और मैं नहीं जानता हूं कि कोई बता सकता हो कि वहां का दरोगा घूस न लेता हो। अधिक से अधिक घूस लेने वाले दरोगा बैठे हुए हैं, जिन्होंने लाखों, लाख कमा करके वह जिस शहर में रहते हैं, लाख-लाख रुपये के उसी शहर में मकान बनाये हैं और उन्हें अगर मालूम होता है कि शिकायत होगी, तो दूसरे शहरों में मकान बना डालें हैं और मालोमाल हो गये हैं। उनकी कोई सीमा नहीं है। वे हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े अफसरों से ऊपर कमाई कर रहे हैं। उन पर अंकुश नहीं लगाया गया और जांच इसकी निष्पक्ष रूप से नहीं की जायगी, तो पूरे प्रदेश के अन्दर आग लग जायगी। अगर सरकार की तरफ से निष्पक्ष जांच की कोई व्यवस्था नहीं होती है, कोई अधिकरण नहीं गठित होता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता विवश होकर पुलिस के जुल्म के खिलाफ लड़ेगी, चाहे उसका जो भी परिणाम निकले, चाहे वह मारा जाय, पीटा जाय या मार ही क्यों न डाला जाय। फतेहपुर में सारी जनता ने पूरे जी० आर० पी० को घेर लिया। हमारे बनारस जिले में भी पुलिस के खिलाफ इस तरह से जनता विवश होकर इस प्रकार से करती है। महिलायें भी जाकर घेरती हैं, पुलिस के नाक के दम लगा देती है, तो यह होना चाहिए जब पुलिस के रवैये के खिलाफ, उनके आचरण के खिलाफ आप निष्पक्ष जांच की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो इसके परिणाम कुछ और ही हो सकते हैं, जनता अपना रास्ता स्वयं ढूंढ़ लेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। मेरी राय है कि एक जूडिशियल ढंग का कोई संगठन बनाया जाय, जिसमें अवकाश प्राप्त जज नियुक्त हों। यह व्यवस्था हर जांच में होनी चाहिए और हर जिले में यह व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो भी शिकायतें जनता की हों, उसमें निष्पक्ष जांच ही और जनता को न्याय मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था से पुलिस के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। तभी जाकर पुलिस के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो सकती है और कानून व्यवस्था के लिए भी यह आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी हो। पुलिस जिस ढंग से मनमानी कर रही है उस पर मंत्रियों का अंकुश है, न किसी का अंकुश है, अभी एक परिणाम आपके सामने आया था। मंत्री कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, लेकिन पुलिस ने तो किया था, हरिशंकर तिवारी जी के साथ भी ऐसा हुआ। बहुत से कांड इसी तरह के उत्तर प्रदेश में होते हैं। इसलिए शासन के लिए भी और प्रशासन के लिए भी दोनों के लिये आवश्यक है कुशल प्रशासन के लिये आवश्यक है कि इस पर अंकुश लगाया जाए। यह तभी हो सकता है जब उच्चाधिकार अभिकरण की स्थापना की जाए। मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करके संकल्प को स्वीकार करेगा। इस संकल्प की मंशा शासन के हित में है, जनता के हित में है इसलिए इस संकल्प को स्वीकार करें।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजकिशोर जी ने जो संकल्प रखा है उसके पीछे जो भावना है वह बहुत अच्छी है दिल पर उसका प्रभाव पड़ता है, कोई बात दिल से गुजरती है तो कोई न कोई ऐसी बात उठनी चाहिए कि समाज व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। बड़ा व्यक्ति वही है जो ऐसे वसूल को उत्पन्न करे, जिससे समाज सही तरह से संचालित हो सके। आन्दोलन कर देना मामूली बात है। रास्ता रोको आन्दोलन बहुत मामूली काम है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दो बातें अपनी जगह तय हैं बिना पुलिस के काम नहीं चल सकता है, इसमें दो राय नहीं है और यह भी तय है कि पुलिस में सुधार की आवश्यकता है। यह भी तय है कि वक्त-बे-वक्त एक्सेसिव पुलिस की आलोचना नहीं होना चाहिए। यह भी ठाक है कि पुलिस विभाग का आलोचना करने की आवश्यकता है, तो किस ढंग से हम चलें कि पुलिस व्यवस्था ठीक हो और वह अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार कर सकें, जिससे जनता को सुरक्षा मिले। एक चीज पर बल दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है ऐसी व्यवस्था कायम हो जो निश्चित रूप से उनके कार्यों की जांच करे । ऐसी व्यवस्था है लोकायुक्त में पैसा जमा करके शिकायत कर सकते हैं । यह कह सकते हैं कि ज्यादती की गई है या रिश्वत लेकर काम किया गया है, आप अदालत में जा सकते हैं । कोर्ट में यह व्यवस्था है कि सिविल शूट डेमेजेज के लिए कोई भी कर सकता है यह मुझे विश्वास है इसमें किसी किस्म की दुर्भावना नहीं है । एक चीज राजकिशोर जी ने डायरेक्टर जनरल के बारे में कही । मैं कहना चाहता हूं कि वह लोग भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वह चाहते हैं कि समाज अच्छे ढंग से चले, वह अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं । इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते है कि सबके सब अधिकारी या डायरेक्टर जनरल हमारी शिकायत सुनना ही नहीं चाहते हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं । चूंकि वह पुलिस विभाग से सम्बन्धित है इसलिए हमारी शिकायत को वह देखना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा सोचना गलत है । मैं यह नहीं कहता कि कोई कमी नहीं है । इन तमाम चीजों के होते हुये सबसे बड़ी ताकत जनतन्त्र में इनलाइटेन्ड ओपिनियन की है । बिना वर्दी के हर व्यक्ति सुरक्षा कर्मचारी है, यह सुरक्षा प्रदान करता है, हम लोग जिम्मेदार हैं, हम सबको उनका सहयोग करना चाहिये । हमारी जन शक्ति लोकतंत्र की हमारी जो और श्रखंलायें है वह मजबूत हों, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करें, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ज्यादती है, उसमें कमी आयेगी । ज्यादती उस पैमाने पर नहीं होगी जिस पैमाने पर हम सोच रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि सारे अधिकारी गलत हैं । जो तरक्की आज बिजली के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रानिक के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में हुई है इसमें अधिकारियों का योगदान है । यह बात सही है कि कुछ गलती है । इसमें समन्वय विचार रखने की आवश्यकता है । अधिकारियों का हमारे विकास में बहुत बड़ा योगदान है । इसलिये यह कहना कि जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, उचित नहीं है । सारे अधिकारी या कर्मचारी गलत है, ऐसा सोचना सही नहीं है । पुलिस ने बहुत से मौकों पर अपनी पूरी ताकत लगाकर जनजीवन की हिफाजत किया है । उस नुक्ते नजर से पुलिस प्रशासन को देखने की आवश्यकता है । जो बहुत तरक्की आफ्ता देश यूरोप वगैरह है, वहां भी इस प्रकार की आलोचना चल रही है । इसके दो कारण है एक तो यह कि कोई घटना हुई, बिना समय दिये हुये इंक्वायरी का हम स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं । कानून की निगाह में हर व्यक्ति बराबर है, चाहे विधायक हो, चाहे नागरिक हो या कोई भी हो । कानून के सामने जो साक्ष्य होता है, उसके मुताबिक फैसला होता है । फैसले सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं, जो चीज रिकार्ड में आई, जो व्याख्या हुई, उसके हिसाब से फैसले होते हैं । हम फैसले पर तसल्ली करते हैं और अगर तसल्ली नहीं है तो सीढ़ी दर सीढ़ी जाते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको हर चीज के लिये मौका देना चाहिये । आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां है, छात्र ने कोई चीज जला दिया तो बिना सोचे समझे, बिना इंक्वायरी का मौका दिये, स्टेटमेंट देना शुरू कर देंगे, आन्दोलन शुरू कर देंगे । जब हम लोग अनुशासन में नहीं रहेंगे तो समाज कैसे ठीक ढंग से चलेगा और कैसे काम होगा ? कोई छोटी सी गलती हो गई तो बजाय उसको व्यवस्थित करें । प्रेशर लगता, आन्दोलन शुरू हो जाता है । हंगर स्ट्राइक शुरू हो जाती है, तो कैसे काम होगा । आन्दोलन तो इस कदर हो गया है कि कोई भी बात हो तो अन्दोलन से शुरू हो । जब माब चलता है तो वह एक निश्चय बना लेता है । उसका एक डिटर्मिट एटीट्यूट हो जाता है । माब चला, उसने कुछ सोचा, पुलिस ने कुछ इंटरफीयरेंस किया, फिर एक निश्चय बना कि कुछ न कुछ करना है । फिर झगड़ा शुरू हुआ, तो नतीजा क्या होगा । पुलिस का काम ऐसे मौकों पर बिलकुल तलवार की धार पर चलना है । सख्ती न करे तो स्थिति बिगड़ती है । सख्ती करे तो आप कहते हैं कि सख्ती की । तो पुलिस उस समय यह नहीं देखती कि कौन है और कौन नहीं है । वह एकदम से एक्शन लेती है । पुलिस यह सोचने लगे कि किस

आदमी ने डण्डा मारा तो वह कुछ कर ही नहीं सकती । उस समय तो 100–100 आदमियों का माब चलता है, उसे रोकने के लिये एक-एक आदमी को नहीं देखा जा सकता। फिर उस समय वह माब भी किसी भी गैरमुनासिब बात को रोक ही नहीं सकता। "माब इज कैपेबिल फार एनीथिंग एक्सेप्ट इन्टेलीजेंस" तो माब कुछ भी कर सकता है, सिवाय अच्छा काम करने के । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कि सारे सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जितने पालिटिकल आन्दोलन भारतवर्ष में, उतने दूसरे मुल्कों में और यूरोपीय देशों में क्यों नहीं होते हैं । आन्दोलन से सारा जन-जीवन अस्तव्यस्त करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, छोटी-छोटी बातों को लेकर आन्दोलन करेंगे तो पुलिस को भी काम करना पड़ेगा। एक बार किसी अंग्रेज विद्वान से किसी ने पूछा आप में क्या खूबियां हैं, क्या क्वालिटीज हैं, तो उसने जवाब दिया टालरेंस, एकोमोडेशन और स्प्रिट आफ कम्प्रोमाइज़ । फिर किसी भारतीय से पूछा गया कि आपके यहां क्या खूबियां हैं, यह रोज-रोज आन्दोलन क्यों होते हैं, जरा सी बात हुई तो आन्दोलन और हंगर स्ट्राइक क्यों करते हैं, तो उस भारतीय ने कहा कि यह हमारा स्वाभाव हो गया है । इसको दूर करें तो पुलिस में भी डिसिप्लिन आए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं फिर भी आलोचना की गुंजाइश है । लेकिन यह जो आप अभिकरण बनाना चाहते हैं, इससे तो रोज ही कोई न कोई एक लेटर भेज देगा और होगा कुछ नहीं। लोकतंत्र में बहुत शक्ति है। हम और आप डिसिप्लिन्ड हो जायेंगे तो अवश्य कुछ सुधार होगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा––

मान्यवर, श्री राज किशोर सिंह जी ने जो संकल्प का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए, मान्यवर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारी शासन व्यवस्था में किसी का विशेष सम्बन्ध है तो पुलिस का । पुलिस अपने दायित्व से हटकर ऐसे काम करने लगी है जिससे जन-जीवन भयाक्रान्त है, आतंकित है और सुरक्षा के मामले में पुलिस अपने दायित्व से ऐसे गिर गयी है कि कोई भी आदमी आज प्रदेश का और हिन्दुस्तान का यह नहीं महसूस करता कि पुलिस उसे जीवन की सुरक्षा दे सकती है । मान्यवर, आपने देखा होगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पुलिस ज्यादती की इतनी कहानियां हैं और उनको देखते हुए उसमें मरने वालों की संख्या देखते हुए, यदि आप विचार करें तो मैं शासन से केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या शासन की निगाह में अब तक कोई भी पुलिस का कर्मचारी या अधिकारी अपनी किसी गलती के लिये, जिन्हें शासन ने स्वीकार किया हो कि गलती हुई है, कभी उसको सजा दी जा सकी है ? उसके लिये किसी को सजा अब तक दी जा सकी ? यदि उनको सजा दी जा सकती होती तो आज अनियंत्रित होकर पुलिस कार्य नहीं करती और जिससे जनता में पुलिस के प्रति उत्तेजना की भावना पैदा होती है ।

मान्यवर, मैं माननीय लाल प्रताप जी से दो बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मान्यवर, पुलिस के खिलाफ सबसे जबरदस्त आरोप दोनों तरफ से लगता है । सत्ता पक्ष के विधायक भी कहते हैं कि पुलिस फर्जी इनकाउन्टर करती है । मान्यवर, फर्जी इन-काउन्टर की जितनी विवेचनायें सरकार के आदेश पर गुप्तचर विभाग में लंबित पड़ी हैं यदि उनका फैसला हो जाय और उन फैसलों पर सरकार का कोई निर्णय हो जाय और अदालत कोई फैसला ले ले, तो मैं समझता हूं कि आज तक अगर कोई कार्यवाही हो गयी होती तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती । मान्यवर, इसी सदन के विधायक श्री बदन सिंह के शरीर पर किसी प्रकार से चोटें आयी था, उन्होंने अपने चोटों के निशानों का सदन में दिखाया था मान्यवर, इसी सदन में सरकार ने आश्वासन दिया था कि दोषी लोगों के खिलाफ जांच करके कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, अभी तक शासन ने काई कार्यवाही नहीं की। जबकि एक सत्र बीत गया, दूसरा सत्र शुरू हो गया है। पुलिस के अनियंत्रण पर उसकी

ज्यादती पर कहां रोक लगी ? जो भी जांच गयी मान्यवर, उसी दरोगा के पास पहुंच गयी जिस दरोगा की शिकायत माननीय बदन सिंह जी ने को थी ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मलपुरा की घटना का ले लें, एक मुस्लिम बालक को पुलिस उठा लें गयी, आपके क्षेत्र से उठाया। एक दरागा ने गोली मारी । अदालत ने फैसला किया कि जो रिवाल्वर बरामद की गयी वह किसी दूसरे मुकदमें में अदालत में मालखाने में दिखायी गयी थी । लेकिन वही रिवाल्वर उस घटना में प्राप्त हो गयी। उस पर अदालत का फैसला हो गया। माननीय लाल प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि किसी बात के लिये अदालत का रास्ता मौजूद है। मान्यवर अदालत ने फैसला किया कि दरोगा ने जो कार्य किया, सरकारी कार्य का निष्पादन न करके अपने तरीके से आदमी को उठाया। इसमें कोई सरकारी काम नहीं था। मान्यवर, इतना जबरदस्त फैसला होने के बाद सम्बन्धित दरोगा जा अदालत के फैसले के बाद 302 का मुल्जिम हो गया, अभी तक अदालत में हाजिर नहीं हुआ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय लाल प्रताप सिंह जी से कहना चाहता हूं कि कानून के आदेश की अवहेलना करना पुलिस अधिकारियों के हाथ में है । पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश नहीं करते । इस तरह से मान्यवर कहां कानून की परिधि में पुलिस है ? वह तो कानून से ऊपर उठकर आज सारे समाज के ऊपर इस तरह से छा गयी है कि सिवाय पुलिस राज्य के अलावा, हमारी सरकार जो यहां बैठी है, इसका राज्य तो दिखाई नहीं देता ।

मान्यवर, आज पुलिस के खिलाफ जितनी भी शिकायतें होती हैं, सारी की सारी शिकायतों की जांच उसी दरोगा से कराकर उसका विवरण आपके सामने पेश कर दिया जाता है ।

मान्यवर, माननीय राज किशोर सिंह जी ने इसी परिपेक्ष्य में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त अभिकरण का स्थापना का सुझाव दिया है। मान्यवर, हम सब यह मानते है और आज सदन यह मानता है कि जिस दरोगा के खिलाफ शिकायत की जाती है वह उन्हीं गम्भीर आरोपों की जांच स्वयं करता है । और मान्यवर, यही कारण है कि आज पुलिस की बर्बरता भी बढ़ती जा रही है । मान्यवर, हम चाहते हैं कि इस तरह का एक जच्चाधिकार प्राप्त अभिकरण गठित हो, ताकि वह तमाम शिकायतों की विवेचना किया करे और ऐसे मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। और ऐसे निरंकुश कानून की अवहेलना करने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हो सके ।

यह एक थोड़ी सी बात है। सत्ता पक्ष के लोग भी इसे जानते हैं । महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के भाषण पर मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को सुना । उन्होंने कहा कि जितने भी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मिली है कि वह डकैतों को पनाह दिये हुए हैं, तो हम उन सबका ट्रांसफर कर रहे हैं। यदि पुलिस डकैतों को पनाह दे तो उनके लिए सरकार की निगाह में जो सजा है वह केवल ट्रान्सफर है । बन्दूक की नोक पर हमारे घर पर आकर डकैत हमसे जिस चीज के लिए वह कहेगा, वह हमें करना पड़ेगा और उसी बन्दूक की नोक पर हमें उसे खाना भी खिलाना पड़ेगा वही पुलिस का दरोगा हमें 216 का मुजरिम बना देता है, लेकिन सरकार की निगाह में पुलिस के लिए केवल एक सजा है वह ट्रान्सफर करना । आज जो पुलिस का आचरण है उसे ठीक करना है, उसके अधिकारियों और सिपाहियों को अनुशासित करने की आवश्यकता है, जिससे जन जीवन की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा हो सके । इस लिए मान्यवर, पुलिस की ज्यादातियों के खिलाफ एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का गठन किया जाय, जो केवल पुलिस के खिलाफ आरोपों की जांच करे, ताकि पुलिस मोहकमा मर्यादित और अनुशासित हो सके। माननीय श्री लाल प्रताप सिंह जी कहते हैं कि आप लोग मर्यादित होना नहीं चाहते हैं। अनुशासन और कानून की व्याख्या क्या है । आज जो स्थिति है पुलिस के खिलाफ इस आदरणीय सदन

सदन में जितनी भीं शिकायतें आती हैं, वे सारी की सारी रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं।

मान्यवर, में दो उदाहरण देना चाहता हूं पहले सतर्कता अधिष्ठान पुलिस के कब्जे में नहीं था लेकिन जब से यह पुलिस के कब्जे में आ गया है, जिलाधिकारी का कोई कंट्रोल पुलिस कप्तान पर नहीं रह गया है। आज इन्सपेक्टर में भी किसी अधिकारी का कोई आदर भाव नहीं रह गया है। जब वह सर्तकता अधिष्ठान पुलिस के कब्जे में नहीं था, तो उस समय यदि कभी कलेक्टर थाने में चला जाता था तो, लोग भागते थे और आदर करते थे, कई दिनों तक वहां की सफाई होती रहती थी, लेकिन जब से सर्तकता अधिष्ठान पुलिस के कब्जे में आ गया है तब से पुलिस का प्रशासन चौपट हो गया है। आज पुलिस महकमे से जनता भयाक्रान्त है। आज जब पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई विषय उठता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये कई बन्दिशें हैं। आज जितनी भी इस प्रकार की नोटिसें वकील व अन्य लोग देते हैं तो उन्हें गुण्डा विरोधी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। आज पुलिस थाने में महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और पुरुषों के साथ अमानुषिक कृत्य किये जा रहे हैं। मान्यवर, अभी एक बाप को उसके बेटी के साथ बलात्कार करने के लिए कहा गया, उसके गुप्तांगों में पेट्रोल डाला गया, जो ब्रितानी हुकूमत में भीं नहीं था। इस शिकायत को मैंने इस सदन के सामने भी रखा, लेकिन कल जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि वही चीज उसी दरोगा के सामने जांच के लिये पहुंची हुई है। पुलिस की ज्यादतियों को वर्तमान भारत में रोकना है और जनमानस को ठीक करना है। पुलिस जनता के लिये हउवा बनकर खड़ी हुई है। इसको ठीक करने के लिये अनुशासन में रखने के लिये यह आवश्यक है, कि एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय और शिकायतें वहां जायं तथा दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय, तभी पुलिस अनुशासित रहेगी।

श्री हरदेव--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने माननीय सदस्य श्री राज किशोर सिंह के संकल्प के विरोध में बोलने का अवसर दिया है, आभारी हूं। माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा, उसके पहले ही हमारी जनप्रिय सरकार ने पुलिस के विरुद्ध शिकायतों को दूर करने की और उन्हें नियंत्रण करने की सारी व्यवस्था कर दी है और कर रही है। शान्तिपूर्ण आन्दोलन जनतंत्र का मूलभूत आधार है, यह आवश्यकता भी है, लेकिन अगर वह शान्तिप्रिय आन्दोलन हो तब, अहिंसात्मक आन्दोलन हो। जहां जन जीवन को त्रस्त करने वाला आन्दोलन हो गया हो, वहीं हिंसा बढ़ी। माननीय सदस्य को जानकारी है कि 28 दिसम्बर को इन लोगों ने जो आन्दोलन किया, जनता के जीवन से (खिलवाड़) मजाक उड़ाना शुरु किया यानी रास्ता रोको जनता को अस्पताल जाने से रोको और उसी दिन काम पर लोगों को आप लोक दल के लोग जाने नहीं दिया। हम पुलिस की ज्यादती के हिमायती नहीं हैं लेकिन उसका क्या कार्य होता है, आप जब रास्ता रोकेंगे तो आम लोगों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अगर पुलिस को जनता की रक्षा करनी है तो रास्ता खुलवाने की कोशिश करेगी। 6 तारीख को जब सदन चल रहा था, एक पुलिस कर्मी को विरोधी दल के आप मा0 विधायकगण द्वारा सदन की मर्यादा के विपरीत यहां लाया गया। मैं कतई इस बात का हिमायती नहीं हूं कि कानून का निर्माण करने वाले या कानून को जानने वाले चाहे वकील हों, एम0 एल0 ए0 हों, मन्त्री हों, या अधिकारी हों, जो कानून को तोड़ेगा, उसे सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। जब ऐसे लोग अगर कानून को तोड़ेंगे तो आम आदमी कानून का पालन कैसे करेगा ? जहां तक पुलिस में सुधार और शिकायत की बात है, एक बार मैंने तर्क प्रस्तुत किया था कि बलिया का अगर कोई मामला है तो बलिया आजमगढ़ की पुलिस न हो, सरकार ने इसको माना है, क्षेत्रीयता सरहदी जनपद से हटाया है, मैं कितना प्रसन्न हूं, कितना खुश हूं। पूरब की पुलिस को पश्चिम में और

पश्चिम की पुलिस को पूरब में भेजा जाना चाहिए, ऐसा शासन ने कर भी दिया है। मेरे जिले में गाजीपुर से चोर, बदमाश, डाकू रसड़ा (बलिया) में आकर चोरी कर जाते थे और वहां की पुलिस से बच जाते थे, किन्तु अब सरकार के प्रयासो से इसमें सुधार हुआ है।

इसलिये जो शिकायतें थी या आने वाली बातें थी जिसके लिये माननीय सदस्य ने एक संकल्प दिया है कि जांच की एक प्रकिया रखनी चाहिए यह बिल्कुल निराधार है, उसकी आवश्यकता नहीं है। जब आप कोई गलत काम करेंगे चोर, डाकू या बदमाश को संरक्षण देंगे। मैं एम0 एल0 ए0 हूं तो क्या हुआ ? यदि हमने चोरी की है तो मैं अपराधी हूं, यदि हमने गाली दिया है तो भी मैं अपराधी हूं, यदि हमने किसी का मकान हड़प लिया है तो मैं मुल्जिम हूं। मैं जानता हू बलिया में और भी कई जगह हमारे विरोधी साथियोंने गरीबों का मकान हड़प लिया इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। जनता पार्टी के विधायकों ने गरीबों का मकान बलिया में हड़प लिया है।

(4 बजकर 20 मिनट)

आम जीवन को ठीक रखने के लिये पुलिस की व्यवस्था की गई है। आप रास्ता रोकते हैं। इस आन्दोलन से राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति होती है। कितनी बड़ी बिडम्बना है कि इसको हम लोग गम्भीरता से नहीं देखते हैं कि इससे कितनी राष्ट्रीय आर्थिक क्षति होती है। माननीय अधिष्ठाता जी यह एक तरह से सामाजिक अपराध है और आर्थिक अपराध भी है। ऐसे लोग जो माईक तोड़ते हैं, कार्यवाही को फाड़ने की कोशिश करते हैं। सदन की कार्यवाही को फाड़ने का किसी को हक नहीं है। मैं पूछता हूं कि कार्यवाही फाड़ने का किसी माननीय विधायक को हक है क्या ? कार्यवाही सबको है और आप इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं। मेरी सरकार ने, हमारे मुख्य मन्त्री ने बाहर मशीन 6 फरवरी को लगवाई आपकी रक्षा के लिये। जिससे कि आप पर कोई बाहरी आदमी आक्रमण न करे, [× × ×] आपके लिये मशीन की व्यवस्था की जाती है, माननीय गृह मन्त्री ने इसके लिये इस जांच हेतु एक मशीन की व्यवस्था कर दी।

श्री अधिष्ठाता –

माननीय हरदेव जी, आप कोई आक्षेप न करें। यदि आपने कोई अपत्तिजनक बात कही है तो उसको निकलवा दिया जायेगा।

श्री हरदेव --

मैंने 420 इनको नहीं कहा है बल्कि इनके कार्यों को कहा है। आप लोगों को मेरी बात सुनने की जरुरत है। आपको इस सदन की गरिमा के अनुसार मेरी बात को सुनना जरुरी है। तो यह तय हुया कि मशीन मंगायी जाय कि हम लोगों के कपड़ा के नीचे रखा हुआ काला कपड़ा, पिपहरी, गुब्बारा यह सब एक तरह का अपराध ही है जो पूरे प्रदेश की जनता को धोखा देकर सदन की मर्यादा भंग करके आप सबने किया था। महामहिम राज्यपाल से क्षमा याचना व्यक्त किया आप लोगों ने। विरोधी दल के सभी लोगों ने और सबके उस पर दस्तखत हैं, वह अखबार मेरे पास है कि हम लोग घेराव नहीं करेंगे, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। लेकिन प्रदेश की जनता के सामने पुलिस को लेकर आप लोग तोड़–फोड़ करते हैं इससे आर्थिक इनहरेसमेन्ट होता है।

मैं पूछता हूं कि क्या बजट में घाटा नहीं होगा ? जबकि करोड़ों-करोड़ों रुपया का आप नुकसान कर देते है, बस जला देते हैं, गाड़ी रोक देते हैं, गाड़ी का तोड़ देते हैं और लोगों की यात्रा को नहीं होने देते ? मेरा स्वयं का अनुभव है कि 28 तारीख को मैं और मेरी धर्मपत्नी जी एक बस मे यात्रा कर रहे थे अस्पताल जाने के लिये वह बीमार थी, मेरी बस को दो घण्टे तक रोक लिया गया, मुझे बड़ा दुख का अनुभव हुआ। प्रदेश की जनता और उसके भाई-बन्धु सब साथ-साथ यात्रा कर रहे थे, रास्ता रोकने से सबने कितने अप-

नोट---[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

शब्द आप लोगों को कहे, वह मैं जानता हूं। प्रदेश की जनता ने उन लोगों से कितनी नफरत किया है यह मैं जानता हूं इनका आन्दोलन बलिया में एकदम फेल हो गया है और प्रदेश में भी तथा हर तरह से फेल हो गया है। तो यह व्यवस्था प्रशासन एवं पुलिस की थी, उसने जनजीवन की रक्षा के लिये मेहनत किया। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। जो अधिकारी गड़-बड़ करेगा, उसके लिये उच्च अधिकारी हैं, वह जांच करेंगे और अगर उसको दोषी पाया जाता है तो उसका स्थानान्तरण किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, तो हर तरह की व्यवस्था कर दी गई है। तथा-कथित एम0 एल0 ए0 और बुजुर्ग मा0 सदस्य राज किशोर सिंह जानते हैं। गोरखपुर में, इलाहाबाद में, वाराणसी में और हर पर, लोग आजादी से विचार रहे हैं, किसी को सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, एक बात आयी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को जाति-पांति से ऊपर उठना होगा, चाहे वह एम0 एल0 ए0 हो, मन्त्री हो या कोई अधिकारी हो। भेद-भाव इसी से मिटेगा। सभी को अपने मन से सामाजिक सेवा करनी चाहिये, जाति-पांति नहीं रहनी चाहिये। लेकिन अगर आपकी जाति का भ्रष्ट अधिकारी है तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा अधिकारी है, आप लोग आज शपथ लें कि हम लोग जाति-पांति से ऊपर उठकर न्याय का काम करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस और मुख्य मन्त्री जी और मा0 प्रधान मन्त्री जी, जिन्हें प्रदेश और देश की व्यवस्था करनी है, चुनाव कराये हैं, असम का चुनाव कराया है, पंजाब का चुनाव कराया है। लोग आजादी से वोट दिये हैं और विचर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। इस प्रकार से मान्यवर मैं जो यह संकल्प है उसका विरोध करता हूं।

श्री मूलचन्द---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय राजकिशोर सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं पुलिस की हकीकत की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वैसे यह बात हर लोग जानते हैं, किसी से छिपी नहीं है, मगर हकीकत को दबाने के लिये यहां पर गुमराह किया जाता है। मान्यवर मैं कहता हूं कि पुलिस से कहीं डाकू अच्छा होता है। आप गौर करियेगा। आप क्षमा करें, अगर आप देखें तो जो डकैत होता है, जिसको सही डाकू माना जाता है, अगर वह एक घर में डाका डाल लेता है तो पुलिस के लोग 10 घरों में डाका डाल लेते हैं। सुबह जब घटना की रिपोर्ट की जाती है, कि डकैती हो गई है, 395, 396 का केस हो गया है, तो पुलिस के लोग पुलिस दल लेकर पहुंच जाते हैं। इधर उधर देखा, जिसको धनवान देखा, बुला लाये और कहा कि पकड़ कर ले चलो। आप हमारी बात को सुने। लिवा कर ले गये, थाने में और कहेंगे कि इसी ने मुखबिरी किया है। अब उसको करेंगे क्या, उसकी रात में कुटम्मत होगी जब लोग सिफारिश करने जायेंगे तो कहेंगे कि 5 हजार रुपया दो और जब 5 हजार रुपया ले लेंगे तो कहेंगे कि तफतीश कर रहें है तफतीश के नाम पर छोड़ेंगे यही नहीं डकैत अगर रुपया नहीं पाता है तो रुपया लेने के लिये जान ले लेता है और हमारे पुलिस के लोग जब मौके पर जाते है और कुछ नहीं पाते है तो बची बचाई बहू बेटियों की इज्जत पर उनकी नजर लगी रहती है घर के लोग तो भागे रहते है, गरीबों के पास, हम लोगों के पास एक इज्जत होती है आप लोग यह कहते है और सदन के लोग यह जानते है कि डकैतों का उन्मूलन हो गया है।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य एक मिनट बैठ जांय, माननीय मंत्री जी कुछ कहने जा रही है।

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री मती स्वरूप कुमारी बख्शी)---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है माननीय विधायक जी ने इतना सुन्दर नक्शा खींचा है अपनी बात का कि कत्थक नृत्य का सा दृश्य सामने आ गया है

श्री मूल चन्द्र--

आप लोग सुनिये सुनेंगे तो समझ में आयेगा ये कांग्रेस के लोग गांधी जी की दुहाई देते है। गांधी जी शराब बन्दी का नारा देते थे और इस कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी शराब पर भारी छूट दे रखी है। मैं अंग्रेजी शराब पीकर भूल जाता हूं कि मैं क्या हूं।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार) --

मान्यवर, मोरारजी वाली टैक्टिक्स है

श्री मूल चन्द्र--

मान्यवर मौजूदा हुकूमत के लोग शायद पुलिस और पी0 ए0 सी0 के गुलाम हो चुके है। मान्यवर पत्रकारों, डाक्टरों और विद्वानों की पिटाई हुई है वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है जो लोग विद्वानों को पीटे है उनका प्रमोशन हो गया है उनका यहां से ट्रान्सफर कर दिया और उसके बाद प्रमोशन हो गया आप इस बात को महसूस करते हैं कि डाकू उन्मूलन में तमाम डाकू मारे गये जब तक डाकू मार दिये गये तो अब डकैत कहां से पैदा हो रहें हैं, यही बता दें यहां डाकू पैदा नहीं होते हमारे प्रदेश की पुलिस के लोग डाकू पैदा करते हैं।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, यह हमारी तरफ उंगली कर रहें है।

श्री अधिष्ठाता--

आप किसी माननीय सदस्य से प्रश्न न करें अपना भाषण जारी रखे।

श्री मूल चन्द्र--

अगर किसी के यहां डकैती पड़ गयी तो पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि अगर तुमकों इन्चार्ज रहना है तो 4 दिन म मुल्जिम को गिरफ्तार कर लाओं, तो यह किसी मोटे ताजे आदमी को गिरफ्तार करके डकैत बना देंगे। यह भी मजबूर है कि अगर किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो इन्चार्ज नहीं रह पायेंगे। डकैत कैसे लोग बनते हैं, किसी से रंजिश हुई तो पुलिस उन्हें पकड़ लाई और 25 आर्म्स ऐक्ट में फर्जी चालान किया। इसी तरह से 399, 402 और 25 आर्म्स ऐक्ट की धारा लगाकर गरीब लोगों को परेशान किया जाता है। इस तरह से गरीब आदमी को डकैत बनने के लिये यह सरकार और पुलिस उन्हें मजबूर करती है मैं तो कहता हूं कि पुलिस डकैतों से पैसा लेती है। बरना आप जानते हैं कि एक पुलिस कर्मी की कितनी तनख्वाह होती है सात सौ रुपया, इन्सपेक्टर की कितनी होती है, एक हजार रुपया, 12 सौ रुपया। लेकिन आज वे किस शान और शौकत से रहते ह। अपनी तन्दुरस्ती बनाते हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। क्षमा करेंगे। आप आंकड़े मंगा लें। हर थानों से विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत किस-किस का चालान हुआ है? आप देखेंगे तो पायेंगे कि गरीबों का चालान हुआ है। 107 में साठ इक्साइज में 399, 402 में किसका चालान हुआ है, गरीबों का हुआ है, हरिजनों का हुआ है। इसलिये वे मजदूर होकर क्रिमिनल बन जाते हैं। डाकुओं का आपने इन्काउन्टर कराया है, कोठी वालों का इन्काउन्टर नहीं हुआ है गरीबों के साथ इन्काउन्टर किया जाता है। गरीब को पकड़ कर ले जाते हैं। उन्हें 25 आर्म्स ऐक्ट, 399, 402 में मुल्जिम बनाया जाता है। हमारे यहां की एक बात बताता हूं। एक केस के मामले में मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कहा और जांच के लिये उनसे निवेदन किया। उन्होंने जांच के लिये उसे एस0 आई0 एस0 पांडेय जी के पास भेज दिया। वे मंगलवार के दिन जांच किये थे। मैंने कहा पंडित जी, आप ब्राह्मण हैं और आज व्रत हैं तो झूठी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सही रिपोर्ट लिखूंगा। जब तीन दिन के बाद मैं बनारस गया तो उन्होंने कहा कि मैंने सही रिपोर्ट लिखी और कोर्ट इन्स्पेक्टर से राय लेने गया तो कोर्ट इन्पेक्टर ने कहा कि यह गलत है। जब उसने कहा कि रिपोर्ट दर्ज करो अगर उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट है तो उस दरोगा और कांस्टीबिल को सस्पेड पहले होना चाहिये। इस तरह से कोई सही रिपोर्ट कैसे लिख सकता है। ..... (व्यवधान) मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। मेरी बात सुनें। मैं सही बात बतला रहा हूं।

एक सदस्य--

तीन-तीन केसेज में इनका चालान हुआ।

श्री मूलचन्द्र--

यह रवैया कब तक चलेगा ? कब तक आप पुलिस के सहारे जिन्दा रहेंगे । इंसाफ के पक्ष में आपको विचार करना होगा । इस-लिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जांच के लिये आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं और आग्रह करता हूं कि इसलिये जांच हो बना दी जाय । इन्साफ के पक्ष मे समिति इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मझे बोलने का मौका दिया मान-नीय राज किशोर जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में बहुत गहराई से सोचने की बात है । मान्यवर, जब से हमारी यह दुनिया बनी है, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है और तब तक का सारा समय तो काल के ग्रास में पहुंच गया, इतिहास बन गया और हम इतिहास के नवीनतम क्षणों में इस समय दुनिया में रह रहे हैं । मान्यवर, राजनीति वास्तव में इतिहास का दर्शन है । इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने समाज की व्यवस्था के बारे में सोचा है, बड़ी बड़ी व्यवस्थायें हुई हैं राजशाही हुई है, धर्म राज्य हुए, बड़े बड़े संघर्ष हुए और बड़े-बड़े आदमी पैदा हुए जैसे रूस एरिस्टोटल, मार्क्स और गांधी आदि पैदा हुये इन सब लोगों ने हमारी इस व्यवस्था के बारे में सोचा । हमारा यह समाज सहयोग से जीने के लिये बना है । हमारे देशमें प्रजातंत्र है इसमें हमें और हमारे माननीय सदस्यों को गौरव होना चाहिये। मान्यवर, राज किशोर सिंह जी ने जो बात कही है वह अपनी जगह पर सही है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन हम हरवक्त पुलिस को ही दोष दे तो यह ठीक नहीं है । पुलिस भी हम में से ही बनी है । हममें से अगर कोई पुलिस की वर्दी पहन ले तो वह पुलिस हो गया । तो क्या हमारे विरोधी दल के लोगों को जब कभी इस पक्ष में बठने का मौका मिलेगा, हालांकि मुझे विश्वास नहीं है तो क्या यह पुलिस व्यवस्था को भगकर देंगे । म वकालत करता हूं और काफी समय तक की है तो मैं देखता हूं कि कौन उन्हें भ्रष्ट बनाता है । हमारे देश में बहुत सी योजनायें बनी बड़ी बड़ी चीजें हुई जिनकी सारा संसार तारीफ करता है । लेकिन एक बात नहीं हुई कि हम आदमी नहीं बना पाये, जो चरित्र बनाना चाहिये था वह नहीं बन पाया है । एक बड़ी लम्बी विरासत जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है वह हमने ग्राह्य नहीं की, हम भटक जाते हैं सही रास्ता क्या है, यह हमें जानना चाहिये । हमारे बीच में गांधी जी हुए हैं कितनी बातें हमें मिली है उसको देखने और पढ़ने की कोशिश कीजिये । किसी विभाग के बारे में यह कहना की बेईमान है, बदमाश है इससे समाज चलने वाला नहीं है । हमे आगे बढ़ना है अच्छे रास्तें पर चलना है तो आईये मिल बैठकर सोंचें । मुझे आश्चर्य हुआ जिस तरह से 6 ता0 को यहां हाद्सा हुआ एक आदमी को इस तरह से पकड़ कर ले आये जसे कोई दूसरे प्लैट से विचित्र जीव आ गया हो । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि यहां पर टी0वी0 कैमरा लगा दिया जाय ताकि जिस महान जनता ने जिसने हमें चुन कर भेजा है वह देखे कि हमारा सदन किस तरह से चलता है । इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं ।

अधिष्ठाता--

यह मद संख्या 10 चल रही है इसे 5 बजे बंद कर दिया जायेगा और अगली मद ली जायेगी ।

*श्री माता प्रसाद पांण्डेय--

आज गैर सरकारी दिवस है और कार्यस्थगन प्रस्ताव पर काफी लम्बी चर्चा हो गयी कम से कम तीन घंटे का समय जो उसमें लगा वह इसमें मिलना चाहिये । बहुत से संकल्प हैं और महत्वपूर्ण हैं यदि वे प्रस्तुत नहीं हुए तो निष्प्रभावी हो जायेंगे । तीन घंटे का समय 5 बजे बाद और बढ़ा दीजिये ताकि जो और संकल्प है उनको भी लेने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता--

कार्य मंत्रणा समिति ने जो निश्चय किया है वह मैं बता रहा हूं 5 बजे तक यह चलेगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपने कहा कि तीन घण्टे मिलना चाहिए, उससे मैं सहमति प्रकट करता हूं लेकिन तीन घण्टे चर्चा होगी तो पहले का समय जो दूसरी मद में चला जाता है उसके लिए माननीय सदस्यों को ध्यान रखना होगा, नहीं तो यही समस्या पैदा होगी जो आपके समक्ष है । मैं अनुरोध करूंगा कि इस संकल्प पर बहुत-से माननीय सदस्य बोल चुके हैं और गृह विभाग के बजट पर आगे चर्चा कर लें । एक-दो और संकल्प आ जायं तो अच्छी बात है । अब मैं चाहूंगा मन्त्री जी बोलें ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, इस संकल्प पर बोल लेने दें । मैं आपकी आज्ञा से यह जो राज किशोर सिंह जी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उस पर बल देने के लिए जो आपने मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, उधर के बैठे मित्रों को लगता है कि संकल्प की भावना ठीक प्रकार से समझने मे कुछ त्रुटि हो गई है । इसलिए वह बराबर बोलते समय धरना, प्रदर्शन पर बल दे रहे हैं । श्री राज किशोर सिंह की जो मंशा रही है वह पुलिस द्वारा की जा रही ज्यादतियों, उत्पीड़न, कानून संविधान और अन्य विधानों के प्रतिकूल जो पुलिस का आचरण है उससे सारा प्रदेश पुलिस आतंक का शिकार हो गया है । थानों में ले जाकर पुलिस हिरासत में मारने की घटनायें बढ़ रही हैं, बलात्कार की निरन्तर चर्चायें विधान सभा में हो रही हैं । इसके अलावा रिक्शा चालकों को मारनें से लेकर छात्रों को गोली से मारने का काम गृह राज्य मन्त्री के जनपद में हो रहा है । इसलिए मैं समझता हूं कि जो संकल्प लाया गया है वह आज की परिस्थितियों के अनुकूल है ।

मान्यवर, जब जांच की बात चलती है तो उसी पुलिस मशीनरी द्वारा जांच होती है । विधान सभा में मुख्य मंत्री के आदेश हों या पुलिस निदेशक के आदेश हों लेकिन जांच करने के लिए उसी दरोगा के पास जाया जाता है जिसके खिलाफ शिकायत होती है । उन शिकायतों में शिकायतकर्ता को कभी न्याय नहीं मिल पाता है । पुलिस अपने मनमाने तरीके से रिपोर्ट देती है । मन्त्रियों के वक्तव्य पुलिस कर्मियों की जांच के आधार पर होते हैं जिससे पुलिस अपने मनमाने ढंग से तथ्यों को तोड़कर पक्षपात तरीके से रिपोर्ट भेजती है । परिणाम स्वरूप पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलता है । इसलिए आज आवश्यकता है कि एक स्वतन्त्र इकाई इसके लिए बने । एक स्वतन्त्र जांच का प्राधिकरण बनाया जाये जो कि पुलिस कर्मियों द्वारा की जा रही ज्यादतियों और जुल्मों के बारे में संस्तुतियां करे । इसीलिए आज प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में जो अराजकता आई है उसको दूर करने के लिए श्री राज किशोर सिंह ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है जिसका मैं समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि पुलिस द्वारा की जा रही ज्यादतियों की निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त अभिकरण का गठन किया जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि गृह राज्य मन्त्री इस प्रसंग पर पूर्ण विवरण के साथ इस संकल्प से सहमति प्रकट करेंगे और निष्पक्षता से घटनाओं की जांच करने के लिए संकल्प का समर्थन करेंगे ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान) --

वर्तमान में जो व्यवस्था है, हमारी तीन स्वतन्त्र एजेन्सियां हैं जो कि पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार की शिकायतें होंती हैं उनको निष्पक्ष रूप से देखती है, एक है सतर्कता अधिष्ठान । यह गृह या पुलिस विभाग से बिल्कुल अलग संगठन है और उसके कार्य का निष्पादन पुलिस महा निरीक्षक की देखरेख में होता है और बहुत निष्पक्ष रूप से होता है । दूसरी, अपराध अनुसन्धान शाखा है, उसके कार्य का भी निष्पादन व देखरेख पुलिस महानिरीक्षक के देखरेख में होता है । सभी जांचें निष्पक्ष होती हैं । तीसरा है भ्रष्टाचार निवारण संगठन । उसकी भी देखभाल पुलिस महानिरीक्षक की देखरेख में होती है और निष्पक्ष होती है । बहुत से ऐसे परिणाम इनके द्वारा आये हैं, जिनमें पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध दोषी पाये जाने पर टरमिनेट और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सस्पेण्ड तक करने की कार्यवाहियां की गई हैं। इसलिए जो राज किशोर जी का संकल्प है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी कार्य को हमारी तीन एजेन्सियां आलरेडी स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से कर रही हैं।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा, जैसाकि अभी मंत्री जी ने कहा कि इस अभिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके पास तीन अधिष्ठान जांच करने के लिए पहले से मौजूद हैं, उनके सन्दर्भ में वह इस संकल्प की जो भाषा है उसे ठीक से देखें, उसके लिखा है, "शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए उच्चाधिकार प्राप्त अभिकरण की स्थापना की जाय।" क्या उनको यह अधिकार प्राप्त है कि जांच करके वह स्वत: कार्यवाही कर दे? यह जो तीन विभाग हैं, यह केवल जांच करके रिपोर्ट देते हैं, कार्यवाही करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है, ऐक्शन दूसरी एजेन्सी लेती है। संकल्प के अनुसार जो अभिकरण रहेगा वह कार्यवाही भी करेगा जांच के बाद? तो क्या वह ऐसी व्यवस्था अब से इन तीन विभागों में भी करने जा रहे हैं?

श्री सूरेन्द्र सिह चौहान--

कार्यवाही तो होती है, जांच के बाद। उसकी जांच के उपरान्त लोगों को सेवा से मुक्त किया गया है। जांच होती है और कार्यवाही भी होती है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने जैसा पहले कहा है, मुझे कोई एतराज नहीं है आप लोगों के और बोलने पर, किंतु फिर दूसरा संकल्प नहीं आ पायेगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या मंत्री जी इस सदन को आश्वासन देंगे कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ आज के बाद की सारी शिकायतों पर इन्हीं तीन संस्थाओं द्वारा जांच कार्य कराया जायगा?

श्री सुरेन्द्र सिह चौहान--

गम्भीरता को देखते हुए निर्णय लिया जायगा।

श्री राज किशोर सिह--

मान्यवर, मैंने पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों की बातों को बड़े धैर्य से सुना है और माननीय सदस्य साथियों ने जो अच्छे सुझाव भी दिये हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि जो राज्य मंत्री जी अभी कह रहे थे, उससे मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस संकल्प की भावना को ही नहीं समझा है, वह संकल्प को समझ ही नहीं पाये हैं। संकल्प में जो मुख्य बात कही गई है, वह यह है कि पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की निष्पक्ष जांच उच्चाधिकार प्राप्त अभिकरण से कराई जाए। अभी आपने कुछ विभाग गिना दिए हैं, किन्तु यह जो आपके विभाग हैं वह एक दरोगा अगर किसी का पैर तोड़ दे तो वह जांच नहीं कर सकते हैं। जो जांच करेंगे सी० ओ०, एस० ओ० जो आला अफसर हैं वह जांच करेंगे और चोर-चोर मौसेरे भाई वाली कहावत चरितार्थ हो जायेगी अर्थात् अपने एक दरोगा की रक्षा में सब नीचे से ऊपर तक खड़े हो जायेंगे और उसमे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मंत्री जी को तो बहुत थोड़े दिनों का तजुर्बा है, मुझे तो बहुत दिनों का इनसे साबका है आप तो समझते हैं कि पुलिस वाले हमारी मदद के लिए हैं और हमारे शासन को चलाने के लिए हैं इसलिए पुलिस की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और आप अपने इस कर्तव्य को निभा रहे हैं। जैसे ब्रिटिश वाले अपने कर्तव्य को निभाते थे वही आपने सीख लिया है कि पुलिस जो भी चाहे करे पीठ ठोंकी जाती है। तो कम से कम इस समझदारी को निकाल दीजिए। माननीय हरदेव जी को मैं सुन रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुलिस जिस कौम पर रोज डंडे भांजती है, रोज परेशान करती और रोज हम उनके लिए दरख्वास्त देते हैं कि सुनवाई नहीं होती है वह भी खड़े हुए पुलिस के पक्ष में बोलने के लिए और पुलिस की वकालत करने लगे।

श्री हरदेव--

हरिजनों पर अपराध आप लोगों की ओर से होते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज किशोर सिंह--

हमारे माननीय सदस्य उस पक्ष के जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह से कोई दलाल पुलिस के पक्ष में बोलता है कि पुलिस बड़ी अच्छी है, दरोगा बहुत बढ़िया काम करता है इसलिए कि उन्हें कुछ मिल जाया करता है, वह थाने में जाते हैं, कुछ मुर्गा फ़ंसा देते हैं, तो क्या माननीय सदस्य भी उसका शिकार हो गये हैं क्या ? जो पुलिस की बड़ी हिमायत कर रहे हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि आप आंख खोलकर इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए आंख मूंद कर मत देखें इससे कुछ नहीं हो सकता । माननीय तिवारी जी ने भी अपनी बात कही । माननीय लाल प्रताप सिंह बोल रहे थे तो जो इस संकल्प की मंशा है और मकसद है वह उसको नहीं समझे । जो पुलिस का ढांचा है उसको तोड़ दिया जाय यह बात वह कहां से समझ गये । पुलिस की व्यवस्था को तोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है । आप तो पुलिस को बढ़ा रहे हैं, हमने कहीं नहीं कहा कि आपने इतने थाने बढ़ा दिये या इतनी चौकियां बढ़ा दीं या इतनी जीपें दे दीं । इसका विरोध हमने कहीं नहीं किया है । लेकिन जितनी आप चौकियां बढ़ा रहे हैं, थाने बढ़ा रहे हैं, उसने ही डाकू, गुण्डे, बदमाश पैदा हो रहे हैं और पुलिस के आदमी पैसा कमा रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, जरा इन लोगों को समझा दूं इनकी बुद्धि तो खुल जाय । एक समय था जब जिलाधिकारी और एस0 डी0 एम0 को अधिकार था कि वह दरोगाओं के खिलाफ बैड इन्ट्री करते थे वे अधिकार आपकी सरकार ने ले लिया है और पुलिस को सारे अधिकार दिये जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं उस पक्ष के माननीय सदस्यों से कि वह डंडे आपके ऊपर भी बरसेंगे और फिर आप हाय माई बाप करके चिल्लायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठिये ।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, इसीलिए यह अभिकरण बनाना जरूरी है जिससे दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित किया जा सके । यह हम सबका दायित्व है, सबका प्रयास होना चाहिए कि इस प्रकार का अभिकरण बने । कृष्णा रावत जी खुद जानती हैं उसकी वह भुक्त भोगी हैं । आप सब लोग अवगत हैं लेकिन जैसे सियार हां में हां मिलाते हैं उसी तरह हुआ-हुआ करना शुरू कर देते हो । इसीलिए इस संकल्प को बहुत जरूरत है । यह पवित्र विचारों से रखा गया है और आपको भी इससे मदद पहुंचेगी । मैं इसको बल दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको सर्वसम्मति से स्वीकार करें ।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी आप इस पर कुछ कहना चाहेंते

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर मेरा तो माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह इस संकल्प को वापस ले लें । इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य क्या आप इसको वापस लेते हैं ?

श्री राज किशोर सिंह--

मैं इस पर बल देता हूं, मैं इसको वापस नहीं लेता ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि "इस सदन का निश्चित मत है कि पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए उच्चाधिकार प्राप्त अभिकरण की स्थापना की जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

लोक सभा और विधान सभा के निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों के स्थान पर न्यायपालिका के न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से सबल संस्तुति किये जाने का संकल्प

श्री सरदार सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश में लोक सभा एवं विधान सभा के निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु केन्द्र सरकार से सबल संस्तुति करता हूं कि निर्वाचन अधिकारियों के पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों के स्थान पर न्यायपालिका से न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां की जायें।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर चर्चा बाद में होगी।

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1986 के अननुमोदन का संकल्प तथा भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन), विधेयक, 1986†

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1986 का अनुमोदन करता है।

*ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री) --

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986 पर बिचार किया जाय।

श्रीमन्, इस विधेयक को लाने का मकसद हमारी सरकार का है कि जो विद्युत् की चोरी निरन्तर बढ़ती जा रही थी। उस पर केवल इस प्रकार से कठोर कार्यवाही करके चोरी में कमी आये और जो विद्युत् वितरण के लिए हमने जाल बिछा रखे हैं, इनके द्वारा उपभोक्ताओं को सही प्रकार से हम बिजली पहुंचा सकें और बीच में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो। दूसरे इस अधिनियम के तहत हमारी यह मंशा है कि जहां एक ओर हम बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करें वहीं दूसरी ओर यदि कोई बात हमारे सामने ऐसी आये कि विद्युत् परिषद् के कर्मचारी या या अन्य कर्मचारी इस चोरी को बढ़ावा देने में योगदान दे रहा है तो उसके विरुद्ध भी हम कार्यवाही करें। और मैं समझता हूं कि इसलिए अधिनियम के तहत जहां एक ओर राज्य विद्युत् परिषद् को लाभ पहुंचेगा वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को भी इससे राहत मिलेगी। इसलिए मैं यह समझता हूं कि जहां तक इस अधिनियम का प्रश्न है इसमें किसी को भी कोई विरोध नहीं होगा क्योंकि सभी चाहते हैं कि बिजली की चोरी कम से कम हो।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन इस सत्र के अन्तिम दिन तक इस सदन में प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, मैं इस अध्यादेश के अनुमोदन के संबंध में यह कहना चाहूंगा कि अध्यादेश जल्दी जल्दी जारी करने की इस शासन की कुछ रीति सीबन गयी है और जब यह हाउस आने वाला था तो विधेयक भी आ सकता था लेकिन इस सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों में जो संसदीय सम्मान होना चाहिये था, वह नहीं रह गया है क्योंकि संविधान के बारे में आप स्वयं जानते हैं कि जब सत्र न चल रहा हो और अपरिहार्य स्थिति हमारे सामने हो तो अध्यादेश जारी हो जायगा। दूसरे मान्यवर इसकी जो भी है उसमें तो मतभेद कोई करेगा नहीं लेकिन निदान कभी-कभी रोग को और अधिक बढ़ा देता है। इसलिये यह अध्यादेश विधेयक के रूप में तो नहीं आ सकता है। लेकिन संसदीय परम्पराओं के प्रतीक के रूप में तो

†दि0 14 फरवरी, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुमोदन का प्रस्ताव करता हूं। अब मान्यवर, मैं इस अपने जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है, उसके ऊपर आता हूं। यह नियम बिजली की चोरी के संबंध में दण्ड देने के लिये पहले भी था तो आखिर कौन सी खास बात हो गयी कि इसको लाया गया ? मेरे ख्याल से 2500 करोड़ रुपये साल की चोरी होती है। लेकिन जो खुद ही चोर है वह दूसरे की चोरी क्या पकड़ेगा ? नेशनल थर्मल पावर स्टेशन केन्द्रीय सरकार ने 1982 में बनाया। चार स्टेट्स का उसमें हिस्सा कर दिया और यह तय हुआ कि उसका 45 फीसदी उत्तर प्रदेश को ठेका मिल गया, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, उसके अनुसार पिछले मार्च में वह ठेका समाप्त हो गया। आज आप किस अनुबन्ध और किस अनुबन्ध के आधार पर बिजली आप उनसे ले रहे है ? अगर इसको चोरी की संज्ञा दें, तो इसमें अतिशयोक्ति क्या होगी ? 37 पैसे में बिजली आप उनसे लते हैं और हमको 60 पैसे में देते हैं। 70 करोड़ आपका बकाया है, आप उनको नहीं देते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो खुद चोर है, वह दूसरे की चोरी पकड़ने के लिये आ गया। जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बोर्ड के हैं, वह बिजली की चोरी करते हैं, तो वह पकड़े जायेंगे। अगर उस रास्ते पर जांय, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिर कल यह बहस चली प्लान्ट लोड फैक्टर की, लेकिन मैं इस बात से सहमत था कि यह प्रतिष्ठापित क्षमता जो है, वह क्या हो सकती है। जहां मंत्री जी से इस बात से सहमत हैं, वहीं इस बात से सहमत नहीं हैं कि जो प्लान्ट लोड फैक्टर वैसे करता है, तो इसका एक एवरेज है। तो यह 35, 40, 45 परसेंट जब यह 60-65 पर नहीं लें जायेंगे, तब यह चोरी वाले मामले सुलझ पायेंगे। जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, वह उपभोक्ता तक कैसे पहुंचे ? 1972 में गवर्नमेंट ने एक तकनीकी कमेटी बनाई थी। कैसे चोरी हो रही है, कैसे इसको रोका जाय। इसलिये कमेटी बनाई थी। क्या उस कमेटी की रिपोर्ट का अनुपालन बिजली बोर्ड पर कराया गया या किया गया ? अगर नहीं कराया गया और न किया गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार न जागरूक है और न सजग है और न उसकी व्यवस्था करना चाहती है। पहले यह कहा जाता था गुलामी के राज्य में जो राजे, सो छाजे। अब बात उल्टी हो गयी है। अब आप राजा नहीं हैं, आप प्रजा हैं यह जो हमारी जनता है, इसकी स्थति को भी आपको देखना होगा। महीनों लोग दौड़ रहे हैं बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं अगर उसने बिजली ले लिया आपके कर्मचारियों की कनाइवेंन्क्स से, अगर लाइट और फोन के लिये 250 जमा करेगा, तो यह तय हो जाना चाहिये कि इतने दिन के अन्दर उसको कनेक्शन मिल जाना चाहिये। कितने ही लोग हैं, सालों-साल दौड़ रहे हैं, उन्होंने 250 जमा किया, लेकिन उनको बिजली नहीं मिली, एक साल का समय भी व्यतीत हो गया और 250 भी खत्म हो गया। एक साल बीत गया, इस्टीमेटस् न दे पाये, तो वह साल भर के बाद 250 क्यों दें ? यही कहा जाए कि बोर्ड का उद्देश्य जनता को राहत पहुंचाना नहीं जनता को विद्युत् देना उसका लक्ष्य नहीं, आमदनी बढ़ाना उसका लक्ष्य बन गया है। विद्युत् व्यवस्था की दुर्व्यवस्था के कारण निकम्मेपन के कारण घाटा ही आता है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से मिला था बिजली बोर्ड में अव्यवस्था बनी हुई है। मान्यवर, अगर कोई अपनी इन्डस्ट्रीज लगाना चाहता है, तो आपको सुविधा देनी चाहिये, आपने स्वीकार किया है। 90तक जो आपने हिसाब लगाया है, उसमें क़रीब 6 हजार 52 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है उसमें करीब 4 हजार दी जाएगी। मेरे पास जानकारी है छठी पंच वर्षीय योजना में 2 हजार 144 मेगावाट बिजली दने का लक्ष्य था लेकिन उसमें 974 ही आप दे पाए। सातवीं में कहा गया कि 8 अरब प्रस्तावित करेंगे 34 अरब लिख दिया गया है। बिजली की बहुत कमी है अगर कोई उपभोक्ता अपनी बिजली के कनेक्शन का लोड कम करता है, तो उसको धन देना पड़ेगा। चार सौ0 हार्स पावर का जुर्माना लगा दिया गया अगर कोई बड़ा उपभोक्ता है तब तो आप उससे कुछ पैसा नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अगर कोई मीडियम बनना चाहे तो उससे चार सौ रुपये प्रति हार्स पावर ले लेंगे, तो ऐसी अव्यवस्था को ठीक करने की बहुत आवश्यकता है। आप कानून चाहे कितने बना दीजिये, चोरी रुकने वाली नहीं है आप बिजली की उपलब्धता बढ़ाए। दूसरी बात बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोकिए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कितने

वर्ष हो गए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तीन अधिकारी हैं, जो कार्य वह 12साल पहले देखते थे वही कार्य आज 12 साल बाद भी देख रहे हैं पहले डिप्टी सेक्रेट्री थे आज हो सकता है सेक्रट्री हों, लेकिन वही काम आज भी उनके पास है जो 12 साल पहले था। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी विभाग में व्याप्त है। मान्यवर, अगर आप एक लिपिक को कोई काम दे दें और उस व्यक्ति की प्रोन्नति हो जाए, वह ऊंचे पद पर आसीन हो जाए, तो भी उसको वही काम दिया जाए, जो वह लिपिक के पद पर काम करता था तो उसमें उसका निजी स्वार्थ है, तो जब तक आप बिजली व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, मान्यवर, बिजली की चोरी राष्ट्रीय अपराध है, इसके, लिए जब तक कठोर कदम नहीं उठायेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है।

मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि लाइन लासेज 18 से 20 प्रतिशत है जबकि केन्द्रीय मानक के अनुसार 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिये। हिन्दुस्तान में जितने बिजली बोर्ड हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लाइन लास है। यह किसकी जिम्मेदारी है। दण्डित करके इसको आप ठीक कर पायेंगे। आमदनी बढ़ाने का नजरिया तो है, लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाने का नजरिया नहीं है। 14 जनवरी को माननीय मंत्री जी ने प्रेस कान्फ्रेस किया था उसमें कहा था कि जितने अवैध कनेक्शन है, उनको हम लीगलाइज कर देंगे। फिर जो गलत काम करेगा उसको कभी न कभी आप लीगलाइज कर देंगे। जहां तक इस विधेयक की भावना का सवाल है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। जहां तक क्रियान्वयन का सवाल है, इसमें बहुत से सुधार की आवश्यकता है। बिजली बोर्ड को सुधारने की आवश्यकता है, लाइन लासेज को दूर करने की आवश्यकता है, विभाग में जो भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। इन सब चीजों को करने के बाद ही हम विधेयक की भावना को पूरा कर सकेंगे। प्रवर समिति में इन सब चीजों पर विचार हो जाय। इसलिये मैं प्रवर समिति को सुपुर्द करने पर बल देता हूं।

श्री भगवती सिंह विशारद---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय विद्युत मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन जो उन्होंने भावना व्यक्त की है, उनके कारण बताये है, मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर विद्युत परिषद् घाटे में न होती तो सम्भवत: मंत्री जी इस विधेयक को न लाते। लेकिन चूंकि परिषद् को घाटा हो रहा है, उस घाटे के विश्लेषण में मंत्री जी को यह बात मालूम हुई है कि एक अंश ऐसा है जो चोरी की वजह से घाटा हो रहा है। उस अंश को पूरा करने के लिये माननीय विद्युत मंत्री जी ने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। जहां तक घाटे की बात है आपकी आज्ञा से बाद में निवेदन करूंगा। चोरी रोकने के सम्बन्ध में गुप्ता जी ने जो निवेदन किया मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि चोरी इसलिये हो रही है कि बिजली की कमी है। चूंकि लोग परेशान होते हैं इसलिये चोरी होती है। बिजली की चोरी वह लोग करते हैं, जिनके पास बड़े-बड़े जनरेटर है, इंजिन है हाई पावर की मशीन लगी है वह बिजली की चोरी करते हैं। ऐसा नागरिक जो छोटी हैसियत का है, पंखा और जलाने की जिसको आवश्यकता है वह चोरी नहीं करता है। बड़े लोगों की चोरी रोकने के लिये मंत्री जी ने जो प्रयास किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। इसके और भी कई पहलू है जिस पर विचार करना चाहिये। इस संशोधन विधेयक पर न सही, पर मंत्री जी को किसी समय इस पर विचार करना पड़ेगा। एक समय विद्युत परिषद् एवं सरकार में इस बात पर विचार हुआ था कि उत्पादन और वितरण को अलग-अलग कर दिया जाय। उससे जो हमारी सही स्थिति है, उसकी जानकारी हो जायेगी कि कितना हम उत्पादन करते हैं और कितना बितरण करते हैं। कितनी चोरी होती है, कितना लाइन लास होता है, इसका पता चल पायेगा। यदि मैं सही रूप में कहूं तो विद्युत परिषद् के बड़े-बड़े अधिकारियों ने इस आन्दोलन में प्रयास किया कि उत्पादन और बितरण अलग-अलग न होने पाये। जिसमें उनकी मिली-जुली गड़बड़ी है, वह चलती रहे और विद्युत परिषद् को चाहे नुकसान हो या लाभ, लेकिन उनका लाभ

होता रहे । तो मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को कालान्तर में इस पर विचार करना ही होगा कि उत्पादन और वितरण का कार्य अलग-अलग लोगों के जिम्मे कर दिया जाय । इसके अतिरिक्त वह सब कार्य हो जाय तो भी राज्य विद्युत् परिषद् की स्थिति सही होने वाली नहीं है, अगर उसमें सख्ती से नियंत्रण नहीं किया जायेगा । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राज्य विद्युत् परिषद् को सही ढंग से चलाना चाहते हैं तो सख्त नियंत्रण करना पड़ेगा और उसकी कार्य प्रणाली में अच्छी तरह से देख करके सुधार करना पड़ेगा, ताकि उसमें जो घाटा हो रहा है, उसमें जो जगह-जगह भ्रष्टाचार है, उसमें जो छीज हो रही है, उसमें जो नुकसान हो रहा है, वह रुक सके । तभी आगे चलकर लाभ हो सकता है । जहां तक विद्युत् उत्पादन का प्रश्न है, पहले से स्थिति अच्छी है । माननीय सदस्यगण जानते हैं कि सन् 1980 में विधान सभा में इस प्रकार के प्रश्न होते थे कि हमको साढ़े चार घंटे बिजली मिलेगी या नहीं । आज स्थिति यह है कि यह प्रश्न यह आता है कि हमको 7 घंटे बिजली क्यों नहीं मिलती है ? इसका तात्पर्य यह है कि स्थिति 4 से 7 घंटे पर पहुंची है । गुप्ता जी के इस विचार से कि उत्पादन 60–65 प्रतिशत और बढ़ाकर 11 घंटे बिजली उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिये, मैं इससे सहमत हूं । मैं चाहता हूं कि माननीग मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । उत्पादन बढ़े, वितरण ठीक से हो और चोरी रोकने के लिये जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिये । लेकिन विद्युत् विभाग के लोग जो चोरी करवाते हैं, उसको रोकने के लिये विशेष कदम उठाने पड़ेंगे, तभी पता चल सकेगा कि इसमें विभाग के कौन लोग शामिल हैं । इन शब्दों के साथ म माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बिधेयक का समर्थन करता हूं ।

(5 बज कर 20 मिनट)

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विषय पर जो माननीय गुप्ता जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । श्रीमन्, माननीय मंत्री जी यह जो विधेयक लाये हैं, यदि वह चाहते हैं चोरी को वह रोक सकें तो यह सम्भव नहीं है । साथ ही यदि उत्तर प्रदेश विद्युत् परिषद् का सारा घाटा पूरा करने की सारी जिम्मेदारी इस प्रदेश की गरीब जनता की माननीय मंत्री जी मानते हैं तो उन्हें सदन में इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहिये । इस सम्बन्ध में तो मेरा निश्चित मत है कि चोरी केवल इनके विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से ही हो रही है । कोई भी कर्मचारी जब तक सहयोग नहीं देगा, तब तक कोई आदमी विद्युत् की चोरी नहीं कर सकता है । साथ ही श्रीमन्, इस विधेयक को लागू करने के बाद केवल छोटे किसान या छोटे उद्योग धन्धे करने वाले आदमी हैं, उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही होगी । जितने बड़े लोग हैं, जो आपके इंजीनियर हैं, उनकी मिली-भगत से करोड़ों रुपयों की चोरी कर रहे हैं, वे न पकड़े जाएंगे न उनके खिलाफ कार्यवाही होगी । श्रीमन् यह पहले अपने विभाग को ठीक करें । पहले विद्युत् परिषद् के चोरों को पकड़ने की कोशिश करें। तब इस प्रदेश की गरीब जनता को चोर बनाने का प्रयास करें । श्रीमन् मंत्री जी दिखवा लें कि विद्युत् के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से कितनी चोरी हो रही है । इसके लिये आप केवल एक जिला देख लें । मैं उदाहरण देना चाहता हूं । मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लूंगा । सारी चोरी जितनी वहां पर हो रही है, इनके इंजीनियरों की मिली भगत से हो रही है । लेकिन अध्यादेश लागू होने के बाद पकड़ा जायेगा गोण्डा में कोई चक्की चलाते हुये या बहराइच में पानी चलाते हुये । आप इन अधिकारियों को नहीं पकड़ पायेंगे तो इस एक्ट को लाने से क्या लाभ होगा ? आपकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती है । आप केवल एक जिला गाजियाबाद है, वहीं पर इसकी जांच करा लें कि अधिकारी कितनी चोरी कराते हैं । अतः आप इस बिधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि इस पर वह पूरी छानबीन करके अपनी रिपोर्ट इस सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

में रख दे और उसके बाद सदन इस पर विचार कर ले। मान्यवर, मैं माननीय गुप्ता जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया है विधेयक के रूप में और विद्युत् चोरी के सम्बन्ध में जो इसमें प्रकरण दर्शाया गया है, उसमें जो धारा 39 है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। क्योंकि इसमें चोरी तब तक हीं रुकेगी जब तक इसमें परिवर्तन नहीं आयेगा। इसमें लिखा है, इस प्रकार निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिये या, जैसी भी स्थिति हो, उसके लिये प्रयत्न करने के लिये किसी साधन का विद्यमान होना, उर्जा को बेइमानी से निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा।

मान्यवर, किसी साधन में क्या है बड़े, बड़े व्यापारी लग्गी से बांस से किसी तरह से जुड़वा लेते हैं और उसमें इनके कर्मचारी मिले रहते हैं। जब कोई इनका स्कैवायड वहां जाता है तो पहले से वह लोग तैयारी कर लेते हैं किस तरह से कृत्रिम साधनों को हटा लिया जाय। इसमें जो उल्लेख है उसके अनुसार कृत्रिम साधन द्वारा चोरी प्रथम दृष्टया साक्ष्य होना आवश्यक है। मान्यवर, बिजली को चोरी करते रहेंगे और जब कोई स्कैवायड पहुंचता तो उनको उसे सूचना हो जाती है। मान्यवर, इसमें तो यह देखना चाहिये कि लोड कैपिसिटी कितनी है, उनका कितना हिसाब से प्रयोग करना चाहिये था और उससे कितना बढ़ गया? यह एक कारण बनना चाहिये प्रथम दृष्टया का दूसरी बात इस विधेयक में इस बात का उल्लेख है कि पहली बार पकड़ा जायेगा तो इतना जुर्माना पड़ेगा दूसरी बार पकड़ा जायगा इतना जुर्माना होगा। मान्यवर, दण्ड की व्यवस्था तो यह होनी चाहिये कि यदि एक बार भी पकड़ गया तो उनका कनेक्शन काट देना चाहिये। मान्यवर, इनका तो हाल ऐसा लग रहा है कि जैसे गरीब आदमी के पास कुछ नहीं रहता है तो वह अपनी पतीली ही संभालने में लगा रहता है। ब्रह्म दत्त जी तो इस विभाग को खोखला करके चले गये, शास्त्री जी इसे ढो रहे हैं। मान्यवर, यह तो वही बात है कि अगर कपड़ा फट जाय तो कहीं इधर चली तो कहीं उधर चली, किसी तरह से उसको ढका जाता है, वही बात यहां पर है। मान्यवर, मैं पुनः अपनी बातें कहना चाहता हूं कि इसमें जो प्रथम दृष्टया की बात कही गयी है, उसमें अगर परिवर्तन नहीं किया जायेगा तो जो आपके बड़े बड़े मिल ओनर्स हैं, उन्हें आप पकड़ नहीं सकेंगे वे चोरी करने वाले अगर पकड़ भी गये, तो वह कोर्ट में जायेंगे, हाईकोर्ट तक जायेंगे, कोई फैसला नहीं होगा। इसमें कोई स्पष्ट प्राविधान होना चाहिये। इसमें यह भी हो अगर एक बार कोई पकड़ा जायेगा उसका विद्युत कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिये कट जायेगा। मान्यवर तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय विशारद जी बोल रहे थे, जो विद्युत उत्पादन आप बढ़ा रहे हैं, उसकी कोई पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। मान्यवर, आप देखें जो मेंटिनस करता है, वही मीटर लगाता है। मान्यवर, इसके अलावा जो आप बिलों के संबंध में कम्प्युटर पद्धति अपना रहे हैं, उसकी बाबत मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई गलत बिल बनाकर भेजता है, तो उस गलत बिल बनाने वाले के लिये भी दण्ड का प्राविधान किया जाये। अब मान लीजिये कि किसी का मेरे जिले में एक रुपये का बिल है वह एक लाख का गल्ती से चला जाता है, तो यही कहा जाता है कि यह लखनऊ से ठीक होगा। उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। मैं इसलिये यह अनुरोध करूंगा कि इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया जाये।

*श्री किशन सिंह तड़ागी---

मान्यवर, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, वास्तव में जिस तरह से विद्युतीकरण हमारे शहरों में ग्रामीण अंचलों में हो रहा है वह एक उपलब्धि है। लेकिन साथ ही साथ बिजली की चोरी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मान्यवर, जो अधिनियम का आशय है वह यही है कि सख्ती से कार्यवाही की जाय। मान्यवर, जब तक सख्ती नहीं की जायेगी, चोरी नहीं रुक पायेगी। जैसा इसमें कहा गया है अगर प्रथम बार कोई पकड़ा जायेगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो 500 रु0 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5,000 रु0 तक की सजा दी जा सकती है।

श्री किशन सिंह तड़ागी—

मान्यवर, यह भी कहना चाहता हूं कि जो नियम 39 (3) (क) है, उसमें लिखा है "ऐसे परिसर यान, जलयान या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है और ऐसे न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकता है जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।" दिन में जाकर तो वह चोरी को पकड़ सकता है लेकिन रात के समय यदि कोई अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारन्ट के या बिना किसी इजाजत के चोरी को पकड़ने जाता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल पड़ जायेगा। हो सकता है कि किसी की नियत खराब हो जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि कोई रात में निरीक्षण करना चाहता है और चोरी पकड़ना चाहता है तो एक्जीक्यूटिव रैंक का इन्जीनियर होना चाहिए और वह मजिस्ट्रट का वारन्ट लकर जाये ताकि लोगों को यकीन हो जाय कि यह आदमी चोरी पकड़ने ही आया ह।

मान्यवर, दूसरा सुझाव यह है कि यदि किसी को चोरी करने की आदत सी पड़ गई है तो उसकी बिजली काट दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें बड़े-बड़ इन्डस्ट्रियलिस्ट भी शामिल ह। जिनको जब यह पता लग जायेगा कि उनका कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जायेगा तो वह चोरी करने से डरेंगे और इस प्रकार विद्युत चोरी से हमारे प्रांत को जो प्रति वर्ष करोड़ों की हानि होती है उससे हमारा प्रांत बच जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर मैं बल देता हूं

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है। अभी कार्य-सूची बहुत लम्बी है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो केवल 2–2 मिनट इस पर बोल सकते ह

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

श्रीमन् विद्युत चोरी की एक गम्भीर समस्या प्रदेश के सामने है। माननीय मंत्री जी ने बिजली की चोरी को रोकने के लिए इस बिल द्वारा जो उपाय किया है वह एक प्रकार से बिजली की चोरी करने वालों के साथ समझौतावादी बिल है उनके साथ समझौता करके यह बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है। वह इस पूरे बिल में बता दें कि उनके विभाग के अधिकारी जो चोरी करवाते हैं उनको वह किधर से पकड़ेंग? उनके लिए कौन सी दण्ड प्रक्रिया अपनायेंगे? जो सबसे बड़ी बिजली की चोरी होती है वह तो इनके विभाग के अधिकारियों की वजह से होती ह अन्यथा किसी की दम नहीं है कि कोई बिजली की चोरी कर ले। पुलिस वालों को आप कैसे पकड़गे? अभी कुछ दिन पहले आगरा का मामला अखबारों में आया था। लाखों रुपए पुलिस विभाग के ऊपर बिजली की चोरी का है। मैंने अपने यहां की कालोनी के बारे में भी इस सदन म कहा कि वहां पर गलत कनेक्शन लिये गये हैं लेकिन आज तक उनकी बिजली नहीं कटी। आज इन्होंने यह बिल लाकर कर्मचारियों के हाथ में एक और टिटमा पकड़ा दिया कि तुम बिजली की चोरी करवाओ, उद्योग पतियों को बिजली चोरी करवाओ ताकि चुनाव के वक्त उनसे चन्दा लिया जा सके यह कह कर कि आप बिजली की चोरी कर रहे ह। जो बड़े-बड़े लोग बिजली की चोरी करने वाले ह उनको आप तब तक नहीं पकड़ सकते हैं जब तक आप इस बिल में और सुदृढ़ीकरण न कर लें कि बिजली हमेशा-हमेशा के लिए काट दी जायेगी। हमेशा के लिए एक सिद्धांत बनायें समझौतावादी रुख आप अपना रहे हैं। इसमें ऐसी भावनायें हैं जिनको शासन करना नहीं चाहता, बिजली चोरी को प्रोत्साहन देना चाहता है। बिजली चोरी को प्रोत्साहन देने वाले चोरों से समझौतावादी रुख अपनाने वाले इस बिल का विरोध करता हूं। मेरी मांग है कि यह प्रवर समिति के सामने जाय तब बिजली चोरी का मामला रुकेगा नहीं तो रुक नहीं सकता।

श्री हरदेव—

आपने मुझे अवसर दिया विद्युत समस्या के लिये धन्यवाद है। माननीय गुप्त जी और मेरे माननीय साथियों ने जो सकल्प रखा है और जो संशोधन करना चाहते ह उसके विपरीत मैं उचित बात कहना चाहता हूं। मा0 मन्त्री जी ने विद्युत की समस्याओं को हल करने की कितनी कोशिश की है और वे चाहते हैं सवाल इस बात का आ गया है कि विद्युत की चोरी को रोकना और

किसानों को विद्युत देना जरूरी है। अगर विद्युत की चोरी रुक जायेगी तो किसानों को 10–11 घण्टे अपने आप बिजली मिलती रहेगी अनेक लोगों पर चार-चार हजार रु0 या 20–20 हजारों रुपये हैं हो सकता है कि राजेन्द्र भय्या पर भी बाकी हो। चार-चार हजार रु0 तीन-तीन हजार रु0 बिजली का बकाया इन लोगों पर है। जो बिजली चोरी या बिजली लेने की बात करते हैं उन्हीं के ऊपर बकाया है। रसड़ा, जिला-बलिया में एक हरधरपुर ब्लाक रतनपुरा है जहां 3 आदमी कनेक्शन लिये हैं और 13 आदमी तीन-तीन ट्यूबवेल का डिस्कनेक्शन दिखलाकर विद्युत ले रहे हैं। एक और हैं राजेन्द्र भैय्या के साथी सुरेश बहादुर सिंह ब्लाक प्रमुख रतनपुरा, ऐसे ही लोग जो जबरदस्त हैं, समाज विरोधी है, शासन विरोधी हैं, जो बकाया बिजली का उनके ऊपर है, उसको नहीं देते। नये पावर हाउस बेल्थरा रोड बलिया में भी प्रस्तावित हैं वह कसे खुलेगा? इसी के साथ मा0 मन्त्री जी ने जो धर-पकड़ अभियान चालू किया है शासन के प्रति जो वफादारी दिखाई है, विद्युत (संशोधन) अध्यादेश जारी कराया है, उस पर बल देता हूं। इस चोरी को रोका जाय और लाइन इन्सपेक्टर इसकी निरागनी करें, मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री सूर्य प्रताप शाही---

भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदश संशोधन) विधेयक, 1986, जो प्रस्तुत किया है और प्रवर समिति को प्रस्तुत करने का जो प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह विधेयक बड़ी ही जल्दबाजी में तैयार किया गया है और इस वजह से यह अधूरा रह गया है और एक पक्षीय है जो इसमें कुछ और तथ्य आने चाहिये थे, वे नहीं आये। इन्होंने दण्ड का प्राविधान किया बहुत अच्छा किया होना भी चाहिये लेकिन जिसकी साजिश से चोरी हो रही है उसके खिलाफ क्या व्यवस्था कर रहे हैं? इसका कोई प्राविधान इस विधेयक में नहीं किया गया है। इन्होंने विद्युत कर्मियों को भी पुलिस वाले अधिकार दे दिये हैं कि किसी भी समय तलाशी ले सकते हैं बल प्रयोग कर सकते हैं। आये दिन, छोटे-मोटे जो ट्यूबवेल इत्यादि चलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ बल प्रयोग होगा और बड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। कहीं भी इसे विधेयक में प्राविधान नहीं किया गया कि अगर कोई विद्युत चोरी करता है तो उसके बाद उसके कनेक्शन को काट दिया जायेगा उसको पुनः उस एग्रीमेन्ट पर कभी कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे, इस बात का इसमें प्राविधान नहीं किया गया है। माननीय शास्त्री जी तो बड़े विद्वान हैं, इनके परिवार की तो बड़ी आदर्श भूमिका रही है। तो जब विधान सभा का सत्र चलने वाला था तो फिर जल्दबाजी में इस आर्डीनेन्स को लाने की क्या आवश्यकता थी कि इसे आर्डीनेन्स के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया? जल्दबाजी के कारण से आपने इसे सुनियोजित भी नहीं किया। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरह से विधान सभा की उपक्षा न की जाय। मैं चाहता हूं कि इसके सब पहलुओं पर विचार करने के लिय इसे आप प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अधिनियम प्रस्तुत किया है मैं उसका पूरी निष्ठा के साथ अभिनन्दन करता हूं। जहां तक ऊर्जा की चोरी का संबंध है तो इस संबंध में शक्ति देने का प्रयास किया गया है। म स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जितनी चोरी की घटनायें होती हैं उसमें से 80 प्रतिशत में विद्युत कर्मचारियों का हाथ होता है। जिस समय विद्युत की सप्लाई नहीं होनी चाहिये, म गोंडा जिले की ही बात बतलाता हूं कि कई बार देखा जा चुका है कि जिनको पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये वहां पावर का इस्तेमाल किया जाता है। मंत्री जी को इसके लिये फ्लाईंग स्क्वायड की व्यवस्था करनी चाहिये और इनके अधिकारी जब दुबारा वहां विद्युत की चोरी को पकड़ते हैं तो वहां के कर्मचारियों को दंडित किया जाना चाहिये। अक्सर देखा जाता है कि विद्युत की चोरी दो तरह की होती है एक विद्युत उपभोग दूसरी सामग्री जैसे ट्रांसफार्मर की और दूसरी तारों की कटौतीकी होती है। दोनों तरह की चोरी बिना टेक्निकल हैण्ड के नहीं हो पाती है। मैं एक प्रैक्टीशनर लायर होने के नाते ऐसी बात को कह रहा हूं कि बिना टेक्निकलहैण्ड के ऐसी चोरियां हो ही नहीं सकती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। यह जानकारी अभियुक्तों से मिलती हैं।

मान्यवर, मैं एक सुझाव के साथ ही साथ जहां तक उपभोक्ताओं की चोरी पकड़ने की बात है वहां आपको अपने कर्मचारियों पर भी सख्ती बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं माता प्रसाद पाण्डेय जी के सुझाव का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन अधिनियम का समर्थन करता हूं

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मुझे भी बोलने दें·

श्री अधिष्ठाता--

अभी विषय सूची बहुत लम्बी है

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, बिजली पर आगरा को भी बुलवा दें।

श्री अधिष्ठाता--

रघुबर दयाल वर्मा तो बोल चुके हैं। अब विषय-सूची बहुत लम्बी शेष है

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मेरे प्रवर समिति के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये ह उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। माननीय विशारद जी चले गये हैं, शायद मैं उनको अपनी बात ठीक स नहीं समझा पाया। मैंने उस समय यह बात कही थी कि बड़े उपभोक्ता विद्युत विभाग की सांठ-गांठ से चोरी करते हैं और छोटे उपभोक्ता फांसी पर चढ़ते हैं।

मैं आपको कुछ आंकड़े बतलाता हूं कि 1980, 81, 82 और 1983 में 23 लाख 32 हजार गर कानूनी विद्युत कनेक्शन थे जिसमें से 1 लाख 24 हजार पर छापे मारे गये। जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो यह उल्लेखनीय बिन्दु सामने था कि 200 मेगावाट पर कोई पकड़ा नहीं गया सब छोड़ दिये गये। 125 लोग पकड़े गये और सब छाड़ दिये गये। सबसे ज्यादा उल्लेखनीय बात तो यह है कि कोई ऐसा केस नहीं था कि जो बिना घोषित कनेक्शन के चोरी कर रहा है एक केस ऐसा नहीं पकड़ा गया। यह सब आपके कर्मचारियों की सांठ-गांठका ही परिणाम है। छोटा उपभोक्ता मजबूरी में चोरी करता है। गांवों में विद्युतीकरण हो गया। लोगों ने कनेक्शन के लिये एप्लाई किया हो सकता है कि कटिया डालकर बिजली ले लिया हो, तो मान्यवर इसमें कर्मचारियों की जिम्मेदारी ज्यादा ह। एक आदमी ने एप्लाई किया और उसको बिजली नहीं मिली। जसा आप जानते हैं कि हम लोग तो लालटेन में पढ़ रहे हैं परन्तु आज वह स्थिति लोगों को बर्दाश्त नहीं है। पड़ोस से बिजली ले लिया और जलाने लगे उन्होंने बिजली के लिये एप्लाई कर दिया है। परन्तु मिली नहीं। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अपने मानकों में आपको कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ब्लाकों में समाप्त हो रही है। तो इससे 20 प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं जा सकेगी इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारे जिले में खैराबाद और वरसेंडी ब्लाक इससे प्रभावित है। एक रेवेन्यू विलज में 6 हैमलेट है, एक में बिजली दे दी और कह दिया कि कर दिया, टारगेट आपका पूरा हो गया, तो शेष जो 5 रह गये वह तो जिन्दगी भर बिजली नहीं पायेंगे। मान्यवर, यह तभी हो सकता है जब आप अपने मानक बदलेंगे। अगर एक खंभा किसी गांव में पहुंच गया तो आप उस गांव को बिजलीकरण वाले गांव की लिस्ट में मान लेंगे। मान लीजिये हमारे ग्रांड फादर ने एक चक्की लगवा ली आपने कह दिया कि उस गांव का विद्युतीकरण हो गया और मैं उनके पश्चात् उस विजनेस को नहीं चला सका और उसको बन्द कर दिया परन्तु आपके रजिस्टर में यह अंकित रहेगा कि उस गांव का विद्युतीकरण हो गया। जब तक आप अपने मानक नहीं बदलेंगे तब तक वह गांव विद्युतीकरण की सूची में नहीं आ सकेगा। आप प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो वह आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मेरा आपसे एक निवेदन यह है कि आप अपने कर्मचारियों पर भी अंकुश रखें और जब तक आप उन पर अंकुश नहीं लगायेंगे तब तक जो बड़े बिजली उपभोक्ता हैं उनकी बिजली चोरी बन्द नहीं होगी। हम कहते हैं कि इतनी चोरी हुई और वह कहते हैं कि इतनी चोरी हुई है। जैसे-जैसे यह रोग का निदान करते हैं वैसे-वैसे रोग बढ़ता जा रहा है। इसीलिये मैं प्रवर समिति को भेजे जाने के प्रस्ताव पर बल देता हूं

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, जिन लोगों ने यहां पर महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं उनका मैं आभारी हूं। जैसा कि हमार माननीय सदस्य गुप्ता जी ने कहा तकनीकी जानकारी तो उनको नहीं है, परन्तु जिस प्रकार स उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं,उससे मैं समझता हूं कि उनको राज्य विद्युत परिषद् के कार्य-कलापों के बारे में अच्छी जानकारी है। मान्यवर, यह अध्यादेश इसलिये पहले लाना पड़ा क्योंकि यह महसूस किया गया कि यदि इसमें और किसी प्रकार की देरी की गयी तो चोरी जिसको हम रोकना चाहते हैं, तो लोगों को और बढ़ावा मिलेगा और ज़ो हमारा मकसद है और मन्शा ह उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। यही कारण है कि इस अध्यादेश को लाना पड़ा। मान्यवर, सदन चल रहा है, और इसको सदन में प्रस्तुत किया गया। मान्यवर, जैसा माननीय शाही जी ने कहा कि कितने केसेज इस अध्यादेश के बाद पकड़े गये तो मैं कहना चाहता हुं कि वालन्टरी डिस्कलोजर की जो सुविधा दी गयी है वह इसलिये दी गयी है जो कनेक्शन अवध हो गया हो उसको वध कर लिया जाये, लीगलाइज कर लिया जाये और अगर उसके बाद भी कोई चोरी करता रहता है, और पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही साथ चूंकि समय निर्धारित किया गया था तो अभी 15 फरवरी तक का समय ग्रामीण अंचलों को दिया गया, उसके पश्चात् अभी दो ही दिन हुए हैं, ज़ो कार्य किये जायेंगे उसके आंकड़े मैं इस सदन को बताने में सक्षम हो सकूंगा। मान्यवर, जहां तक कनेक्शन एन0टी0पी0सी0 सिगरौली पावर हाउस के लिए कहा गया कि जब विद्युत परिषद् ही चोरी करता है, चोरी ज़ो करते है उसका भुगतान नहीं करते हैं और जहां तक एन0टी0पी0सी0से बिजली लेने की बात है ज़ो हमारा शेयर है वह हम लेते हैं और अगर अधिक बिजली का उत्पादन होता है तो अगर आवश्यकता होती है तो उसको लेते हैं और उसका भुगतान करते हैं। जहां तक लाइन लासेस की बात है यहां राष्ट्रीय औसत लाइन लासेस 20 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश का 19 प्रतिशत है और अन्य प्रदेश का 27-28 प्रतिशत है। मैं यह नहीं कहता हूं कि 19 प्रतिशत बहुत अच्छा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, ज़ो यह लाइन लासेस 19 प्रतिशत बता रहे हैं इसमें यदि उच्चन्त खाते में ज़ो लासेस डाले गये हैं अगर उनको इसके साथ मिला दिया जाता है तो यह लासेस 19 प्रतिशत न रहकर 30-35 हो जाता है क्या यह सही है ?

श्री सुनील शास्त्री--

वह कहीं-कहीं किसी क्षेत्र में जोड़ लेने से लासेस अधिक हो जाता है। लेकिन औसत जो लाइन लासेस है उत्तर प्रदेश का वह 19 प्रतिशत है। मैं यह नहीं कहता हूं कि 19 प्रतिशत बहुत अच्छा है मेरा लक्ष्य है कि इसको 15-16 प्रतिशत तक लायें और हमें विश्वास है कि इसमें सफ़लता मिलेगी और कमी आयेगी। जहां तक माननीय सदस्यों ने कहा कि कर्मचारी और अधिकारी वर्ग इस अधिनियम के तहत नहीं जोड़े गये। श्रीमन् जो धारा 40 में प्राविधान किया गया है उसमें यह साफ़ प्राविधान ह कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध वही कार्यवाही की जायेगी जो चोरी करने वाले उपभोक्ता को की जायेगी। श्रीमन् जैसा माता प्रसाद जी ने कहा कि जब कोई निरीक्षण करने जाता है तो कर्मचारी पहले से सूचना पहुंचा देते हैं जहां चोरी हो रही है और वहां चोरी नहीं होती है, उसको हटा दिया जाता ह। तो इस अधिनियम में वह भी प्राविधान है कि यदि वहां कोई ऐसा यंत्र पकड़ा जाय या देख लिया जाय कि वहां मौज़ूद है तो हम उसको अधिनियम के तहत वही ज़ुर्माना सजा देंगे जो चोरी करने वाले उपभोक्ता को देंगे तो इस प्रकार से हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम चोरी में कमी लायें, चोरी बन्द करें जिससे हम अपने उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचा सकें। श्रीमन्, जहां हानि से राज्य विद्युत परिषद् को परेशानी होती है वही हमारे उपभोक्ताओं को चोरी के कारण परेशानी होती है। क्योंकि एक लोड जो स्वीकृत भार है एक लाइन पर तो ज़ो लाइन के बीच में चोरी हो जाती है तो जो ट्रांसफ़ारमर लगता है तो उस पर भार उसकी क्षमता से अधिक पड़ जाता है और वह ट्रांसफ़ारमर जल जाता ह। इस प्रकार से एक व्यक्ति की बिजली की चोरी से सारे उपभोक्ता उससे पीड़ित हो जाते हैं तो इस अधिनियम की मंशा यह भी है कि एक तो राजस्व बढ़ाये और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को जो उनके वितरण की प्रणाली है उसको सुदृढ़ करके उनको सही प्रकार से बिजली पहुंचाये वहां पर मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारा

बिजलेंस विभाग है हमारे विद्युत परिषद् का उसमें पिछले 5–6 वर्षों में काफ़ी सराहनीय कार्य किया है और काफ़ी जगह पर हम लोगों ने रेड्स किये और उसके तहत हमने काफ़ी सुधार किया और जो असेसमेन्ट किया उसकी वसूली करने की भी कोशिश की। लेकिन यह बात सही है कि वह न्यायालय में जाकर स्टे ले लेते हैं और फ़िर परेशानी होती है। इस तरह से बड़ी संख्या में ऐसे केसेज हैं जो न्यायालय में चल रहे हैं। लेकिन परिषद् न्यायालय में लड़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो बकाया धनराशि हमारी है चोरी के कारण जो हुई है, उसको वसूल किया जाय।

यहां पर मैं यह बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे विद्युत परिषद् द्वारा 1983 से 1985 तक चोरी करते हुए जो पकड़े गये वह लगभग 10 करोड़ 49 लाख रुपये का असेसमेंट है। इसमें भी बहुत अधिक मामले कोर्ट में गये हुए हैं और वहां पर फ़ैसला हो रहा है। उसमें विलम्ब अवश्य हो रहा है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और विद्युत परिषद् के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जल्द से जल्द इन मामलों का निपटारा करें जिससे वह धनराशि वसूल की जा सके। इस अधिनियम में स्पष्ट है कि केवल जो गलत काम हो रहा है उसमें कठोर कार्यवाही करके उसे कागनीजिबुल और आफेन्स मानकर उसे नान-बेलेबुल बनाकर अधिक से अधिक सजा की व्यवस्था करें। हम यह चाहते हैं कि जो लोग पकड़े जाते हैं उनको सजा देकर उन्हें इस बात को बताना चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य से इस अधिनियम को लाया गया है। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इस अधिनियम का स्वागत करेंगे और इसका समर्थन करेंगे। मैं माननीय गुप्त जी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि इसके उद्देश्य से जाहिर होता है कि इससे वे गलत काम को रोकेंगे, अपना प्रस्ताव वापस लेंगे और भी जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं माननीय माता प्रसाद जी ने जो सुझाव दिया है, वह बहुत अच्छा सुझाव है और जब कभी आवश्यकता पड़ी तो कभी न कभी इस चीज को भी सामने लाया जा सकता है और उपभोक्ताओं को दंडित किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन अभी तो यह पहला कदम है, क्रांतिकारी कदम है चोरी को रोकने में। इससे उपभोक्ताओं को कठिनाई हो रही है और राज्य विद्युत परिषद् को हानि हो रही है। मैं समझता हूं कि माननीय गुप्त जी, जिन्होंने विस्तार से इसमें प्रकाश डाला है अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे और इस अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके संबंध में मैं दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक तो आपने यह कहा कि जो विद्युतीकरण होगा उसमें अनियमितायें होंगी उनको पहला चांस दिया जायेगा कि उनको दुरुस्त किया जाय और जो इल्लीगल कनेक्शन्स हैं उनको लीगलाइज कर लिया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है और ऊपर से तार डालकर उन्होंने अपने यहां बिजली ले रखी है तो क्या उनको भी विद्युतीकरण में शामिल करेंगे और उसकी रेगुलराइज करेंगे। दूसरी बात यह है कि विद्युत् की चोरी करने वालों को यह पनिशमेंट होगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि ऐसे लोगों को आपके अधिकारी नहीं पकड़ते होंगे। तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री---

जहां तक किसी अधिकारी की बात है धारा 40 के तहत उसके विरुद्ध भी वही कार्यवाही होगी जो चोरी करने वाले व्यक्ति के साथ होगी। जो आपने पहले सवाल किया था जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है तो मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे वह बिजली लेगा और कहां से तार जोड़ेगा ?

श्री विजय सिंह राणा---

मान लिया किसी ने ट्यूबवेल का कनेक्शन ले रखा है .....

श्री अधिष्ठाता---

आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है .....
(व्यवधान) बैठ जायं।

श्री सुनील शास्त्री---

माननीय सदस्य उस गांव का नाम बता दें। अगर कोई ऐसा मामला पाया गया तो उस गांव

के विद्युतीकरण पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री हरि शंकर तिवारी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे लोग जो बिना शासन की परमिशन के अपने निजी फार्म में अरबन फीडर से निजी ट्यूबवैल कनैक्ट किये हैं उनके खिलाफ भी इस आदेश के तहत कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री---

श्रीमन्, वह अनियमित कार्य है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी ।

श्री हरिशंकर तिवारी---

श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि गोरखपुर में सिसवां ब्लाक है उसमें एक चमईनियां फार्म है जो एक विशेष व्यक्ति का फार्म है (व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी का फार्म है उसमें उन्होंने अपने निजी ट्यूबवैल को अरबन फीडर से कनैक्ट किया है। तो यह स्पष्ट रूप से सरकारी धन का दुरुपयोग है। क्या माननीय मंत्री जी इस आदेश के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? (व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं आया।)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय गुप्ता जी क्या आप अपना संकल्प वापस लेंगे ?

श्री विजय सिंह राणा---

मान्यवर, इसका उत्तर दिलाइये।

श्री अधिष्ठाता---

मैं माननीय मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकता हूं उत्तर देने के लिए। (व्यवधान) मैंने गुप्ता जी को पुकारा है क्या आप संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैं एक बात कहूंगा जिन्होंने यह तैयार किया है वे खुद बिजली की चोरी कराने में लांछित हैं इसलिए हम चाहते हैं कि इस आदरणीय सदन की देख-रेख में उचित संशोधन हो जाय। चूंकि वे मेरी बात को मान नहीं रहे हैं इसलिए वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता---

तो प्रश्न यह है कि यह सदन भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1986 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन इस सत्र के अंतिम दिन तक इस सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 6, खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1986

भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

1--- (1) यह अधिनियम भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 4 जनवरी, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षि
नाम
विस्त
और
प्रार

नेयम
9

0
ारा
का
था-

2---भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 39 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी अर्थात्:---

"39--(1) जो कोई--

ऊर्जा की चोरी के लिए शास्ति

(क) धारा 26 में निर्दिष्ट मीटर के माध्यम से अन्यथा, या

(ख) ऐसे मीटर या उसकी सील या यंत्र या सर्किट में हेर-फेर करके, या

(ग) ऐसे मीटर की क्रिया में बाधा डालकर या हस्तक्षेप करके, या

(घ) विद्युत् प्रदाय लाइन के फेज को छल-साधन द्वारा परिवर्तित करके, या

(ङ) धारा 26 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी मीटर, सूचक या यंत्र में छल-साधन द्वारा, या

(च) किसी वियोजित संयोजन से, या

(छ) किसी भी अन्य उपाय से,

किसी ऊर्जा को बेईमानी से निकालता है, उपभोग करता है, प्रयोग करता है या लेता है, या इस प्रकार बेईमानी से निकालने उपभोग करने प्रयोग करने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करता है या प्रयत्न करता है, वह जुर्माना से दण्डित किया जायगा और कारावास से भी जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा: परन्तु ऐसे मामले में:---

(क) जहां 7.46 किलोवाट से अनधिक लोड निकाला गया, उपभोग किया गया, प्रयोग किया गया या लिया गया हो या उसे निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिए दुष्प्रेरित किया गया हो या प्रयत्न किया गया हो, वहां प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना 500 रुपये से कम नहीं होगा, और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की दशा में अधिरोपित जुर्माना 2,000 रुपये से कम नहीं होगा;

(ख) जहां 7.46 किलोवाट से अधिक लोड निकाला गया, उपभोग किया गया, प्रयोग किया गया या लिया गया हो या उसे निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिए दुष्प्रेरित किया गया हो या प्रयत्न किया गया हो, वहां प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना 2,000 रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास जिसकी अवधि छः मास से कम न हो के साथ जुर्माने का, जो 10,000 रुपये से कम न हो, दण्ड दिया जायगा।

(2) इस प्रकार निकालने, उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने के लिए या, जैसी भी स्थिति हो, उसके लिए प्रयत्न करने के लिये किसी साधन का विद्यमान होना, ऊर्जा को बेईमानीसे निकालने उपभोग करने, प्रयोग करने या लेने का प्रथम-दृष्टया साक्ष्य होगा।

(3) तलाशी लेने और अभिग्रहण करने से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किसी परिसर, यान, जलयान या किसी अन्य स्थान में किया गया है या किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, वहां वह ऐसी सहायता से, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझें, किसी भी समय---

(क) एस परिसर, यान, जलयान या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है और ऐसे न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकता है जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

(ख) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी ऐसे साधन का अभिग्रहण कर सकता है जो ऐसे परिसर, यान, जलयान या अन्य स्थान में पाया जाय;

(ग) ऐसे परिसर, यान, जलयान या अन्य स्थान के स्वामी, अधिभोगी या किसी अन्य प्रभारी व्यक्ति से किसी लेखा-बही या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का या ऐसी सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है जो उसकी राय में, उपधारा (1) के अधीन अपराध के संबंध में किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत हो ;

(घ) किसी लेखा-बही या दस्तावेज का परी-निरसन क्षण या अभिग्रहण कर सकता है जो उसकी राय और में, उपधारा (1) के अधीन अपराध के संबंध में अपवाद किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत हो और उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में ऐसी लेखा-बही या दस्तावेज अभिगृहीत किया जाय, अपनी उपस्थिति में उसकी प्रतियां तैयार करने या उससे उद्धरण लेने देगा।"

धारा 40 का प्रति-स्थापन

3--मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी अर्थात्--

"40--जो विद्वेषत:ऊर्जा को बर्बाद करने या संकर्मों को हानि पहुंचाने के लिये शास्ति

कोई ऊर्जा को विद्वेषत: बर्बाद करायेगा या पथांतरित करवायेगा अथवा ऊर्जा के प्रदाय को काट देने के आशयसे किसी विद्युत् प्रदाय लाइन या सकर्म को काटेगा या हानि पहुंचायेगा या काटने या हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगा वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायगा और कारावास से भी, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा:

परन्तु द्वितीय या अनुवर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास, जिसकी अवधि तीन मास से कम न हो, के साथ जर्माने का जो पांच सौ रुपये से कम न हो, दण्ड दिया जायगा।"

धारा

4--मूल अधिनियम की धारा 44 में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

शो-धन

"(ङ) पूर्ववर्ती खण्डों में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने का दुष्प्रेरण करेगा या प्रयत्न करेगा,"

अधि नियम संख्या 2 सन् 1974

5--मूल अधिनियम की धारा 49-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

नई धारा 49-ख का बढ़ाया जाना

कतिपय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे

"49-ख-धारा 39 या धारा 40 के अधीन कोई अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क अर्थान्तर्गत संज्ञेय और अजमानतीय होगा।"

6--(1) भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूलअधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 6, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री अपने वरिष्ठ मंत्री को फटकार रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस का खंडन नहीं किया (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कोई आरोप लगाया गया था तो माननीय मंत्री जी इस पर चुप थे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैंकि डिनाई कर दो (व्यवधान) उन्होंने नहीं किया इसलिए उनको प्रताड़ित करने आये हैं।

श्री सुनील शास्त्री--

माननीय माता प्रसाद जी फटकारने वाली बात कह रहे हैं। वह कानों का इलाज करवा लें। मैं उस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

अब स्पष्टीकरण नहीं। मद सं0 13 ले रहा हूं।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैं आपकीअनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1986 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि भारतीय विद्युत (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता--

नियम 51 के अन्तर्गत आज 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें- 1-श्री सरदार सिंह, 2-श्री सूर्य प्रताप शाही, 3-श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त, 4-श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा 5-श्री दिवाकर विक्रम सिंह 6-श्री काशी सिंह ऐरी, 7-श्री रघुबर दयाल वर्मा, 8-श्री मैनेजर सिंह, 9-श्री माता प्रसाद पाण्डेय और 10-श्री गौरी शंकर भइया। इसमें श्री दिवाकर विक्रम सिंह की सचना जो साधन सहकारी समिति, बस्ती के सचिव द्वारा चीनी वितरण में धांधली के संबंध में है, वक्तव्य के लिये स्वीकार हुई, शेष सूचनाएं अस्वीकृत की गयीं।

जनपद देवरिया में भटनी पुलिस द्वारा श्याम सुन्दर नामक युवक को अपनी हिरासत में लेकर पिटाई किये जाने तथा उसे गायब किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य।

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

*गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1-1-86 डा0 ओम प्रकाश विद्यार्थी प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटनी के आवास से जेवर एवं अन्य कीमती सामान की चोरी की घटना के संबंध में अभियोग सं05/86 धारा 545/380 भा0 द0 वि0 बनाम अज्ञात थाना भटनी पर पंजीकृत किया गया। अभियोग के विवेचक थानाध्यक्ष द्वारा विवेचना में चोरीमें संदिग्ध कई व्यक्तियों को पूछतांछ के लिये बुलाया गया। दिनांक 18-1-86 को श्याम सुन्दर मल्लाह निवासी हतवा थाना भटनी देवरिया को भी पूछताछ के लिये थाना, भटनी लाया गया। पूछताछ के दौरान श्याम सुन्दर ने भी चोरी में अपना हाथ न बताते हुये चन्द्रमा कानू पुत्र राम अवतार नि0 सिसई, थाना बनियापुर, जिला छपरा (बिहार) पर संदेह व्यक्त किया तथा यह आश्वासन दिया कि वह चन्द्रमा कानू के विषय में बतायेगा। इसी आश्वासन पर विवेचक द्वारा उसे दि0 18-1-86 को सायं ही छोड़ दिया गया था। तथा श्याम सुन्दर अन्यत्र चला गया।

यह सही है कि उक्त श्याम सुन्दर के गायब होने के संबंध में कुछ लोग ने दि0 25-1-86 को कस्बा भटनी में जलूस निकाला व कुछ दूकानें भी बन्द कराई। पुलिस अधीक्षक स्वयं दिनांक 25-1-86 को भटनी कस्बे में गये तथा वहां के व्यापार मंडल के पदाधिकारी तथा कुछ राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं व नगर के कुछ अन्य व्यक्तियों से सम्पर्क एवं बातचीत की, तथा इस मामले की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। आश्वस्त भी किया गया कि श्याम सुन्दर की तलाश के लिये एक विशेष टीम बनाई जायगी। लोगों नें हड़ताल समाप्त करने का आश्वासन दिया। इसी प्रकरण में दिनांक 28-1-86 को भी लगभग 100 व्यक्तियों का एक जलूस निकाला गया तथा एक प्रतिनिधि-मंडल पुलिस अधीक्षक से उनके कार्यालय में मिला। इस प्रतिनिधि मंडल में जनपद के भा0 ज0 पा0 के अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र तथा श्री सूय प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा व कुछ अन्य लोग भी थे, जिन्हें आश्वास्त किया गया कि शीध्र ही श्याम सुन्दर की तलाश कर ली जायेगी।

श्याम सुन्दर की खोज में लगे हुये विशेष दल के पुलिस कर्मियों ने दिनांक 9-2-86 को देवरियानगर में ही श्याम सुन्दर को खोज निकाला, तथा उसे उसी दिन भटनी कस्बे में ले जाकर उसके परिवारजन संबंधियों तथा कस्बे के अन्य बहुत से लोगों को दिखाया और मिलाया। श्याम सुन्दर ने बात चीत के दौरान बताया कि वह अपने बहनोई के यहां फ़र्रुखाबाद चला गया

*नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया

*वक्ता ने भा ण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

था उसने यह भी बताया कि अखबार में अपने मारे जाने व गायब कर दिये जाने की खबर पढ़कर वह देवरिया आया है ।

भटनी कस्बे में स्थिति पूर्णतया सामान्य है । कोई व्यक्ति धरने अथवा अनशन पर नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मंत्री जी का जो वक्तव्य वह कुछ अर्द्ध सत्य है । मैं अवगत कराना चाहुंगा कि श्री श्याम सुन्दर का बाप इसी विधान सभा के सामने 9 तारीख से धरना दे रहा है और अनशन कर रहा है । यदि आपके पास खुफ़िया पुलिस है तो उससे जांच करा लें । घटना के तथ्यों के संबंध में कहना चाहता हूं कि 18 तारीख को थाना भटनी, देवरिया के थानाध्यक्ष ने लड़के को लाकर 18 तारीख से 21 तारीख तक थाने में रखकर उसकी पिटाई किया जिससे उसके गम्भीर चोटें आयीं जिसके कारण उसको 8 तारीख तक गायब करके उसका अस्पताल में इलाज कराया गया । क्या इस संबंध में मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, जांच की आश्वश्यकता नहीं रही चूंकि लड़का फ़र्रुखाबाद अपने बहनोई के यहां गया था, और जब उसने समाचार पत्रों में पढ़ा और सूचना मिली तो आकर पुलिस अधिकारियों को अपनी बात बताई कि मैंने ऐसी सूचना पाई है।

मान्यवर, दो-तीन दिन थाने में जो उसको रखने की बात कही गयी है वह गलत है बल्कि उसी दिन उसको थाने से छोड़ दिया गया था जिस दिन वह आया था । मान्यवर, उसका बड़ा अपराधिक इतिहास है और वह अन्तर्राज्यीय गिरोह में रहता है । बिहार में उसको सजा मिल चुकी है और वहां एक साल से अधिक सजा काट कर वह यहां आयाथा और अतर्राज्यीय गिरोह के एक व्यक्ति का नाम भी उसने बताया । इसलिये शाही जी ऐसे आपराधिक व्यक्तियों के प्रति हाऊस में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं । अब वहां स्थिति शांत है किन्तु पहले जरुर कुछ बाजार बन्द रहा था, यह एक महीने की बात हो गयी है । स्थिति शांत है और लड़का अपने घर पर आ चुका है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

लड़के से जो पूंछतांछ की गयी तो संबंधित थाने की जी0 डी0 में कब आने और कब छोड़े जाने का इन्दराज है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, उसके 18 तारीख को आने और 18 को ही छोड़े जाने का इन्दराज है । 18 की शाम को छोड़ दिया गया है । उसे सजा भी हुई है । उसमें ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जैसा मंत्री जी ने कहा वह अपराधी है, तो अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिये, लेकिन आप भी सहमत होंगे कि पुलिस अधिकारी को तीनों अधिकार दे दें--उस पर अपराध का लगाना, सजा तजवीज करना तथा उसको सजा देना तो यह कहां तक ठीक और जनतांत्रिक होगा? आप इनका नीचे का वक्तव्य देखें, वक्तव्य सत्य से परे है और साथियों को गुमराह करने के लिए बनावटी वक्तव्य दिया गया है । उसे 18 को पकड़ा गया, उसके बहुत चोटें आई और जब बहुत उत्तेजना फ़ैली तो पुलिस वाले दौड़े और उसका इलाज करवाया ।वह लड़का मल्लाह था, वह एक अक्षर भी पढ़ा नहीं है, उसके शहर में तो रिश्तेदार नहीं है, मल्लाह है उसके रिश्तेदार कहीं नदी किनारे रहते होंगे, किन्तु इसमें वक्तव्य में दिया है कि श्याम सुन्दर की खोज में लगे हुए विशेष दल के पुलिस कर्मियों ने दिनांक 9-2-86 को व देवरिया नगर में ही श्याम सुन्दर को खोज निकाला, तथा उसे उसी दिन भटनी कस्बे में ले जाकर उसके परिवारजन, संबंधियों तथा कस्बे के अन्य बहुत से लोगों को दिखाया और मिलाया । श्याम सुन्दर ने बातचीत के दौरान बताया कि वह अपने बहनोई के यहां फ़र्रुखाबाद चला गया था उसने यह भी बताया कि अखबार में अपने मारे जाने व गायब कर दिये जाने की खबर पढ़कर वह देवरिया आया है । मान्यवर, आप देख रहे हैं किसी साप्ताहिक लोकल अखबारों में निकला, गांव गांव में पहुंच गया और उसका बाप इतना बावला था कि वह अपना लड़का देखकर भी पहचान नहीं पाया और

विधान सभा के सामने यहां आकर अनशन करने लगा। जब आप चलेंगे तो मैं उसे आपके चरणों में लाकर पश कर दूंगा। उसे आप देख लें। यह महामिथ्या है। यह वक्तव्य तो उन्होंने जिलाधीश या एम0 पी0 ने बनाकर भेज दिया है। प्राग्दर्शन से स्पष्ट हो गया है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और यह मिथ्या है, तो क्या आप अपने आई0 जी0 स्तर से वक्तव्य की सत्यता की जांच कराकर जो भी निर्णय आवेंगे उसके अनुसार कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, आई0 जी0 स्तर से तो नहीं, इसकी सत्यता की जानकारी करा लूंगा और शाही जी को बता दूंगा। व्यक्तिगत जानकारी करके गुप्त जी को बता दूंगा कि अधिकारियों ने कोई तथ्य छिपाया तो नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आई0जी0 से नहीं तो आप ज़ोनल आई0जी0 से करा लें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

अन्य किसी जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। व्यक्तिगत रूप में मैं स्वयं एस0 पी0 से इसकी जांच कराकर माननीय सदस्यों को अवगत करा दूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

चूंकि लापता लड़का सकुशल मिल गया है, इस लिए अब इस प्रकरण को समाप्त किया जाए और मंत्री जी ने आश्वासन भी दे दिया है कि वह इस पर। जांच कराकर, जो असलियत होगी बता देंगे। (व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

(व्यवधान)

जो बिहार का चोर था उसको पता लगाने के बारे में छोड़ा था उसने उसके बारे में क्या बताया? वह क्या फिर उसे गिरफ्तार करा लेंगे ?

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बात की जांच करायेंगे कि कहीं विपक्षी दलों ने उसे जुलूस बनाने का बहाना बनाने के लिये जानबूझकर गायब तो नहीं कर दिया क्या इस बात की भी जानकारी करवायेंगे कि उसके पिता को जानबूझकर राजनीति से प्रेरित होकर यहां दरवाजे पर लाया गया है क्या इन बातों की जानकारी करायेंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सिद्धान्त मान लिया है कि जांच करा लेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैंने जांच की कोई बात नहीं कही है। जांच की आवश्यकता ही नहीं रही है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं अपने स्तर से इसको देखकर माननीय गुप्त जी और शाही साहब को सूचित कर दूंगा। तो सिद्धान्तः आपने स्वीकार की है कि जांच करायेंगे। तो एस0 पी0 स्तर से न कराकर आई0 जी0 जोन से करा लें और सत्यता का पता लगा लें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का कहना है कि उच्च स्तर से जांच करा लें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

कानपुर नगर में हड़ताल के संबंध म चर्चा

श्री अधिष्ठाता--

मद संख्या 16 के बारे में कहना है कि माननीय मनोहर लाल जी ने और अन्याय माननीय सदस्यों ने यह सूचना दी थी चूंकि कानपुर की हड़ताल अब समाप्त हो गयी है।

(व्यवधान के मध्य)

आप लोग विराजें। माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

अभी विषय ही नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न कहां से आयेगा ? चूंकि हड़ताल समाप्त हो चुकी है इसलिये यह चर्चा अप्रासंगिक हो गयी है।

(शोर)

श्री मनोहर लाल---

श्री मान्यवर, मेरा प्रस्ताव पढ़कर देख लीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र कपिल---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है अब चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

श्री बीरेन्द्र नाथ दीक्षित ---

मान्यवर, वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

श्री अधिष्ठाता---

अभी मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। आप बैठें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्यने क्या व्यवस्थाका प्रश्न उठाया था, जिसको मैं सुन नहीं पाया। यह कार्य स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य कानपुर ने और हम सब लोगों ने दिया था उसको आप पढ़ लें।

एक सदस्य---

मनोहर लाल जी, कानपुर के नहीं हैं, उन्नाव के हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैंने माननीय सदस्य को कानपुर का कहा, गलती हो गयी भूल सुधार के लिये आभारी हूं। वह उन्नाव के हों या कानपुर के, सदस्य विधान सभा तो हैं ही। हम सब लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी मान्यवर, उसको पढ़ लें उसमें स्पष्ट है। उसका परिणाम यह हुआ कि यह चर्चा आयी। कार्य स्थगन प्रस्ताव के दूसरे दिन औचित्य के प्रश्न के रूप में सदन में सवाल उठा था और हड़ताल समाप्त होने के बारे में कहा गया था। तो यह हड़ताल किन कारणों से की गयी यह संदर्भ जिंदा है। उसकी सामयिकता इसलिये और बढ़ गयी है कि सरकार यदि समय रहते कोई बात कर लेती तो यह चर्चा न होती। सब भविष्य के गर्भ में है कि आखिर समझौता क्यों हुआ? किस कारण से हुआ? वह जानकारी हमार पास है? इसलिये हम चर्चा करना चाहेंगे और मान्यवर, इस पर चर्चा करान की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

एक बार में एक माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे।

*श्री हृदय नारायन दीक्षित---

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर, इस विषय पर चर्चा की अनुमति जब दी गयी थी जब उस समय हड़ताल चल रही थी परन्तु अब हड़ताल खत्महो गयी है और इसकी सूचना अखबारों द्वारा, रेडियो द्वारा और टी0 वी0 द्वारा सब जगह पहुंच चुकी है कि हड़ताल खत्म हो गयी है, इसलिये सदन का समय नष्ट न किया जाए और इस पर चर्चा न की जाए। चर्चा का अब कोई औचित्य नहीं है।

(6 बजकर 20 मिनट)

*श्री लाल प्रताप सिंह---

मान्यवर, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। अंग्रेजी की एक कहावत है "ला डज़ नाट कन्फर्म ए बेनिफिट अपान वन हू डज़ नाट वान्ट इट।" इसलियें जो कन्सर्न परसन था उसने वासप कर लिया तो तीसरे आदमी को क्या? इसलिये इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है।

*श्री नेक चन्द्र पाण्डेय---

मान्यवर चूंकि अब हड़ताल समाप्त हो चुकी है और अगर यहां पर चर्चा होगी तो उससे कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सद्भावनाएं खराब होंगी। वातावरण और बिगड़ेगा और विपक्ष की मान्यवर यही मंशा है कि सारे प्रदेश में अशांति फैले इसी सिलसिले का इनका प्रयास है इसलिये मान्यवर निवेदन है कि व्यवस्था को बनाये रखने के लिये अब इस पर चर्चा न करायी जाए।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा जो आरोप विपक्ष पर लगाये गये हैं उन्हें कार्यवाही से निकलवा दिया जाए । मान्यवर, उस ओर से जो शंका विपक्ष पर की गयी है कि हम प्रदेश में अशांति फैलाने के लिये चर्चा कराना चाहते हैं यह आरोप हैं मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकलवा दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता––

ठीक है दिखवा लिया जायेगा ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––

मान्यवर, यह ठीक है कि जो माननीय सदस्य ने कहा, वह आरोप है, उसे निकलवा दिया जाना चाहिये परन्तु यह लोग जो सुबह से आरोप लगा रहे हैं, उसे भी कार्यवाही से निकलवा दिया जाए ।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता––

इसको भी दिखवा लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

हम लोग जो कह रहे हैं वह आरोप नहीं है बल्कि एक सत्य को प्रकाश में लाना चाह रहे हैं ।

श्री मनोहर लाल––

मान्यवर, प्रदेश के लगभग 80 हजार राज्य कर्मचारियों और लगभग 25 लाख नागरिकों के मामलों के व्यवस्था के प्रश्न पर जिन लोगों ने अड़चन डालने की कोशिश की, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत आभारी हूं । अधिष्ठाता महोदय, यह सवाल लगभग 80 हजार राज्य कर्मचारियों का नहीं था अपितु समस्त प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का था परन्तु जिस प्रकार से यहां पर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग और हमारे सामने जो माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, इन्हीं लोगों ने ऐसे नाटकीय ढंग से इस हड़ताल को पूरे एक माह चलवाया है । मान्यवर, मैं बड़ी ही सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि इस आग को भड़कानें वाले और इन राज्य कर्मचारियों को और नागरिकों को उकसाने वाले लोग भी यहीं पर मौजूद हैं, वह विधायक भी यहां हमारे सामने मौजूद हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वह कानपुर के ही विधायक हैं और दूसरी हस्ती है जो विधायक नहीं है बल्कि सांसद है । उन्होंने तो यहां तक कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री बीर बहादुर सिंह तुम्हारी मांगे नहीं मानेंगे तो मैं उनका कुर्ता फाड़ डालूंगा इस प्रकार मान्यवर, इन्हीं सभी लोगों ने मिलकर कहा कि हम लोग तो यहां हैं ही सिर्फ तुम पीछे से थोड़ा सा धक्का लगा दो, बाकी हम सब देख लेंगे । इससे पहले चुनाव के दौर पर जब मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, उस समय यह कोशिश की गयी थी और उस समय भी बातें उठाई गयीं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)––

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी आपके सामने कुछ आरोप की बात कही गयी थी, जिसे आपने कहा था कि उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । तो मान्यवर, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इसमें आरोप के अलावा और क्या है ? इसको कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री मनोहर लाल––

मान्यवर, सच्चाई जो है, उसके बारे में ये लोग न कहने दें, तो मेरा इस सदन में आना बेकार है ।

(घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित––

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता––

आप बैठिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री मनोहर लाल––

मान्यवर, तत्कालीन मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने एक समझौता करवाया था, कानपुर के डी0 एम0 के माध्यम से यह समझौता हुआ था ।

(घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित ---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो सदन में कह रहे हैं, वह पहले ही इस सदन में कहा जा चुका है और विरोधी दल का यह रवैया हो गया है कि इस माननीय सदन का समय बर्बाद हो। इन लोगों के भाषण में किसी भी प्रकार की सरसता नहीं है। मान्यवर, आप प्रोसीडिंग उठा कर देख लें, इन लोगों ने अपने भाषण में किसी भी प्रकार की सरसता नहीं रखी है। तो मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित न करें।

(घोर व्यवधान)

श्री मनोहर लाल---

मान्यवर, यह हड़ताल शुरू हुई और तीस दिन के बाद फिर खत्म भी कर दी गयी। 80 हजार राज्य कर्मचारी यह जानते ही नहीं हैं कि हड़ताल किस प्रकार से खत्म हो गयी। यह आप घोषणा कर दे कि किन शर्तों के आधार पर हड़ताल खत्म हो गयी। कोई भी सरकारी कर्मचारी यह नहीं जानता है कि किस प्रकार का समझौता हुआ है।

(घोर व्यवधान)

तो अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि ये कहते हैं कि हड़ताल खत्म हो गयी, मान्यवर, 80 हजार राज्य कर्मचारी, जिन्होंने हड़ताल शुरू किया था और तीस दिन के बाद हड़ताल खत्म हो गयी, वह चाहे नगरपालिका का कर्मचारी हो, चाहे सेल्स टैक्स आफिस का कर्मचारी हो, चाहे वह कलेक्ट्रेट कचेहरी का कर्मचारी हो, कहीं का भी हो, उसको यह नहीं मालूम है कि हड़ताल खत्म हुई। अगर मान्यवर, हड़ताल खत्म हुई, तो वह किन शर्तों के आधार पर खत्म हुई ?

(घोर व्यवधान)

सवाल यह नहीं है। एक तरफ वहां की जनता की समस्या का सवाल था, और दूसरी तरफ 80 हजार राज्य कर्मचारियों का मामला था। माननीय मुख्य मंत्री ने उनसे बात नहीं किया। मान्यवर, वहां पर जो नलों में पानी आ रहा था, उसको मैं आपके पास भेज रहा हूं। यह पानी पीने काहै, जो कानपुर में पीने का आ रहा है। उसको मैं आपके पास भेज रहा हूं। हूं कि उस पर आप परीक्षण करवा लीजिए। मान्यवर, यह जो बैठे हुए हैं हमारे बगल में उमर साहब, यह उनके विधायक जी के घर के पास का पानी है।

यह विधायक जी के घर के पास का पानी है, इस तरह का पानी वहां पिलाया जा रहा है। मान्यवर, 1973 में 10 दिन की हड़ताल वहां पर हुई।

(व्यवधान)

श्री नेकचन्द्र पांडेय---

यह पानी माननीय सदस्य के यहां का नहीं है यह पानी जल संस्थान का है।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल---

हड़ताल में जो खिलवाड़ हुए हैं उससे पांच लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और तमाम लोग पीलिया से मरेंगे। अधिष्ठाता महोदय, 500 आदमी सन् 73 में मरे तब दस दिन की हड़ताल हुई थी। अब एक महीने की हड़ताल के बाद 40-50 हजार आदमी पीलिया से मरेंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह स्वास्थ्य विभाग नहीं है। सब अखबारों में छपा है यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि कानपुर में जो हड़ताल हुई है इसका असर 40--45 दिन के बाद होगा। इससे करीब 50 हजार लोग मरेंगे।

श्री अधिष्ठाता---

इस पानी को मैंने माननीय मंत्री जी पास भिजवा दिया है।

(व्यवधान)

श्री नेकन्चद्र पाण्डेय---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

चार लोग खड़ें हैं, चार में से मैं किसको बुलवाऊं ?

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय---

मान्यवर, यह पानी उन्नाव का है।

(व्यवधान)

श्री एहतिशाम वली खां---

अभी विरोध पक्ष के सदस्य द्वारा जो हड़ताल के बारे में कहा गया, जब हड़ताल करने वाले राज्य कर्मचारियों ने ही उसे बिना किसी शर्त के वापस ले लिया तो सदन में अब उसकी चर्चा की क्या आवश्यकता है ? इससे सदन के समय नष्ट होगा।

श्री अधिष्ठाता---

आप क्या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री एहतिशाम वली खां---

मान्यवर, जो शीशी आपके पास भेजी गई है और कहा गया कि कानपुर के घरों में ऐसा पानी आता है, इसको स्वीकार करने से पहले माननीय अधिष्ठाता महोदय इस बात की जानकारी कर लें कि यह उसी नल से ऐसा पानी आता है जैसा कि माननीय विरोधी सदस्य बता रहे हैं या यह किसी नाली का पानी है। मान्यवर, कोई भी चीज हो उस की प्रापर्टी तभी हो सकती है जब उसके ठोस सबूत हो।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल -

मेरे पास सबूत मौजूद है।

श्री अधिष्ठाता---

मैंने मंत्री जी के पास उसको भेज दिया है।

श्री एहतिशाम वली खां---

कोई भी चीज हो उस में लाने से पहले यह जांच कर ली जाए कि यह पानी उसी नल का है या कहीं और से भरकर लाया गया है और शासन को बदनाम किया जा रहा है।

श्री हाफिज मो0 उमर---

मान्यवर, इस सम्मानित सदन में जो कछ भी इल्जाम लगाए जाते है तो उसके सबूत होते हैं .....

माननीय सदस्य ने न तो स्पष्ट बताया है और न ही यह साबित कर सकते हैं कि वहां इस प्रकार का पानी आ रहा है। किस इलाके में इस तरह का पानी आ रहा है ? इसलिये न तो यह सदन की सम्पति हो सकतीहै और न इसकी जांच हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल---

बोतल में मकान नम्बर और तारीख सब लिखा है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की मानसिकता है कि ए क्लास की सिटी न बनानी पड़े। यह कहते ह पैसा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से शासन की बागडोर संभाली है किसी नगर को महानगर बनाने की कोशिश की ? दूसरे प्रान्तों में महानगर बनाये जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हरदेव---

यह राष्ट्र को क्षति पहुंचाते हैं।

श्री मनोहर लाल---

मान्यवर इनके पहले की सरकार ने अपने रिश्तेदारों को नियुक्त किया ...।

(व्यवधान)

फिजूल खर्ची हो रही है मान्यवर, कानपुर में जो 25 लाख लोग, आज कानपुर में रहते हैं उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? जो बीमारी फैल रही है उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? जो लोग अकाल मौत मरेंगे, उनको सरकार कितना मुआवजा देगी ?

मान्यवर आप सरकार को निर्देश दें कि अकाल मौत मरने वालों को मुआवजा दिया जाय तथा कानपुर को ए क्लास का शहर घोषित करके सारी सुविधायें दी जांय।

श्री सत्य प्रकाश विकल---

कानपुर की हड़ताल पर जो चर्चा की बात है वह हड़ताल तो अब समाप्त हो गई है। 14 तारीख को जिस दिन इस पर आज चर्चा केलिये नियत हुई तब से आज तक इन तीन दिनों के अन्तर को मैं देख रहा हूं। 14 तारीख को जब माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अपने तर्क से मजबूर कर दिया था और सामन बैठापक्ष नि रु

त्तर था, तब आपकी पीठ से कहा गया कि 17को चर्चा होगी । इन तीन दिनों में यह हो गया कि उस दिन के सामने बैठने वालों के लटके हुए चेहरे आज खिल उठे हैं । मैं कहना चाहता हूं मान्यवर कि अभी तक दुनिया में कोई ऐसी हड़ताल नहीं हुई जो होने के बाद टूटी न हो । हड़ताल होती है टूटती है । यह अलग बात है कोई सफल होकर टूटती है कोई समझौता होकर टूटती है कोई दम तोड़ने या तुड़वाने के बाद टूटती है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इतने दिनों तक एक महीने से ज्यादा तक 25 लाख नागरिक एक नगरी में एक हड़ताल से पीड़ित होकर कराहते रहे लेकिन हड़तालियों से केवल इसलिये बात नहीं की गई कि इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया गया कि किसकी नाक ऊंची हो ? मान्यवर, फरवरी, 85 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि 'ए' ग्रेड की सुविधायें मिलेगी । उसके बाद सितम्बर 85 में केन्द्रीय सरकार ने वे सुविधायें दी, केन्द्र सरकार के सुविधा देने के बाद वह लोग आपसे अपनी मांगों को लेकर एकदम हड़ताल पर नहीं गये । वह मांग करते रहे और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, तब मजबूर होकर 80 हजार लोगों को हड़ताल पर जाना पड़ा । इन तीन दिनों में हड़ताल को तुड़वाने के लिये क्या-क्या किया गया, इसको तो हड़ताल तोड़ने वाले और तुड़वाने वाले ही जानते होंगे । जिस प्रकार से अध्यादेश की आड़ लेकर लोगों को परेशान किया गया उससे आज भले ही हड़ताल टूट गयी लेकिन जो जख्म छोड़ गयी उससे आगे चलकर आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा । जिन 80 हजार लोगों ने हड़ताल की, जिन हजारों लोगों को जेल से ले जाया गया, जिन लोगों को जंगल में ले जाकर छोड़ा गया, जिन पर अत्याचार किया गया हमें सोचना होगा कि इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा होती है ? मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हड़तालें तो होने के बाद टूटती ही हैं, कोई यह कह ही नहीं सकता कि हड़ताल चलती ही रहेगी लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उधर से यह कहा जाता है कि हम विरोध के लिये विरोध करते हैं तो ऐसी बात नहीं है । केवल विरोध के लिये विरोध न होने पर भी हमें और आपको अपने दिलों में इतना महसूस करना चाहिये था कि आखिर इनकी मांग का क्या औचित्य है और क्योंकि वे हड़ताल पर हैं तथा उसे प्रतिष्ठा का सवाल न बना करके उनको कुचलने के लिये इस प्रकार आमादा नहीं होना चाहिये, जो जनता और सरकार दोनों के लिये परेशानी का कारण बन जाय । इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि यह गलत बात थी कि उस हड़ताल को रोकने के लिये एक माह तक कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी । ये शांत और चुप बैठे रहे, दमन करते रहे और दमन होते देखते रहे ।

*श्री जौहरी लाल त्रिवेदी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे कानपुर 80 हजार कर्मचारियों की जो हड़ताल थी उसके संबंध में बोलने का मौका दिया । मान्यवर, सन् 1982 में केन्द्रीय सरकार ने कानपुर नगर को 25 लाख जनता की श्रेणी में ला करके 'ए' श्रेणी की घोषणा की थी । अपनी घोषणा के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने कन्द्रीय कर्मचारियों को 'ए' श्रेणी की सुविधायें भी दे दी । प्रान्तीय सरकार के कर्मचारी बराबर इस बात को ले करके मांग करते रहे । सन् 1985 में जब विधान सभा के चुनाव हुए, प्रान्तीय कर्मचारियों ने मांग उठायी कि पिछले 4 सालों से इस विषय पर विचार नहीं हो रहा है । इस पर बैठक करक तत्कालीन मुख्य मंत्री और तत्कालीन जिला अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में बाकायदा लिख करके एग्रीमेन्ट दिया गया । इस एग्रीमेन्ट के प्रमाण आपके सामने मौजूद है । उसके बाद एक साल तक यह आश्वासन दिया जाता रहा कि 'ए' श्रेणी की सुविधायें दी जायेंगी । 16 जनवरी 1986 को 80 हजार कर्मचारी मजबूर होकर हड़ताल पर चले गये । उसके बाद जैसा कि माननीय मनोहर लाल जी ने कहा कि एक सत्ता पक्ष के एम0 एल0 ए0 जो उधर बैठे हैं, कानपुर में इन लोगों ने उसकाया कि जो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया था कि यदि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह आपकी मांग को नहीं मानते हैं तो उनका कुर्ता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फाड़ डाला जायगा । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हड़ताल वापस होने के बाद सुनवाई करेंगे । सब वापस चले गये । 13 तारीख को षड़यंत्र करके जो मान्यता प्राप्त मेम्बर नहीं थे, उनको बुलाकर घोषणा करवा दी गयी कि हड़ताल समाप्त हो गयी । सुबह जब अखबारों में आया तो उससे आन्दोलन के नेताओं ने विरोध प्रकट किया । मान्यवर, इतने दिन हड़ताल चली लेकिन सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा मान्यवर, उधर के माननीय सदस्य कह रहे है कि वहां सामान्य स्थिति बनी रही, जबकि स्थिति के विपरीत है । मान्यवर, 16 तारीख से लेकर बाद तक प्रशासन की स्थिति यह रही कि न्यायालय बन्द रहे । सादी वर्दी में पुलिस के कर्मचारियों को वहां बिठाकर यह कहा गया कि अदालत सब खुलेंगे । जल विभाग की यह स्थिति रही कि मिलेट्री वालों को बुलाकर पानी की सप्लाई करायी गयी । इसके अतिरिक्त जल संस्थान द्वारा वहां जो अनियमितायें बरती गयी हैं, उसका एक विवरण 13 तारीख के अखबार में निकला है । मान्यवर, एक नाला जो ग्वालटोली से पावर हाउस के लिये जाता है उस नाले का जल लोगों को पिलाया गया है । मान्यवर, जो सारे ट्रेजर चलते थे पानी की निकासी के वह ट्रजर हड़ताल के दौरान बन्द हो गये । नाले का पानी शहर के लोगों को पिलाया गया । आप इसकी जांच करायें । मान्यवर, शिक्षा संस्थाओं का हाल यह रहा है कि डिग्री कालेज इंटर कालेज, माध्यमिक विद्यालय प्राइमरी बेसिक विद्यालय सारे विद्यालय 31 दिन तक बराबर बन्द रहे । उक्त स्कूलों में उक्तहड़ताल के दौरान कोई भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं रही अभिभावक सारे परेशान रहे । पूरे कानपुर की जनता बुरी तरह से पीड़ित और परेशान की जाती रही । उधर माननीय सदस्य कहते हैं कि हड़ताल का कोई प्रभाव नहीं था । मान्यवर, बिजली विभाग के सैकड़ों कर्मचारी एक्सीडेंट में मर गये । इसके बाद मिलेट्री बुलायी गयी । अगर रात में कोई कर्मचारी मरा, तो उसे उठाकर गंगा में फेंक दिया गया । मान्यवर, 31 दिन के अन्तर्गत कानपुर में मरने वालों की कितनी संख्या लिखी गयी है, इसका भी कोई विवरण आना चाहिये । इसमें मान्यवर सैकड़ों बीमार लोग अस्पतालों में जगह न मिलने के कारण मर गये । सारे सरकारी अस्पताल बन्द रहे यहां तक कि नर्सिंग होम में भी जगह नहीं थी । आस-पास के गांवों की जनता अस्पतालों के चक्कर लगाती रही डाक्टर बैठे रहे नर्सें बैठी रहीं लेकिन कोई देखने वाला नहीं । पोस्टमार्टम के लिये लाशें सड़ती रही, कोई देखने और सुनन वाला नहीं था । उधर के माननीय सदस्य कहते हैं कि कानपुर में कोई समस्या ही नहीं थी । मान्यवर, वहां लगा हुआ सरसोज विधान सभा क्षेत्र है, 5 लाख वहां जनता है । 5 लाख वहां कैसे प्रभावित हो गयी ? मान्यवर, कृषि मंत्री जी चले गये ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी--

मान्यवर, समाप्त ही कर रहा हूं । मान्यवर, वहां के लघु और सीमान्त कृषकों को खाद की छूट का एक पैसा भी नहीं मिला और न एक बोरी खाद वहां वितरित हुई । विकास खड के सभी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गय थे । सरसौज ब्लाक कल्यान ब्लाक के सभी कर्मचारी हड़ताल पर गये हुए थे । यह कानपुर प्रशासन के अन्तर्गत ही है । पुलिस प्रशासन का तों यह हाल रहा कि पुलिस ने मनमानी से गरीबों को लूटा ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आप बैठें । और भी माननीय सदस्य इसमें भाग लेने चाहेंगे इस चर्चा में ।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो सारी बातें यहां पर रखी गयी है उनकी जांच करायी जाये, ताकि वस्तु स्थिति सबके सामने आ सके । मान्यवर इसके अतिरिक्त कानपुर के जो पानी की बात कह गयी मान्यवर, जो पानी दिया गया है, वह बिलकुल सही है । मैं हाफिज मो0 उमर साहब के पास ही रहता हूं । वह भी इसके बारे में जानते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

त्रिवेदी जी अब आप बैठ जायें । अन्यथा मुझे कहना पड़ेगा कि जो कुछ आप कह रहे हैं वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आज सत्ता पक्ष के चेहरे के उल्लास को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी मिल में या हमारे किसी घर में किसी मजदूर को हम 2 या 3 रुपये प्रति दिन के हिसाब से नौकर रख लेते हैं। और जब वह बेचारा परेशान होकर मालिक से कहता है कि साहब इससे तो पेट नहीं भरता है, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिये तो उस पर मालिक कहता है कि देखेंगे। कुछ दिन बाद जब वह नौकर फिर कहता है तो मालिक गुस्से में आकर कहता है कि यदि नहीं बढ़ाया तो उसके बाद वह गरीब बालक अपना पेट काटकर 3 रुपयों में नौकरी करने पर ही मजबूर हो जाता है। उस दिन वह मालिक घर में जाकर अपने परिवार वालों से कहता है कि आज उसे झुका ही दिया। मान्यवर, वह उल्लास क्या है। वह उल्लास है कि वह गरीब अपनी निर्बलता के कारण पापी पेट के खातिर झुक रहा है, श्रीहीन हो रहा है। उसके स्खलन के कारण सत्ता पक्ष के लोग उल्लास मना रहे हैं। हड़ताल होना कोई गौरव की बात नहीं है। लेकिन कानपुर के कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने संगठित होकर यह बता दिया कि यह प्रशासन बिलकुल असफल हो गया है। और यह भी सब जानते हैं कि उस हड़ताल से पूरा जन-जीवन अस्त-व्यस्त रहा। वह हड़ताल इस प्रशासन के ऊपर एक कलंक है। अब प्रश्न पैदा होता है कि वह हड़ताल करने के लिये कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई थी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपने यह घोषित कर दिया है कि इतनी आजादी पर किसी नगर को "ए' श्रेणी बना देंगे और इतनी आबादी पर "बी" श्रेणी बना देंगे। उसी कानपुर को 1982 में केन्द्रीय तरकार ने "ए" श्रेणी दे दिया और अपने कर्मचारियों को "ए" श्रेणी की सुविधायें भी दे दी तो किसी संवेदनशील प्रशासन की यह निशानी है कि वह हक तुरन्त दे दे। यदि महंगाई बढ़ गई है तो उसे महंगाई की किस्त तुरन्त दे दी जानी चाहिये। यदि वह महंगाई की किस्त लेने के लिये आन्दोलन का रास्ता अपनाये तो मैं समझता हूं कि शासन की निरंकुशता इससे ज्यादा और कोई नहीं हो सकती है। प्रात:काल मैंने अखबार पढ़ा। मैं समझ रहा था कि जब सदन शुरू होगा तो माननीय मुख्य मंत्री या कोई अन्य मंत्री खड़ा होकर यह कहेगा कि हमने कर्मचारियों के साथ समझौता कर लिया है और उनकी ये-ये शर्तें हैं और हमने उसे "ए" श्रेणी में मान लिया है। मैं भी उसका स्वागत करता। हां, यह जरूर कहता कि देर आये दुरस्त आये। मान्यवर, जब सेवायोजक क्रूर हो जाते हैं तो मजदूर को झुकना ही पड़ता है यह हिन्दुस्तान की एक प्राकृतिक कमजोरी है।

अन्त में मैं मान्यवर, एक ही बात शासन से पूछना चाहता हूं कि आपने जिन्हें "ए" श्रेणी की सुविधायें दी या नहीं दी।

आप खड़े होकर बताये कि "ए"श्रेणी की सुबिधायें दी गयी हैं ? या नहीं ? यदि नहीं, तो बतायें कि कब तक घोषित करेंगे ? भूतपूर्व मुख्य मंत्री मा0श्री नारायणदत्त तिवारी और मेरी बाचचीत हुई। उन्होंने कहा था कि कानपुर में वादा कर दिया है बहुत जल्द ही "ए" श्रेणी की सुविधायें दे देंगे। मैं अपने सीतापुर की बात कहता हूं कि वहां पर अभी बी--2 श्रेणी की सुविधायें नहीं दी गयी हैं। ये सुविधायें बाकी लोगों को आप दे देगे लेकिन पुलिस विभाग को नहीं देंगे। मान लीजिये, आज कोई पुलिस वाला खड़ा होकर इस बात को कहे, तो क्या होगा ? आपने कर्मचारियों को झुका दिया, अगर कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस लेकर चले गये तो हम प्रति पक्ष के लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा देगे, प्रदेश-प्रदेश और गांव-गांव में ले जायेंगे। हमारी मांग है कि जो नगर जिस श्रेणी में आता है वहीं सुविधा उनको मिलनी चाहिये। सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने "ए" श्रेणी की सुविधा दी है या नहीं ? मैं केवल 'हां' या 'ना' में जबाव सुनाना चाहता हूं और कुछ सुनना नहीं चाहता हूं।

श्री लाल प्रताप सिंह- --

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय गुप्त जी अभी बड़ी पुरजोर हिमायत कर रहे थे। विरोधी पक्ष के दिल में और कुछ न हो लेकिन एक बात रहती है कि कुछ न कुछ होता रहे और अगर कुछ न हुआ, तो ये क्या करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

जब तक यह सरकार रहेगी कुछ न कुछ कहने का मौका मिलता रहेगा।

श्री अधिष्ठाता--

कुछ आप देते रहिये, कुछ उधर से मिलता रहेगा।

श्री लाल प्रताप सिंह--

इस वक्त सारे प्रान्त में, [x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, यह विषय यहां पर नहीं था। इस वाक्य को कार्यवाही से निकाल दिया जाय। यह इस तरह की बातें कहेंगे तो मैं भी अगर कह दूं कि सत्तारूढ़ दल जानबूझकर डकैती डलवा रहा है, चोरी करवा रहा है, तो क्या होगा? इस समय इसका कोई प्रसंग नहीं था। आज उनके मुंह से बिल्कुल अप्रासंगिक और घिनौना वाक्य निकला है, इसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि किसी पर आरोप न लगायें। अगर लगाया गया है तो मैं उसे कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री लाल प्रताप सिंह---

राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को इतना "थिन स्किन्ड" नहीं होना चाहिये, जो सच्चाई है उसे स्वीकार करने में क्या एतराज है।

मैं कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि जो खुशगवार फिजा पैदा हुई है। मैं उसने नहीं जा रहा हूं कि क्या हुआ और कैसे हुआ? एक चीज निवेदन करना चाहता हूं कि हड़ताल का कोई तरीका कोई औचित्य लोकतंत्र में है नहीं। यह बहुत ही एक्सट्रीम मेजर है, जब कोई जरिया नहीं रहता है तभी हड़ताल होती है, नहीं तो लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा। हर किस्म के छोटी बड़ी बातों को विचार-विमर्श करके कोई रास्ता न निकालना, तो हम ट्राईबल स्टेट में ही कहलायेंगे, मैच्योर स्टेट नहीं कहलायेंगे और न मैच्योर स्टेट कहलाने के मुस्तहक होंगे।

हमारे विरोधी भाई हड़ताल कराने में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। जैसे कि किसी ने कहा है कि हवा अगर बुलायेंगे तो तूफान में घिर जायेंगे। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो आगे चल कर यह दिक्कतें आप भी महसूस कर सकते हैं और करेंगे, इसलिये आप उधां न उठे। हर चीजको उचित ठहराना उचित नहींहै। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संसार में मुझे कोई यह बतला दें, मैंने अभी तक जितना पढ़ा-लिखा और देखा है कि जितने भी लोकतंत्र तरक्कीयाफ्ता मुल्क है, गवर्नमेंट कर्मचारियों ने इस तरह की कहीं हड़ताल की है? यदि की है तो कोई भी जगह का उदाहरण आप मुझे बतला दें।

मान्यवर, 40 साल तक मुसस्सिल कोर्ट जाने के बाद किसी लायर ने अदालत का बायकाट किया है? इधर स्कूल खुला नहीं कि टार्टर्ड डिमान्ड रख दी गयी। मान्यवर, विपक्ष आपके और हमारे दोनों के लिये लोकतंत्र है, यह आपको सोचना चाहिये, यह केवल एक पक्ष के सोचने से नहीं चलेगा।

श्री किरनपाल सिंह---

लोकतंत्र के बारे में जो श्री लाल प्रताप सिंह उपदेश दे रहे है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भी लोकतंत्र में है कि हार्ट के मरीज आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को आपने बार बार दिल्ली भटकाया और काश्मीर का भी उदाहरण सामने है। क्या कोई अपने पेटकेलिये अपनी मांग को नहीं रखेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

इसका इस विषय से कोई संबंध नहीं है, यह अप्रासांगिक है।

श्री लाल प्रताप सिंह--

तो मैं कह रहा था कि इस तरह से हमको या आपको किसी को भी मिसाल पर नहीं आना चाहिये। इस टाईप के सिलसिले चाहे कहीं भी हों, बन्द होने चाहिये मैं अपने राज्य कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि यह रास्ता सदा-सदा के लिये छोड़ दें। जनता उनको सरकार समझतीहै अगर वह ऐसा करेंगे तो बहुत अनुचित होगा यह सरकार बहुत ही उदारवादी नीति रखती है हर व्यक्ति की सुविधा के लिये इसको ख्याल है। हमेशा उनको संसाधन दिये गये हैं और आग भी दिये जायेंगे। राज्य कर्मचारी सरकार का अंग है, उनकी किसी प्रकारकी उपेक्षा करने का सवाल ही नहीं है।

नोट-- (xXx) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जो वकालत माननीय गुप्ता जी ने की है वह सिर्फ प्रोपेगन्डा है, प्रचार है औरउसी को उन्होंने अपनाया है। पहले भी जो हड़तालें हुई हैं, एक कलम से निकले आदेश का हजारों आदमियों पर इसका असर पड़ता है। लेकिन सरकार ने किसी को टरमिनेट नहीं किया है।

मैं राज्य कर्मचारियों को पुनः बधाई देता हूं और चाहता हूं कि वे अपने हित को अच्छी तरह से समझें और वे समझते भी हैं। विरोध पक्ष तो अपने प्रोपेगन्डा के लिये और अपने प्रचार के माध्यम के लिये ऐसा करता है, लेकिन इनमें कुछ है नहीं।

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित--

मान्यवर, मैं राज्य कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने बिना शर्त हड़ताल वापस ले ली। मान्यवर, प्रजातंत्र और लोकतन्त्र के मूल्य और मान्यतायें क्या हैं,स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जब हमारा संविधान बना, तब मल्टी पार्टी सिस्टम को स्वीकार किया गया। जब लिबरल डेमोक्रेसी होती ह तोवहां पर अपनी बात कहने का अधिकार होता है, यह अधिकार होता है कि उचित मांगों हेतु आवाज उठायें मैं बताना चाहता हूं कि जब ट्रेड यूनियन मूवमेंट की स्थापना हुई तो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की पार्टी का नाम पता नहीं था, लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने 1928 में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन का सभापतित्व किया था। मान्यवर, इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार स्वतन्त्रता के बाद अब तक कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये लगी रही है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, नियमों में व्यवस्था है कि काल्पनिक आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये। मेरी पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय इनकी पार्टी थी ही नहीं, जब 1857 का स्वतन्त्रता आन्दोलन हुआ तो इनकी पार्टी कहां थी।

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित--

मान्यवर, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमने जन मानस को सुविधायें देने का प्रयास किया है। कानपुर की गली-गली में जन मानस हम लोगों के साथ निकल आया है। एवं समस्या का सामना किया है कर्मचारी समाज के अभिन्न अंग हैं। कर्मचारियों को गुमराह करने का काम विरोधी दल के लोग करते हैं, निरीह कर्मचारियों को जो यातनायें मिली हैं, उसके लिये सबसे अधिक दोषी विरोधी पक्ष के लोग हैं। इनके पास किसी प्रकार का कोई राजनैतिक प्रोग्राम नहीं है, कोई मरीज जा रहा है, रास्ता रोको आन्दोलन कर दिया और उससे जन मानस को कष्ट पहुंचाया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कर्मचारियों की हड़ताल वापस करायी है।और मैं कहना चाहता हूं कि शासनका रुख सदैव कर्मचारियों के प्रति ठीक रहा है। कर्मचारियों ने हड़ताल की वापसी मुख्य मंत्री जी के सम्मुख बिना किसी शर्त के सौहार्द पूर्ण वातावरण में की जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

श्री भगवानदीन कुशवाहा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उधर के लोग गधा घोकर बछड़ा बनाना चाहते हैं। एक महीने से हड़ताल चल रही है और नेता सदनको उसकी कोई जानकारी ही नहीं है। नेता सदन को किसी की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है आपको जानकारी होगी, नेता सदन पुराने ठेकेदार हैं, वह ऐसे ठेकेदार हैं कि वह ब्लैक लिस्टेड कर दिये गये।

श्री अधिष्ठाता--

जो विषय हैं, उसी पर माननीय सदस्य बोलें। विषयान्तर न करें।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

तो मान्यवर, राज्य कर्मचारियों की समस्या को कैसे सुनेंगे। मेरी निजी जानकारी है कि राज्य कर्मचारियों को अगर ए-क्लास की सुविधा न दी गयी, तो यह हड़ताल प्रदेश लेबिल पर हो जायेगी.....।

मेरी दूसरी निजी जानकारी है कि कांग्रेस आई, के संसद सदस्यों व विधायकों ने राज्य कर्मचारियों

को उकता कर हड़ताल करवाई थी। उसमें कुछ विधायक मंत्री होना चाहते थे कि चीफ मिनिस्टर से मिलकर हम हड़ताल वापस करा देंगे मैं उन विधायकों का नाम नहीं लेना चाहता सस्ती लोकप्रियता प्राप्त कराकर और बराबर कराकर इस हड़ताल को वापस कराना चाहते हैं। तीसरी जानकारी है कि कानपुर महानगर में ए क्लास की सुविधा अगर जनता को नहीं दी गयी तो 25 लाख जनता आन्दोलन करेगी यह मेरी निजी जानकारी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से शासन में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि इसका ख्याल रखें कि इस बार अगर आल यू0 पी0 हड़ताल हो गयी तो उस तरफ के लोग मुंह दिखाने वाले नहीं रहेंगे इसलिए दुबारा मौका न दें कि पुनः हड़ताल हो जाय तो यह हमारे उस तरफ के जो लोग बैठे हैं। मान्यवर, पहले ही आपने लाल बत्ती कर दी मैं कुछ कह भी नहीं पाया। तो यह कानपुर महानगर की जो अव्यवस्था है कि जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त है उसको "ए" क्लास की सुविधा दी जाय।

हाफिज मोहम्मद उमर---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने इस चर्चा में मनोहर लाल जी को जिन्होंने इस बात चीत की शुरूआत की उसको बड़े गौर से सुन रहा था। माननीय मनोहर लाल जी वरिष्ठ सदस्य हैं और उनको अनुभव भी है। मैं यह समझता हूं कि उस ओर बैठे हुए अनुभवशील लोग हैं उनकी तरफसे कुछ ऐसी बात आयेगी जिनसे इन्सानियत, दोस्ती, जिनसे मानवता की, जिनसे कर्मचारियों की हमदर्दी की कुछ खुशबू आयेगी लेकिन मुझे अफसोस है कि जैसा उन्होंने हड़ताल को भड़काने में, हड़ताल को आगे ले जाने में कर्मचारियों को गुमराह करने में जो रवैया अपनाया था वही रवैया यहां गलत प्रचार और गलत बातों को कहने में इस सदन में भी अपनाया है।कुछ हमारे वरिष्ठ नेताओं ने नैतिकता की बात कही है उन्होंने तो वहां ले जाकर खड़ा किया कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है यह तो एक घंटा इस माननीय सदन का समय बरबाद करना है जो बिलकुल जरूरी नहीं था क्योंकि हड़तालियों ने एक अच्छे माहौल में हड़ताल वापिस ली और हम सब लोगों ने भी जनता को हड़ताल से नुकसान नहीं होने दिया।

श्री किरन पाल सिंह---

मान्यवर, इस चर्चा के लिए एक घंटे का समय निश्चित किया गया और यह कह रहे हैं कि आपने एक घंटे का समय बरबाद किया मान्यवर यह बात कार्यवाही से निकाल दी जाय।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर ---

मान्यवर, कर्मचारी बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने मुख्यमंत्री के सामने जा कर अच्छे माहौल में इस हड़ताल को वापिस ली। जहां तक हम लोगों का सवाल है, हम लोगों के ऊपर जो इलजाम यहां पर लगाये गये हैं, हम लोग तो हमेशा जनता की सेवामें रहे हम और हमारे चुने हुए साथी गलियों में घूमते हुए पाये गये, इन्होंने रात में साजिश की और हमने रात में कूड़ा उठवाया। इन्होंने रात में स्कीम बनायी हमने उसको रात भर दिन भर मिलकर फेल किया लोकतन्त्र की दुहाई उन लोगों ने दी है जो लोग कानपुर में साजिश और गुमराही फैला रहे थे।

मान्यवर, आज सुबह के अखबारों में मैंने उन्नाव के एक विधायक का भाषण पढ़ा जिसमें लिखा था कि इस हड़ताल के फलस्वरूप 50हजार लोग मर जायेंगे। उन्होंने पहले ही इतने लोगों की मौत का प्रिजम्प्शन कर रखा है। हमने अपनी पार्टी में अपने से बड़ों के साथ लोगों को जिन्दगी देना सीखा है जिन्दगी जीना सीखा है मौत के ठेकेदार तो यह है। (लाल बत्ती होने पर।)

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें। अभी मंत्री जी को भी बोलना है। सारी बातें आ गई हैं।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर---

आपके आदेश से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा लेकिन समाप्त करने के लिये आप मुझे 2-4 सैकिन्ड तो देंगे। मान्यवर, मुझे यह कहना है कि जिन मौत के व्यापारियो ने यह हड़ताल वहां चलवाई थी उनकी इस सदन में भर्त्सना की जानी चाहिए, मजम्मद की जानी चाहिए और उनको शर्म आनी चाहिए कि आइन्दा ऐसी बातें सदन में न करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वरिष्ठ लोग सदन को गुमराह नहीं करेंगे। मैं हड़तालियों

को उनकी बिना शर्त हड़ताल वापस लेने के लिये बधाई देता हूं।

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)– श्रीमन्, अभी जब माननीय गुप्ता जी बोल रहे थे और अन्य सदस्यगण बोल रहे थे तो उन्होंने एक घर में नौकर और बच्चे की कहानी सुनाई। मुझे भी अपने साथ घटी एक घटना याद आ गई। एक जगह हम लोग कुछ प्रबुद्ध नागरिक इकट्ठे हुए थे। तो वहां पर सब लोग अपनी-अपनी सिगरेट निकालकर पीने लगे। मेरी बगल में एक साहब बैठे थे वह नहीं पी रहे थे। मैंने कहा कि लगता है मैं और तुम हैं जो सिगरेट नहीं पीते हैं। उस पर उन्होंने कहा कि तुम ही तुम हो, मैं बीड़ी पीता हूं। कानपुर के ऊपर चर्चा हो रही थी तो चूंकि दोनों पक्षों के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उसके ऊपर शासन और कर्मचारियों दोनों पक्षों को लेकर जिम्मेदारी की बात कही जाय और मैं गुप्ता जी से उम्मीद कर रहा था कि दोनों का समावेश करते हुए माननीय सदस्य बात कहेंगे लेकिन वह भी वैसे ही निकले जैसे और बोल रहे थे। वे इस तरह से कह रहे थे जिस तरह से कि एक कहावत है कि आंख पर है कि आंख पर कुछ लोगों ने पट्टी बांध ली और हाथी को पकड़ने लगे। तो जिसके हाथ में जो लग गया किसी के हाथ में जो लग गया कि हाथी एक लम्बी सूंड़ जैसा होता है, किसी के हाथ में उसके दांत लगे तो बोले कि हाथी पाये जैसा होता है, वगैरह, वगैरह। माननीय गुप्ता जी ने एक बात और कही कि मंत्री जी हां या नहीं में जवाब दें। तो माननीय अधिष्ठाता जी, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं और वे हां या नहीं में जवाब दें। क्या गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना बन्द कर दिया है? इसका उत्तर न हां में हो सकता है और न नहीं में हो सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–– चूंकि मंत्री जी मुझसे छोटे हैं। वह मेरी बहू हुई लेकिन उनके मन में यह बात कैसे पैदा हो गई?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–– आपने एक बुनियादी प्रश्न उठाया और उसके ऊपर एक बात कही। शासन उनको महंगाई भत्ता ए–क्लास की तरह दे रही है या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि उसका वही स्वरूप है जो भारत सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते का स्वरूप है। एक बात और कहना चाहता हूं।

एक बात और है मकान किराया किस तरह से दे रहे हैं। केन्द्र में दो तरह से मकान किराया भत्ता हैं एक 15 परसेंट और दूसरा साढ़े 7 परसेंट। हम भी 15 परसेंट और साढ़े सात परसेंट दे रहे हैं। इसके अलावा एक नयी कैटेगरी है 5 परसेंट की हम वह जहां दे रहे हैं उन शहरों में केन्द्र सरकार नहीं दे रही है। हम उस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं जिस तरह की केन्द्र सरकार की है। यह समस्या जो राज्य कर्मचारियों की उठाई है उसमें नगर प्रतिकर भत्ता मांगा गया है। हमारे और केन्द्र में अन्तर है हम 25 रु0 दे रहे हैं और केन्द्र सरकार 75 रु0 दे रही है तो अंतर यह है लेकिन इसके अलावा हम राज्य कर्मचारियों को बहुत बड़ी सुविधा दे रहे हैं। अगर उनके नगर प्रतिकर भत्ते के प्रस्ताव को मान लिया जाय तो इससे हमारे ऊपर 3 करोड़ रुपये का व्यय भार आता है। लेकिन दूसरे शहरों में जहां वह नहीं दे रहे हैं जिनको 10 रुपया मिलने लगेगा क्योंकि हम 25 रु0 दे रहे है।

एक दूसरी बहुत बड़ी सुविधा राज्य कर्मचारियों को जो हम दे रहे हैं वह नकदीकरण की है उसमें हम 12 महीने में 13 महीने का वेतन देते हैं जिसमें प्रदेश सरकार पर लगभग 75 करोड़ रुपये का व्यय भार आता है। तो क्या उसको देकर इसको विद्ड्रा कर लें। माननीय गुप्ता जी और उनके दल के एक माननीय सदस्य ने बहुत ही भावुकता-पूर्ण ढंग से बात कही थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वह सारी सुविधायें जो हम दे रहे हैं जिसे केन्द्र सरकार नहीं दे रही है उसे न दें। केवल कानपुर के कर्मचारियों के कारण पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को जो लाभ मिल रहा है उसे न दें उस पर कौमा और फुलिस्टाप लगा दें।

इसी प्रकार अधिष्ठाता, महोदय मैं एक बात और कहना चाहता हूं क्या इस सदन का यह उत्तर दायित्व नहीं है कि जब प्रदेश में इस तरह से हड़तालें हों, इस तरह से सचिवालय के सामने या जिला हेडक्वाटरों में इस प्रकार के प्रदर्शन और हड़ताल हों तो उनको केवल इसलिये सपोर्ट

(7 बजकर 20 मिनट)

किया जाय कि उनके साथ भावनात्मक सामंजस्य हमारा हो जाय। तो क्या रोज-रोज किसी न किसी जगह पर रुकावटें आने देनी चाहिये । जब हम उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर चलते हैं । मैं इस प्रतिकर भत्ते के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि द्वितीय वेतन आयोग ने कहा है कि नगर प्रतिकर भत्ता बंद कर दिया जाय । इसके लिये उन्होंने दो तीन आधार दिये थे उनमें से एक यह था कि शहरों में कुछ चीजें देहाती क्षेत्र की अपेक्षा में सस्ती मिलती हैं जैसे साबुन, तेल कंघा आदि । आप देखेंगे कि देहातों में यह चीजें शहरों की अपेक्षा दो तीन पैसा ज्यादा होती हैं । तो इस तरह की दो तीन बातों के आधार पर नगर भत्ता बंद करने की बात की थी । लेकिन शासन ने इस बात को नहीं माना और हम 25रु 0 नगर भत्ते की अधिकतम सीमा में दे रहे हैं । इसलिए श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि इन सब बातों को देखना चाहिये और हमारे संसाधन क्या हैं उसको भी देखने की बात है कि हमारी तनख्वाह टी0ए0, डी0ए0, पेंशन आदि पर कितना भार आता है ।

श्रीमन् इस संबंध में एक रफ आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि 1984–85 में उत्तर प्रदेश का शुद्ध राजस्व 1134 करोड़ रुपये के लगभग था, राज्य कर्मचारी और अध्यापक, इन सबको मिलाकर लगभग 1555 करोड़ रुपये वेतन और भत्तों में गया । तो यह प्रेसर जो है और श्री गुप्त जी का दल कहता है कि सेल्स-टैक्स समाप्त किया जाये । इसके अलावा दूसरे राजस्व की स्थिति देखें तो एग्रीकल्चर लैन्ड का राजस्व 1952 में जो था उसकी वसूली में 2 प्रतिशत धन खर्च होता था । वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रथम और द्वितीय वेतन आयोग में जो दिया गया वह आज टोटल राजस्व में से 80 प्रतिशत वेतन में जा रहा है और 20 प्रतिशत प्रदेश के दूसरे कामों में लग रहा है । इसलिये इन बातों पर चिन्ता और मनन करना चाहिए और उसके बाद जिम्मेदार व्यक्तियों को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए ।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर के हड़-ताली कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले लिया और वह भी बिना शर्त वापस लिया । इसलिये शासन निश्चित रूप से उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा । धन्यवाद ।

श्री मुलायम सिंह यादव––

माननीय, मंत्री जी ने अभी जो बात कही है वह सत्य से परे है । उन्होंने बिना शर्त हड़ताल वापस नहीं लिया है बल्कि उनको उत्पीड़ित करके, आतंकित करके, रासुका लगाकर और जेलों में जो अपराधी थे उनसे गलत व्यवहार कराकर हड़ताल वापस करायी गयी । मैंने मौके पर जाकर देखा है । इसलिए जो मंत्री जी ने कहा ह, वह संतोषजनक नहीं है । इसलिये हम और हमारा दल सदन का वहिष्कार करता है ।
(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चलेगये ।)
(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अधिष्ठाता––

चर्चा का समय समाप्त हुआ ।
अब हम उठते हैं और कल फिर 11 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ : भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
17 फरवरी, 1986 उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

[देखिए नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तां0प्र0सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर ।]

तारांकित प्रश्न सं0 1 के उत्तर का संलग्नक, मांगों की सूची

(1) राजकीय अराजकीय का भेदभाव समाप्त करना :—

क—समान कार्य के आधार पर हाईस्कूल व नान हाई स्कूल तथा इण्टर व नान इण्टर का भेद समाप्त करना क्योंकि राजकीय शिक्षकों के साथ यह प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है पर प्राथमिक शिक्षकों के साथ भेदभाव बरता गया है । यह भेदभाव परिषदीय विद्यालयों में केवल सहायक अध्यापक के साथ है प्रधानाध्यापक के साथ नहीं ।

(1) सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला
नान हाईस्कूल ट्रेन्ड .. .. 350–500 का ग्रेड
तथा हाई स्कूल ट्रेन्ड ग्रेड .. .. 365–555 का ग्रेड

(2) सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल
नान इण्टर 400–620

(3) सहायक अध्यापक इन्टर 450–720

ख—प्राथमिक शिक्षकों को भी 22 बी तथा उसके संशोधनों का लाभ दिया जाय ।

ग—महानगर शिक्षकों को नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाय क्योंकि महानगर के कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जा रहा है ।

घ—पर्वतीय जनपदों में राजकीय विकल्प के चाहे जो योग्यता रखतें हों तथा माडल स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक का भी शिक्षण कार्य करते हैं तथा 6–7–8 को भी पढ़ाते हैं उनको 420–600 व दस वर्ष की सेवा पर 450–720 का ग्रेड दिया जाता है परन्तु परिषदीय विद्यालयों में योग्यता का प्रतिबन्ध है । सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला को नान हाईस्कूल 350–500 तथा इण्टर को 365–565 का ग्रेड दिया जाता है । यही अध्यापक प्रमोशन पाकर सहायक अध्यापक जू0 हा0 स्कूल में पहुंचते हैं । ऐसी स्थिति में परिषदीय शिक्षकों के साथ भेदभाव करना अन्यायपूर्ण है । सभी को राजकीय शिक्षकों की तरह 400–620 तथा दस वर्ष की सेवा पर 450–720 व इसी तरह प्रधानाध्यापक को भी उच्चीकृत ग्रेड दिया जाय ।

ङ—राज कर्मचारियों की भांति प्राथमिक शिक्षकों के वेतन की व्वयस्था की जाय तथा बकाया भुगतान के प्रतिबन्ध को हटाने के साथ ही साथ वित्त परामर्शदाता द्वारा पास बिलों को निदेशालय मंगा कर ग्राण्ट देने की प्रथा समाप्त की जाय, एवं 1979 की वेतन बढ़ोत्तरी, एडहाक बढ़ोत्तरी, सेलेक्शन ग्रेड व अन्य प्रकार के बकायों के भुगतान हेतु अविलम्ब ग्राण्ट दिया जाय ।

च—प्राथमिक शिक्षकों को भी राज कर्मचारियों की भांति 10 वर्ष की सेवा पर चयन वेतन-मान दिया जाय ।

(2) वेतन विसंगतियों को दूर किया जाय ।

क—वर्ष 1979 के पूर्व प्रोन्नत जू0 हा0 स्कूल प्रधानाध्यापक अपने सहायक अध्यापक से कम वेतन प्राप्त कर रहे थे, यही विसंगति प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला के साथ भी थी परन्तु उक्त विसंगति मात्र जू0 हा0 स्कूल के प्रधानाध्यापक की राजाज्ञा द्वारा ठीक कर दी गयी थी । परन्तु प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला को इससे वंचित रखा गया था । परन्तु अब वर्तमान में स्थिति और भयावह है कि जू0 हा0 स्कूल व प्राइमरी पाठशाला में वर्ष 1979 के बाद प्रोन्नत प्रधानाध्यापक अपने सहायक अध्यापक से कम वेतन प्राप्त कर रहा है क्योंकि

सहायक अध्यापक 16 वर्ष पर चयन वेतन लेकर प्रधानाध्यापक से अधिक पा रहा है । अस्तु उपरोक्त विसंगतियों को दूर कर वरिष्ठ को अधिक वेतन दिया जाय ।

ख--वेतन आयोग ने चयन वेतनमान निर्धारित करते समय मूल वेतन में 10 या 11 वार्षिक वेतन वृद्धियां या इससे अधिक वेतन वृद्धियां देकर सभी स्तर के कर्मचारियों का चयन वेतन निर्धारण किया है । परन्तु सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला के साथ यह नियम लागू नहीं किया गया है । अतः 360-555 के वेतन क्रम पर जो अन्य कर्मचारियों को चयन वेतनमान निर्धारित किया गया है वही चयन वेतनमान सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला को भी निर्धारित किया जाय ।

(3) पेन्शन प्रकरण :

क--पेन्शन के मासिक भुगतान की व्यवस्था बैंकों द्वारा की जाय ।

ख--राज कर्मचारियों की भांति प्राथमिक शिक्षकों को भी पेन्शन प्राप्त हो रही है । अतः प्राथमिक शिक्षकों को राहत आदि की राजाज्ञाओं को अलग से निर्गत करने की प्रथा बन्द कर दी जाय ।

ग--17-12-82 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार उदार पेन्शन योजना के तहत वेतन का 1/2 भाग तथा अन्य सुविधा में पेन्शन के प्रारम्भिक काल से ही जोड़कर पेन्शन का लाभ प्रदान कराया जाय ।

घ--मृतक राज कर्मचारियों के आश्रितों को तुरन्त सेवा में ले लिया जाता है । परन्तु मृतक अध्यापक आश्रितों को सेवा में नहीं लिया जाता है । ऐसी स्थिति में मृतक अध्यापक आश्रितों को जो इण्टर योग्यता रखते हों, अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्रदान कर सेवा में लिया जाय या अप्रशिक्षित अध्यापक के पद पर नियुक्ति देकर उन्हें बाद में प्रशिक्षित कराया जाय ।

(4) अध्यापक पुत्र/पुत्रियों को शिक्षण शुल्क से मुक्ति :

राज कर्मचारियों तथा परिवहन, रेल कर्मचारियों के परिवार को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गयी है तथा राज कर्मचारियों के परिवारों को सस्ते मूल्य की उपभोक्ता भण्डार के माध्यम से सस्ती वस्तुएं उपलब्ध करायी जा रही हैं शिक्षक शिक्षण कार्य में लगा है । शिक्षक बालकों को भी संपूर्ण शिक्षा नि:शुल्क प्रदान करायी जाय ।

(5) शिक्षण व्यवस्था--

क--दोहरी शिक्षा व्यवस्था समाप्त की जाय ।

ख--प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकाय को पुनः न सौंपा जाय जिससे शिक्षा राजनैतिक विलास से बच सके ।

ग--प्रदेश के आदिवासी एवं जनजाति जनपदों जौन्सारबावर में कार्यरत अध्यापकों को भाषाई अड़चनों के अलावा अनेक कयठनाइयों का सामना करना पड़ता है । इन क्षेत्रों में उसी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण दिलाकर उन्हीं स्थानों पर नियुक्त किया जाय ।

घ--परिषदीय विद्यालयों को टाट-पट्टी शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाय एवं भवनों की मरम्मत व निर्माण कराया जाय ।

ङ--अमान्य एवं कागज के पत्रों में जीवित संगठनों को शासन द्वारा प्रोत्साहन न दिया जाय ।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतांराकित प्रश्न सं0 14 का उत्तर पीछे--पृष्ठ 26 पर)

विकास खण्ड मोठ :—

क्र0 सं0	ग्राम का नाम जहां हैण्ड पम्प नहीं लगाये हैं	चालू हैण्ड पम्पों की संख्या	खराब हैण्ड पम्पों की संख्या
1	2	3	4
1	बुढ़ावली	2	..
2	सेरसा	3	..
3	लोहागढ़	2	..
4	छवेरा	2	..
5	ठोडी	2	..
6	बसोवई	2	..
7	पचोवई	2	..
8	अमरोख	3	..
9	पडरा	..	1
10	मगरौरा	2	..
11	खकल	1	..
12	सेसा	3	..
13	करीला	1	..
14	कनैछा	2	..
15	वृसंगपुरा	3	..
16	ग्यारई	3	..
17	पहाड़पुरा	1	1
18	दतावली कला	1	..
19	फूजा	1	..
20	अंगरी	1	..
21	जोरा	1	1
22	मैंवराघाट	1	1
23	इमिलिया	1	1
24	साकिन	1	..
		41	5

विकास खण्ड मोंठ के ग्रामों की सूची जहां पर हैण्ड पम्प स्थापित नहीं है ।

क्र0सं0	नाम ग्राम	क्र0सं0	नाम ग्राम
1	पूंछ	36	लावन
2	सिकन्दरा	37	सिमिरिया
3	मंगूसा	38	बझेरा स्टेट
4	सराय झांसी	39	खजूरी
5	फतेपुर	40	सौराई
6	धर्मधाली	41	चंदार
7	सलेमापुर	42	खरडोवा
8	बडेरा	43	वमरौलर स्टेट
9	धैरका	44	काडोरा
10	जराहावला	45	लडावरा ;
11	काशीपुर	46	पाडौरी
12	महराजगंज	47	दासना
13	ढैरा	48	पसप
14	कनेछा	49	तालौड
15	मुजौंद	50	ब-बहादुरपुरा
16	जरहाखुर्द	51	चतुरेशपुरा
17	खिल्ली	52	वरनाया
18	महेलूवा	53	वेलमाखुर्द
19	महुवाखेरा	54	बांगरी
20	वम्हरौली	55	बरथरी स्टेट
21	टांडा	56	चिरगांव खुर्द
22	परौहा	57	बुडेरीकलां
23	चिलारी	58	बड़ौखरी
24	काबला	59	बजीता
25	पनारी	60	जेरा
26	पर्शा	61	जगुढेराकलां
27	दरथरी	62	तुरसनपुरा
28	मरौसा	63	बुढेराखुर्द
29	अटरिया	64	बुढेराघाट
30	रेव	65	डमिनियास्टेट
31	छपार	66	ऐरा
32	पुलिया	67	करई
33	पुलगहना	68	अटा
34	बेलमाकलां	69	साजौनी
35	पतौरा	70	दिवियापुर

परिशिष्ट 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0–15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

विकास खण्ड—गुरसराय

क्रम0सं0	ग्राम का नाम जहां हैण्ड पम्प लगाये गये हैं	चालू हैण्ड पम्पों की संख्या	खराब हैण्ड पम्पों की संख्या
1	राजापुर	2	...
2	पन्डवाहा	11	2
3	टौडी फतेहपुर	5	1
4	दुगारा	4	..
5	बैंकापहाड़ी	9	..
6	अटरावली	2	..
7	मैगाव	3	..
8	बसारी	3	..
9	धुरईया	6	2
10	ताई	2	..
11	गरौठा	6	..
12	शीला	1	..
13	गरौठाकुन्ड	2	..
14	ठहरौली	15	2
15	ठहरौली खास	4	1
16	गौरी गुनवा	3	1
17	गटआ	3	..
18	तईवअन	2	..
19	अटनिया	6	1
20	अटवा	1	..
21	रनेरा	2	..
22	पुरतनी	2	..
23	बला	2	..
24	गेमरी	3	1
25	अटसुवा	1	1
26	गुढ़ी	2	..
27	सालौरी	3	..
28	खिरिया	2	..
29	धवारी	2	..
30	लखवटीं	2	..
31	नुरर	1	..
32	पचेराई	3	1
33	बसर	1	..
34	धरुबिलगांव	1	..
35	बरोरा	1	..
		118	13

विकास खण्ड गुरसराय के ग्रामों की सूची जहां पर एक भी हैण्ड पम्प नहीं है

क्रम सं0	ग्राम का नाम	क्रम सं0	नाम ग्राम
1	मधुपुरा	36	ढिपकई
2	मवई	37	पसौरा
3	दुरवई	38	सिमरध
4	ढ़ीकरगांव	39	जसवन्तपुरा
5	लौडी	40	सुजानपुरा
6	मडोघर	41	पुरा
7	माता	42	जलालपुरा
7	बढवार	43	खडौरा
9	आमली	44	मोरपुरा
10	माधोपुरा	45	मथनिया
11	इटौरा	46	केदारताई
12	रानापुरा	47	चतुराई
13	तुकीलहचुरा	48	खेरी
14	चौकरी	49	विकटौरा
15	डोडिया	50	विक्रमपुरा
16	करगवांबुजुर्ग	51	कुटौरा
17	जडबूपुरा	52	छिरौराबुजुर्ग
18	खेरा	53	बगरौनी
19	सिरवो	54	खलीलपुरा
20	हैवतपुरा	55	देवरीखुर्द
21	चन्दपुरा	56	लुहरगांव
22	करनपुरा	57	डावर
23	बिजौरा	58	करीं
24	मरवन्तिपुरा	59	मटूकछयान
25	मढा	60	पुट्टी
26	निपान	61	मारकुवा
27	रमौरा	62	गढा
28	गहरौली	63	शहखुर्द
29	मोतीकटरा	64	इमलौटा
30	नादौरा	65	जवरौटा
31	रमपुरा	66	ऐचनी
32	ढोला	67	लिघौरा
33	बिरौनी	68	कोटरा
34	बंगरा	69	शौनकपुरा
35	मिहना		

नत्थी 'घ'

(देखिए अतांरांकित प्रश्न संख्या---16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर।)

विकास खण्ड :---वामौर

क्रम सं0	नाम ग्राम जहां हैण्ड पम्प लगाये गये हैं	चालू है पम्पों की संख्या	खराब हैंड पम्पों की संख्या
1	2	3	4
1	धनौरा	4	..
2	कुडरी	1	..
3	शाहपीबुजुर्ग	1	..
4	सेमरी	1	..
5	गोन्टी	8	..
6	बच्चू	5	..
7	तेहरका	2	..
8	कुठारी	1	..
9	समसेरपुरा	4	..
10	रतउपुरा	2	..
11	गुजरपुरा	1	..
12	तन्डी	2	..
13	गोकुल	2	1
14	बेहतर	2	..
15	कैरोखर	1	..
16	हीरनपुर	1	..
17	खरबन्टे	4	..
18	डुमरई	2	..
19	बारगैन	3	..
20	घाटपरी	1	..
21	धमनौर	2	..
22	अलमपुरा	2	..
23	पेहरा	1	..
24	खामा	1	..
25	ठर्रो	2	..
26	बरबरा	2	..

1	2	3	4
27	मदरवारा बुजुर्ग	4	2
28	रीवन	6	..
29	झबराबुजुर्ग	2	..
30	मलेठा	2	..
31	कुरैठा	2	..
32	रावतपुरा	2	..
33	नीमखैरा	1	..
34	टीदुजा	1	..
35	पथरेडी	1	..
36	सीया	2	..
37	मुमई	2	..
38	नखैरा	2	..
		85	3

विकास खण्ड वामौर के ग्रामों की सूची जहां पर हैण्ड पम्प स्थापित नहीं हैं

क्रम सं0	नाम ग्राम	क्रम सं0	नाम ग्राम
1	छिरौराखुर्द	9	निबूजा
2	अजनेरी	10	सेमनरा
3	जुझारपुरा	11	नेकरा
4	जोरी	12	गढवई
5	गोरा	13	सुटटा
6	मिदरपुरा	14	रजपुरा
7	परगेना	15	एरच
8	देवरासारन		

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर ।)

सेवा में,

श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय,

जनपद––शाहजहांपुर ।

विषय : पुवायां इण्टर कालेज पुवांयां, शाहजहांपुर में परीक्षा में की जानेवाली धांधलियों के संबंध में ।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी उक्त विद्यालय में कक्षा 11क का छात्र है और गत वर्ष में इसी कक्षा का छात्र रहा है । गत वर्ष माह मार्च 1985 के एक दिन प्रार्थी व उसके घरवालों के साथ श्री नरेन्द्र सिह अंग्रेजी प्रवक्ता पवांया इण्टर कालेज, पुवायां को कुछ व्यक्तिगत मामले में काफ़ी बात-चीत हो गयी थी । जिसमें उन्होंने प्रार्थी को यह धमकी दी थी कि राजीव तुम्हें मैं देख लूंगा परन्तु प्रार्थी इसका कुछ भी अर्थ समझ न सका । अत: उसने इस बात पर कोई ध्यान न दिया ।

वार्षिक परीक्षा 1985 में अंग्रेजी से प्रथम प्रश्न-पत्र में प्रार्थी को निर अपराध उनके द्वारा काफ़ी डांटा गया और उसकी कापी भी लगभग 7--15 बजे प्रात: जबरदस्ती छीन कर जमा करके उसे भगा दिया गया । यह सब कार्य प्रभारी प्रधानाचार्य श्री ओम प्रकाश शुक्ला जी के सामने होता रहा परन्तु उन्होंने उन्हें मना न किया । क्योंकि श्री नरेन्द्र सिह अपने आतंक से विद्यालय से सभी लोगों को दबाये जा रहे हैं । जिसके कारण किसी को भी उनका विरोध करने का साहस नहीं होता है ।

दूसरे दिन प्रार्थी तथा उसके घरवाले ने काफ़ी खुशामद दरामद की जिस पर प्रभारी प्रधाना चार्य ने उसे परीक्षा में सम्मिलित कर लिया । प्रार्थी का यह अंग्रेजी द्वितीय प्रश्न-पत्र काफ़ी अच्छा रहा जिससे उसे अपने इस प्रश्न-पत्र में अपने अच्छे अंक आने का विश्वास हो गया परन्तु अंक पत्र देखने पर उसे मालूम हुआ कि उसे अपने इस प्रश्न पत्र में केवल 8 अंक ही मिले हैं । इस प्रकार प्रार्थी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है इसके बाद प्रार्थी जब श्री नरेन्द्र सिह से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे टकराने वाले का यही अंजाम होता है ।

अत: श्रीमान जी से सानुरोध निवेदन है कि प्रार्थी की वार्षिक परीक्षा की अंग्रेजी क दोनों प्रश्नपत्र की कापियां पुवायां इण्टर कालेज के अतिरिक्त किसी अन्य विद्यालय से गोपनीयता के साथ पुन: मूल्यांकित कराने की कृपा करे कि प्रार्थी के साथ सही न्याय हो सके । आपकी इस कार्यवाही के लिये महान कृपा होगी । इससे साथ ही श्रीमान जी से यह भी निवेदन है कि हम छात्रों तथा न्याय प्रिय अध्यापकों के साथ का जाने वाली अभद्र पूर्ण व्यवहार को रोकने के लिये परीक्षा संबंधी गहन जांच की जावे । परीक्षा संबंधी अनियमितताओं तथा श्री नरेन्द्र सिह एवं उनके साथियों द्वारा किये जाने वाले दुर्व्यवहारों से कुछ निम्नलिखित उदाहरणों को जांच हेतु प्रस्तुत किये जा रहे हैं । जैसे कक्षा 9 ग से एक छात्र अरुण कुमार का मेडिकल सार्टीफिट गत वर्ष का होने पर भी पैसा लेकर उसे इस वर्ष का मानकर चिकित्सा अवकाश स्वीकृत कर दिया गया इसी प्रकार इसी कक्षा का एक छात्र देवेन्द्र कुमार मिश्र को जो कि प्रभारी प्रधानाचार्य जी के गांव जेंवां का रहने वाला है उनका निकट का संबंधी है का कक्षा से नाम कट जाने पर भी उसे चिकित्सा अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है । साथ ही श्री नरेन्द्र सिह व प्रभारी प्रधानाचार्य जी गुट के ही इसी प्रकार के श्री राम आसरे वैश्य जी के सगे भतीजे देवेन्द्र कुमार वैश्य का भी नाम कट जाने के बावजूद उसको चिकित्सा अवकाश स्वीकृत कर के उत्तीर्ण कर दिया गया । संभवत: इसी प्रकार कक्षा 11 "ख" के भी एक छात्र का नाम कटा होने पर भी उससे रुपये लेकर उसे चिकित्सा अवकाश स्वीकृत कर दिया गया ।

इन लोगों की दुश्चरित्रता का एक और उदाहरण इस प्रकार है कि जिसमें श्री नरेन्द्र सिंह व उनके साथियों द्वारा महेश चन्द्र सक्सेना, अध्यापक की मारपीट की गयी इससे पूर्व उनसे नरेन्द्र सिंह के द्वारा चाय पीने की बहाने लगभग 30 रुपया लिये गये।

एक अन्य उदाहरण भी इस प्रकार है कि जिसमें एक नये अध्यापक महोदय श्री वीर भानू जी को अछूत होने के नाते विद्यालय से उन्हें भगा देने के प्रयास में रहना दुश्वार किया जा रहा है।

इस प्रकार विद्यालय में घोर अत्याचार व्याप्त है जिससे विद्यालय तथा शिक्षा विभाग दोनों की ही गरिमा समाप्त होती जा रही है। और छात्रगण तथा सीधे सादे अध्यापकगण निरन्तर अत्याचारों की शिकार किये जा रहे हैं। अतः श्रीमान जी से सानुरोध निवेदन है कि वह विद्यालय में मामले की गहन जांच करने की कृपा करें जिससे हम लोगों से साथ ऐसा अन्याय न हो सके। आपकी महान कृपा होगी।

प्रार्थी

राजीव कुमार सिंह,
कक्षा- 11 "क" पुवायां इन्टर कालेज,
पुवायां, शाहजहांपुर।

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर।)

मद	आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)			
(क) मुख्य मद	1982–83	1983–84	1984–85	1985–86
1—निर्बल वर्ग आवास	0.44	1.00	1.52	1.52
2—हरिजन पेयजल कूप	2.40	1.20	2.20	3.00
3—एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	65.75	48.00	64.00	46.32
4—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	70.75	66.38	58.71	60.00
5—(अ) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टीकार्य क्रम	..	..	43..00	..
(ब) कोर प्रोजेक्ट योजना	..	45.0	35.00	10.00
6—लघु/सीमान्त कृषक उत्पादन वृद्धि योजना।	12 08	11.44	27.04	
7—सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	32.70	43.41	45.00	18.00
8—ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना के अन्तर्गत आवास हेतु।	..	..	..	15.90
9—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्कूल भवन मरम्मत हेतु।	..	..	..	27.04
10—बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु	2.62	5.93	12.24	13.68
11—स्वरोजगार योजना	2.05	1.79	2.02	2.06
12—व्यवहारिक पुष्टाहार	0.602	0.265	0.265	0.197
13—विशेष पुष्टाहार	1.073	0.30	0.295	0.378
14—सूखाराहत पुष्टाहार	..	..	..	1.703

मद	आवंटित धनराशि (रुपये में)			
(ख) अन्य मद	1982–83	1983–84	1984–85	1985–86
1—वेतन ..	17,02,406	18,56,879	17,74,500	17,60,600
2—महगाई भत्ता ..	8,07,393	9,23,845	12,31,336	11,39,500
3—यात्रा भत्ता ..	1,87,869	1,74,033	2,16,906	2,22,400
4—अन्य भत्ते	19,511	17,203	18,272	17,700
5—अन्तरिम सहायता ..	53,267	76	..	..
6—कार्यालय व्यय ..	53,907	57,645	55703	49,300
7—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल पर व्यय।	43,898	49,898	50,150	45,600
8—टेलीफोन	9,244	5,542	4,818	4,200
9—अनुरक्षण निर्माण कार्य ..	10,892	10,109	10,100	10,100
10—अन्य व्यय (बोनस) ..	..	77,622	93,163	65,200
11—समाजिक शिक्षा ..	1,239	1,495	1,374	500
12—कृषि कार्य व्यय ..	3,216	3,800	3,554	1,800
13—स्वास्थ्य तथा स्वच्छता ..	1,600	1,500	2,250	3,400
14—उद्योग	..	..	..	100
15—स्वावलम्बन	2,217	3,00	3,012	..
16—क्षेत्र समितियों के प्रमुखों का यात्रा भत्ता। ..	60	8,835	17,900	
17—सड़के	..	..	..	500

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 102 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर।)

तारांकित प्रश्न संख्या--102 के उत्तर में उल्लिखित सुझावों की सूची।

1---शिक्षक संगठनों के सम्मेलन ग्रीष्मावकाश या लम्बे अवकाशों की अवधि में हो। निर्धारित कार्य दिवस पूरे हो।

2---जिला प्रशासन शिक्षाधिकारियों से परामर्श के उपरान्त ही विद्यालय बन्द करें।

3---कोचिंग, ट्यूशन पर नियंत्रण।

4---मा0 शि0 परिषद् के परीक्षाफल की अध्यापकों के सेवा संबंधी लाभ यथा प्रोन्नति, दक्षता रोक पार करना आदि के आधार बनाये जायं।

5---दो पाली व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त की जाय।

6---विद्यालयों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाय और पाठ्यक्रम के नये विषयों के सापेक्ष्य नये पद सृजित किये जांय।

7---विद्यालय कर्मचारियों के सामान्य एवं प्रशासनिक स्थानान्तरण की व्यवस्था की जाय।

8---विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक अध्यापकों का समायोजन किया जाय।

9---माध्यमिक शिक्षा, सेवा आयोग द्वारा प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों की चयन समिति में प्रबन्धक को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाय।

10---कर्मचारियों को दंड देने का पूर्ण अधिकार प्रबन्धतंत्र में निहित हो।

11---प्रधानाचार्यों को आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाय।

12---विद्यालय के आकस्मिक व्यय हेतु वर्तमान 15 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत शुल्काय की सीमा को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाय

13---प्रवेश के समय भवन एवं साज-सज्जा शुल्क के नाम पर 5 या 10 रु0 प्रति छात्र शुल्क लेने का प्राविधान किया जाय।

14---प्रधानाचार्य को 6 सप्ताह तक के अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार दिया जाय।

15---प्रत्येक प्रकार के शुल्क बढ़ाये जायं।

16---अनुदान नियमों को शिथिल किया जाय।

17---प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूलों के निरीक्षण एवं पूरी परीक्षा का दायित्व समीपवर्ती उ0 मा0 विद्यालयों को दिया जाय।

18---पाठ्यक्रम हल्का किया जाय।

19---प्रत्येक शिक्षक को कुछ छात्रों का ट्यूटर--गार्जियन बनाया जाय।

20---रोजगार पुरक शिक्षा की व्यवस्था की जाय।

21---प्रत्येक 5 वर्ष में अध्यापकों को पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।

अनुबंध "ज"

(देखिए अतरांकित प्रश्न सं0 151 का उत्तर पीछे पृष्ठ . . . 61 . . . पर।)

विभिन्न ठेकेदारों को भुगतान की गई धनराशि की सूची

	नाम				धनराशि
					लाख रुपये
1	मेसर्स एस0 टी0 के0	..	..	..	2,80,001.00
2	मैसर्स एन0 ए0 कास्टै0	..	..	..	64,525.00
3	फहीम साबिर ..	..	..	..	31,825.00
4	विजय कुमार गुप्ता	..	..	..	3,28,505.00
5	नरेन्द्र सिंह ..	..	..	..	6,02,721.00
6	वी0 के0 ट्रेडर्स ..	..	..	..	2,37,744.00
7	धन प्रकाश ..	..	..	..	50,601.00
8	मसूद शौकत ..	..	..	..	61,562.00
9	गोविवद कृष्ण अग्रवाल	..	..	..	2,03,988.00
10	होती लाल यादव ..	..	..	..	764,931.00
11	राधेश्याम ..	..	..	..	49,852.00
12	अजमत अली ..	..	..	..	311,500.00
13	तालिब हुसैन ..	..	..	..	3,78,389.00
14	द्वारिका प्रसाद वर्मा	..	..	..	97,301.00
15	नौशेर खान ..	..	..	..	59,669.00
16	हौ राम सिंह ..	..	..	..	1,95,190.00
17	जितेन्द्र कुमार देसाई	..	..	..	1,01,172.00
18	तौसीक अहमद ..	..	..	..	1,45,228.00
19	शकीलुर्रहमान ..	..	..	..	1,141,864.00
20	अमानत रसूल ..	..	..	..	1,31,877.00
21	आर0 एस0 पाण्डेय	..	..	..	1,09,883.00
2	जावेद हुसैन ..	..	..	..	1,13,892.00
23	अनोखे लाल ..	..	..	..	1,10,329.00
24	सखावत हुसेन ..	..	..	..	64,859.00
25	बलराम कृष्ण अग्रवाल	..	..	..	49,506.00
26	मेसर्स खण्डेलवाल ब्राबर्स	..	..	..	12214.00
27	लालता प्रसाद ..	..	..	..	49,018.00
28	राम रक्षपाल शर्मा	..	..	..	49,567.00
					47,97,713.00

पी0एस0यू0पी0---ए0पी0 6 विधान सभा---16-5-86 (397)---1986-814 (प्रो0)